शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए जेंडर समानता एवं सशक्तीकरण संबंधी प्रशिक्षण सामग्री

जेंडर और विद्यालयी प्रक्रिया खंड 2

not to be republished

शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए जेंडर समानता एवं सशक्तीकरण संबंधी प्रशिक्षण सामग्री

जेंडर और विद्यालयी प्रक्रिया

खंड 2

© NCERT
not to be republished

विद्ययाऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

13225 – शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए जेंडर समानता एवं सशक्तीकरण संबंधी प्रशिक्षण सामग्री
जेंडर और विद्यालयी प्रक्रिया, खंड 2

ISBN 978-93-91444-39-6

प्रथम संस्करण
अगस्त 2021 भाद्रपद 1943

PD 1T RPS

© *राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2021*

₹ 250.00

80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित तथा टेन प्रिंटर्स इंडिया प्रा. लि., 44 कि.मी. माइल स्टोन, नेशनल हाइवे 10, रोहतक रोड, गांव राहाद, जिला झज्जर, हरियाणा द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फ़ोटो प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशन की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III इस्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पिनहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781021 फ़ोन : 0361-2676869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : *अनूप कुमार राजपूत*
मुख्य संपादक : *श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी : *अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक : *विपिन दिवान*
संपादकीय सहायक : *ऋषिपाल सिंह*
सहायक उत्पादन अधिकारी : *दीपक जैसवाल*

आवरण एवं चित्रांकन
सुरेन्द्र कुमार

© NCERT not to be republished

आमुख

यह सर्वविदित है कि बच्चे शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होते हैं और इसमें शिक्षक प्रमुख संसाधन होते हैं। एक पेशेवर के रूप में शिक्षक बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने तथा उनके शिक्षण परिवेश में गुणात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान करते हैं। शिक्षक-प्रशिक्षक समावेशी अध्यापन प्रक्रिया को अपनाने में शिक्षकों को प्रेरित कर सकते हैं इसलिए उनकी भूमिका अति-महत्वपूर्ण है। इससे पाठ्यचर्या गतिविधियों की संयोजना में शिक्षार्थियों के सरोकारों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के ऐसे कारक के रूप में स्वीकार किया गया है, जो पाठ्यचर्या संबंधी भेदभाव को दूर करेगी और शिक्षकों निर्णय कर्ताओं, प्रशासकों एवं योजनाकार जैसे पेशेवरों को जेंडर समानता के लिए अंत: क्षेपक की भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाएगी। क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम (पी.ओ.ए.) 1992 में सभी शिक्षकों और अनुदेशकों को महिला सशक्तीकरण के प्रतिनिधियों या निष्पादकों के तौर पर प्रशिक्षित करने, शिक्षक प्रशिक्षकों व प्रशासकों के लिए जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रमों के विकास तथा जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या विकास एवं पाठ्यपुस्तकों से लिंगभेद आदि को समाप्त करने पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी शिक्षकों की भूमिका को मात्र ज्ञान के स्रोत से बदलकर शिक्षण के सुगमकर्ता के रूप में बदलने की आवश्यकता व्यक्त की गई है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रशिक्षण में अभिवृत्यात्मक बदलाव लाने पर बल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के बदलाव को लाने का सर्वोत्तम उपाय स्वयं अपने दृष्टिकोण में भेदभाव को पहचानने और अपने काम में 'जेंडर मुक्त' दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। इससे शिक्षकों को अपनी वर्तमान विचारात्मक कठिनाइयों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ विभेदमूलक व्यवहार नीतियों से बचने और उन्हें कम करने के लिए सायास प्रयास हेतु तैयार करना है जिनसे बढ़ती उम्र के लड़के और लड़कियाँ प्रभावित होती हैं।

शिक्षा में जेंडर मुद्दों पर फ़ोकस समूह (2006) ने भी आधिकाधिक आत्मचिंतक, सहभागी और शोध उन्मुखी शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया है। इसमें शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए जेंडर मुद्दों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने के उपायों से संबंधित संसाधन सामग्री विकसित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

जेंडर अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) ने शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण को सदैव प्राथमिकता दी है। ये कार्यक्रम शिक्षा में जेंडर शिक्षक सरोकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए हैं। जेंडर मुद्दों पर सक्रिय राज्य सरकारें और गैर-सरकारी संगठन तथा अन्य संगठन शिक्षा से संबद्ध अपने कार्मिकों के लिए इस प्रशिक्षण सामग्री अथवा स्रोत सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस सामग्री की रूपरेखा 'शिक्षा में जेंडर मुद्दे' नामक आधार पत्र में व्यक्त विचारों पर आधारित है जिसमें इस तथ्य पर बल दिया गया है कि जेंडर को एक सह-दृष्टिकोण के बजाय सभी अनुशासनों में मुख्य दृष्टिकोण के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत सामग्री जेंडर समावेशी है और यह शिक्षकों के लिए जेंडर संबद्ध

© NCERT not to be republished

मुद्दों तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में उनके व्यवहार की मुख्य संकल्पनाओं को समझने में सहायक होगी। यह सामग्री उन्हें अपनी सामाजीकरण की प्रक्रियाओं के आत्म-अवलोकन और आत्म-मीमांसा का अवसर देगी तथा वर्तमान समाज के सत्ता या संबंधों व परंपरागत व्यवहारों को परखने एवं उन पर सवाल खड़े करने के लिए प्रेरित करेगी। यह शिक्षकों को लड़कों एवं लड़कियों के मुद्दों को सामग्री में जोड़ने हेतु अपने अनुभवों को अन्य अनुशासनों की विषय-वस्तु के साथ समेकित करने में भी सक्षम बनाएगी।

सामग्री लेखकों ने प्रत्येक मॉड्यूल को सहभागी स्वरूप दिया है और विद्यालयी परिवेश में कल्पना-शक्ति एवं सर्जनात्मकता उत्पन्न करने पर बल दिया है, साथ ही सभी मॉड्यूल प्रतिभा उन्मेष और विकास के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं। पाठक इन्हें अपनी आवश्यकता एवं संदर्भ के अनुसार अपना सकते हैं या रूपांतरित कर सकते हैं। विविधतापूर्ण अभ्यास गतिविधियाँ भी पर्याप्त मात्रा में दी गई हैं। इस खंड में सुधार एवं संवर्धन के लिए सभी का स्वागत है। इन खंडों का पाठ्यचर्या में प्रयोग करते समय शिक्षक अपने संदर्भगत विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभवों को भी उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न विषयों की प्रमुखता के अनुसार इस प्रशिक्षण सामग्री को तीन खंडों में विभक्त किया गया है। ये खंड इस प्रकार हैं—

खंड 1— जेंडर और समाज संबंधी परिप्रेक्ष्य

खंड 2— जेंडर और विद्यालयी प्रक्रिया

खंड 3— जेंडर और महिला सशक्तीकरण

इन तीनों खंडों के लेखन और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए सभी लेखकों, संपादकों तथा समन्वयकों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। अपने प्रकाशनों की गुणवत्ता के सतत विकास एवं सर्वांगीण सुधार के लिए भी वचनबद्ध संगठन के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली प्रस्तुत सामग्री तथा इसके उपयोग के संबंध में विचार एवं सुझाव आमंत्रित करती है।

हृषिकेश सेनापति
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली
जुलाई, 2018

© NCERT not to be republished

प्रस्तावना

इस खंड में विद्यालयी प्रणाली तथा प्रक्रियाओं में विभिन्न जेंडर सबंद्ध मुद्दों और व्यवहारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के होते हैं परंतु ये पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धति, कक्षा व्यवहार, विद्यालय की प्रकृति तथा शिक्षकों द्वारा अपनी भूमिकाओं को जानने जैसे आयामों में परिलक्षित होते हैं। इन खंडों में बालिकाओं के दृष्टिकोण के अनुरूप उपरोक्त सभी आयामों का पर्याप्त विश्लेषण किया गया है और महत्वपूर्ण सुझाव एवं संस्तुतियाँ भी की गई हैं। इन्हें अपनाने से विद्यालय वर्तमान स्थितियों में बदलाव ला सकते हैं। ये बालिकाओं में उनकी गरिमा, क्षमता और आत्मसम्मान में विश्वास स्थापित करते हैं तथा ऐसे उपाय भी सुझाते हैं जिनसे स्कूलों में उनकी अच्छी देखभाल हो सकती है। सभी नौ खंड शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, नीति निर्माताओं एवं विद्यालय प्रशासकों के लिए विशेष महत्व के हैं। जेंडर एवं विद्यालयी प्रक्रिया से सबंद्ध मुद्दों के प्रति उनकी समझ और संवेदनशीलता को प्रखर करने में ये सहायक होने और बेहतरी लाने के लिए व्यवहारी-प्रागमेटिक दिशानिर्देश भी देंगे।

मॉड्यूल 1, 'पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धति और जेंडर सरोकार', यह मॉड्यूल भाषा, पाठ्यपुस्तकों और कक्षाचर्या में जेंडर भेदभाव के प्रति पाठकों को संवेदनशील बनाता है। इस प्रकार के भेदभाव विषय-वस्तु की बनावट और उदाहरणों और उनमें जिस प्रकार की जेंडरपरक भाषा का प्रयोग होता है उनसे ये रूढ़ियाँ पुष्ट होती है और लगातार बनी रहती हैं। लेखिका का यह प्रयास रहा है कि वे इन सब पहलुओं पर विवेकपूर्ण जागरूकता बना सकें। इसके साथ वह यह भी दिशानिर्देश देने का प्रयास करती हैं कि जेंडर संवेदी शिक्षा को अपना सर्वाधिक ध्यान किन-किन पक्षों पर केंद्रित करना है। इस संबंध में अनेक ठोस सुझाव दिए गए हैं तथा इनमें जेंडर समावेशी प्रविधियाँ उल्लेखनीय हैं।

मॉड्यूल 2, 'भाषा और जेंडर', यह मॉड्यूल, जेंडर संवेदी विषय-वस्तु और जेंडर संगत भाषा तथा दृश्य श्रव्य साधनों और उद्धरणों के प्रयोग एवं उनकी महत्ता पर केंद्रित है। कक्षा में जेंडर अनुकूल वातावरण के लिए लेखिका ने आत्म परावर्ती गतिविधियाँ और अभ्यास भी इसमें शामिल किए हैं। जेंडर समावेशी भाषा की आवश्यकता पर स्पष्ट ज़ोर दिया गया है जिससे जेंडर रूढ़ियाँ टूट सकें और पुरुषों और महिलाओं के मध्य नयी जेंडर समझ बन सके। इस भाषा से लड़कियों और स्त्रियों की प्रतिभा को समुन्नत करने का सामर्थ्य तथा इससे उनमें आत्म-सम्मान की भावना का विकास होगा। मॉड्यूल में इस बात को कई बार दोहराया गया है।

मॉड्यूल 3, 'पाठ्येतर सामग्री और जेंडर संवेदनशीलता' मॉड्यूल में बच्चों में जेंडर संवेदनशीलता के विकास के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री के महत्व को स्पष्ट किया गया है। यह मॉड्यूल शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग हेतु अतिरिक्त पठन सामग्री के चयन की आवश्यकता पर केंद्रित है। प्रमाणन के लिए लेखिका ने अनेक उदाहरण भी दिए हैं। जेंडर संवेदनशीलता के निर्माण के दृष्टिकोण से अतिरिक्त पठन सामग्री के चयन और प्रयोग में शिक्षकों को सुगमकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाने में भी यह मॉड्यूल समर्थ बनाएगा। इस मॉड्यूल की विषय-वस्तु हिंदी भाषा में दी गई है ताकि भाषा के रूप में हिंदी के शिक्षण अधिगम को और अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सके।

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 4, 'जेंडर अनुकूल कक्षाओं का परिवेश निर्माण' मॉड्यूल में अध्यापक को कक्षा में जेंडर अनुकूलता निर्मिति के एक सक्रिय कर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह मॉड्यूल कक्षा में शिक्षकों की भूमिका को एक मार्गदर्शक, परामर्शदाता, मध्यस्थ तथा सहायक के रूप में प्रस्तुत करता है, जो अपनी शिक्षण पद्धति और रचनात्मक अभिवृत्तियों द्वारा जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा दे सकें। इसे और बेहतरी से हासिल करने के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। विभिन्न नीतियों के आलोक में शिक्षक की भूमिका को पूर्णतया एक अलग पहचान देने का प्रयास किया गया है।

मॉड्यूल 5, 'किशोर लड़कियों का मानसिक स्वास्थ्य— संकल्पना, सरोकार और रणनीतियाँ' मॉड्यूल किशोर विकास के सिद्धांतों से पाठकों को अवगत कराने के अलावा लड़कियों को प्रभावित करने वाले दूसरे पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है। इसमें किशोर लड़कियों के लिए अनेक ऐसी अंत: क्षेपी कार्यनीतियों और प्रबंधन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है जिनका अनुसरण और क्रियान्वयन विद्यालय में किया जा सकता है। मॉड्यूल में दी गई गतिविधियाँ आत्मबोधपरक हैं तथा इनमें विभिन्न जीवन-कौशल शामिल हैं। मॉड्यूल में विशेष रूप से ऐसी व्यवहार योग्य नीति पर बल दिया गया है जिसे विद्यालय अपनी दिनचर्या में क्रियान्वित कर सकते हैं।

मॉड्यूल 6, 'शिक्षक— एक परामर्शदाता' एक मॉड्यूल विद्यालय द्वारा विशेष रूप से लड़कियों के मार्गदर्शन और परामर्श गतिविधियाँ आयोजित करने के महत्व पर केंद्रित है। इसमें इस बात का भी विशेष उल्लेख है कि शिक्षक या शिक्षिका के रूप में धारण की जाने वाली भूमिका और दायित्व वास्तव में एक परामर्शदाता की ही भूमिका है। अनेक अंत: क्षेपी कार्यनीतियों के सुझाव भी दिए गए हैं जिन्हें छात्राओं की समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालयी प्रणाली तंत्र में प्रभावी रूप से समाविष्ट किया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मानसिक स्वास्थ्य को नैदानिक परिस्थितयों से अलग रखते हुए निवारक एवं प्रोत्साहनपरक भूमिका पर अधिक बल दिया जाए।

मॉड्यूल 7, 'विद्यालयों में जीवन-कौशल शिक्षा' मॉड्यूल में विद्यालयों में, विशेषकर लड़कियों के लिए जीवन कौशल को समाविष्ट करने की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया गया है। जीवन कौशल के कुछ मुख्य क्षेत्रों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। कुछ व्यवहारपरक गतिविधियों की संस्तुति भी गई हैं जिन्हें विद्यालयी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में संपादित किया जा सकता है। लड़कियों और महिलाओं पर किए जाने वाले भ्रूण हत्या तथा बलात्कार जैसे अत्याचारों को उजागर करने वाली वास्तविक घटनाओं एवं स्रोत सामग्री को इन मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने और जीवन कौशल शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। जीवन कौशलों को संपादित करने और जेंडर मुद्दों को ज्वलंत बनाए रखने के उपाय भी इस मॉड्यूल में सुझाए गए हैं।

मॉड्यूल 8, 'लड़कियों में नेतृत्व के गुणों का विकास' मॉड्यूल में लड़कियों और महिलाओं में नेतृत्व संबंधी गुणों के महत्व पर बल दिया गया है ताकि वे घर और घर से बाहर सशक्त भूमिका और कार्यभार ग्रहण कर सकें। लेखिका ने कई ऐसी गतिविधियों के सुझाव दिए हैं, जिन्हें नेतृत्व के लक्षण और गुण विकसित करने के लिए पाठ्यचर्या में शामिल किया जा सकता है। लड़कियों और महिलाओं के लिए नेतृत्व एक अनिवार्य जीवन कौशल माना गया है, जो उन्हें न केवल निर्णय लेने, अपितु संकट की स्थिति में सक्रियता से निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित करता है। लड़कियों में नेतृत्व के गुणों के विकास में शिक्षा को संभावित साधन के रूप में स्वीकार किया गया है।

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 9, 'लड़कियों और महिलाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा' मॉड्यूल लड़कियों के लिए खेल एवं शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर केंद्रित है। लेखिका ने लड़कियों के लिए एक सर्व-व्यापक और सर्व समावेशी खेल शिक्षा का समर्थन किया है। यह शिक्षा उन खेलों के प्रति जेंडर भेदभाव, पूर्वाग्रहों और रुढ़ियों को समाप्त करेगी जिन्हें अक्सर लड़कों अथवा लड़कियों के साथ विशेष तौर पर जोड़कर देखा जाता है। जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए लेखिका ने ऐसी खेल गतिविधियों को शामिल करने की सिफारिश की है, जो सामान्यतः विपरीत जेंडर के खेल माने जाते हैं। इससे क्रीड़ा और खेलों के जेंडर केंद्रित होने के भ्रम को तोड़ा जा सकेगा। क्रीड़ा-क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं की जगजाहिर अनुपस्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों को जानने के साथ-साथ इस मॉड्यूल में कुछ व्यावहारिक अंत: क्षेपी सुझाव भी दिए गए हैं जिन्हें विद्यालय और नीतिगत स्तर पर अमल में लाया जा सकता है। इससे खेलों में लड़कियों की भागीदारी को बढाने में मदद मिलेगी।

मॉड्यूल 10, 'अपरंपरागत भूमिकाओं में महिलाएँ— रोल मॉडल्स की ताकत' उन लड़कियों और महिलाओं की सफलता की कुछ कहानियों को उजागर करती हैं, जिन्होंने उन पेशों में मुकाम बनाया है जो पुरूषों से संबंधित पेशे हैं। उन्होंने उन व्यवसायों को चुना है जिन्हें अपरंपरागत माना जाता है, और वे कई विनम्र पृष्ठभूमि से संबंधित होने के बावजूद खुद के लिए एक जगह बनाने में सफल रही हैं। ऐसी महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को दृश्यता हासिल नहीं हुई है जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। इसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका और महिलाओं को विभिन्न भूमिकाओं में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी रणनीति के बारे में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ भी शामिल हैं, जिन्हें उन्हें कभी अस्वीकार कर दिया गया था।

खंड 2 की खासियत इसका व्यावहारिक कलेवर है। इस खंड के अलग-अलग मॉड्यूल शिक्षक की भूमिका को एक बिलकुल नए अदांज में परिभाषित करते हैं। शिक्षकों को सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के कारक के रूप में यहाँ उल्लिखित किया गया है जो अपने रचनात्मक गुणों, उन्मेषी पद्धतियों, गतिविधियों, कार्यनीतियों और शैक्षिक अंत:क्षेपण द्वारा चिंतनपरक बदलाव ला सकते हैं। ऐसे बदलावों के परिणामस्वरूप सामाजीकरण की प्रक्रिया से शिक्षार्थियों के मष्तिष्क में गहराई से बैठी हुई जेंडर भेदभाव और रूढ़िपरक सोच को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है।

मोना यादव
प्रोफ़ेसर
जेंडर अध्ययन विभाग

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता**,

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

© NCERT not to be republished

पुस्तक निर्माण समिति

लेखक

इंदु कुमार, *प्रोफ़ेसर*, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

कीर्ति कपूर, *प्रोफ़ेसर*, पाठ्यचर्या अध्ययन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

गौरी श्रीवास्तव, *प्रोफ़ेसर*, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

रश्मि सूद, स्प्रिंगडलेस स्कूल, नयी दिल्ली

लता पांडे, *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

वर्तिका चौधरी, *फ्रीलांसर* (जेंडर और शिक्षा)

सुजाता लखानी, *प्रोफ़ेसर*, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय

सुषमा जयरेथ, *प्रोफ़ेसर*, सेवानिवृत्त, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

मोना यादव, *प्रोफ़ेसर*, जेंडर अध्ययन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

मिली रॉय आनंद, *प्रोफ़ेसर*, जेंडर अध्ययन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

हिन्दी अनुवादक

जगदीश शर्मा, स्कूल ऑफ़ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, इग्नु, नयी दिल्ली

समन्वयक

मोना यादव, *प्रोफ़ेसर*, जेंडर अध्ययन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), टीम के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण सामग्री के विकास में उनके योगदान के लिए उनके प्रति आभारी है। प्रशिक्षण सामग्री के प्रत्येक खंड में उनके नाम दिए गए हैं। प्रशिक्षण सामग्री पहले अंग्रेज़ी में विकसित की गई, इसके संपादकों अनीता वैद्यनाथन, *स्वतंत्र शिक्षा सलाहकार*; नमिता रंगनाथन, *प्रोफ़ेसर,* केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय; नंदिता सिंह, *स्वतंत्र शिक्षा सलाहकार*; उषा नायर, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन; के योगदान के लिए परिषद् आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, समीक्षा समिति के सदस्यों चंद्रा सदायत, *प्रोफ़ेसर* (सेवानिवृत्त), रा.शै.अ.प्र.प.; सुषमा जयरथ, *प्रोफ़ेसर* (सेवानिवृत्त), रा.शै.अ.प्र.प.; अशोक एन सेलवत्कसर, एस.टी.टी., एम.ओ.ई; का भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने प्रशिक्षण सामग्री के हिंदी संस्करण को अंतिम रूप देने में सहयोग किया।

परिषद् अनिल कुमार ठाकुर, *ए.पी.सी.*; रमेश चंदर, *सहायक* और पवन कुमार, *डी.टी.पी. ऑपरेटर* द्वारा पुस्तक निर्माण में प्रदान किए गए सहयोग के लिए भी आभारी है। पुस्तक के संपादन और इसे अंतिम रूप देने में सहयोग के लिए परिषद् प्रकाशन प्रभाग के दिनेश वशिष्ट, *सहायक संपादक* (संविदा) और सुरेंद्र कुमार, इंचार्ज *डी.टी.पी. सेल*; सचिन तँवर, *डी.टी.पी. ऑपरेटर* (संविदा) और संजु शर्मा, *डी.टी.पी. ऑपरेटर* (संविदा) के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

© NCERT not to be republished

विषय-सूची

आमुख *iii*

प्रस्तावना *v*

1. पाठ्यपुस्तकें, शैक्षिक पद्धति और जेंडर सरोकार 1
2. भाषा और जेंडर 20
3. पाठ्येतर सामग्री और जेंडर संवेदनशीलता 27
4. जेंडर अनुकूल कक्षाओं का निर्माण 38
5. किशोर लड़कियों का मानसिक स्वास्थ्य 49
   संकल्पना, सरोकार और रणनीतियाँ
6. शिक्षक 66
   एक परामर्शदाता
7. विद्यालयों में जीवन-कौशल शिक्षा 78
8. लड़कियों में नेतृत्व के गुणों का विकास 90
9. लड़कियों और महिलाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना 104
10. महिलाएँ अपरंपरागत भूमिकाओं में 112
    रोल मॉडल्स की ताकत

परिशिष्ट 1— किशोर लड़कियों के सरोकार 126

परिशिष्ट 2— प्रत्येक जीवन-कौशल का अर्थ 127

© NCERT not to be republished

पढ़ूँगी, बढ़ूँगी, सपनों के आसमान में
ऊँची उड़ूँगी, बस मौका चाहिए मुझे,
अपनी राह खुद चुनूँगी

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 1

पाठ्यपुस्तकें, शैक्षिक पद्धति और जेंडर सरोकार

मॉड्यूल की रूपरेखा

1.1 परिदृश्य
1.2 भूमिका
1.3 उद्देश्य
1.4 मुख्य शब्दों की कार्यपरक परिभाषा
1.5 किए गए प्रयास
1.6 अनुशासनात्मक ज्ञान की स्त्रीवादी आलोचना से प्राप्त अंतर्दृष्टि और भविष्य की चुनौतियाँ
1.7 जेंडर भेदभाव के कारक
1.8 स्त्री एवं पुरुष पात्रों को विषय-वस्तु आवंटन में भेदभाव
1.9 जीवन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की सकारात्मक आत्म-छवि निर्मित करने में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका
1.10 पुरुष और महिला पात्रों को आवंटित किए जाने वाले व्यवसायों में भेदभाव
1.11 पाठ्यपुस्तकों में भाषिक भेदभाव
1.12 लैंगिकतावादी भाषा के प्रयोग के उदाहरण
1.13 दृष्टांतों में भेदभाव
1.14 महिलाओं की रूढ़िबद्धतापूर्ण छवियाँ, पारंपरिक भूमिकाएँ तथा अपमानजनक चित्रण
1.15 पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों और शैक्षिक पद्धति के माध्यम से शिक्षा किस प्रकार जेंडर असमानता के मुद्दे को हल कर सकती है?
1.16 जेंडर संवेदी शिक्षा के केंद्र बिंदु
1.17 जेंडर समावेशी उदाहरणपरक क्रियाकलाप
1.18 जेंडर समावेशी उदाहरणपरक मूल्यांकन परिपाटियाँ
1.19 पाठ्यपुस्तक निर्माताओं के लिए सुझाव
1.20 संदर्भ

© NCERT not to be republished

1.1 परिदृश्य

इस मॉड्यूल से पाठकों को पाठ्यपुस्तकों और शैक्षिक पद्धति के माध्यम से जेंडर सरोकारों के समाधान की अवधारणा को समझने में मदद मिलेगी। वे पाठ्यसामग्री में जेंडर भेदभाव के कारकों की पहचान करना भी सीख सकेंगे, पुरुष और महिला पात्रों को सामग्री अथवा भूमिका आवंटन के बीच भेदभाव को पहचान सकेंगे तथा यह भी जान पाएँगे कि क्या मानव सभ्यता के विभिन्न जीवन क्षेत्रों में पाठ्यपुस्तकें महिला की सकारात्मक स्व-पहचान बनाती हैं या नहीं। इससे वे पुरुष और महिला पात्रों के लिए निर्धारित व्यावसायों के भेदभाव को भी निर्धारित कर सकेंगे। वे भाषिक भेदभाव तथा लैंगिकतावादी भाषा का पता लगा सकेंगे और यदि किन्हीं चित्रों में इस प्रकार की लैंगिकतावादी भाषा प्रयोग हो तो उसकी जाँच भी कर सकेंगे। पाठक यह भी निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि क्या पाठ्यपुस्तकें महिलाओं को केवल पारंपरिक भूमिकाओं में ही चित्रित करती हैं या उन्हें रूढ़िबद्धतापरक और अपमानजनक भूमिकाओं में चित्रित करती हैं। जेंडर संवेदी शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए इस पर भी मॉड्यूल में सुझाव दिए गए हैं।

1.2 भूमिका

शैक्षिक प्रणाली में पाठ्यपुस्तकें महत्वपूर्ण साधन हैं। पुस्तकें शिक्षकों को दिशा-निर्देश देती हैं और विषयों को मूर्त रूप प्रदान करती हैं। वे ज्ञान का भंडार होती हैं तथा समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को प्रदर्शित करती हैं। हालाँकि पाठ्यपुस्तकों का लक्ष्य प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के अंग के रूप में विषय-विशेष कौशल का निर्माण करना है, परंतु वे विश्वदृष्टि, अपेक्षाओं तथा समाज के मूल्यों से भी संबद्ध होती हैं। यह प्रच्छन्न पाठ्यचर्या व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह जेंडर-विशिष्ट अपेक्षाओं, नियमों तथा व्यवहार से सबंद्ध होती है। इस प्रकार यह सामाजिक भेदभाव के पुनर्निर्माण में योगदान करती है। प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के रूप में पुस्तकें कक्षा और समाज, दोनों ही स्थानों पर स्थापित अथवा स्थापित हो रहे सत्ता संबंधों को परिवर्तित और बढ़ा-घटा सकती हैं। पाठ्यपुस्तकें इसके अलावा पाठकों में विषय विशेष के प्रति रुचि पैदा करने का कार्य भी करती हैं। जहाँ पाठ्यपुस्तकों में एक ओर वास्तविकता के एक संभाग का संकेत होता है वहीं उनमें अनंत संभावित ज्ञान को संजोने और चयन करने के प्रतिमान भी निहित होते हैं जिसे वैध ज्ञान के नाम से जाना जाता है यह अलग-अलग प्रतिस्पर्धी हित और अस्मिता रखने वाले विभिन्न समूहों में हुए जटिल सत्ता संबंधों तथा संघर्षों से परिणत होता है। सामान्यतः पाठ्यपुस्तकों में दिए गए ज्ञान से ऐसा आभास कराया जाता है कि वैध ज्ञान में उन लोगों के अनुभव और अभिव्यक्ति के तौर-तरीके शामिल नहीं होते, जो इतिहास में कभी भी प्रभावशील पदों पर न रहे हों, जैसे — महिलाएँ, निम्न जातियों के लोग आदि। इन सत्ता संबंधों से जो अनुभव और विवेचनाएँ सामने आती हैं उनसे उन विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त भेदक संबंध और प्रारूप प्राप्त नहीं होते जिनके अनुभव 'वैध ज्ञान' के दायरे से बाहर हैं। इस प्रकार पाठ्यपुस्तकों में सांकेतिक निरूपण वास्तविक सत्ता संबंधों का द्योतक होता है। यह विभेदकारी सामाजिक संबंधों को स्वाभाविक और निर्विवाद रूप में व्यक्त करता है। पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान निर्माण के सशक्त साधन के रूप में स्वीकार करने से यह तो स्पष्ट है कि वे छात्रों की अभिवृत्तियों और आस्था निर्माण की शैलियों को प्रभावित करती हैं। इससे यह आवश्यक हो जाता है कि पाठपरक सामग्री में जेंडर संवेदी मुद्दों को गंभीर मुद्दों के रूप में रखा जाए। लेखकों और पाठ्यचर्या निर्धारकों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे संवेदनशीलता से इन मुद्दों के समाधान खोजें। असंवेदी भाषा प्रयोग और रोल मॉडल से अक्सर अधिगम सामग्री पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह की वाहक बन जाती है। जेंडर संवेदी भाषा और रूढ़िबद्धतापरक जेंडर संबद्ध मुद्दों को क्यों और कैसे दूर किया जा सकता है, जब तक इसके प्रति लेखकों, पाठ्यक्रम निर्माताओं, पाठ्यक्रम लेखकों, अधिगम प्रारूप निर्माणकारों और शिक्षकों को जागरूक नहीं किया जाएगा, जेंडर से जुड़ी कठिनाइयाँ बनी रहेंगी। यह मॉड्यूल रचनाकारों, पाठ्यक्रम निर्माण समूह, पाठ्यक्रम लेखक वर्ग, अधिगम प्रारूप निर्माणकारों और शिक्षकों के लिए जेंडर संवेदी अधिगम सामग्री निर्माण तथा जेंडर समावेशी प्रविधियों को अपनाने के लिए उपयोगी संदर्भ सामग्री सिद्ध होगा।

1.3 उद्देश्य

- पाठपरक सामग्री में जेंडर भेदभाव के कारकों की पहचान करना।
- पुरुष और महिला पात्रों को आवंटित विषयवस्तु या भूमिका से संबद्ध पक्षपात की पहचान करना।

© NCERT not to be republished

- यह जानना कि क्या पाठ्यपुस्तकें विभिन्न कार्यक्षेत्रों और अनुशासनों में महिलाओं की सकारात्मक आत्म-छवि निर्माण में योगदान करती हैं (जैसे कि इतिहास, समाज, आर्थिक एवं वैज्ञानिक विकास आदि)।
- पुरुष और महिला पात्रों के लिए निर्धारित व्यवसायों में भेदभाव की पहचान।
- भाषिक भेदभाव का पता लगाना।
- लैंगिकतावादी भाषा के प्रयोग की पहचान।
- उद्धरणों आदि में यदि भेदभाव हुए हों तो उनका पता लगाना।
- महिलाओं की रूढ़िवादी छवियों और पारंपरिक भूमिकाओं का विश्लेषण।
- महिलाओं को अपमानजनक रूप से चित्रित करने की घटनाओं की जाँच-परख।

1.4 मुख्य शब्दों की कार्यपरक परिभाषा

जेंडर भेदभाव — किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर कार्यों अथवा व्यवहार में उसके खिलाफ पूर्वाग्रही पक्षपात करना जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति के अवसरों और अपेक्षाओं में भेदभावपूर्ण व्यवहार जेंडर भेदभाव होता है।

आत्म-छवि — आत्म-छवि वह नज़रिया है जिससे कोई महिला या पुरुष अपने आपको देखता या देखती है। उदाहरण के लिए पक्षपातपूर्ण, उपेक्षणीय तथा भेदभावपूर्ण व्यवहार किसी महिला में निम्न आत्म-सम्मान का भाव उत्पन्न कर सकता है। हो सकता है कि वे अपने आपको पुरुषों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण समझने लग जाएँ। इसके विपरीत यह भी संभव है कि इस प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण से लाभ लेते हुए पुरुष उच्च आत्म-सम्मान और श्रेष्ठता का भाव अपने में पैदा कर लें।

भाषिक भेदभाव— भाषिक भेदभाव से तात्पर्य महिला-पुरुषों अथवा केवल पुरुष या केवल महिलाओं में पुरुष और महिला पात्रों के विमर्श व व्यवहार से है, जहाँ महिलाओं के संवाद-व्यवहार में अधीनता अथवा परवशता स्पष्टतः परिलक्षित होती है जबकि पुरुषों के संवाद-व्यवहार में वर्चस्व हावी होता है।

लैंगिकतावादी भाषा — भाषिक भेदभाव भी लैंगिकतावादी भाषा का कारण होता है। इसमें मिश्रित श्रोतावर्ग को संबोधित करने के लिए प्रायः पुल्लिंग पारिभाषिक शब्द अथवा सर्वनामों का प्रयोग होता है। *मैन* (आदमी), *फोरफादर* (पूर्वज), *मैनकाइंड* (मनुष्यमात्र), *बिजनेसमैन* (व्यापारी) से लेकर *'ही* (वह)' जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का प्रयोग महिलाओं की मुकम्मल भागीदारी और स्वीकृति में बाधा पहुँचाता है।

रूढ़िबद्धतापूर्ण छवि निर्माण— रूढ़िबद्धतापूर्ण छवि निर्माण से तात्पर्य पारंपरिक जेंडर भूमिका को आधार मानते हुए किसी पाठ में कर्कश लक्षणों से युक्त किसी छवि निर्माण से है। रूढ़ियाँ पुरुषों को सक्रिय, निश्चयी और जिज्ञासु के रूप में जबकि महिलाओं को परावलम्बी, विनीत और आज्ञाकारी के रूप में निरूपित करती हैं।

पारंपरिक भूमिकाएँ — पारंपरिक भूमिकाओं का आशय किसी व्यक्ति के पुल्लिंग और स्त्रीलिंगपरक व्यवहार के तौर-तरीकों से है। ये किसी संस्कृति विशेष से परिभाषित होती हैं और अधिकतर यह बच्चे के पालन-पोषण से ही निर्धारित हो जाती हैं।

अपमानजनक चित्रण — ऐसा कोई भी मौखिक, लिखित अथवा दृश्य संप्रेषण को जो किसी समूह की गरिमा को कम करता हो, उसकी छवि का अनादर करता हो अथवा उसे कमतर बनाता हो, उसे अपमानजनक चित्रण कहा जाता है। महिलाओं के अपमानजनक चित्रण से उनके प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव विकसित होते हैं और इससे उनकी शक्ति, अधिकार और समाज-बिरादरी में स्थिति कमज़ोर अथवा क्षीण होती है।

1.5 किए गए प्रयास

अभी हमने जिस स्थिति की चर्चा की है उसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान स्कूली पाठ्यचर्या में से जेंडर बिल्कुल ही गायब है। तथ्य यह है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) तथा डी.पी.ई.पी. ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों और कक्षाओं में 'जेंडर संवेदना' निर्मित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। पाठ्यचर्या द्वारा महिलाओं की स्थिति के आकलन पर हुए सम्मलेन के उपरांत वर्ष 1975 में इस प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए। इसके साथ ही रा.शै.अ.प्र.प. जैसी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की शीर्ष संस्था ने 80 के दशक में भाषा और पाठ्यपुस्तकों में इन क्षेत्रों की पहचान शुरू की। सच तो यह है कि भारत में इसकी शुरुआत 1976–77 में ही हो गई थी जब रा.शै.अ.प्र.प. की महिला शिक्षा इकाई ने एक ऐतिहासिक कार्यशाला का

© NCERT not to be republished

आयोजन किया। इस कार्यशाला में स्कूली प्रणाली के साथ विश्वविद्यालयों के अग्रणी विशेषज्ञों और शिक्षकों ने भी भाग लिया ताकि महिलाओं की प्रतिष्ठा के अनुरूप मूल्यों का अंकन किया जा सके। शिक्षकों और अन्य विशेषज्ञों ने इन अनुशंसित मूल्यों के अनुरूप शिक्षकों के लिए मार्गदर्शी पुस्तिकाओं का निर्माण किया।

इसके साथ ही वर्तमान सरोकारों और नीति संभावनाओं के अनुरूप स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की विभिन्न रूपरेखाओं (रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा विकसित) में लड़कियों या महिलाओं की शिक्षा, अवसरों तक पहुँच, नामांकन को बनाए रखना, जेंडर समानता तथा शैक्षिक अवसरों की समानता के साथ ही महिलाओं की समानता एवं सशक्तीकरण के लिए शिक्षा और जेंडर की मौजूदा असमानताओं आदि की भी परिकल्पना की गई है।

इन प्रयासों और पाठ्यपुस्तकों से जेंडर रूढ़िबद्धताओं के निराकरण तथा रचनाकारों और प्रकाशकों तक इसे पहुँचाने के बावजूद स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुए हैं। यह पाया गया है कि विगत 10 वर्षों में संबंधित पक्षों द्वारा पाठ्यपुस्तकों से जेंडर भेदभाव को मिटाने के प्रयास अभी भी उनकी सीमित समझ के अनुसार ही निर्दिष्ट हो रहे हैं। राज्य सरकारों और निजी प्रकाशकों द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न जेंडरों में समानता दर्शाने के लिए केवल भूमिकाओं की अदला-बदली मात्र कर दी गई है। इस बात पर ज़रा भी गौर नहीं किया गया कि महान विभूतियों के जीवन-चरित्र का बखान करने के लिए उस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। झाँसी की रानी और मैडम क्यूरी जैसी विलक्षण महिलाओं को अभी भी उनकी घरेलू भूमिकाओं में ही चित्रित किया जा रहा था, हालाँकि पाठ लेखक ने यह बताने की सावधानी अवश्य बरती कि अपनी अन्य ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ उन्होंने घरेलू भूमिकाओं को भी जारी रखा। अनेक राज्यों द्वारा बनाई गई पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं को सामान्यतः अकर्मण्य, कर्त्तव्यनिष्ठ और घर तक सीमित दिखाया गया है। किसानों और दिहाड़ी मज़दूरों की तरह उन्हें भी मुख्यतः शक्तिहीन दर्शाया गया है।

पाठ्यचर्या में जेंडर संबद्ध मुद्दों के समाधान हासिल करने के सर्वाधिक वांछित और त्वरित उपाय अकसर सैद्धांतिक ही हैं। महिलाओं पर अनमने मन से लिखा कोई लेख सामान्यतः किसी एक विषय में जोड़ दिया जाता है। इतिहास के नाम पर केवल रानी लक्ष्मीबाई, नूरजहाँ और रज़िया सुल्ताना का जिक्र होता है और विज्ञान के नाम पर बस गार्गी तथा मैत्रेयी। शुरू-शुरू में तो यह एक अच्छी रणनीति प्रतीत होती है। तथापि पाठ्यक्रम में जेंडर समावेशन हेतु इस प्रकार का यंत्रवत रवैया शेष पाठ्यचर्या पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता है। पाठ्यपुस्तकों की हाल ही में की गई समीक्षा से यह बात सामने आई है और जैसा कि विद्वानों का मत है अधिकतर समय यह रणनीति 'महिला जोड़ो नयी पहल पाओ' तक सीमित हो जाती है। इस प्रकार जेंडर या तो अदृश्य हो जाता है अथवा उसे केवल महिला-सरोकार तक सीमित कर दिया जाता है। इसे एक अतिरिक्त पेचीदगी के रूप में देखा जाता है जिसे जानने के लिए नयी तकनीक की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में यह उसी पुराने पुरुष केंद्रित शिक्षा अनुशासन परिदृश्य पर तथाकथित 'महिला' को छिड़कने जैसा ही है।

वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित रा.शै.अ.प्र.प. और केब (CABE) जैसी सर्वोच्च संस्थाओं और नीति निर्माताओं ने पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों पर दोबारा गौर करना प्रारंभ किया है। सितंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ सहस्त्राब्दी शिखर सम्मलेन द्वारा सहमत लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में यह एक कदम है। इसके अनुसार वर्ष 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में तथा शिक्षा के सभी स्तरों पर 2015 तक जेंडर असमानता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था।

1.6 अनुशासनात्मक ज्ञान की स्त्रीवादी आलोचना से प्राप्त अंतर्दृष्टि और भविष्य की चुनौतियाँ

'स्त्रीवादी' शब्द का संदर्भ उन सभी विचारों और व्यक्तियों से है जो महिला अधीनस्थता के मुद्दे का हल खोजने और उसे समाप्त करने का संकल्प रखते हैं। विगत दो दशकों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर स्त्रीवादी आलोचक विभिन्न ज्ञान अनुशासनों की वर्तमान ज्ञान परिभाषाओं और प्रचलित सीमाओं पर सवाल उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पारंपरिक रूप से अछूते विषयों, जैसे— जेंडर तथा अन्य सामाजिक असमानताओं जाति, वर्ग, कुल और प्रजातीयता आदि मुद्दों पर आलोचनात्मक विचार संवाद से वे ऐसा कर पाने में सक्षम हो पाए हैं। बौद्धिक स्तर पर भी इस प्रकार की आलोचना को स्थापित विचारधारा संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसमें सत्ता की प्रकृति तथा पदानुक्रमता संबंधी हमारी धारणाएँ, श्रम के जेंडर विभाजन के महत्व का विश्लेषण, सार्वजनिक और निजी के बीच

© NCERT not to be republished

विभाजन तथा महिलाओं के अनुभवों का पुनर्मूल्यांकन शामिल हैं। दूसरी ओर जेंडर और पाठ्यचर्या के बीच संबंध जटिल और चुनौतीपूर्ण होते हैं। ज्ञान अर्जन में स्कूली पाठ्यपुस्तकें महत्वपूर्ण घटक होती हैं और जब तक उन्हें अन्य गौण विचारणीय विषयों के साथ जेंडर दृष्टिकोण को समाविष्ट करने के लिए संशोधित नहीं किया जाता, विद्यालयी प्रक्रिया से केवल संकुचित भेदभाव ही पोषित होता रहेगा। इसलिए यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि स्त्रीवादी विद्वानों के भरपूर प्रयासों के बावजूद जब तक पाठ्यक्रमों में जेंडर दृष्टि को समाविष्ट नहीं किया जाता, बच्चों की सभी पीढ़ियाँ समाज को जानने की प्रचलित भेदभावपूर्ण समझ बनाती रहेंगी और भविष्य की पीढ़ियों को भी ऐसी ही समझ विकसित करने में योगदान करेंगी। अतः यह अनिवार्य है कि ज्ञान के स्त्रीवादी आलोचकों के व्यापक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि यह स्पष्ट रूप से जाना जा सके कि हम किस प्रकार क्रमशः सूचित, रूपांतरित और ज्ञान अनुशासनों में जेंडर सामग्री का जायजा ले सकते हैं। इससे हम और अधिक समावेशी तथा लोकतांत्रिक पाठ्यचर्या की रूपरेखा बना सकते हैं। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि इससे ज्ञान अनुशासनों में महिलाओं की अदृश्यता और निम्न-प्रतिनिधित्व का ही समाधान निकाला जा सकेगा अपितु वे कब और कौन-से विषय में किस प्रकार शामिल हों इसके साथ-साथ जाति, वर्ग, कुल, प्रजातीयता तथा जेंडर की प्रतिस्पर्धी असमानताओं के परस्पर संबंध का भी हल निकाला जा सकेगा। इसका यह भी अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञान मुक्ति देता है तथा सामाजिक बदलाव के लक्ष्य से निर्मित होता है। अतः अध्यापकों, पाठ्यपुस्तक लेखकों, छात्रों और सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा है कि हम जिस वर्चस्व तथा अधीनस्थता की जटिल पदक्रमता में रहते हैं उसके प्रति भलीभाँति जागरूक रहकर ही पाठ को पढ़ें, लिखें और अपने आपको उससे जोड़कर देखें।

आत्मबोध

1. जेंडर तथा अन्य सामाजिक असमानताओं, जैसे — जाति, वर्ग, कुल-वंश और प्रजातीयता से जुड़े मुद्दों को शिक्षा के माध्यम से हल करने की आवश्यकता क्यों हैं?

   ....

   ....

2. जाति, वर्ग, कुल-वंश और प्रजातीयता से जुड़े मुद्दों को शिक्षा के माध्यम से हल करने में आने वाली चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं?

   ....

   ....

1.7 जेंडर भेदभाव के कारक

सामान्यतः किसी भी अधिगम सामग्री में जेंडर से संबद्ध भेदभाव इन रूपों में परिलक्षित होते हैं— अदृश्यता, रूढ़िबद्धता, असंतुलित चयनात्मकता, अयथार्थता, विखंडन या अलगाव, भाषिक भेदभाव, आभासी भेदभाव तथा दिखावटी भेदभाव (कॉस्मैटिक भेदभाव)।

अदृश्यता

जब किसी कृति में पुरुष अथवा स्त्री रूप में जेंडर शामिल नहीं किया जाता है तो अदृश्यता परिघटित होती है। इसका संज्ञान पूरी कृति की समीक्षा के उपरांत ही होता है। पाठ का यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर यह पता नहीं लगता कि पूरी कृति में किसी विशेष जेंडर को सम्मिलित किया गया है या नहीं। सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों में इस प्रकार की अदृश्यता अकसर दिखाई देती है जहाँ महिलाओं की भूमिकाओं को शामिल न करने की प्रवृत्ति सामान्य है।

रूढ़िबद्धताकरण

जब पाठ में किसी जेंडर को उसकी पारंपरिक भूमिकाओं के अनुरूप सुदृढ़ अभिलक्षणों सहित निरूपित किया जाता है तो रूढ़िबद्धताकरण प्रत्यक्ष दिखाई देती है। रूढ़िबद्धताकरण में पुरुषों को कर्मशील, निश्चयी और जिज्ञासु दिखाया जाता है जबकि महिलाओं को परावलम्बी, अनुशील तथा आज्ञाकारी निरूपित किया जाता है।

असंतुलित चयनात्मकता

असंतुलित चयनात्मकता का अभिप्राय है रिपोर्ट की जा रही घटनाओं संबंधी सामग्री की यादृच्छिक व्याख्या कर असंतुलित प्रस्तुतीकरण से है। पाठ्यपुस्तकों में कई बार किसी मुद्दे, स्थिति अथवा किसी समूह से संबंधित जटिल मुद्दों के अलग-अलग परिप्रेक्ष्यों का सामान्यीकरण कर दिया जाता है अथवा उन्हें पूरी तरह हटाकर एकपक्षीय प्रस्तुतीकरण कर दिया जाता है। इससे वास्तविकता विकृत हो जाती है।

© NCERT not to be republished

अयथार्थ

अयथार्थ और असंतुलन लगभग एक जैसे ही मुद्दे हैं। ऐसा तब होता है जब लेखक या लेखिका विवादास्पद मुद्दों से बचने की कोशिश करते हैं या फिर व्यापक जटिल मुद्दों को सामान्य बनाने का प्रयास करते हैं। जब पक्षपात, उत्पीड़न और असमानता को केवल विगत की मात्र कुछ घटनाएँ मानकर ख़ारिज कर दिया जाता है तो यह विद्यार्थियों को एक प्रकार से अयथार्थ जानकारी देने जैसा ही है। अब जबकि महिलाएँ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उत्पादी क्रियाकलापों में संलग्न हैं तो उन्हें गैर-उत्पादी क्रियाकलापों में संलग्न दिखाना अयथार्थ होगा।

विखंडन या अलगाव

जब कोई लेखक, संपादक अथवा प्रकाशक अपनी कृतियों में महिलाओं अथवा अल्पसंख्यकों को शामिल करने के लिए महिलाओं से संबंधित अतिरिक्त अध्याय जोड़ने की कोशिश करते हैं तो विखंडन अथवा अलगाव की स्थिति बन जाती है। अलगाव से कोई समूह अथवा उसपर जोड़े गए अध्यायों से वह मुख्य चर्चा विषय की अपेक्षा गौण प्रतीत होता है। प्रत्यक्ष अथवा गौण रूप किसी सामग्री की एकरूपेण की गई समीक्षा से यह स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं।

भाषिक भेदभाव

भाषा भेदभावों को प्रत्यक्ष और सूक्ष्म रूपेण व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम हो सकती है। स्त्री-संवाद में अधीनस्थता और पुरुष संवाद में प्रभुत्व एवं वर्चस्व प्रत्यक्ष होने के बावजूद शोधकर्ता भाषिक भेदभाव से जानना चाहते हैं कि क्या पुरुष तथा स्त्री पात्रों; दोनों अथवा एक जेंडर के संवाद व्यवहार में भेदभाव प्रदर्शित होता है या नहीं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अथवा पालन-पोषण के कारण भाषिक भेदभाव का पता लगाने के काम को अनदेखा किया जा सकता है। भाषिक भेदभाव के कारण ऐसी भाषा-शैली विकसित हो सकती है जिसमें मिले-जुले पाठक अथवा श्रोता समूह को संबोधित करने के लिए पुल्लिंग संज्ञा और सर्वनामों का प्रयोग अकसर होता है। '*मैन*, *फोरफादर*, *मैनकाइंड* और *बिजनेसमैन* से लेकर '*ही* (वह)' जैसे प्रयोग भेदभाव के रूप हैं, और इनसे महिलाओं की पूर्ण भागीदारी तथा उनकी मान्यता में बाधा उत्पन्न होती है।

दृश्य-भेदभाव

किसी कृति में चित्रों और उद्धरणों के रूप में तथा पुरुष एवं स्त्री की प्रस्तुति के अनुपात में भेदभाव, दृश्य भेदभाव कहलाता है। असमानता सहित दृश्य छवियाँ रूढ़ियों को इंगित करने वाली भी हो सकती हैं।

दिखावटी भेदभाव

दिखावटी भेदभाव का अर्थ है— समानता का छलावा अथवा भ्रम। विभिन्न समूहों को प्रमुखता से दिखाने वाले आकर्षक आवरणों, चित्रों अथवा पोस्टरों के होते हुए भी भेदभाव बना रहता है। उदाहरण के लिए किसी पाठ्यपुस्तक में किसी महिला वैज्ञानिक को आकर्षक रंगदार पन्ने पर दिखाया गया हो सकता है परंतु उसमें महिलाओं के योगदान के बारे में बहुत थोड़ी-सी जानकारी दी गई होती है।

1.8 स्त्री एवं पुरुष पात्रों को विषय-वस्तु आवंटन में भेदभाव

विषय-वस्तु आवंटन में भेदभाव से सामग्री में अदृश्यता बढ़ती है और ऐसा पाठ्यपुस्तकों में अकसर देखा गया है। खासतौर पर सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों में ऐसे उदाहरण अकसर देखे जाते हैं जहाँ महिलाओं के योगदान को शामिल नहीं किया जाता। किसी कृति में जब पुरुष या महिला को शामिल नहीं किया जाता है तो अदृश्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। अदृश्यता का पता समग्र कृति की समीक्षा के बाद ही चल पाता है। पाठ की केवल यादृच्छिक समीक्षा से किसी जेंडर के शामिल होने या न होने का पता नहीं चलता। इसका पता लगाने और पुरुष तथा स्त्री को आवंटित विषय-वस्तु का तुलनात्मक आकलन करने के लिए पूरी पुस्तक की अध्यायवार शब्द गणना की जाती है। तदुपरांत महिला और पुरुष पात्रों को आवंटित औसत शब्द संख्या का पता लगाने के लिए निम्नलिखित गणना की आवश्यकता होती है—

- कुल मानवीय पात्र
- कुल महिला पात्र
- कुल पुरुष पात्र
- मानवीय पात्रों को आवंटित कुल शब्द
- स्त्री पात्रों को आवंटित कुल शब्द
- पुरुष पात्रों को आवंटित कुल शब्द

© NCERT not to be republished

पुरुष और महिला पात्रों को आवंटित विषय-वस्तु के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए विषय-वस्तु आवंटित किए जाने वाले महिला पात्रों तथा पुरुष पात्रों की संख्या एवं प्रतिशत की गणना की जाती है। एक राज्य विशेष ब्यूरो के प्रारंभिक स्तर के सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा से यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रारंभिक स्तर पर महिलाओं को आवंटित विषय-वस्तु केवल 13 प्रतिशत ही थी।

आत्मबोध

1. किन्हीं दो पाठ्यपुस्तकों का चयन कीजिए तथा उनमें पुरुष और महिला पात्रों को आवंटित विषय-वस्तु में भेदभाव की समीक्षा कीजिए।

   ....

   ....

2. आपके अनुसार इस प्रकार के भेदभाव की घटनाओं के क्या कारण हैं (यदि कोई हो तो)? इस प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?

   ....

   ....

1.9 जीवन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की सकारात्मक आत्म-छवि निर्मित करने में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका

मानव सभ्यता के कार्यक्षेत्र

मानव सभ्यता के कार्यक्षेत्रों में इतिहास और संस्कृति, समाज, अर्थशास्त्र, साहित्य, राजनीति शास्त्र तथा कला, दर्शन और विज्ञान जैसे क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इन विषयों से संबंधित उदाहरण पाठ्यपुस्तकों के विभिन्न अध्यायों में जोड़े जाने चाहिए। इसके बाद जेंडर भेदभाव के होने या न होने के कारकों के उदाहरणों का जायजा लेकर एक गुणात्मक विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मानव सभ्यता के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में पाठ्यपुस्तकें महिलाओं की सकारात्मक आत्म-छवि का निर्माण करती हैं या नहीं। मानव सभ्यता के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के उदाहरणों की गणना कर पाठ्यपुस्तकों के गुणात्मक विश्लेषण से सामान्यतः निर्मित होने वाली महिलाओं की सकारात्मक आत्म-छवि से आसानी से यह पता चल सकेगा कि पाठ्यपुस्तकें महिलाओं की किस प्रकार की आत्म-छवि निर्मित कर रही हैं। एक राज्य ब्यूरो की प्रारंभिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों से लिए गए कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं—

सकारात्मक आत्म-छवि के कुछ उदाहरण

1. मृत्यु के पूर्व इल्तुतमिश ने अपने सभी अयोग्य पुत्रों को छोड़कर अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया (एक पिता का अपनी पुत्री के राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा करना)।
2. बेगम हज़रत महल ने क्रांति का नेतृत्व करते हुए अंग्रेज़ सेना से युद्ध किया (बेगम हज़रत महल के नेतृत्व, बहादुरी और युद्ध कौशल को पाठ में विशेष रूप से उल्लिखित करना)।
3. शबनम – हाँ दादाजी! आज स्वतंत्रता दिवस है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। विद्यालय में तिरंगा झंडा फहराया गया। हमने इस उत्सव को उत्साहपूर्वक मनाया। (एक अध्याय में एक और पात्र जो लड़का है उसके समान ही लड़की को भी 15 अगस्त के ऐतिहासिक संदर्भ के प्रति सक्रिय, सजग, जिज्ञासु, वाक्पटु तथा सुविज्ञ दर्शाया गया है)।

ऐसे उदाहरण जो सकारात्मक आत्म-छवि निर्मित नहीं करते हैं

1. मीनू और अमित के पिताजी बस स्टैंड गए हैं। आज दोनों बहुत खुश हैं। गाँव से दादाजी और दादीजी जो आ रहे हैं। उन्होंने जल्दी-जल्दी कमरे की सफ़ाई की। अमित सड़क पर कचरा डाल रहा था। इतने में दादाजी आ गए। अमित और मीनू ने दादाजी और दादीजी को प्रणाम किया (इस 1087 शब्दों के अध्याय में एक बुज़ुर्ग महिला का केवल इतनाभर जिक्र है)। इतने में दादाजी आ गए। दादीजी की उपस्थिति और अस्तित्व बस दादाजी के अस्तित्व और उपस्थिति में ही समाहित हो गए।
2. पद्मिनी बहुत रूपवती थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को इसकी जानकारी मिली। खिलजी उसे प्राप्त करना चाहता था (राजरानी के पद पर सुशोभित किसी महिला को इस प्रकार किसी आक्रांता द्वारा हासिल करने

© NCERT not to be republished

के रूप में प्रस्तुत करना अपमानजनक है। उसकी चाहत के पीछे पद्मावती का दैहिक सौंदर्य या रूपवान होना। महान और विशिष्ट महिला पात्रों को एक अलग वर्ग में रखा जाता है। महिलाओं में वीरता उनकी चारित्रिक विशेषता से संबद्ध है जिसके कारण वे अपने पतियों और भाइयों को युद्ध क्षेत्र में भेज देती थीं और समय आने पर अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देती थीं)।

इसे सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में एक ऐतिहासिक तथ्य माना जा सकता है, जो भारत में कई सौ साल पहले विद्यमान था। परंतु कक्षा 4 के विद्यार्थियों को (जिस कक्षा से यह उदाहरण लिया गया है) यदि ऐतिहासिक तथ्य विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में तुलना और व्यतिरेक के लिए नहीं दिए जाते हैं तो यह चित्रण महिलाओं के प्रति अपमान प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त यह महिलाओं की सकारात्मक आत्म-छवि निर्मित करने में भी योगदान नहीं करता है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि उल्लिखित पाठ्यपुस्तक ब्यूरो की प्रारंभिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में दिए गए 70 प्रतिशत उदाहरण मानव सभ्यता के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की सकारात्मक आत्म-छवि निर्माण में योगदान नहीं करते हैं।

आत्मबोध

1. उन उपायों का उल्लेख कीजिए जो पाठ्यपुस्तकों में यह सुनिश्चित करें कि मानव सभ्यता के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की सकारात्मक आत्म-छवि निर्मित हो।

   ....

   ....

1.10 पुरुष और महिला पात्रों को आवंटित किए जाने वाले व्यवसायों में भेदभाव

पुरुष और महिला पात्रों को आवंटित किए जाने वाले व्यवसायों में भेदभाव के निर्धारण के लिए मात्रात्मक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाता है—

- अलग-अलग प्रकार के व्यवसायों को प्रदर्शित करने वाले कुल उदाहरणों की संख्या।
- ऐसे उदाहरणों की संख्या और प्रतिशत जिनमें व्यवसाय मानव पात्रों को न आवंटित हो।
- मानव पात्रों को आवंटित उदाहरणों की संख्या और प्रतिशत।
- महिला पात्रों को आवंटित उदाहरणों की संख्या और प्रतिशत।
- पुरुष पात्रों को आवंटित उदाहरणों की संख्या और प्रतिशत।
- ऐसे उदाहरणों की संख्या और प्रतिशत जिन्हें जेंडर निरपेक्ष, जेंडर अनुकूल रूढ़िग्रस्त और भेदभावपूर्ण तथा पारंपरिक बतलाया गया हो।

पुरुष और महिला पात्रों को आवंटित व्यावसायिक भूमिकाओं में निहित जेंडर भेदभाव की पहचानकर उनका मात्रात्मक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। एक राज्य पाठ्यपुस्तक ब्यूरो की विश्लेषित प्रारंभिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में प्रारंभिक स्तर पर किए गए विश्लेषण में 37 प्रतिशत उदाहरण जेंडर निरपेक्ष, 7.5 प्रतिशत उदाहरण जेंडर अनुकूल, 3 प्रतिशत जेंडर भेदभावपूर्ण और 52 प्रतिशत पारंपरिक पाए गए।

1.11 पाठ्यपुस्तकों में भाषिक भेदभाव

भाषिक भेदभाव का पता लगाने के लिए यह जानने की आवश्यकता है कि पुरुष और महिला पात्रों के पुरुष-स्त्री अथवा केवल पुरुष अथवा केवल स्त्री संवाद-व्यवहार में भेदभाव दिखाई देता है। महिला पात्रों में इस प्रकार के संवाद-व्यवहार के लक्षण इस रूप में हो सकते हैं— घबराहट, संकोच, अनिश्चयात्मकता, तदर्थता, किसी बात को धीमे स्वर में कहना, अधीनस्थता, आत्म-शंका, भावात्मक सुगमता, संवाद में विद्वता के लिए कोई स्थान न देना, अपने अवलोकन को साझा करने, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जानकारी और सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्न करना। इसके विपरीत पुरुष संवाद के ये लक्षण उल्लेखनीय हैं— विश्वास, दृढ़ता, सजगता, प्रभुत्व, सत्ता, आत्म-निर्भरता, कार्योन्मुखता, जिज्ञासा, वाक् विद्वत्ता, बातचीत को नियंत्रित करने और अपने अवलोकन साझा करने के लिए प्रश्न करना, किसी बातचीत में ज्ञानात्मक निर्मिति और ज्ञान तथा सूचना को प्रदान करना। पुरुष और महिला पात्रों के संवाद-व्यवहार में सकारात्मक और जेंडर निरपेक्ष उदाहरण भी पाए गए हैं। पुरुष और महिला पात्रों के संवाद-व्यवहार में कोई विशेष लक्षण कितनी बार घटता है इस संख्या की गणना कर मात्रात्मक विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि क्या महिलाओं से संबंधित रूढ़िगत

© NCERT not to be republished

संवाद-व्यवहार, पुरुष संवाद-व्यवहार और महिला व्यवहार में घटित होते हैं।

उदाहरण

- दादाजी बोले, रुको! बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तुम अपने स्वास्थ्य के साथ दूसरों का स्वास्थ्य खराब करते हो। दादाजी बोले, बेटा छिलके यहाँ मत डालो। कचरा बस में डालने से दूसरों को कठिनाई होती है। बस हमारी सुविधा के लिए है। इसे साफ़-सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है।

दादाजी का संवाद-व्यवहार निम्नलिखित का संकेत करता है—

- प्रभुत्व।
- सशक्त कथन का प्रयोग, जो दादाजी के उपरोक्त संवाद उदाहरण में पूर्णतः स्पष्ट है और पूरे अध्याय में वे इसी अंदाज में बोलते हैं।
- नये विचार देने में विश्वास।
- ज्ञान व्यक्त करना।
- बातचीत पर नियंत्रण क्योंकि दादाजी लगातार बोलते रहे।
- माँ— चलो! पटवारी-घर भी चलते हैं। वहाँ पैसे जमा कराने हैं। सोनू— पटवारी-घर में पैसे क्यों जमा कराने हैं? माँ— चलो पटवारी से पूछ लेना।
- माँ— इस तरह तो आप लोगों का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो बेटा अब घर चलें। अच्छा पटवारी साहब हम चलते हैं।

इस बातचीत संवाद-व्यवहार से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं—

- संकोच और आत्म-शंका।
- बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया।
- बातचीत में किसी प्रकार की विद्वत्ता के लिए स्थान नहीं।
- पहले से व्यक्त विचारों के प्रति पूरा समर्थन।

1.12 लैंगिकतावादी भाषा के प्रयोग के उदाहरण

लैंगिकतावादी भाषा के प्रयोग में मानवीय सभ्यता के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में सामाजिक समूह के रूप में महिलाओं की सहभागिता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लैंगिकतावादी भाषा की प्रयोग की आवृत्तियों के निर्धारण के लिए लैंगिकतावादी भाषा के प्रयोग की घटनाओं की पहचान की जानी चाहिए। एक राज्य के पाठ्यपुस्तक ब्यूरो की प्रारंभिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों, अध्यायों और क्रियाकलापों के विश्लेषण में पाया गया कि लैंगिकतावादी भाषा के 216 प्रयोग हुए हैं।

***उदाहरण*—**

लैंगिकतावादी भाषा	जेंडर निरपेक्ष भाषा
गाँव के अस्पताल में ... **काम करती है।** प्रत्याशित उत्तर— स्वास्थ्य कार्यकर्ता	गाँव के अस्पताल में ... की **नियुक्ति होती है।** प्रत्याशित उत्तर— स्वास्थ्य कार्यकर्ता

इस उदाहरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के व्यवसाय को काम करती है का प्रयोग कर उसे महिला से संबद्ध कर दिया जाता है। इस प्रश्न को नियुक्ति होती है, के प्रयोग से अलग-से निर्मित किया जा सकता है जिससे यह व्यवसाय जेंडर निरपेक्ष प्रतीत होगा।

लैंगिकतावादी भाषा का प्रयोग करते हुए गतिविधि	जेंडर निरपेक्ष भाषा का प्रयोग करते हुए वैकल्पिक गतिविधि
आदि मानव अपना शरीर **ढकता था।**	आदि मानव अपने शरीर **ढकते थे।**
(अ) कपड़ों से	(अ) कपड़ों से
(ब) कागज़ से	(ब) कागज़ से
(स) पेड़ की छाल व पत्तियों से	(स) पेड़ की छाल व पत्तियों से
(द) इनमें से कोई नहीं	(द) इनमें से कोई नहीं

आत्मबोध

1. अपनी रुचि की किसी पाठ्यपुस्तक का चयन कीजिए। क्या इसके पाठ में भाषिक भेदभाव और लैंगिकतावादी भाषा के प्रयोग हैं?

....

....

© NCERT not to be republished

2. आपके विचार में इस प्रकार के प्रयोग क्यों होते हैं (यदि ऐसा होता है तो)? इन भेदभावों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

....

....

1.13 दृष्टांतों में भेदभाव

इस प्रकार के भेदभाव के विश्लेषण के लिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मात्रात्मक विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है—

- महिला पात्रों से संबंधित दृष्टांतों की संख्या और प्रतिशत।
- पुरुष पात्रों से संबंधित दृष्टांतों की संख्या और प्रतिशत।
- मानवीय पात्रों के साथ दृष्टांतों के उदाहरण।
- जेंडर निरपेक्ष दृष्टांतों की संख्या और प्रतिशत।
- जेंडर अनुकूल दृष्टांतों की संख्या और प्रतिशत।
- रूढ़िबद्ध और भेदभावपूर्ण दृष्टांतों की संख्या और प्रतिशत।
- पारंपरिक दृष्टांतों की संख्या और प्रतिशत।

गुणात्मक विश्लेषण के लिए आपको दृष्टांतों में जेंडर भेदभाव के कारकों की पहचान करनी होगी।

एक राज्य पाठ्यपुस्तक ब्यूरो की विश्लेषित प्रारंभिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में दृष्टांत के रूप में 316 पात्रों में से केवल 87 ही महिला पात्र थे, शेष 229 पात्रों का संबंध पुरुषों से था। इस प्रकार कुल में से 28 प्रतिशत पात्रों का संबंध महिलाओं और शेष 78 प्रतिशत का संबंध पुरुषों से था।

कुल 395 दृष्टांत में उदाहरणों में से 151 उदाहरण ही मानवीय पात्रों से संबंधित थे। इनमें से 92 जेंडर निरपेक्ष, 29 जेंडर अनुकूल तथा 29 रूढ़िबद्धताग्रस्त और भेदभावपूर्ण थे। केवल एक दृष्टांत पारंपरिक था। प्रतिशत की दृष्टि से 61 प्रतिशत जेंडर निरपेक्ष, 19 प्रतिशत जेंडर अनुकूल, 19 प्रतिशत रूढ़िबतापूर्ण और भेदभावपूर्ण तथा 0.1 प्रतिशत उदाहरण पारंपरिक थे।

- **मानवीय पात्र** — इसका अर्थ है दृष्टांत में केवल मानवजाति।
- **दृष्टांत** — का अर्थ है किसी चित्र अथवा उदाहरण में पूर्ण-मेल।

उदाहरण

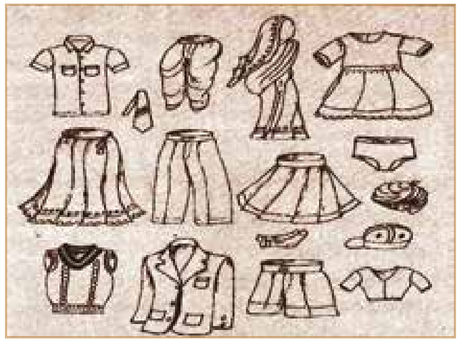

यहाँ जिस अध्याय से दृष्टांत लिया गया है वह विभिन्न प्रकार के पहनावों से संबंधित है। बॉक्स में अलग-अलग प्रकार के परिधान दिखाए गए हैं जिनमें साड़ी (महिला परिधान) को यथोचित चुन्नट और आकार के साथ दिखाया गया है। यह जिस रूढ़िबद्धता और पारंपरिकता के लक्षण को प्रदर्शित करती है वह है इसका सिर को ढकना, जो भारत में एक पारंपरिक चलन है। कभी-कभी तो इसे सामाजिक कायदे कानून के अनुसार भी थोप दिया जाता है।

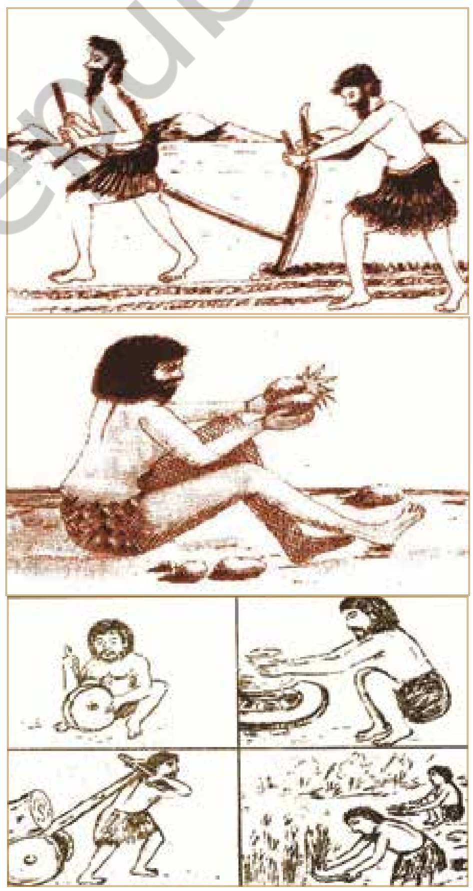

© NCERT not to be republished

ऊपर दिए गए तीन दृष्टांत जिस अध्याय से लिए गए हैं उनमें आदि मानव की कहानी बतायी गयी है, परंतु इस अध्याय में महिला अस्तित्व शामिल नहीं है। पाठ और क्रियाकलाप महिला विलग्नता को ही व्यक्त करते हैं। वह किन-किन भूमिकाओं का निर्वहन करती है अध्याय में इसका भी जिक्र नहीं है। इसलिए इन दृष्टांतों को जेंडर भेदभाव की श्रेणी में रखा गया है।

नीचे दिए गए दृष्टांत में दिखाया गया है कि बैंक से संबंधित क्रियाकलाप अधिकतर पुरुष के कार्यक्षेत्र में आते हैं। बैंक परिसर में किसी भी महिला को ग्राहक अथवा कर्मी की भूमिका में न दिखाने से आर्थिक लेनदेन के कार्यों में उनकी अदृश्यता स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार इस दृष्टांत को जेंडर भेदभावपूर्ण कहा गया है।

नीचे दिए गए चित्र में तीन महिलाएँ और एक पुरुष दिखाए गए हैं। हालाँकि इस दृष्टांत में एक पुरुष और तीन महिलाएँ हैं परंतु प्रभावशाली पुरुष का सामने का पूरा भाग और तीनों महिलाओं की पीठ का दृश्य इस चित्रण को जेंडर भेदभावपूर्ण बनाता है।

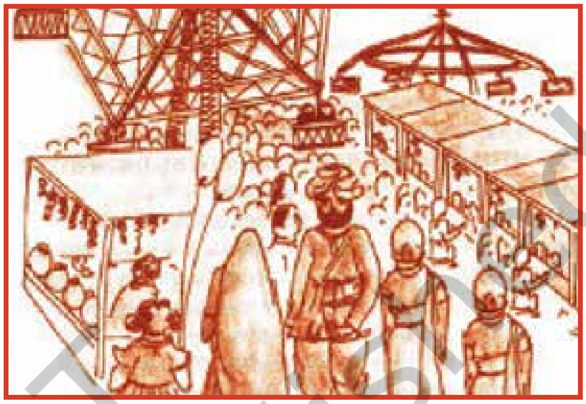

नीचे दिए गए दृष्टांत में पुरुष और स्त्री दोनों ही घरेलू कार्यों में लगे हुए दिखाए गए हैं इस दृष्टि से यह जेंडर अनुकूल है परंतु जब पाठ की व्याख्या पर ध्यान देते हैं तो इसमें इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। अपितु यह चित्रों के प्रतिकूल है। आगे दिए गए उदाहरण का संज्ञान सगंत होगा—

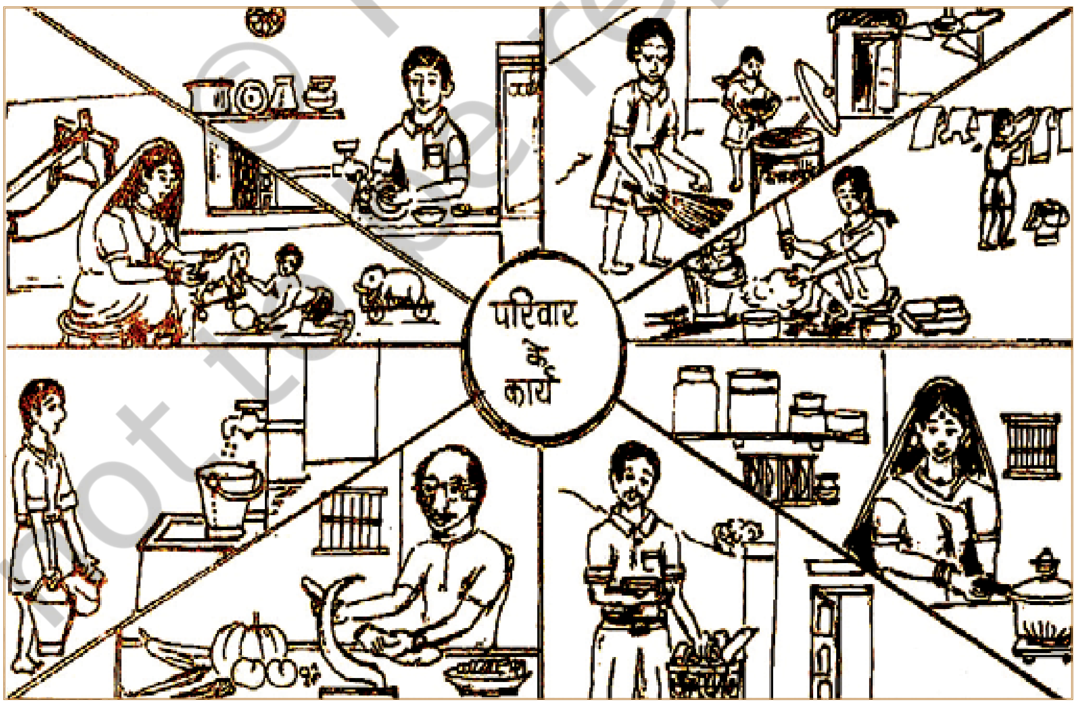

© NCERT not to be republished

हमारा परिवेश

घर में आपकी माताजी सभी कार्यों की ज़िम्मेदारी निभाती होंगी। पिताजी खेती करते होंगे, माँ घर पर रहकर ही आर्थिक सहयोग का कोई काम करती होगी।

दृष्टांतों में संकेतों का प्रयोग

चूड़ियों के माध्यम से महिला की कलाई का संकेत किया गया है। उसे पानी को साफ़ करते दिखाया गया है जबकि यहाँ महिला की कलाई को संकेत रूप में दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार यह दृष्टांत जेंडर भेदभाव के वर्ग में आता है।

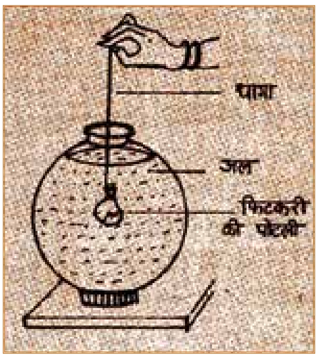

चित्र में दर्शाई गई बंधन बनाती दो महिला कलाइयाँ (चूड़ियों के संकेत से पहचान में आने वाली) और दो पुरुष कलाइयाँ जेंडर सामंजस्य तथा सह-अस्तित्व का संकेत करती हैं और जेंडर अनुकूलता का दृष्टांत प्रस्तुत करती हैं।

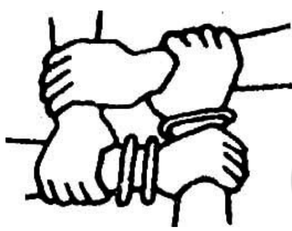

1.14 महिलाओं की रूढ़िबद्धतापूर्ण छवियाँ, पारंपरिक भूमिकाएँ तथा अपमानजनक चित्रण

इस प्रकार के भेदभाव का विश्लेषण करने के लिए ढेर सारी रूढ़िबद्धतापूर्ण छवियों के उदाहरण या पात्र, पारंपरिक भूमिकाओं में उदाहरण या पात्र तथा अपमानजनक चित्रण वाले उदाहरण या पात्रों की बड़ी संख्या में गणना करनी होगी। मात्रात्मक विश्लेषण के लिए रूढ़िबद्धतापूर्ण छवियों, पारंपरिक भूमिकाओं और अपमानजनक चित्रण के उदाहरणों की जाँच करनी होगी कि क्या जेंडर भेदभाव, असमान प्रस्तुति आदि कारकों का इन छवियों, भूमिकाओं और चित्रणों पर कोई प्रभाव पड़ा है।

रूढ़िबद्धतापूर्ण छवि के उदाहरण

1. सोना— दादा जी, दो दिन बाद हमारे विद्यालय में उत्सव है। मेरी सहेली मोना और मैं नृत्य करेंगे। मोना की माँ उत्सव में भाग लेने आएगी।

   दादाजी— बेटी, मोना की माँ ग्राम-पंचायत की सरपंच है। इसलिए उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया होगा।

जिस अध्याय से यह उदाहरण लिया गया है उसमें बताया गया है कि सरपंच होने के नाते मोना की माँ को विद्यालय के उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, परंतु उसे मोना की माँ जैसे रूढ़िबद्ध तरीके से संबोधित किया गया है और केवल जिक्र भर तक ही सीमित है जैसे उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं, यहाँ तक कि उसका नाम भी अध्याय में नहीं दिया गया है। अध्याय में सरपंच और ग्रामपंचायत की शक्तियों और कार्यों के बारे में सारी जानकारी एक-दूसरे पात्र 'दादाजी' के माध्यम से दी गई है। किसी पुरुष पात्र को अधिकार, ज्ञान और विद्वत्ता की विशेषताओं का श्रेय देना भी रूढ़िबद्धतापूर्ण है। कोई महिला जो वास्तव में प्रभुत्वशाली पद पर आसीन हो, उसका केवल बमुश्किल जिक्र और जेंडर विशेष अथवा उससे जुड़ी भूमिका, जैसे कि माँ आदि से संबोधित करना भी रूढ़िबद्धता ही है।

2. अपूर्व— हाँ, मैं पिताजी से कहूँगी कि अपने नये मकान में लकड़ी के दरवाज़े नहीं, प्लास्टिक के दरवाज़े लगवाएँ।

   लड़की को यह आभास कराया जाता है कि निर्णय लेने में उसके पिता की ही भूमिका है। उसकी माता की भूमिका को पूर्णतः नगण्य है। निर्णय लेने की भूमिका में महिलाओं की नगण्यता और एक युवा लड़की को इसे स्वीकारते हुए दिखाना भी रूढ़िबद्धता का उदाहरण है।

पारंपरिक भूमिकाओं के उदाहरण

घर का सबसे बड़ा व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। वह परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करता है।

यह दर्शाया जाता है कि सबसे बड़ा पुरुष सदस्य परिवार के मुखिया के रूप में तमाम सामाजिक-आर्थिक ज़िम्मेदारियाँ उठाता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। बराबर साथी के रूप में महिला की भूमिका पूर्णतः नकार दी गई है।

© NCERT not to be republished

अपमानजनक चित्रण के उदाहरण

पद्मिनी बहुत रूपवती थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को इसकी जानकारी मिली। खिलजी उसे प्राप्त करना चाहता था। खिलजी ने रावल रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि वह केवल पद्मिनी को देखकर दिल्ली लौट जाएगा। रानी पद्मिनी ने चित्तौड़ को विनाश से बचाने के लिए खिलजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। किले में पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाने की व्यवस्था की गई। खिलजी चाहकर भी पद्मिनी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सका।

खिलजी के मन में पद्मिनी को पाने की इच्छा बनी रही। कुछ समय बाद खिलजी ने पुनः चितौड़ पर आक्रमण किया।

एक सामाजिक-सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संदर्भ में तो यह विवरण सच हो सकता है, परंतु प्राथमिक स्तर के लिए विषय-वस्तु का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा कोई चित्रण न हो, जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक हो। मज़बूरी में किसी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और प्रभुता संपन्न सुल्तान के सामने अपने आपको प्रदर्शित करना किसी भी महिला की मर्यादा का अपमान करना है।

इस विषय-वस्तु में महिला को राजनीतिक भय के कारण किसी कामुक सुल्तान के समक्ष प्रदर्शित किया जाना दिखाया गया है। इस प्रकार की सामग्री से एक स्त्री के अपमान और रूढ़िबद्धतापूर्ण सामाजिक छवि की पुष्टि होती है, जिसमें उसे लालसा और कामुकता की वस्तु के रूप में चित्रित किया जाता है।

महिला को फिर से प्राप्त करने की वस्तु के रूप में दिखाना भी अपमानजनक तरीका है। इस सुंदर रानी को हासिल करने के लिए सुल्तान चितौड़ पर आक्रमण कर देता है।

इस बीच उसने (चन्द्रगुप्त) 305 ई० पूर्व में सिकंदर के सेनापति सैल्यूकस को हराकर उसकी पत्नी से विवाह किया।

राजनीतिक संधि के अंशरूप में स्त्री को उपलब्ध कराने और हासिल करने का वर्णन भी अपमानजनक है।

1.15 पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों और शैक्षिक पद्धति के माध्यम से शिक्षा किस प्रकार जेंडर असमानता के मुद्दे को हल कर सकती है?

महिलाओं की शिक्षा को अतिरिक्त आय अर्जन, न्यून प्रजनन दर तथा जनसंख्या नियंत्रण, उन्नत मातृत्व कौशल, परंपरा निर्वहन और आध्यात्मिक मूल्यों के रखरखाव तथा सामाजिक एकजुटता के लिए उपयोगी माना गया है। इन सभी प्रयोजनों में अपने परिवार और समाज के लिए एक व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान तथा अधिकारों के बलिदान स्वरूप महिलाओं को माध्यम माना गया है। विरोधाभास की स्थिति यह है कि शिक्षा जहाँ संयोजन और बंधनकारी सामाजिक मूल्यों और रूढ़ियों को पुनरुत्पादित करती है वहीं यह सशक्तीकरण का भी एक समर्थकारी कारक है।

इसके अलावा पाठ्यचर्या एवं शैक्षिक पद्धति के माध्यम से शिक्षा का स्वरूप निर्धारण और संप्रेषण करने वाले राज्य तथा अन्य एजेंसियाँ भी दुविधा की स्थिति में हैं। एक ओर ये संस्थान आज्ञाकारिता और यथास्थिति बनाए रखने पर बल देते हैं वहीं दूसरी ओर सुधारवाद का झंडा भी बुलंद करते हैं। इस प्रकार की विरोधाभासी स्थिति से उत्पन्न होने वाली विसंगतियाँ और तनाव पाठ्यपुस्तकों की स्वाभाविक ज्ञान निर्माणकारी प्रक्रिया में विरोधाभासी जानकारियों के रूप में दोहरा दिए जाते हैं। अकसर ऐसा देखा गया है किसी पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में महिलाओं का समान दर्ज़ा दिखाया गया है जबकि दूसरे पाठ में उनकी खिल्ली उड़ाई गई है।

शिक्षा नीति यदि जेंडर समानता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है तो ज्ञान निर्मिति के बुनियादी स्तर पर ही इस बदलाव पर बल देने की आवश्यकता को स्वीकार करना होगा तथा सुस्पष्ट उत्तरोत्तर सुधार के परिप्रेक्ष्य से विकसित कर इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करना होगा। जेंडर संबंधों से जुड़ी पाठ्यचर्या की प्रस्तुति अकसर वर्चस्ववादी समूहों द्वारा लगातार प्रचारित की जाने वाली प्रचलित धारणाओं और विचारों पर आधारित होती हैं। पुरुषों को इस प्रकार सामान्यतः प्रामाणिक ज्ञान मीमांसक के रूप में स्थापित किया जाता है। शायद ही इसमें महिलाओं के विविधतापूर्ण योगदान, क्षमता तथा परिप्रेक्ष्यों को स्थान दिया जाता हो। ज्ञान की वैकल्पिक जेंडर संबद्ध रूपरेखा में पुरुषों और महिलाओं, दोनों के कार्य संसार का एकसमान प्रतिफलन होना चाहिए तथा उसके मूल में न्यायसंगत सामाजिक बदलाव के सूत्र निहित होने चाहिए।

not to be republished © NCERT

प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के समाधान

ऐसी प्रच्छन्न पाठ्यचर्या में संगठनात्मक व्यवस्था है, जिसमें छात्र या छात्राओं की अलग-अलग बैठने की व्यवस्था, लड़कों और लड़कियों को अलग-अलग पंक्तियों में बैठाना अथवा उनकी अलग-अलग टीमें बनाना, दिए जाने वाले कार्यों की अलग-अलग प्रकृति तथा विद्यालय में जेंडर आधार पर काम करने का विभाजन, जैसे — लड़कों को स्कूल से बाहर जाने की अनुमति तथा लड़कियों को झाड़ू लगाना, सफ़ाई करना, पानी पिलाना, उत्सवों में पुष्पगुच्छ भेंट करना, दंड और पारितोषिक देने के तरीके, लड़कों और लड़कियों को अनुशासित करने की अलग-अलग रणनीतियाँ, शिक्षकों द्वारा नामपत्रण के प्रतिमान, शिक्षक-विद्यार्थी एवं विद्यार्थी-शिक्षक अंतःक्रिया आदि अनेक सामान्य स्कूली दिनचर्या की प्रक्रियाएँ शामिल रहती हैं। इसके अलावा शिक्षण और अधिगम सामग्री, कक्षागत प्रक्रियाएँ, मूल्यांकन एवं आकलन पद्धतियाँ और भाषा नीति आदि सभी विद्यालय पाठ्यचर्या के अंग होते हैं। बच्चे जिस समाज में महिला या पुरुष के रूप में बड़े होते हुए अपने भुक्त अनुभवों के सारग्रहण के माध्यम से जो अर्थ ग्रहण करते हैं अथवा किन्हीं विचारों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं यह पाठ्यक्रम उन संदर्भों की जाँच की अपेक्षा करता है। स्कूली पाठ्यपुस्तकों में जेंडर प्रस्तुति निर्धारित करने की विचारधारा को समझना जितना आवश्यक है उतना ही अपेक्षित है कि दैनिक स्कूली प्रक्रियाओं, अनुभवों और शैक्षिक अभ्यास के स्तर पर ये विचारधाराएँ कैसे अभिव्यक्त होती हैं इसकी भी जाँच की जाए।

शिक्षक सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक

स्त्रीवादी शैक्षिक पद्धति में सहभागितापूर्ण अधिगम और शिक्षण पर बल दिया जाता है जिसके अंतर्गत आत्मीयता, संवेग और अनुभव के लिए निश्चित और बहुमूल्य स्थान है। सहभागिता एक सशक्त रणनीति तो है परंतु इसे एक रस्म बना दिए जाने पर इसकी शैक्षिक तीक्ष्णता कुंद हो जाती है। जब किन्हीं खास उद्देश्यों की पूर्ति, पूर्वाग्रहों से ग्रसित लक्ष्यों की प्राप्ति और कक्षागत चर्चाओं में शिक्षकों के अपने विचार प्रभावी होते हैं सहभागिता व्यर्थ हो जाती है। सहभागिता में छात्राओं या छात्रों और अध्यापिका या अध्यापकों, दोनों के अनुभवों के महत्व को स्वीकार करना शामिल है।

पाठ्यचर्या में उन शैक्षिक कार्यनीतियों को भी स्थान मिलना चाहिए, जो द्वंद्व की अवधारणा के हल सुझाते हैं। ऐसे द्वंद्व जो बच्चों के सामाजिक परिपेक्ष्य में प्रत्यक्ष और समकालीन समाज में मूल्यवान हैं। बच्चों की यह दुनिया जेंडर निष्पक्ष तथा अपेक्षाकृत कम हिंसात्मक हो सकती है। द्वंद्व को शैक्षिक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने का उद्देश्य बच्चों को इसका सामना करने में समर्थ बनाना है तथा उनको जीवन में इसकी प्रकृति और भूमिका के बारे में जानकारी हासिल करने के योग्य बनाना है।

यदि बच्चों के सामाजिक अनुभवों को कक्षाओं में समावेशित करना है, तो यह अनिवार्य है कि द्वंद्व के मुद्दों के हल निकाले जाएँ। द्वंद्व बच्चों के जीवन के अभिन्न अंग हैं। बच्चे निरंतर उन स्थितियों का सामना करते हैं जिनके हल निकालने के लिए नैतिक आकलन और क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है। यह सरोकार चाहे स्वयं के द्वंद्व के सांसारिक अनुभव से जुड़े हों या फिर परिवार अथवा समाज से इनका संबंध हो अथवा इनका संबंध समकालीन विश्व के हिंसात्मक संघर्षों में बच्चों के अनुभवों के हल निकालने से हों। इसके बावजूद अधिकारिक रूप से पाठ्यचर्या में ज्ञान को निरपेक्ष और समाज तथा इसके अभिज्ञान के कुछ विशेष आयामों को वैध बनाने के लिए द्वंद्व को मिटाने की प्रवृत्ति देखी गई है। यह परिदृश्य वर्चस्ववादी विमर्श का परिचायक है।

स्कूली शिक्षक कक्षा, जाति, लिंग, धर्म, जेंडर तथा क्षेत्रीयता के रूप में अपनी स्थिति को समझने तथा उसे बनाए रखने, बदलने एवं उसे फिर से गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जहाँ विभिन्न वर्गों से संबंधित बच्चे बड़ी संख्या में अपनी विविधतापूर्ण संस्कृति, व्यवहार, ज्ञान प्रणालियों तथा जगत को देखने की अपनी-अपनी दृष्टि के साथ आते हैं ऐसे में शिक्षक का कार्य चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

इन परिस्थितियों में शिक्षक से क्या अपेक्षाएँ हैं? शिक्षक को शिक्षार्थी जगत में मूल्य स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के साथ-साथ बच्चों में अपने आस-पास के संसार के साथ जुड़ने की योग्यता और उदीयमान ज्ञान के साथ अंतःक्रिया करने हेतु उनका विकास करना होगा। शिक्षक इस प्रकार रचनात्मक व्यक्तित्व निर्माण में बच्चों की सहायता कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि शिक्षक को अपनी परिपाटियों, मूल्यों तथा आदर्शों से संबंधित

© NCERT not to be republished

संचित धारणाओं को भुलाना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो शिक्षक के अपने पक्षपात संबंधी मत और पूर्वाग्रह इन अपेक्षित उद्देश्यों तथा शैक्षिक पद्धतियों को शब्दजाल आडम्बर मात्र बना देंगे जिन्हें यांत्रिक तथा रस्मी प्रक्रियायों से निभाया भर जाएगा। शिक्षा को जेंडर संवेदी बनाने के लिए पाठ्यचर्या और शैक्षिक पद्धति के मुद्दों पर गहराई से विचार करना होगा।

आत्मबोध

1. आपके विचार में 'प्रच्छन्न पाठ्यचर्या' क्या है? यह क्यों महत्वपूर्ण है?

   ....

   ....

2. असमानता के मुद्दे के हल और बच्चों के सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण में सहायता के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए?

   ....

   ....

1.16 जेंडर संवेदी शिक्षा के केंद्र बिंदु

जेंडर संवेदी शिक्षा का निम्नलिखित पक्षों को विकसित करने पर ध्यान देना अपेक्षित है— स्व-अभिज्ञान के गुणों का विकास, सकारात्मक आत्म-छवि निर्माण तथा सूक्ष्म चिंतन को उद्वेलित कर आत्म-सिद्धि, सत्ता के जेंडर संबद्ध ढाँचे के प्रति गहरी समझ बनाना, जेंडर समावेश, सूचना, ज्ञान के विशेष रूप से बढ़ते परिदृश्य के संसाधनों के प्रति सुगमता समर्थता, उपलब्ध विकल्पों का विश्लेषण करने की योग्यता का निर्माण और सुविज्ञ चयन करने की संभावना में सुगमता एवं लड़कियों की कार्यक्षमता को फिर से सुदृढ़ करना ताकि वे सत्ता के जेंडर ढाँचे को चुनौती दे सकें तथा अपनी जिंदगी खुद से जी सकें।

अतः भेदभाव का निराकरण और असमानताओं के हल कोई आसान कार्य नहीं हैं। ये जटिल और चुनौतीपूर्ण हैं। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए सभी हितपक्षों को सामाजिक अंतःक्षेपक (Social Intervention) के रूप में शिक्षा की रूपांतरकारी क्षमता को पहचानना होगा जो वर्तमान वास्तविकताओं की फिर से जाँच-परख करने की दिशा में प्रयास होगा और तब जेंडर संबंधी असमानताओं को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा एकमात्र सर्वाधिक प्रभावशाली प्रक्रिया बन जाएगी। फिर यह समाज के नये मूल्यों और रीतियों को गढ़ने की सुविधा सृजित करेगी जिससे महिलाओं और पुरुषों, दोनों में ही अपने-अपने मानवीय सामर्थ्य को सर्वश्रेष्ठ रूप में विकसित करने की योग्यता उत्पन्न होगी। इस योग्यता से सभी महिलाएँ और पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से उबरकर हमारे भविष्य की नयी कल्पना को साकार कर सकेंगे।

1.17 जेंडर समावेशी उदाहरणपरक क्रियाकलाप

गतिविधि क्या है?

बहुत से लोगों का मानना है कि गतिविधि सीखने का वह साधन है जिसमें बच्चे वास्तविक रूप में भागीदारी करते हैं तथा यह नाटकीकरण की तरह मस्ती, कविता और गीतों, कठपुतली नाच एवं मनोविनोदी खेलों आदि से भरी होती है। ये सभी स्वस्थ अधिगम क्रियाकलापों के रूप में उपयोगी हो सकती हैं। इसमें आशंका केवल इस बात की बनी रहती है कि अकसर शिक्षक क्रियाकलापों के नाम पर केवल औपचारिकता निभाते हैं। इसलिए ये आनंदपूर्ण होने पर भी किसी प्रकार के अधिगम में परिवर्तित नहीं हो पाती हैं। यहाँ जानना आवश्यक है कि किसी गतिविधि में क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए—

- यह किसी सुविचारित अनुभव शृंखला का एक भाग हो जिसकी पहचान किसी छिटपुट अनुभव की अपेक्षा शिक्षक द्वारा बच्चों के किसी खास विषय अथवा क्षेत्र में अधिगम की उद्देश्यपूर्ति करती हो।
- प्रत्येक बच्चे की भागीदारी इसमें हो।
- बच्चे को सक्रिय चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें।
- यह आवश्यक नहीं कि बच्चे इसमें शारीरिक रूप से प्रतिभागी हों परंतु इतना जरूर है कि वे इसमें मानसिक या संवेगी कौशलों, जैसे— पहेलियाँ हल करना अथवा अपने अनुभवों को लिखना, पुस्तक पढ़ना या उनमें से कुछ निष्कर्ष निकालना और उन्हें शब्दकोश से मिलाना आदि क्रियाकलापों से इसमें सहभागी हों।
- इतनी चुनौतीपूर्ण अवश्य हों कि बच्चों को अपने कौशल तथा ज्ञान का अलग-अलग परिस्थितियों में विभिन्न रूपों में अभ्यास करने तथा प्रयोग करने में मदद कर सकें।

© NCERT not to be republished

- बच्चों को आनंदमय और रुचिकर तरीके से सीखने में समर्थ बनाए।

सहयोगी अधिगम तथा सहयोग अधिगम आधारित क्रियाकलाप

सहयोगी अधिगम इस तर्क पर आधारित है कि मनुष्य एक समूह-जीवन जीने वाली प्रजाति है तथा किसी मिल-जुले समूह में लड़कियों और लड़कों दोनों की ही उपस्थिति अपेक्षित होती है। शिक्षकों की भूमिका है कि वह विद्यार्थियों को ऐसे कौशलों में समर्थ बनाएँ जिससे वे अपने समाज में सफलतापूर्वक जीवन जी सकें।

सहयोगी अधिगम के लाभ

- पुरुष एवं महिलाओं दोनों ही जेंडरों में सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करना और उसे बनाए रखना।
- संवाद की दक्षता।
- समस्या समाधान।
- सहयोगी अधिगम में शिक्षक की भूमिका की सही-सही पहचान।
- समूह में बच्चों को भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ निभाने के लिए कहा जाए ताकि उन्हें यह समझ आ सके कि दिए गए कार्यों को संपन्न करने में उन्हें एक-दूसरे की आवश्यकता है।
- मौखिक सार प्रस्तुतीकरण, व्याख्या के आदान-प्रदान और विस्तार आदि से बच्चों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
- शिक्षक बार-बार छात्रों के योगदान का मूल्यांकन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने अधिगम की ज़िम्मेदारी (व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी) ले रहे हैं।
- छात्राओं और छात्रों को समुचित संवाद, नेतृत्व, विश्वास, निर्णय करने तथा द्वंद्व प्रबंधन कौशल सिखाए जाएँ ताकि समूह कार्यों में सुगमता हो सके।
- छात्रों या छात्राओं को इतना समय अवश्य दिया जाए कि वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को पूरा कर सकें।
- जब शिक्षक छात्रों या छात्राओं को समूह के ऐसे उत्पाद अथवा कार्य के लिए पारितोषिक देते हैं जिन्हें व्यक्तिगत प्रयास द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता था तो उन्हें सहयोगी अधिगम में भाग लेने की प्रेरणा मिलती है।

यहाँ कुछ ऐसी गतिविधियों का उल्लेख आगे किया जा रहा है जिनमें शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जेंडर समावेशन के लिए पर्याप्त अवसर हैं।

गतिविधि 1— बस एक मिनट

- 10–15 छोटी-छोटी घरेलू वस्तुएँ, जैसे– चूड़ियाँ, दंत मंजन, दाढ़ी बनाने की क्रीम, छुरी, एक अथवा दो रुपये के सिक्के, लिपस्टिक, पेन्सिल, जुराब आदि लेकर उन्हें किसी ट्रे या तश्तरी में रख दें।
- ट्रे को एक मेज पर रखकर उसे कक्षा के पिछली ओर रख दें।
- अब एक-एक छात्र या छात्रा को बारी-बारी से ट्रे में रखी वस्तुओं को 1 मिनट तक देखने को कहें।
- जब कोई छात्र या छात्रा लौटकर आता या आती है तो उससे उन देखी गई वस्तुओं में से जिनके नाम याद हैं उनके नाम लिखने के लिए कहें।
- उन्हें कहें कि वे आपस में एक-दूसरे को बताएँ कि वे कितनी वस्तुओं के नाम याद रख पाए।

प्रत्येक विद्यार्थी कितनी वस्तुएँ याद रख सकें इस पर चर्चा करें। बहुत संभव है कि किसी लड़की को लेखन सामग्री की चीज़ें याद रहीं हों और लड़के को सौंदर्य और घरेलू चीज़ें याद रहीं हों। बच्चों ने जिस प्रकार की वस्तुओं को याद रखा उनके लिए उन्हें आगे दी गई उक्तियों द्वारा सकारात्मक रूप से पुनः प्रोत्साहित किया जाए—

- ऐसा लगता है कि राम घरेलू कार्यों में अपने माता-पिता की सहायता करता है तभी उसे अधिक घरेलू चीज़ें याद रहीं।
- सुनीता पढ़ने में ध्यान देती है तभी उसे लेखन सामग्री की अधिक चीज़ें याद रहीं।

अधिगम उपलब्धियाँ

- प्रेक्षण कौशल में सुधार
- याद करने की क्षमता में सुधार
- छात्रों की रुचि के क्षेत्रों में अन्वेषण
- अपने परिवेश में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं तथा उनके उपयोगों के बारे में जानना
- जेंडर भूमिका की रूढ़ियों का निराकरण

© NCERT not to be republished

गतिविधि 2— सोचो-जोड़े बनाओ-साझा करो (थिंक-पेअर-शेयर)

- समूह या कक्षा को एक विषय सुझाइए, जैसे— पानी आवश्यक है अथवा सड़क सुरक्षा कितनी आवश्यक है।
- छात्र-छात्राओं से कहें वे याद कर विषय संबंधित उन सब जानकारियों को लिखें जिनसे वे पहले से अवगत हैं।
- छात्र-छात्राओं से कहें वे दूसरे छात्रों के साथ जोड़ा बनाएँ, प्रत्येक जोड़े में एक लड़की और एक लड़का अवश्य होना चाहिए।
- प्रत्येक जोड़े से कहें कि वे आपसी सहमति के लिए विषय संबंधित अपनी जानकारी को साझा करें।
- आखिर में उनसे कहें कि वे अपनी जानकारी को पूरी कक्षा के साथ साझा करें, यह सुनिश्चित कर लें कि जानकारी साझा करने की प्रक्रिया में लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हों।

अधिगम उपलब्धियाँ

- सोच-विचार में वृद्धि
- ज्ञान को साझा करना
- संवाद कौशल का विकास
- लड़कों और लड़कियों की बराबर सहभागिता
- विभिन्न मुद्दों पर लड़कियों और लड़कों के दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखना

क्रियाकलाप 3— अपने साथी का परिचय कराना

- 20 बच्चों की कक्षा के लिए 20 पर्चियाँ बनाइए। एक साथ दो पर्चियाँ उठाकर उन पर विपरीत शब्द, जैसे— काला-सफ़ेद, रात-दिन, भाई–बहन आदि लिखिए। प्रत्येक पर्ची को अलग-अलग डिब्बे में डालिए।
- लड़कों से कहें कि वे एक डिब्बे से पर्चियाँ निकालें, जबकि दूसरे डिब्बे से लड़कियाँ पर्चियाँ निकालेंगी।
- बच्चों से कहें कि वे पर्चियों पर लिखे नाम पढ़ें और यह पता लगाएँ कि इसके विपरीत शब्द वाली पर्ची किसके पास है।
- इस प्रकार आप लड़कों और लड़कियों के 10 जोड़े बना पाएँगे।
- जोड़े से कहें कि वे एक-दूसरे से नीचे दिए प्रश्न पूछें—
  (i) आपका नाम क्या है?
  (ii) आपके पिता का क्या नाम है?
  (iii) आपकी माता का क्या नाम है?
  (iv) आपके कितने भाई-बहन हैं?
  (v) आपके परिवार के सदस्य क्या-क्या काम करते हैं?
  (vi) आपके शौक, रुचियाँ, पसंद-नापसंद आदि क्या हैं?

अब प्रत्येक जोड़े से कहें कि वे आपसी बातचीत के आधार पर एक-दूसरे का परिचय दें।

अधिगम उपलब्धियाँ

- आपसी तालमेल का बनना
- इससे मेरा परिवार, मेरे जीवन में एक दिन, मेरा पड़ोस आदि पर्यावरण अध्ययन विषयों पर ठोस अधिगम अनुभव प्राप्त होंगे
- संवाद कौशल में सुधार
- आपस में साझा करना, सहयोग और एक-दूसरे के लिए आदर जैसे सामाजिक वैयक्तिक गुणों का विकास

1.18 जेंडर समावेशी उदाहरणपरक मूल्यांकन परिपाटियाँ

समूह कार्य

- लड़कियों और लड़कों पर आधारित बच्चों के 6 समूह बनाइए और उन्हें किसी दिए गए विषय पर लिखने अथवा उस विषय से जुड़ी जानकारी एकत्रित करने का कार्य दें। जब कार्य पूरा हो जाए तो उसका मूल्यांकन करें। सभी समूहों से जानकारी आपस में साझा करने को कहें और प्रत्येक समूह इस दिए गए कार्य को पूर्ण करने की सारी प्रक्रिया का वर्णन करें, जिससे समूह ने कार्य संपन्न किया।
- इस बात की चर्चा भी कीजिए कि किस प्रकार संपन्न कार्य की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि समूह ने कौन-सी प्रक्रिया का अनुकरण किया।
- गुणात्मक कार्य के लिए सहयोग तथा समूह के प्रत्येक सदस्य के योगदान और संयुक्त प्रयास पर विचार कीजिए। उपयुक्त पैमाने के आधार पर अंक अथवा ग्रेड भी प्रदान करें।

© NCERT not to be republished

पर्यावरण अध्ययन या विषय बोर्ड के दायित्व का निर्वहन

- 46 बच्चों का समूह बनाइए जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हों।
- साप्ताहिक अनुसूची बनाइए और प्रत्येक समूह से कहें कि वह पर्यावरणीय अध्ययन बोर्ड का एक सप्ताह तक कार्यभार संभाले।
- शिक्षक मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन और साथी मूल्यांकन जैसी तकनीकों का प्रयोग करें।

मूल्यांकन के लिए मानक

- योजना निर्माण की प्रभाविता
- समय का उपयोग (दिए गए समय में प्रदर्शित सामग्री को कितनी बार बदला गया)
- उपकरणों तथा संसाधनों का उपयोग
- लड़कियों और लड़कों दोनों में सामाजिक विषयों के प्रति संवेदनशीलता
- सामाजिक संस्थाओं में रुचि
- सामाजिक सुधार कार्यों में रुचि
- मुक्त मानसिकता
- लड़कियों और लड़कों दोनों का ही शैक्षिक, यांत्रिक, सौंदर्यपरक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आमोद-प्रमोदात्मक और व्यावसायिक क्रियाकलापों के प्रति अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना।

आत्मबोध

जेंडर समावेशी क्रियाकलापों की रूपरेखा बनाइए और उनके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया भी निश्चित कीजिए।

....

....

1.19 पाठ्यपुस्तक निर्माताओं के लिए सुझाव

पाठ्यसामग्री का विनिर्माण कर तथा प्रारंभ से ही ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में जेंडर को शामिल किया जाए।

पाठ्यपुस्तकों का लेखन करते समय लेखकों और प्रकाशकों को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए—

(i) अदृश्यता, रूढ़िबद्धताकरण, असंतुलन या चयनात्मकता, अयथार्थता, विखंडन या विलग्नता, भाषिक भेदभाव, दृश्य भेदभाव, दिखावटी (भ्रामक) भेदभाव आदि पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में शामिल नहीं होने चाहिए।

(ii) पाठ्यपुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान या संतुलित विषय-वस्तु आवंटित की जानी चाहिए।

(iii) प्रारंभिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में अधिक-से-अधिक ऐसे उदाहरण सम्मिलित किए जाने चाहिए, जो महिलाओं की सकारात्मक छवि निर्माण में योगदान करते हों, ऐसा न करने वाली विषय-वस्तु को हटा देनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का चयन करते समय ऐसी विशिष्ट महिलाओं के उदाहरण भी शामिल नहीं किए जाने चाहिए जो किसी काल विशेष में सामाजिक-सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से चर्चित तो थीं, परंतु वे महिलाओं की सकारात्मक छवि प्रस्तुत नहीं करती हैं।

(iv) महिलाओं को अधिकाधिक व्यावसायिक और श्रम शक्ति की भूमिकाओं में दिखाया जाना चाहिए, जिसमें वे वास्तव में हैं। गैर-पारंपरिक भूमिकाओं में महिलाओं को केवल समाज में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त करने के उदाहरणों के रूप में ही दिखाया जाना चाहिए। व्यवसाय संबंधी उदाहरण भी जेंडर अनुकूल या जेंडर निरपेक्ष होने चाहिए। व्यवसायों में जेंडर भेदभाव वाले उदाहरण भी पाठ्यपुस्तकों में शामिल नहीं होने चाहिए।

(v) पाठ्यपुस्तकों में भाषिक भेदभावों की जाँच की जानी चाहिए तथा किसी भी स्तर की पाठ्यपुस्तकें हों उनमें भाषिक भेदभावों से बचना चाहिए।

(vi) संवाद-व्यवहार में रूढ़िपरक भाषा को ध्यानपूर्वक हटा देना चाहिए। पाठ्यपुस्तक लेखकों और प्रकाशकों को जेंडर भेदभावपूर्ण भाषा लक्षणों की जानकारी होनी चाहिए और उनके लिए जेंडर निरपेक्ष विकल्पों का भी ज्ञान होना चाहिए।

(vii) पाठ्यपुस्तकों के पाठ और चित्रों में महिला तथा पुरुष पात्रों का बराबरी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। केवल बड़ी संख्या में महिलाओं के चित्र जोड़ देने मात्र से संतुलन हो जाएगा, इस मिथ्या भ्रम को पाठ्यपुस्तकों के लिए चित्र या उदाहरण चयन करते समय छोड़ दिया जाना चाहिए। केवल ऐसे ही उदाहरण और चित्र रखे

© NCERT not to be republished

जाने चाहिए, जो सार्थक हों और जिनमें महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी के भागीदार के रूप में दर्शाया गया हो।

(viii) महिलाओं से संबंधित सामग्री इस रूप में न दर्शायी गई हो कि उसमें महिला के शारीरिक सौंदर्य अथवा लक्षणों का बोध कराया गया हो। महिलाओं को किसी वस्तु की तरह इस प्रकार भी चित्रित न किया जाए कि उन्हें राजनीतिक संधियों में खो दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार के चित्रण का आशय अपमानित करना होता है।

(ix) जेंडर छवियों की एकतरफ़ा निर्मिति से बचने के लिए पाठ्यपुस्तकों के निर्माण दल में पुरुष और महिला लेखकों की संख्या में संतुलन होना चाहिए। अतः निर्माण दल का चयन इस प्रकार हो कि उसमें पुरुष और महिला लेखक बराबर संख्या में हों, ताकि पाठ्यपुस्तकों में न्यायोचित जेंडर दृष्टिकोण समावेशित किए जा सकें।

(x) पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से जेंडर संवेदी दृष्टिकोण को सुचारू रूप से शामिल करने के लिए लेखकों और प्रकाशकों को जेंडर संवेदी कार्यक्रमों और कार्यशालाओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाए।

1.20 संदर्भ

- कुमार इंदू. 2011. *कंटेंट एनालिसिस ऑफ़ एलिमेंट्री लेवल एनवायरमेंटल स्टडीज*. राजस्थान बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक.
- बाल्डविन पी. और डी. बाल्डविन. 1992. *द पोर्टेल ऑफ़ वूमेन इन क्लासरूम टेक्सटबुक्स*. कनेडियन सोशल स्टडीज 26:3 पृष्ठ संख्या 110-114.
- रा.शै.अ.प्र.प. 1975. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.
- ———. 1987. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1987*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.
- ———. 1988. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.
- ———. 2000. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.
- ———. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.
- ———. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. शिक्षा में जेंडर मुद्दों पर राष्ट्रीय फोकस समूह का आधारपत्र.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 2

भाषा और जेंडर

मॉड्यूल की रूपरेखा

2.1 परिदृश्य
2.2 भूमिका
2.3 उद्देश्य
2.4 जेंडर रूढ़िबद्धताकरण
2.5 जेंडर निरपेक्ष भाषा
2.6 पाठ्यपुस्तकें और जेंडर निरपेक्षता
2.7 जेंडर निरपेक्ष भाषा के प्रयोग
2.8 संदर्भ

© NCERT not to be republished

2.1 परिदृश्य

यूनेस्को (2004) के अनुसार 'जेंडर संवेदनशीलता किसी भी व्यक्ति के प्रति बिना किसी लिंगपरक भेदभाव के सम्मान उत्पन्न करने में मदद करती है। जेंडर संवेदनशीलता का तात्पर्य महिलाओं का पुरुषों से मुकाबला करना नहीं है, अपितु जेंडर संवेदी शिक्षा महिलाओं और पुरुषों को लाभ पहुँचाती है। इससे उन्हें ज्ञात होता है कि जेंडर संबंधी कौन-कौन सी मान्यताएँ जायज हैं और कौन-सी सामान्यीकृत रूढ़िबद्धता हैं। जेंडर जागरूकता के लिए बौद्धिक प्रयास के साथ-साथ संवेदनशीलता और खुली मानसिकता की भी आवश्यकता होती है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए यथासंभव व्यापक जीवन विकल्प खोल देती है।' स्कूली शिक्षा के संदर्भ में जेंडर संवेदनशीलता एक शैक्षिक सरोकार है जिसकी शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। जेंडर संवेदी शिक्षा शिक्षार्थियों को धारणाओं से ऊपर उठाने और सामान्यीकृत रूढ़िबद्धताओं को दूर करने में मदद कर सकती है। इससे परिवार, समुदाय तथा राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं और पुरुषों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के प्रति सम्मान उत्पन्न होगा।

2.2 भूमिका

समय के साथ-साथ भाषा ने अपनी बनावट में बड़ी संख्या में ऐसे तत्वों को गढ़ लिया है, जो जेंडर रूढ़िबद्धताओं को पुष्ट करते हैं। केवल यही नहीं कि कुछ विशिष्ट भाषाविदों सहित अनेक विद्वानों ने स्त्री आवाज़ को 'मामूली' और 'मोतियों की लड़ी' अर्थात निरर्थक घोषित किया अपितु शब्दकोश का एक बड़ा भाग तथा वाक्य-विन्यासात्मक अभिव्यक्तियों में भी जेंडर भेदभाव को शब्दों में भर दिया है। पुरुष-महिला संवाद के विस्तृत विश्लेषण से यह भी जाहिर हुआ है कि किस प्रकार पुरुष पारंपरिक रणनीतियों का सहारा लेकर अपने मत को दृढ़ता से रखते हैं। पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग के बारे में जो परंपरा से प्राप्त धारणा हमारे दैनिक व्यवहार में लगातार उभरती रहती है वह कभी-कभी अनजाने में ही हमारी पाठ्यपुस्तकों द्वारा आगे संप्रेषित होती रहती है। तथ्य यह है कि 'ज्ञान की जेंडर निर्मिति' से जो नुकसान हुआ है वह उत्तरोत्तर प्रत्यक्ष होता जा रहा है।

भाषा, चित्रण एवं अन्य दृश्य साधनों सहित इस प्रकार के ज्ञान के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाती है, इसलिए भाषा के इस पक्ष पर अधिक ध्यान देना होगा। यह अत्यंत आवश्यक है

कि पाठ्यपुस्तक लेखक या लेखिका और शिक्षक यह समझना शुरू करें कि सामान्यतः महिलाओं को दी जाने वाली निष्क्रिय और सम्मानजनक भूमिकाएँ सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से निर्मित की जाती हैं, जिन्हें यथाशीघ्र नष्ट करने की जरूरत है। महिलाओं के स्वर अपने पूरे गौरव के साथ हमारी पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण कार्यनीतियों में गुंजायमान होने चाहिए।

जेंडर-अनुकूल भाषा को प्रोत्साहित करने में शिक्षक महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक जब शिक्षार्थियों से संवाद करते हैं, तो उन्हें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भाषा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विचार और व्यवहार दोनों को प्रभावित करती है। इसमें शिक्षार्थियों को संबोधित करना, संदर्भ के लिए क्रियाकलापों और सामग्री का विकास करना तथा अभिवावकों और समुदाय के साथ अंतःक्रिया करते समय भाषा का सामान्य प्रयोग शामिल रहता है।

2.3 उद्देश्य

- जेंडर विहीन और जेंडर मुक्त भाषा में अंतर समझना।
- जेंडर निरपेक्ष भाषा का प्रयोग।
- जेंडर भेदभाव वाली अभिवृत्तियों की पहचान और व्यवहार तथा उनका सुधार।
- जेंडर संवेदी दृश्य सामग्री और चित्रों को समझना तथा उनका प्रयोग करना।
- जेंडर अनुकूल प्रविधियों का प्रारूपण और कक्षा में उनका प्रयोग।
- जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करने वाले शिक्षण क्रियाकलापों और सामग्रियों का विकास और उपयोग।

2.4 जेंडर रूढ़िबद्धताकरण

यदि सावधानी से भाषा का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएँगे कि रूढ़िबद्धतापरक तत्व भाषा में बड़ी संख्या में हैं। ये जेंडर रूढ़िबद्धता को पोषित करते हैं। ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों के प्रयोग, जो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमतर सिद्ध करते हैं वे हमारे पूर्वाग्रहों का हिस्सा बन जाते हैं। भाषा के विस्तृत विश्लेषण में यह भी पाया गया है कि पुरुषों और महिलाओं की बातचीत अनेक मायनों में भिन्न होती है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की धारणाएँ लगातार हमारे व्यवहार में बदलती रहती हैं। इसका कारण है कि हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं को उपलब्ध कराए जाने वाले अवसर भिन्न-भिन्न होते हैं। इन बाधाओं को दूर करने और ऐसी भाषा विकसित करने की आवश्यकता है, जो जेंडर समावेशी हो। महिलाओं को अकसर निष्क्रिय और भेदपरक भूमिकाएँ देने की परिपाटी है, उसे भी समाप्त करना होगा।

जेंडर हमारी व्यवस्थाओं, व्यवहार, आस्थाओं आदि में गहराई से व्याप्त है और यह हमें पूर्णतः स्वाभाविक प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए 'चेयरमैन सभा को संबोधित करेंगे'। यह उक्ति समावेशी हो जाएगी यदि इसे 'चेयरपर्सन सभा को संबोधित करेंगे' के रूप में कहा जाए। संवाद, हँसी-मज़ाक और द्वंद्व, सभी जगह जेंडर देखा जा सकता है।

हमारा समाज हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है। 18वीं शताब्दी तक 'मैन' कहने का अर्थ पुरुष ही होता था। एडमंड बुर्के ने पहली बार अपनी पुस्तक फ्रेंच रिवोलुशन में 'मैन' शब्द को (दोनों लिंग) कोष्ठक में लिखा और तभी उन्होंने इसे स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया।

2.5 जेंडर निरपेक्ष भाषा

जेंडर निरपेक्ष भाषा का जेंडर रहित भाषा के साथ घालमेल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका तात्पर्य व्याकरणिक जेंडर रहित भाषा से है।

'मैन' शब्द को फिर से उदाहरण के लिए लेते हैं। 'मैन' कोई जातीय शब्द नहीं है। हमें इन शब्दों के विकल्प खोजने चाहिए। कुछ विकल्प हैं, जैसे कि मानव (ह्यूमन बीइंग), मनुष्य (ह्यूमन्स) अथवा मानवता (ह्यूमैनिटी)। हमारी भाषा जेंडर समावेशी और जेंडर निरपेक्ष होनी चाहिए। इन स्थितियों में मनुष्य, लोग और व्यक्ति जैसे जेंडर निरपेक्ष शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें सचेतनता से इस पर अमल करना होगा। समानांतर शब्दों के लिए पर्याप्त विकल्प हैं और इन्हें प्रयुक्त किया जा सकता है।

जेंडर निरपेक्ष भाषा का तर्क है कि भाषा में ऐसे विकल्प बड़ी संख्या में है जिन्हें वक्ता और लेखक उपयोग में ला सकते हैं। इस बात को अब शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि भाषा केवल हमारी सोचने की शैली को ही नहीं प्रदर्शित करती है अपितु एक सशक्त साधन के रूप में हमारे चिंतन को भी निर्धारित करती है।

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप

यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। दिए गए खाली स्थान में उनके जेंडर निरपेक्ष रूप लिखिए। इस खंड के अंत में दी गई शब्द सूची से आप अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं—

1. stewardess (स्टूअर्डस) ....
2. policeman (पुलिसमैन) ....
3. mailman (मैलमैन) ....
4. chairman (चेयरमैन) ....
5. spokesman (स्पोक्समैन) ....
6. anchor man (एंकरमैन) ....
7. poetess (पोएटेस) ....
8. actress (एक्ट्रेस) ....
9. man, mankind (मैन, मैनकाइंड) ....
10. manpower (मैनपॉवर) ....
11. wife or husband (पत्नी अथवा पति) ....
12. mothering (मदरिंग) ....
13. foreman (फोरमैन) ....
14. salesmanship (सेल्समैनशिप) ....
15. housewife (हाउसवाइफ) ....

2.6 पाठ्यपुस्तकें और जेंडर निरपेक्षता

पोजीशन पेपर नेशनल फोकस ग्रुप ऑन टीचिंग ऑफ़ इंडियन लैंग्वेजेज – (रा.शै.अ.प्र.प., 2006) के अनुसार "हमारे व्यवहार में पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग से संबंधित धारणाएँ लगातार बदलती रहती हैं और कभी-कभी शायद अनजाने में ही हमारी पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से आगे संप्रेषित होती रहती हैं।" पाठ्यपुस्तकों पर विभिन्न देशों में किए अध्ययन बतलाते हैं कि महिला प्रतिभागियों की संख्या पुरुष प्रतिभागियों से काफ़ी कम है तथा वे घरेलू और पालन-पोषण की सीमित भूमिकाएँ ही निभाती नज़र आती हैं, (सिनकोट्टा, 1978; पोर्रेका, 1984; गुप्ता और ली, 1990; लॉ एंड चान, 2004)। लिखित पाठ और दृश्य-चित्रों दोनों में पुरुष वर्चस्व को ही दिखाया गया है। महिलाओं को अधिकतर घरों में कार्य करते दिखाया गया है। उदाहरण के लिए घरेलू कार्य करती हुई अथवा पारंपरिक महिला कार्य, जैसे— अध्यापिका, परिचारिका, मॉडल, लिपिका आदि में जबकि पुरुषों को कार्य-व्यवहार स्थलों पर, खेलों और आमोद-प्रमोद क्रियाकलापों आदि में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भूमिकाओं में दिखाया गया है।

विद्यार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे पाठ्यपुस्तकों की सामग्री को आत्मसात कर उसे सविवरण प्रस्तुत करें, अतः इस प्रकार की सामग्री में विद्यार्थियों को उनकी संवेदनशील आयु के दौर में प्रभावित करने की क्षमता है। इसके साथ यह भी जानना होगा कि हमारे अधिकतर भाषा पाठ्यक्रम प्रारूपित संरचनाओं और मशीनवत अभ्यासपरक स्वरूप के हैं। यदि इन्हें जेंडर संबद्ध सामग्री पर आधारित कर दिया जाए तो यह अवचेतन स्तर पर लैंगिकतावादी रुझान के विकास में योगदान कर सकते हैं।

यदि पारंपरिक रूढ़ियाँ बनी रहती हैं तो पाठ्यपुस्तकों में महिला पात्रों अथवा चित्रों को मात्र बढ़ा देने से भी लैंगिकतावादी रुझान को नहीं बदला जा सकता है। भाषा में लैंगिकतावाद की

© NCERT not to be republished

महिलाओं और पुरुषों के रूढ़िबद्धतापूर्ण चित्रण के उदाहरण

अभिव्यक्ति पुल्लिंग संज्ञा (जैसे— मैन, पुलिसमैन आदि) तथा पुल्लिंग सर्वनाम *हिम* (Him), *ही* (He) में देखी जा सकती है जब इसे आम लोगों को सामान्य संबोधित अथवा उन लोगों को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका लिंग ज्ञात नहीं होता है। अनेक शिक्षाविद् और समाजशास्त्री इस प्रकार के प्रयोग का विरोध करते हैं, क्योंकि (1) इससे लोगों को यह भ्रम होता है कि क्या पुरुष और महिला दोनों को संबोधित किया जा रहा है अथवा केवल पुरुष को ही, और (2) किए गए अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जब पुल्लिंग प्रजाति के शब्दों का प्रयोग होता है तो लोग महिलाओं का बस अनुमान लगा लेते हैं। सामान्यतः पाठ्यपुस्तकों में पुल्लिंग प्रजातिगत शब्दों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा *ही* (He) या *शी* (She), *हिम* (Him) या हर (Her) जैसी युगल सर्वनाम अभिव्यक्तियों की रणनीति अपनाकर किया जा सकता है।

सर्वनामों के विकल्पों के साथ हमें जेंडर निरपेक्ष भाषिक शब्दों के प्रयोग के प्रति भी संवेदी होने की जरूरत है। इस प्रकार हम जेंडर तटस्थता को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम छद्म प्रजातीय शब्दों के प्रयोग से बच सकते हैं, जैसे— *मैन* सामासिक शब्द (*चेयरमैन, स्पोक्समैन, सेल्समैन, फोरमैन* आदि) तथा इसी प्रकार अभिहित रूप जैसे— (महिला डाक्टर, महिला शिक्षक आदि) और संतुलित पदबंधों, जैसे— महिला और पुरुष पत्रकार तथा कैमरामैन या कैमरा वूमेन आदि। इसी प्रकार सम्मानसूचक *मिस्टर, मिस* तथा *मिसेज* को *मि.* और *मिस.* में परिवर्तित किया जाए ताकि जेंडर भूमिकाओं की तरफ ध्यान न जाए।

हमें पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं का चित्रण करते हुए चित्रों या चित्रण के उपयोग के बारे में भी सावधान रहने की आवश्यकता है। यह कहीं भी पाया जा सकता है कि चित्र परंपरागत रूप से जेंडर भूमिकाओं को सुदृढ़ करते हैं— विभिन्न प्रकार के घरेलू कामों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक भागीदारी होती है। दूसरी ओर, गैर-घरेलू गतिविधियों में पुरूष पात्रों की अधिक भागीदारी होती है जैसे बाहर के कार्य और खेल।

2.7 जेंडर निरपेक्ष भाषा के प्रयोग

आज दोनों ही जेंडरों के भेदभावपरक और रूढ़िबद्धतापूर्ण स्वरूप निर्धारण से बचने की रणनीतियों की आवश्यकता है। इसमें जेंडर समावेशी शब्दों, वैकल्पिक सर्वनामों जैसे *ही* और *शी*, पुरुष और स्त्री को समावेशित करते संतुलित पदबंध, रूढ़िबद्ध भूमिकाओं से आगे महिलाओं का वृहत्तर स्तर के क्रियाकलापों में प्रतिनिधित्व और व्यावसायिक भूमिकाओं तथा व्यक्तिगत विशिष्टताओं में महिलाओं एवं पुरुष पात्रों की बराबरी की उपस्थिति की आवश्यकता है। *नेशनल फ़ोकस ग्रुप ऑन टीचिंग ऑफ़ इंडियन लैंग्वेजेज (रा.शै.अ.प्र.प. 2005) के आधार पत्र* में संस्तुत किया गया है कि "यह अत्यंत आवश्यक है

© NCERT not to be republished

कि पाठ्यपुस्तक लेखक और शिक्षक यह समझाना शुरू करें कि सामान्यतः महिलाओं को दी जाने वाली निष्क्रिय और भेदपरक भूमिकाएँ सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से निर्मित की जाती हैं जिन्हें यथाशीघ्र समाप्त करने की जरूरत है। महिलाओं के स्वर अपने पूरे गौरव के साथ हमारी पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण कार्यनीतियों में गुंजायमान होने चाहिए।"

ऐसी भाषा के प्रयोग से बचें जो—

- जिसमें वक्रोक्ति कथन हो (दोहरा अर्थ निकलता हो)
- जो आक्रामक हो
- जो पक्षपातपूर्ण हो
- जो अपमानजनक हो

क्रियाकलाप

जेंडर मुक्त भाषा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों का पुनर्लेखन कीजिए—

1. आचार्य को पूर्वनिश्चित दिशानिर्देशों के अनुसार अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को संशोधित करना चाहिए?
   A professor should correct his students' papers according to this set of predetermined guidelines.
   ....
   ....

2. ऐतिहासिक काल से ही आदमजात किसी न किसी रूप में घोड़ों का इस्तेमाल करता रहा है।
   From the beginning of time, mankind used horses in one way or another.
   ....
   ....

3. क्या कुछ नए पुरुष ऐसे हैं जो लेखन केंद्र में काम करना चाहते हैं?
   Are there any freshmen who would like to work in the Writing Center?
   ....
   ....

4. परिचारिका ने उस दिखावा करने वाले भद्रपुरुष को मुर्गी टिक्का परोसा।
   The stewardess served the chicken tikka to the pompous gentleman.
   ....
   ....

5. शालिनी को उम्मीद थी कि डाक्टर अपनी राय देगा।
   Shalini was hoping a doctor would give his opinion.
   ....
   ....

© NCERT not to be republished

6. दानिश की दादी विवाह के पुराने किस्से-कहानियों में बताई गई पत्नियों के अनुसार रहती है।
Danish's grandmother lives by old wives' tales.
....
....

7. लेखिका मैरी हिग्गिंस क्लार्क ने बार्नेस एंड नोबल में एक पुस्तक हस्ताक्षर आयोजन किया।
The authoress, Mary Higgins Clark, hosted a book signing at Barnes and Noble.
....
....

8. हर्ष की माताजी से कहो कि वे आगे से उसके लिए बढ़िया लंच (दोपहर का भोजन) पैक करें।
Ask Harsh's mother to pack him a better lunch in the future.
....
....

9. ऑफिस की जॉर्डन तथा दूसरी लड़कियों ने सारे स्नैक्स खा लिए।
Jordan and the other girls from the office devoured the snacks.
....
....

जेंडर संवेदी पाठ्यसामग्री के कुछ उदाहरण

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में वर्णित सरोकारों के अनुपालन में बनाए गए पाठ्यक्रम पर आधारित रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा निर्मित पुस्तकों में से अंग्रेज़ी की पाठ्यपुस्तकों में सामग्री, चित्रों तथा क्रियाकलापों आदि का चयन किया गया है।

पाठ का चयन करते समय यह ध्यान रखा गया है कि इसमें विदेशी महिला लेखिकाओं के साथ-साथ भारतीय महिला लेखिकाओं को भी पर्याप्त स्थान दिया जाए। इस चयन में महिलाओं द्वारा लिखी गयी कहानियाँ और उनके अपने बारे में लिखे लेखों को शामिल किया गया है। लेखिकाओं में कमला दास, बामा, सुजाता भट्ट, तिशानी दोषी, वसंथा सूर्या, श्रद्धा द्विवेदी आदि के नाम शामिल हैं। कल्पना चावला, ज़ित्कला सा, संतोष यादव और ऐनी फ्रैंक जैसी महिलाओं की कहानियों को भी स्थान दिया गया है।

चित्रों में रूढ़िग्रस्त छवियाँ शामिल न हों इसका भी ध्यान रखा गया है। कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक *बीहाइव* का उदाहरण नीचे दिया गया है—

जेंडर समावेशी चित्रण का उदाहरण

इन क्रियाकलापों की रूपरेखा भी इस प्रकार बनाई गई है कि उसमें युगल कार्य, समूह कार्य और विचार साझा के लिए पर्याप्त अवसर हैं। इससे लड़के-लड़कियों को आपसी विचार-साझा तथा साथ-साथ सीखने के लिए समान अवसर मिलेंगे। कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक *हनीकांब* (पाठ 5, क्वालिटी) से लिया गया एक उदाहरण नीचे दिया गया है।

अजीत — मैंने उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया है।

अनीता — क्या तुमने निर्णय ले लिया है? शायद ही मैं ऐसा कर सकूँ। मैं अपने देश से प्यार करती हूँ।

बच्चों को, जोड़ों में अपने देश को छोड़ने के बारे में आपस में बातचीत करने दें।

© NCERT not to be republished

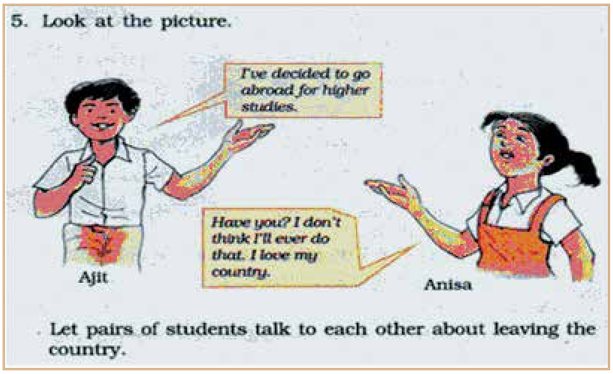

संवाद की समानता प्रदर्शित करते चित्र का उदाहरण

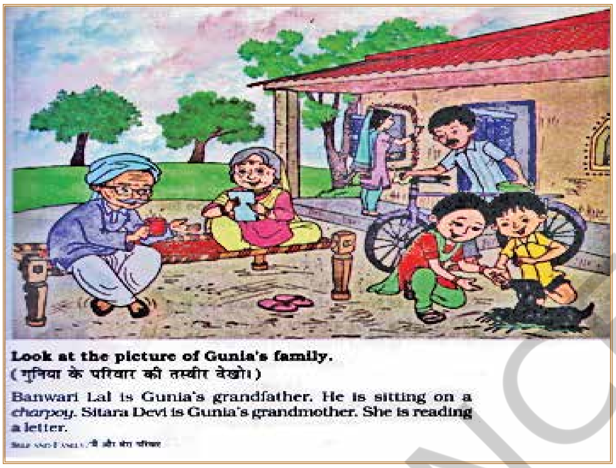

परिवार का ऐसा चित्रण जिसमें जेंडर भूमिकाओं को रूढ़िबद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया

चर्चा के लिए दिए गए क्रियाकलापों से छात्र-छात्राएँ जेंडर समानता के प्रति जागरूक हो सकेंगे। कक्षा 10 के लिए *सप्लीमेंट्री रीडर – फुटप्रिंट विदआउट फीट* में ए.के. अब्बास द्वारा लिखी कहानी 'भोली' का एक उदाहरण यहाँ लिया जा सकता है। यह एक उपेक्षित लड़की की कहानी है जिसमें लड़कियों की शिक्षा का मुद्दा उठाया गया है। चर्चा के लिए दिए गए प्रश्नों के माध्यम से लड़कियों को शिक्षित करने का सामाजिक मुद्दा इसमें उठाया गया है।

इस पर भी चर्चा कीजिए—

भोली के शिक्षक ने उसे प्रोत्साहित और प्रेरित कर सामाजिक बाधाओं से उबरने में मदद की। कहानी में वर्णित सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में आप कैसे सहयोग कर सकते हैं?

क्या लड़कियों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए और उनका दावा करना चाहिए? क्या लड़कियों और लड़कों के अधिकार, कर्त्तव्य तथा सुविधाएँ बराबर होनी चाहिए? समाज में इन्हें किन-किन तरीकों से उन्हें अलग-अलग देखा जाता है? जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं, तो क्या हम लड़कियों और लड़कों के अधिकारों में भेदभाव करते हैं?

नमूना क्रियाकलाप

हमारे वाक् व्यवहार में संज्ञा से सर्वनाम का सीधा संबंध होता है, परंतु क्या शिक्षक, छात्र जैसी संज्ञाओं की स्थिति इससे भिन्न है? इसीलिए हमारी पाठ्यपुस्तकों में *ही* या *शी* दोनों का ही प्रयोग किया गया है।

2.8 संदर्भ

- एक्सार्नकुल नैमटिप. 2004. जेंडर सेंसिटिविटी — ए ट्रेनिंग मैनुअल. संपादक. किंडी जार्गर और एलन टेलर, पेरिस, युनेस्को.
- जेंडर फ्री लैंग्वेज http://a4esl.org/q/h/dt/genderfree.html 20 सितंबर 2011 को प्रात 8:12 पर देखा गया.
- रा.शै.अ.प्र.प. 2005. नेशनल फोकस ग्रुप ऑन टीचिंग इंग्लिश, पोजिशन पेपर. *रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.*
- ———. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005.* रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

सुझाई गई सामग्री

- ओयेनियी, आयेबोला. जेंडर इश्यूज इन टेक्स्टबुक डेवलपमेंट — ए स्टडी ऑफ़ जेंडर बैलेंस इन इलस्ट्रेशन्स ऑफ़ सेलेक्टिड टेक्स्टबुक फॉर अपर प्राइमरी लेवल. नाइजीरियन एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एबुजा.
- जेनेट, जेंकिंग. 1995. प्रोड्यूसिंग जेंडर सेंसिटिविटी लर्निंग मैटीरियल्स. द कॉमनवेल्थ ऑफ़ लर्निंग, कनाडा.
- बंदोपाध्याय, मधुमिता और रम्या, सब्रमण्यम. 2008. जेंडर इक्विटी इन एजुकेशन — ए रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स एंड फैक्टर. क्रिएट पाथवे टू सक्सेस-रिसर्च मोनोग्राफ. 8 अप्रैल. ससेक्स विश्वविद्यालय, यू.के.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 3

पाठ्येतर सामग्री और जेंडर संवेदनशीलता

मॉड्यूल की रूपरेखा

3.1 परिदृश्य
3.2 भूमिका
3.3 उद्देश्य
3.4 पाठ्येतर सामग्री की आवश्यकता
3.5 पाठ्येतर सामग्री का चयन
3.6 जेंडर संवेदनशीलता और क्रमिक पुस्तकमाला — बरखा
3.7 पाठ्येतर सामग्री — चित्र, कविता, कहानी आदि
3.8 शिक्षक की भूमिका
3.9 संदर्भ

3.1 परिदृश्य

एक शिक्षक का उत्तरदायित्व केवल विषय का ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि बच्चों में परस्पर सद्भाव, परिवेशीय सजगता, संवेदनशीलता आदि का विकास करना भी है। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान पाठ्यपुस्तक के साथ-साथ पाठ्येतर सामग्री का भी उपयोग किया जाए, तो बच्चों में मूल्यों के विकास के साथ-साथ सीखना आनंददायी बनाया जा सकता है। जेंडर का मुद्दा मानवता का मुद्दा है। जेंडर संबंधी मुद्दों के प्रति सकारात्मक सोच लाने में पाठ्येतर सामग्री एक बहुत अच्छा साधन बन सकती है। पाठ्येतर सामग्री की आवश्यकता क्या है? इसका चयन कैसे करें? पाठ्येतर सामग्री के उपयोग में शिक्षक की भूमिका आदि की चर्चा यहाँ की जा रही है।

3.2 भूमिका

संविधान के अंतर्गत धर्म, जाति, वंश और लिंग आदि आधारों पर सबको समानता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्र भारत में बदलते समाज के साथ महिलाओं की स्थिति में भी बदलाव आया है। उनकी साक्षरता दर बढ़ी है, वे आत्मनिर्भर हुई हैं, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में उन्होंने अपनी पहचान बनाकर यह सिद्ध कर दिया है कि समान अवसर मिलें तो वे आसमान की बुलंदियों को छू सकती हैं। लेकिन इन बदलावों के बावजूद महिलाओं को लेकर हमारी सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं, मानक व्यवहारों और सोच में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है।

जेंडर आधारित भेदभाव जनित रूढ़िग्रस्त मानसिकता में बदलाव लाना एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना शिक्षा व्यवस्था में सुनियोजित बदलाव लाकर किया जा सकता है। इसके लिए अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीच में ही पाठशाला त्यागने वाली बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजना की शुरुआत भी की गई है। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि जेंडर समानता के दृष्टिकोण का विकास करने वाली विषय सामग्री का समावेश इनमें किया जाए।

© NCERT not to be republished

पाठ्यपुस्तकें शिक्षण का एक साधन हैं, एकमात्र साधन नहीं। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ पाठ्येतर सामग्री का भी उपयोग किया जाए तो सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाया जा सकता है। विशेषत: लिंग संबंधी मुद्दों के लिए जहाँ संवेदनशीलता अति आवश्यक है, इस प्रकार की पाठ्येतर सामग्री के माध्यम से कक्षा में इन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

3.3 उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप—

- *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में पाठ्येतर सामग्री के संबंध में की गयी संस्तुतियों से अवगत होंगे।
- पाठ्येतर सामग्री की आवश्यकता, चयन तथा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में उसके उपयोग से परिचित होंगे।
- बच्चों में पाठ्येतर सामग्री द्वारा जेंडर संवेदनशीलता का विकास कर सकेंगे।
- बच्चों में दिन-प्रतिदिन की परिस्थितियों, जेंडर के मुद्दे के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न कर सकेंगे।

3.4 पाठ्येतर सामग्री की आवश्यकता

आमतौर पर पाठ्यपुस्तक को पाठ्यचर्या की मुख्य कार्यस्थली माना जाता है। यह सच है कि पाठ्यपुस्तक बच्चों को तथ्यात्मक विषयगत जानकारी के साथ अंत:क्रिया के अवसर भी देती है। लेकिन पाठ्यपुस्तकों के साथ अन्य सामग्री भी विकसित की जाए तो पाठ्यचर्या को और भी रोचक तथा ग्रहणीय बनाया जा सकता है। अतिरिक्त पठन सामग्री की आवश्यकता को कोई भी नकार नहीं सकता है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पठन सामग्री की आवश्यकता पर बल देती है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है और शिक्षकों को इस संस्कृति का हिस्सा बनकर स्वयं उदाहरण पेश करना चाहिए। इसके लिए स्कूल और सामुदायिक स्तर पर पुस्तकालयों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। यह मान्यता है कि कथा-उपन्यास पढ़ना समय नष्ट करना है, पठन को हतोत्साहित करने का बड़ा कारण है। सभी स्कूली विषयों और स्कूल के सभी स्तरों पर पूरक पठन-सामग्री का विकास और उनकी आपूर्ति की तत्काल आवश्यकता है। इस प्रकार की काफ़ी सामग्री बाजार में उपलब्ध है, यद्यपि उनकी गुणवत्ता में काफ़ी अंतर है, परंतु उनका कक्षा में पठन-पाठन के दौरान उपयोग किया जा सकता है। कक्षा में व्यवस्थित रूप से ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाए तो विषयों के शिक्षण में विस्तार होगा, लेकिन विद्यालयों में पढ़ने का संबंध केवल पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित होकर रह जाता है। शिक्षक सोचते हैं कि पुस्तकों को पढ़ाना ही पाठ्यक्रम पूर्ण करना है और यही उनका लक्ष्य है। अभिभावक भी स्कूल से यही अपेक्षा रखते हैं। स्कूल बच्चों को इस तरह पढ़ना नहीं सीखा पाते कि वे अपने आप किताबें ढूँढ़ें और जानकारी के लिए पढ़ें, आनंद के लिए पढ़ें और उनमें पढ़ने की स्थायी रुचि विकसित हो। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों को ऐसी सामग्री से परिचित कराए जाने की आवश्यकता और उन्हें ऐसे मानदंड बताए जाने की ज़रूरत की संस्तुति करती है ताकि वे प्रभावी ढंग से पठन सामग्री का चुनाव और उपयोग कर सकें।

पाठ्यपुस्तक से इतर पाठ्यसामग्री बच्चों को बहुत आकर्षित करती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन्हें पढ़ने के दौरान बच्चों को इस बात की चिंता नहीं रहती कि पढ़ने के बाद प्रश्न पूछे जाएँगे। इसके साथ ही पाठ्येतर सामग्री अवकाश के समय में पढ़ने के लिए या मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है जिस कारण बच्चे बिना लोभ के, पढ़ने के लिए पढ़ना या खेल के लिए इन्हें पढ़ते हैं। दूसरा कारण इनका स्वरूप है। रोचक कविता और कहानी की किताबें सहज ही बच्चों में पढ़ने की ललक जाग्रत करती हैं। पाठ्येतर सामग्री का आकार पाठ्यपुस्तक की भाँति एक निश्चित ढाँचे में नहीं होता। विभिन्न आकार की किताबें बच्चों को अच्छी लगती हैं। पाठ्यपुस्तक से हटकर इनमें चित्र भी रंगीन तथा बड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें विधाओं का फलक विस्तृत होता है। कहानी, कविता, नाटक बच्चों को अच्छे लगते हैं। किताबें यदि कहानी की हों तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कहानियाँ बच्चों को लुभाती हैं और कहानियाँ यदि उनके अपने परिवेश, जीवन से जुड़ी हों तथा कहानियों के ताने-बाने में लड़के-लड़कियों के एक साथ खेलने-कूदने, तरह-तरह की शरारतें करते, एक तरह के खेल खेलने, लड़कियों द्वारा अपनी बात का मान रखवाने जैसी बातें बुनी गई हों तो नन्हें बच्चों के दिलों में जेंडर समानता का भाव पनपते देर नहीं लगती। एक बार यह भाव मन-मस्तिष्क में एक गहरी समझ के साथ अंकुरित हो गया तो ताउम्र बना रहता है।

© NCERT not to be republished

आत्मबोध

1. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* पाठ्येतर सामग्री की आवश्यकता पर क्यों बल देती है?
   ....
   ....
2. पाठ्येतर सामग्री पाठ्यपुस्तकों से किस प्रकार भिन्न है?
   ....
   ....
3. क्या आपने शिक्षण के दौरान पाठ्येतर सामग्री का प्रयोग किया है, शिक्षण-अधिगम के संदर्भ में उस सामग्री का विश्लेषण या विवेचन कीजिए।
   ....
   ....

3.5 पाठ्येतर सामग्री का चयन

पाठ्येतर सामग्री अपनी विविधता और रोचकता के कारण बच्चों को आनंदप्रद लगती है। इसलिए विषय ज्ञान देने के साथ ही बच्चों में मूल्यों के विकास हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है। सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि किस प्रकार की अतिरिक्त पठन-सामग्री का चयन किया जाए जो कि बच्चों में जेंडर समानता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करे।

चयन के आधार बिंदु

- पाठ्येतर सामग्री बच्चों की आयु, रुचि तथा परिवेश के अनुकूल हो।
- भाषा सरल तथा सरस हो।
- विधाओं का विस्तृत फलक हो। विभिन्न विधाएँ कविता, कहानी, नाटक, भेंटवार्ता, समाचार, लोककथा, लोकगीत आदि का चयन बच्चों की भाषा की कक्षा में रुचि बनाए रखने में सहायक होगा।
- आमतौर पर किताबों में लड़कों को साहसी कार्य करते, अपनी विवेकशीलता का परिचय देते, निर्णय लेते दर्शाया जाता है और लड़कियों के कार्यक्षेत्र का दायरा घरेलू कार्यों, उनकी दूसरों पर निर्भरता, उनमें निर्णय लेने की क्षमता का सर्वथा अभाव दिखाया जाता है। लड़कों के मर्दानगी (पुरुषार्थ) से भरपूर कार्यों का चित्रण होता है जो कहीं-न-कहीं जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है और साथ ही जेंडर असमानता को बढ़ावा देता है। ऐसी किताबों का चयन करें जो इन परंपराओं को तोड़ती हों, जिनकी बालिका पात्र वे सब कार्य करती हैं जो उनके समवयस्क लड़के करते हैं। साथ ही यदि किताब पितृसत्ता या पुरुष वर्चस्व व रूढ़िबद्धता को दर्शाती भी है तो बच्चों के सामने सवाल खड़े किए जा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि बिना सवाल किए मान ली गई परंपराओं में बदलाव की आवश्यकता नहीं। इस विषय में संवेदनशीलता बदलाव के लिए एक पहल हो सकती है। इसलिए बच्चों को आपस में चर्चा करने का मौका मिले। बच्चे तर्क दें। अपने विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करें। कक्षा तथा कक्षा के बाहर बच्चों द्वारा की गयी चर्चा उनकी सोच में सकारात्मक बदलाव अवश्य लाएगी।
- ऐसी अनेक किताबें सुलभ हैं जिनमें वीर महिलाओं, जैसे— रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गाबाई, कित्तूर की रानी चेनम्मा आदि की गाथाएँ हैं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीर बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में इन बच्चों द्वारा किए गए साहसिक कार्यों का उल्लेख रहता है। साहसी बालिकाओं से संबंधित सामग्री एकत्रित कर कक्षा में उस पर बातचीत करें तो ऐसी सामग्री निश्चित ही पाठक बच्चों को भी ऐसा ही कुछ साहसिक कार्य करने की प्रेरणा देगी। साथ ही अपने अंदर निहित शक्तियों को टटोलने का एक मौका भी देगी। कई बार लोग क्या कहेंगे, ऐसा सोचकर क्षमता होते हुए भी हम उस कार्य को करने का संबल नहीं जुटा पाते। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की पाठ्येतर सामग्री बच्चों को विशेष रूप से बालिकाओं को आत्मविश्वासपूर्वक निर्णय लेने और कदम उठाने की ओर अग्रसर करेगी।
- इसी प्रकार शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल आदि विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाली महिलाओं से संबंधित सामग्री का कक्षा में उपयोग जहाँ बालिकाओं के हृदय में कुछ विशेष करने की भावना का संचार करेगा, वहीं बालकों

© NCERT not to be republished

को भी यह अहसास कराएगा कि समय और समान अवसर मिलें तो लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बालक भी कई ऐसे कार्य करने के लिए उत्सुक व आतुर हो सकते हैं, जो सामाजिक मान्यताओं व रूढ़िबद्धता के कारण उनके लिए वर्जित हैं।

- सांस्कृतिक दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है। यहाँ हर प्रदेश में अपनी लोककथाएँ हैं। आमतौर पर लोककथाओं में नारी पात्रों को लेकर पूर्वाग्रह हैं, लेकिन अनेक लोककथाएँ ऐसी हैं जिनमें नारी पात्रों को अपनी सूझ-बूझ का परिचय देते हुए वीरतापूर्ण कारनामे करते चित्रित किया गया है। ऐसी ही लोककथाओं का चयन करें। ऐसी लोककथाओं को सुनने या पढ़ने के दौरान बच्चों के हृदय में स्वत: ही यह सोच विकसित होती है कि महिलाएँ बहादुरी में किसी से कम नहीं हैं। इस प्रकार की कुछ लोककथाओं के उपयोग के बाद ऐसी लोककथाएँ भी बच्चों को सुनायी जा सकती हैं अथवा उन्हें पढ़ने को दी जा सकती हैं जिनमें नारी पात्र की छवि सकारात्मक नहीं है। लोककथा सुनाने या पढ़ने के बाद बच्चों से उस नारी पात्र के बारे में चर्चा की जा सकती है। पूर्व में पठित नारी की सकारात्मक छवि वाली लोककथाएँ निश्चित रूप से बच्चों को चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगी और वे स्वयं ही अपनी बात कहने को उद्यत होंगे। इस प्रकार की चर्चाएँ एक अच्छा माध्यम है। कक्षागत वाद-विवाद के जरिए यदि किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाए तो वह तर्कसंगत होगा व लंबे समय तक मानस पटल पर रहेगा।

आत्मबोध

1. लोककथाएँ किस प्रकार जेंडर के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण में सहायक हैं? एक उदाहरण द्वारा दर्शाएँ।

   ....

   ....

2. जेंडर समानता के दृष्टिकोण के विकास हेतु किस प्रकार की पाठ्येतर सामग्री का चयन करना चाहिए?

   ....

   ....

3.6 जेंडर संवेदनशीलता और क्रमिक पुस्तकमाला बरखा

अतिरिक्त पठन सामग्री के रूप में पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली द्वारा विकसित *क्रमिक पुस्तकमाला— बरखा* की चालीस कहानियाँ पाँच कथावस्तुओं में पिरोई गई हैं। बच्चों के जीवन से जुड़ी ये कहानियाँ बच्चों को अनुमान लगाकर पढ़ने का अवसर देती हैं, साथ ही जेंडर के मुद्दे को लेकर स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास भी अत्यंत सहजता से करती हैं। इसलिए पुस्तकमाला की कहानियाँ यहाँ उदाहरण स्वरूप दी जा रही हैं।

बुद्धि कौशल का परिचय देती बालिकाएँ

बरखा की कहानियों में गूँजते बालक-बालिकाओं के समान स्वर— कहानियाँ चाहे वे पाठ्यक्रम के पन्नों पर छपी हों या पाठ्येतर किताबों में, इनमें अधिकतर तर्कसंगतता, सोचने और तरकीब सुझाने जैसे बुद्धि कौशल से भरपूर कार्य अधिकतर लड़कों के ही ज़िम्मे रहते हैं। इसके पीछे रूढ़िग्रस्त सोच रहती है कि चिंतन कौशल से लड़कियों का क्या वास्ता? *बरखा* की कहानियों ने इस मिथक को तोड़ा है। *बरखा* की पाँच कथावस्तुओं की बालिका पात्र बबली, तोसिया और मिली

© NCERT not to be republished

बुद्धि, चातुर्य, सूझ-बूझ में अपनी सानी नहीं रखतीं। कहानी 'झूला' में जीत कहता है कि उसे झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है। जीत और बबली झूला ढूँढ़ने लगते हैं। दोनों पेड़ की डाली पर लटककर झूलते हैं, पर उन्हें ज्यादा मज़ा नहीं आता। फिर लोहे के पाइप पर लटककर झूलते हैं। इतने में बबली की नज़र एक टायर पर पड़ती है। उसे झट एक तरकीब सूझती है कि क्यों न टायर को लटकाकर उसे ही झूला बनाया जाए! वह टायर को हवा में उछालती है। टायर पेड़ की डाली पर जाकर लटक जाता है। जीत उछलकर टायर पर बैठ जाता है और बबली पीछे से धीरे-धीरे उसे झुलाने लगती है। इस प्रकार इस कहानी में बबली न केवल अपनी बुद्धि का परिचय देकर झूलने का तरीका सुझाती है, बल्कि टायर को उछालकर पेड़ में लटकाती है और झूला बनाती है। इतना ही नहीं अगर यह कहानी आम पारंपरिक कहानी होती तो इसमें लड़की झूले पर बैठती और लड़का उसे झुलाता, लेकिन पर इस कहानी में बबली जीत के झूले पर बैठने पर झूले को झुलाती भी है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे आस-पास ऐसा नहीं होता है या होता था, किंतु इस प्रकार के उदाहरणों को प्राय: नज़रअंदाज़ करने की एक प्रवृति दिखती है। यह पुस्तकमाला अपवाद स्वरूप समानता के भाव को संजोये हुए काफ़ी हद तक वास्तविकता को उजागर करती है।

इसी प्रकार से सूझ-बूझ का परिचय बबली देती है कहानी 'आउट' में। वह क्रिकेट खेलने का प्रस्ताव रखती है। खेलते-खेलते गेंद खोजने पर जीत के कहने पर कि गेंद तो है ही नहीं, वह कपड़े की कतरनों से गेंद बनाती है। 'बबली का बाजा' कहानी में भी घर की सफ़ाई के दौरान बबली को एक डिब्बा मिलता है जिसे बजाने पर वह बजता है। उस डिब्बे के अंदर चावल के दाने हैं। बबली उस डिब्बे को लेकर सो जाती है। रात में चूहा चावल खा लेता है। दूसरे दिन बबली माँ से चावल माँगती है तो माँ कहती हैं कि चावल खेलने की चीज़ नहीं है। बबली उदास हो जाती है। वह छत पर जाती है। रस्सी पर टंगे कपड़ों को देखकर उसे एक उपाय सूझता है। वह सलवार से नाड़े को निकालकर, डिब्बे के दोनों ओर छेदकर बाँधती है और ढोलक बना देती है।

इस प्रकार अपनी तत्पर बुद्धि से समस्या को सुलझाती हुई ये नन्हीं बालिकाएँ अपनी हमउम्र पाठक बालिकाओं को भी ऐसा ही कुछ करने का संदेश तो देती हैं, साथ ही बच्चों के हृदय में भी यह बात बैठा देती हैं कि लड़कियाँ किसी भी दृष्टि में लड़कों से कमतर नहीं हैं। अवसर मिले तो सब कुछ कर सकती हैं। बहुत-सी लड़कियाँ बबली की तरह सोचती होंगी पर अवसरों व प्रोत्साहन के अभाव में अपनी समझ तथा कौशल को उजागर नहीं कर पातीं।

स्वतंत्र अस्तित्व रखती बालिकाएँ

आज लड़कियाँ हर क्षेत्र में लड़कों से बराबर का मुकाबला कर रहीं हैं। वे किसी भी कार्य में लड़कों से पीछे नहीं हैं। वे हर काम करना चाहती हैं, सब कुछ सीखने की ललक उनमें है। 'मिली की साइकिल' कहानी में मिली की साइकिल सीखने की इच्छा, फिर उसका साइकिल सीखना, आज की लड़की का सजीव चित्रण है। मिली की माँ द्वारा साइकिल सीखने में उसकी मदद करना भी आज के समाज की हर भारतीय माँ का प्रतिनिधित्व करता है, जो चाहती है कि उसकी बेटी आगे बढ़े और समय की रफ़्तार से चले। मिली अपने व्यवहार से पाठक बच्चों को अनेक संदेश देती है। मिली को छोटे खुले बाल रखना पसंद है। उसकी माँ जब उसकी चोटी गूँथती तो उसे दर्द होता। एक दिन वह एक तरकीब लड़ाती है और अपने पिता के

not to be republished © NCERT

संग बाज़ार जाकर बाल कटवा कर आती है। लौटकर घर आने पर माँ प्यार से उसके बालों में हाथ फेरकर उसे गले लगा लेती है। इस प्रकार मिली की अपनी इच्छा का मान रह जाता है। वह जता देती है कि उसका भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, अपनी इच्छाएँ हैं, पसंद-नापसंद हैं, जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए।

मिल-जुल कर कार्य करने वाले बालक पात्र

घर और रसोई से संबंधित काम लड़कियों के ही लायक माने जाते हैं और अकसर कहानी की किताबों में महिला पात्र ही ये सब करते दिखाये जाते हैं। लेकिन *बरखा* के बाल पात्र जमाल और मदन रसोई के कार्यों में भरपूर रुचि लेते हैं। 'चाय' कहानी में जमाल के जुकाम से पीड़ित होने पर उसका दोस्त मदन उसके लिए अदरक, काली मिर्च की चाय बनाता है। 'फूली रोटी' में जमाल रोटी बनाने की कोशिश करता है और रोटी के फूलने पर बड़े गर्व से कहता है कि रोटी उसने बनायी है। 'भुट्टा' कहानी में घर में मेहमानों के आने पर माता-पिता की अनुपस्थिति में जमाल और मदन न केवल उनका स्वागत करते हैं बल्कि उनके लिए भुट्टा भी उबालते या भूनते हैं। 'चावल' कहानी में भी जमाल और मदन चावल बनाते हैं। 'पत्तल' कहानी में सभी बच्चे मिलकर पत्तल ढूँढ़ने का काम करते हैं। इस प्रकार *बरखा* की कहानियाँ सभी बच्चों में मिल-बाँटकर घर के कामों में हाथ बँटाने की भावना जगाती हैं।

खेल में अगुवाई करती बालिकाएँ

बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। इसलिए बच्चों की कहानियों में खेल ज़रूर शामिल रहते हैं। बरखा की चालीस कहानियों में भी बच्चों के खेलने-कूदने का चित्रण है। पर विशेषता यही है कि इन कहानियों में लड़कियों के खेल केवल गुड़िया खेलने या घर के अंदर खेले जाने वाले खेल खेलने तक सीमित नहीं हैं। वे कभी पतंग उड़ाती हैं तो कभी गिल्ली-डंडा भी खेलती दिखाई पड़ती हैं। खेल में अगुवाई भी करती हैं। 'गिल्ली-डंडा' कहानी में खेलने के दौरान गिल्ली तालाब में

© NCERT not to be republished

गिर जाती है तो बबली तालाब में कूदकर गिल्ली निकालती है और जोर से डंडा घुमाकर गिल्ली को हवा में उछाल देती है। इसी प्रकार 'छुपन-छुपई' कहानी में नाजिया खेल के दौरान ऊपर से कूदकर धप्पा करती है।

पतंग उड़ाना जैसे कुछ खेलों पर लड़कों का ही वर्चस्व छाया रहता है। अगर इनसे संबंधित किसी कहानी में बालिका पात्र हो, तो वह या तो भाई के लिए मांझा तैयार करती है या भाई के पतंग उड़ाने के दौरान उसे मांझा पकड़े दिखाया जाता

है। 'हमारी पतंग' कहानी इस भ्रम को भी तोड़ती है कि पतंग लड़के ही उड़ा सकते हैं। इस कहानी में तोसिया और मिली पतंग उड़ाने का भरपूर मज़ा लेती हैं और उनकी पतंगें आसमान छूती हैं। वह अपनी माँ के साथ मिलकर पतंग उड़ाती है। यह एक जेंडर मिथक तोड़ने का अच्छा उदाहरण हो सकता है जो प्राय: लड़कियों के लिए गैर-पारंपरिक माने जाने वाले खेल में माँ की स्वीकृति एवं भागीदारी को दर्शाता है।

बरखा की कहानियों में खेल के दौरान लड़कियाँ लड़कों से आगे भी रहती हैं। 'आउट' कहानी में बबली कपड़े की कतरनों से गेंद बनाती है। वह गेंद उठाती है, जीत बल्ला उठाता है। गेंद खुलकर हवा में फैल जाती है तो बबली उछलकर कपड़ा पकड़कर चिल्लाती है— आउट। इस प्रकार विजयश्री का ताज बबली ही पहनती है।

समान अवसर प्राप्त करती बालिकाएँ

हमारे समाज में अधिकतर लड़कियों के लिए संगीत केवल गायन तक ही सीमित कर दिया जाता है। वादन के क्षेत्र में उन्हें अवसर दिया भी जाता है तो हारमोनियम, सितार तक। लेकिन 'तबला' कहानी में बबली तबला बजाने की इच्छा जाहिर करती है और पिताजी कहते हैं कि सुबह बबली को तबला बजाना सिखाएँगे, शाम को जीत को। हालाँकि शुरुआत में जीत इस बात से नाराज़गी दिखाता है लेकिन जीत बाद में इस बात को समझ जाता है कि जिसको जो पसंद हो, वही करना चाहिए। यह अवसरों की समानता के साथ-साथ उन तक पहुँचने का एक सटीक संदेश है।

बरखा की कहानियों के बाल-पात्र चाहे वे भाई-बहन हों या संगी-साथी, मिल-जुल कर सारे काम निपटाते हैं। बबली, मिली, तोसिया, नाजिया जहाँ नए खेल सुझाती हैं वहीं खेल की सामग्री

© NCERT not to be republished

भी बनाती हैं और खेल की अगुवाई भी करती हैं। इनके नन्हें दिल उमंग, उत्साह, जोश से भरे हैं। ये हर काम करना चाहती हैं, सब कुछ सीखना चाहती हैं। अपना अस्तित्व बनाए रखने का हौसला रखती हुई ये अपने हमउम्र नन्हें पाठक साथियों से मानो कहती हैं— कर लो दुनिया मुट्ठी में। साथ ही कहानी के बालक पात्र प्राय: सामाजिक तौर पर वर्जित क्षेत्र रसोई घर में चाय, खाना व मेहमानों का स्वागत करते हुए उत्साहित नज़र आते हैं। इस प्रकार *बरखा* की कहानियों में लड़के-लड़कियाँ दोनों के ही स्वर समान रूप से मुखरित हुए हैं। दोनों को ही गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है। *बरखा* की विभिन्न कहानियों में बच्चे चाय, खाना बनाने तथा मेहमानों का स्वागत करते हुए उत्साहित नज़र आते हैं। न केवल लड़कियों अपितु लड़कों से भी जुड़े हुए जेंडर मिथक को सवाल करने का प्रभावशाली प्रयास है— बरखा पुस्तकमाला।

क्रमिक पुस्तकमाला — *बरखा* की कहानियाँ उदाहरण स्वरूप यहाँ दी गई हैं। पाठ्येतर सामग्री के चयन के दौरान इन्हें भी आधार बनाया जा सकता है।

आत्मबोध

1. क्रमिक पुस्तकमाला — *बरखा* की कहानियाँ किस प्रकार बच्चों में जेंडर समानता के प्रति संवेदनशील एवं स्वस्थ दृष्टिकोण के विकास में सहायक हैं? किन्हीं दो पुस्तकों का जेंडर आधारित विश्लेषण कीजिए।

   ....

   ....

3.7 पाठ्येतर सामग्री — चित्र, कविता, कहानी आदि

भाषा सीखने में कविताओं का आश्चर्यजनक योगदान रहता है। कविताएँ अपनी लय और तुकबंदी के कारण बच्चों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए भाषा की कक्षा में पाठ्यपुस्तक से इतर कविताओं को स्थान देना बच्चों को भाषा सीखने की ओर अग्रसर करना है। कविताओं के माध्यम से बच्चों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने के साथ ही जेंडर के मुद्दे के प्रति भी सकारात्मक रवैया विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कविता यहाँ दी जा रही है—

दादा चाहते मैं बनूँ प्रोफ़ेसर
माँ चाहती सीखूँ कंप्यूटर।
पापा चाहते मैं बनूँ अफ़सर
चाचा चाहते बनाना डॉक्टर।
दीदी चाहती मैं बनूँ इंजीनियर
भैया चाहते बनाना कलक्टर।
लेकिन मैं खुद तय करूँगी
क्या बनूँगी आगे चलकर?

आमतौर पर घर में निर्णय लेने का कार्य घर के पुरुष सदस्य करते हैं। यह कविता इस मिथक को तोड़ती है कि निर्णय लेना केवल पुरुषों का ही कार्य है। इसमें दादा, पापा, चाचा, और भैया के साथ माँ और दीदी की भी इच्छा दर्शायी गयी है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कविता की बालिका बातें तो सबकी सुनती है पर तय करती है कि वह स्वयं यह निर्णय लेगी कि उसे क्या बनना है।

बच्चों के लिए विकसित किताबों में निहित चित्र किताब को तो आकर्षक बनाते ही हैं, इनके माध्यम से बच्चों को संदेश भी दिए जा सकते हैं। जैसे किताब में यदि कोई ऐसा चित्र दिया गया है, जिसमें बच्चे रेल का खेल कर रहे हैं। जिसमें आगे एक लड़की इंजन बनकर खड़ी है। उसके पीछे भी एक लड़की खड़ी है। इसके बाद एक लड़का, फिर लड़की, इसी क्रम में बच्चे खड़े हैं। सबसे पीछे का डिब्बा बनकर भी एक लड़की खड़ी है, जिसके हाथ में हरी झंडी है।

इस चित्र को बच्चों को दिखाकर उनसे कितनी ही बातें की जा सकती हैं— लड़के-लड़की मिलकर खेल रहे हैं। लड़की सबसे आगे रेल का इंजन बनकर खड़ी है। वह सब बच्चों की अगुवाई कर रही है। सबसे पीछे के डिब्बे में खड़ी लड़की गार्ड बनी है। इसी प्रकार से कक्षा में घर का भी कोई ऐसा चित्र दिखाकर बच्चों से बातचीत की जा सकती है, जिसमें घर के सभी सदस्य मिल-जुलकर काम कर रहे हैं। चित्र बच्चों को संदेश देने का एक सशक्त माध्यम हैं। कक्षा में विज्ञापनों को भी स्थान दिया जा सकता है। कम शब्दों में अधिक बात रखने वाले विज्ञापनों के वाक्य या गीत बच्चों के मन आसानी से रच-बस जाते हैं। ऐसे विज्ञापनों का चयन करें, जो नारी की सशक्त छवि प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों पर कक्षा में बातचीत समूह बनाकर करने के लिए कहा जा सकता है।

© NCERT not to be republished

आत्मबोध

1. चित्र किस प्रकार बच्चों में जेंडर के मुद्दे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं? उदाहरण के द्वारा समझाएँ।

   ....

   ....

2. नारी की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वाली किसी कविता (पाठ्येतर) का चयन कर बताइए कि कक्षा में उस कविता पर बच्चों से किस प्रकार से चर्चा करेंगे।

   ....

   ....

3.8 शिक्षक की भूमिका

पाठ्येतर सामग्री का कक्षा में सफल उपयोग तभी किया जा सकता है जब शिक्षक कुछ आवश्यक बातों को दृष्टिगत रखें।

पाठ्येतर सामग्री की आवश्यकता से अवगत होना

शिक्षक द्वारा कक्षा में पाठ्येतर सामग्री का उपयोग उचित रीति से करने हेतु सर्वप्रथम आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं पाठ्येतर सामग्री की आवश्यकता और उपयोगिता से परिचित हों। शिक्षकों को पाठ्यपुस्तक से इतर पुस्तकों के विषय में जानकारी होनी भी अत्यंत आवश्यक है।

चयन के बिंदु

पाठ्येतर सामग्री के चयन में सतर्कता रखनी आवश्यक है। पुस्तक के शीर्षक से उसके कलेवर का अनुमान लगाना उचित नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पाठ्यसामग्री पुस्तक के शीर्षक से मेल नहीं करती। अतएव पुस्तकों को बच्चों के लिए उपलब्ध करवाने से पूर्व अवश्य पढ़ लें। चयनित किताब या रचना रोचक हो, बच्चे की आयु व परिवेश के अनुकूल हो, भाषा सरल तथा सरस हो। पुस्तकों के चयनोपरांत उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। चयन करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि चयनित पुस्तक या रचना जेंडर समानता की दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हो। इस संबंध में 3.5 में दिए गए चयन के आधार बिंदुओं को दृष्टिगत रखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि जेंडर असमानता दर्शाती पुस्तकों का प्रयोग जेंडर संवेदनशीलता जागरूक करने के लिए नहीं किया जा सकता यह भी एक अच्छा माध्यम हो सकती हैं बशर्ते शिक्षक कक्षा में उन पर चर्चा करें।

पाठ्येतर सामग्री का पूर्व पठन

किसी भी कविता या कहानी की पुस्तक के कक्षा में प्रयोग से पूर्व शिक्षकों द्वारा स्वयं उसे पढ़ना अत्यंत आवश्यक है ताकि बच्चों को सुनाने अथवा पढ़ने हेतु कहने से पूर्व उससे संबंधित जानकारी उन्हें दे सके। कविता या कहानी को पहले ही पढ़ने से बच्चों में उसके प्रति रुचि भी जाग्रत की जा सकती है।

पाठ्येतर सामग्री की उपलब्धता तथा उपयोग

शिक्षक साथी हमेशा यह बात याद रखें कि मूल्य विकसित किए जा सकते हैं, थोपे नहीं जा सकते। इसलिए पाठ्येतर सामग्री के कक्षा में उपयोग से पूर्व कभी भी बच्चे से यह कहने की भूल ना करें कि इस कहानी या कविता से तुम्हें यह सीख मिलेगी। इसी प्रकार कहानी या कविता सुनाने के बाद बच्चों से यह प्रश्न भी नहीं करें कि कहानी या कविता से उन्हें क्या शिक्षा मिली? बेहतर यही है कि बच्चों से उस पढ़ी गयी या सुनी गयी रचना पर चर्चा करें और बातों ही बातों में उसमें निहित संदेश की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करें। पाठ्येतर सामग्री का कक्षा में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है और उसमें शिक्षक की क्या भूमिका हो? इसे विस्तृत रूप से जानने के लिए क्रमिक पुस्तकमाला— *बरखा* से कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं।

बरखा की कहानियाँ बच्चों को स्वयं अनुमान लगाकर पढ़ने के अवसर और पढ़ने का आनंद देने तथा बच्चों में जेंडर के मुद्दे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में भी सहायक हैं। लेकिन बच्चे इस पुस्तकमाला का सही ढंग से उपयोग करें, यह काफ़ी सीमा तक शिक्षक पर भी निर्भर करता है।

इस पुस्तकमाला को पढ़ना इसकी कक्षा में उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतएव सर्वप्रथम दायित्व इस पुस्तकमाला की कक्षा में उपलब्धता करवाना है। अच्छा हो कि प्रत्येक कक्षा में (कक्षा 1 और 2) इस पुस्तकमाला के दो सेट हों। इस क्रमिक पुस्तकमाला को कक्षा में रीडिंग कॉर्नर में अथवा ऐसे स्थान पर रखें, जहाँ से बच्चे उसे सरलता से उठा सकें। यह पुस्तकमाला बच्चों के लिए ही है, इसलिए बच्चों को देते समय किताबों के फटने या खराब होने की चिंता न करें। यह बच्चों के स्वयं अनुमान लगाकर पढ़ने के लिए है, इसलिए उन्हें इसे स्वयं पढ़ने के अवसर दें।

© NCERT not to be republished

यह पुस्तकमाला चार स्तरों में विकसित है। यह प्रयास करें कि बच्चे कहानियों को स्तरवार पढ़ें अर्थात् पहले स्तर की दस कहानियाँ पढ़ने के बाद वे दूसरे स्तर की कहानियाँ शुरू करें और इस प्रकार क्रमवार चौथे स्तर तक जाएँ। यद्यपि इस पुस्तकमाला की कहानियाँ चार स्तरों में विकसित हैं लेकिन इस वर्गीकरण को एक कठोर नियम न मानें। यदि कोई बच्चा तीसरे या चौथे स्तर की किताब पहले उठा लेता है तो उसे डाँटें नहीं। इसी प्रकार यदि कोई बच्चा एक ही कहानी को बार-बार पढ़ना चाहता है तो भी उसे टोकें नहीं अथवा तीसरे स्तर पर पहुँचने के बाद पुन: पहले स्तर की कहानी की किताब पढ़ना चाहता है तो भी उसे रोकें नहीं। ऐसा होना स्वाभाविक है। जो कहानी बहुत अच्छी लगती है, उसे बार-बार पढ़ने का मन करता है। इसके अतिरिक्त कुछ कहानियाँ पढ़ लेने के बाद बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह स्वत: ही उन कहानियों को दोबारा पढ़ना चाहता है। यह इस बात का सूचक है कि बच्चे में पढ़ने की ललक और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इसलिए इस पुस्तकमाला के कक्षा में उपयोग में लचीलापन बरतना आवश्यक है। इसके साथ ही बार-बार पढ़ने से बच्चों द्वारा कहानियों में निहित संदेशों का विश्लेषण भी संभव है। पढ़ी हुई कहानी को दोबारा पढ़ने से वे अपने निजी अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करने का भी प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से निजी जीवन में सामंजस्य स्थापित कर पाएँगे।

पाठ्येतर सामग्री पर चर्चा

शिक्षक साथी स्वयं पुस्तकमाला की कहानियों तथा इस पुस्तकमाला के सैट के साथ दी गई विवरणिका को पढ़ें ताकि बच्चों के साथ कहानियों, कहानी के पात्रों तथा चित्रों पर विस्तार से चर्चा कर सकें। *बरखा* की कहानियों में समाहित मूल्यों को समझें। इसकी कहानियों में मूल्य इस तरह से पिरोए गए हैं कि मानवीय संवेदना स्वयं ही उभर आती है।

कहानियों पर चर्चा के दौरान बातों ही बातों में इनके पात्रों पर भी चर्चा करें। जैसे बच्चों से उनके मनपसंद खेलों पर चर्चा से शुरुआत करते हुए पुस्तकमाला की कहानियों *झूला, आउट, गिल्ली-डंडा, छुपन-छुपाई* पर बातें करें। 'झूला' कहानी में किस प्रकार बबली द्वारा 'झूलने' का तरीका सुझाते हुए टायर को उछालकर पेड़ में लटकाकर झूला बनाना, कहानी 'आउट' में अपनी सूझ-बूझ से काम लेकर बबली द्वारा कपड़े की गेंद बनाना आदि बातों पर चर्चा करते हुए कक्षा में उपस्थित बच्चों से पूछना कि क्या कभी उन्होंने भी ऐसा ही कोई खेल सुझाया है? हाँ, तो कब और कौन-सा? इस प्रकार का संवाद बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देगा। हो सकता है कि चर्चा के दौरान कक्षा की कोई छात्रा किसी खेल के दौरान अपनी तत्पर बुद्धि का परिचय देने की बात सभी सहपाठियों के समक्ष उजागर करे और कोई छात्र अपनी यह बात छुपाना न चाहे कि किस प्रकार उसने खाना बनाने में सहायता की या वह रसोई में क्या-क्या काम कर सकता है।

इसी प्रकार से 'मिली की साइकिल' कहानी पर कक्षा में हुई चर्चा अन्य बच्चों को भी समय के साथ आगे बढ़ने और समय की रफ़्तार से चलने का संदेश देगी तथा कक्षा की प्रत्येक छात्रा अवश्य ही मिली जैसी बनना चाहेगी।

चाय, फूली रोटी, भुट्टा, चावल, पत्तल कहानियों पर बातचीत करते समय बच्चों से पूछें कि कौन-कौन घर के कामों में बड़ों की सहायता करता है। फिर इन कहानियों के मुख्य पात्र जमाल और मदन द्वारा मिल-जुलकर चाय बनाने, भुट्टा भूनने, चावल पकाने और इन कार्यों के दौरान उन्हें मिलने वाले आनंद पर बात करें। इन कहानियों पर की गई बातचीत नन्हें हृदयों में बचपन से ही घर के कामों में सहयोग करने की भावना को विकसित करने में सहायक होगी।

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि किस प्रकार *बरखा* की कहानियाँ बच्चों को जेंडर समानता के मुद्दे के प्रति संवेदनशील बना सकती हैं।

इन उदाहरणों से आप अवगत हो गए होंगे कि किस प्रकार कहानी, उसकी घटनाओं तथा पात्रों पर चर्चा द्वारा बच्चों में जेंडर संवेदनशीलता जाग्रत की जा सकती है।

आत्मबोध

1. पाठ्येतर सामग्री के द्वारा बच्चों में जेंडर के मुद्दे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है?
   ....
   ....

© NCERT not to be republished

2. वह क्या मानदंड (Parameters) होंगे, जिनके द्वारा आप किसी भी पाठ्य या पाठ्येतर सामग्री को जेंडर के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित कर सकेंगे?

....

....

3.9 संदर्भ

- रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.
- ———. 2008. क्रमिक पुस्तकमाला — *बरखा*, (पहली तथा दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए), प्रथम संस्करण 2008. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 4

जेंडर अनुकूल कक्षाओं का निर्माण

मॉड्यूल की रूपरेखा

4.1 परिदृश्य
4.2 भूमिका
4.3 उद्देश्य
4.4 कक्षाओं का व्यवस्थापन और प्रबंधन
4.5 कक्षागत अंत:क्रियाएँ
4.6 विषय-विशेष क्षेत्र में पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन
4.7 साथी समूह अंतःक्रिया
4.8 कर्तव्यों और दायित्वों का आवंटन
4.9 संदर्भ

© NCERT not to be republished

4.1 परिदृश्य

शिक्षा में गुणात्मक सुधारों की दृष्टि से विद्यालयी सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन सुधारों के माध्यम से विद्यालयों से अपने ढाँचे और सांस्थानिक जीवनशैली के परिवर्तन, पुनर्बलन, और पुनर्सरचना जैसी अनेक अपेक्षाएँ हैं। स्कूली प्रणाली की गुणवत्ता और कार्यक्षमता दोनों को सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित प्रयास जारी हैं। इनका उद्देश्य सुधारों को क्रियान्वित करना है ताकि कक्षागत परिवेश और व्यवहार, खासतौर पर देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में वांछित बदलाव परिलक्षित हो सकें।

नये कक्षागत सुधार, कार्यक्रम या रणनीतियाँ शिक्षकों से अनिवार्यतः यह अपेक्षा रखते हैं कि वे विभिन्न प्रकार की अनुदेशक सामग्री तथा तरीकों और साधनों को प्रयोग में लाएँ ताकि कक्षाओं के भौतिक और सामाजिक वातावरण में गुणात्मक बदलाव आ सकें। देश की वास्तविक स्थिति के अनुसार नीति निर्णय और कार्यक्रम अत: क्षेपण में शिक्षकों की अति सीमित भूमिका है। इन सीमाओं के बावजूद शिक्षकों की धारणाएँ और दृष्टिकोण कक्षागत संस्कृति और लोकाचार के निर्माण तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की पुनर्व्याख्या के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विगत कई वर्षों के अध्ययन यह साबित करते हैं कि किस प्रकार कक्षागत वातावरण छात्रों के अधिगम और जेंडर भेदभाव तथा रूढ़ियों को दूर करने में सहायता कर सकते हैं। सच तो यह है कि शिक्षक कक्षा में बड़ी आसानी से जेंडर अनुकूल वातावरण निर्मित कर सकते हैं। इस प्रकार का जेंडर अनुकूल वातावरण लड़कियों और लड़कों के प्रारंभिक वर्षों में समानता और सौहार्द का निर्माण करता है और उन्हें भविष्य के लिए भी बराबरी की भागीदारी और सहभागी भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। वास्तव में शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो इन बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जेंडर अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकता या सकती है—

- सर्वप्रथम शिक्षकों को अनुदेशकों और ज्ञान विशेषज्ञों के रूप में मात्र जानकारी देने के बजाए परामर्शदाता और सहायक की भूमिका को अपनाना होगा।
- सहायक (सुगमकर्ता) के रूप में शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कक्षा के भौतिक और सामाजिक वातावरण में लड़कों और लड़कियों में एक स्वस्थ तालमेल बना सकें।
- उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में लड़कियों और लड़कों की बराबरी की भागीदारी हो।
- वे भूमिका निर्वहन, समस्या समाधान, प्रश्नोत्तरी और दूसरी सहभागी शैक्षिक पद्धतियों को अंग्रेज़ी अध्यापन, सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान आदि में समावेशित करे ताकि लड़कियों की वृहत्तर भागीदारी हो सके।
- कक्षागत उत्तरदायित्वों के आवंटन में जेंडर निष्पक्षता रहनी चाहिए। साफ़-सफ़ाई के रखरखाव, कक्षागत शिष्टाचार, कक्षा को सजाने-संवारने और नियमित कक्षागत कार्यों को करने में लड़कियों की बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए।
- शिक्षकों को कक्षागत क्रियाकलापों को आयोजित करने की जिम्मेदारियाँ लड़कों और लड़कियों में बराबर बाँटनी चाहिए।
- प्रभावी मौखिक संवाद के विकास के लिए सही-सही उच्चारण और स्वर अधिमिश्रण तथा हाव-भाव, अभिव्यक्ति जैसे पढ़ने और बोलने के क्रियाकलाप लड़कों एवं लड़कियों में बराबरी से आवंटित किए जाने चाहिए।
- इसके अतिरिक्त शिक्षकों में मंद शिक्षार्थियों की पहचान और उनके सुधार के लिए कक्षाएँ आयोजित करने की योग्यता भी होनी चाहिए।
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में ऐसी महिलाओं के उदाहरण देने पर बल हो जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया हो। इससे बच्चों के दृष्टिकोण का निर्माण हो सकेगा।
- दृश्य उपकरणों, जैसे— चित्रों, कठपुतली आदि में महिलाओं को पुरुषों के साथ खेतों में काम करते, अस्पताल में डॉक्टर, नर्स आदि के रूप में तथा घरेलू कार्यों में पुरुषों और महिलाओं को मिल-बाँटकर काम करते हुए दिखाने से अधिक जेंडर समावेशन एवं समता बनेगी।
- गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और भाषा जैसे अध्ययन विषयों को पढ़ाते समय लड़के-लड़कियों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से पुरुष तथा महिलाओं दोनों के उदाहरण शामिल होने चाहिए ताकि बराबरी की योग्यता को उजागर किया जा सके।
- कक्षागत संस्कृति ऐसे निर्मित हो कि लड़कों और लड़कियों में बातचीत तथा अंत:क्रिया में परस्पर सम्मान की भावना परिलक्षित हो। कक्षागत आचार-व्यवहार भी उन्मुक्त तथा सहायक होने चाहिए ताकि लड़के और लड़कियाँ बिना किसी भय एवं शंका के अपने-अपने निजी अनुभवों को बाँटने में सहज अनुभव कर सकें।
- लड़कियों और महिलाओं की बौद्धिक प्रखरता तथा क्षमताओं को विस्तारपूर्वक बताकर जेंडर समानता की अवधारणा को समझाया जा सकता है। शिक्षक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रेखांकन, चित्रकला, संगीत और नृत्य आदि क्रियाकलापों में भी लड़कों तथा लड़कियों की समान भागीदारी हो।

इस मॉड्यूल में यह प्रयास किया गया है कि उन क्रियाकलापों की पहचान की जाए जिन्हें शिक्षक एक परामर्शदाता और सहायक के रूप में कक्षागत वातावरण को जेंडर अनुकूल बनाने के लिए अपना सकें।

4.2 भूमिका

सामाजिक बदलाव के लिए लड़कियों की शिक्षा को हमेशा ही एक आवश्यक साधन माना गया है। शिक्षकों से एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका की अपेक्षा की जाती है जो विद्यार्थियों में, खास तौर पर लड़कियों में विचारात्मक बदलाव ला सकें, क्योंकि लड़कियाँ सामान्यतः निम्न आत्म-सम्मान से ग्रसित रहती हैं और उन्हें अकसर आदर व मदद कम ही मिलती है। वास्तव में शिक्षकों को एक ही समय में कई काम करने होते हैं, जैसे अनुदेशक, मध्यस्थ, परामर्शदाता और प्रतिनिधि अभिभावक आदि। उसे सक्रियता से ऐसे क्रियाकलाप भी आयोजित करने होंगे जिनसे दैनिक कक्षागत प्रक्रिया द्वारा समानता को पुष्ट किया जा सके। अनेक अध्ययनों में पाया गया है कि शिक्षा के लगभग सभी स्तरों पर जेंडर असमानता पाई जाती है। 2015–16 में, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की भागीदारी 47.72 प्रतिशत थी, माध्यमिक स्तर पर 47.57 प्रतिशत थी और उच्च

© NCERT not to be republished

माध्यमिक स्तर पर 47.20 प्रतिशत थी (स्कूल एजूकेशन इंडिया, यू.डी.आई.एस.ई. 2015–16, पृष्ठ 37)।

शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का स्कूल छोड़ना आज भी जारी है। वर्ष 2015–16 में, लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर प्राथमिक स्तर पर 4.13 प्रतिशत और माध्यमिक स्तर पर 16.88 प्रतिशत थी (स्कूल एजूकेशन इंडिया, यू.डी.आई.एस.ई. 2015–16, पृष्ठ 54)।

शिक्षक लड़कियों के लिए पहुँच, नामांकन और उनकी शिक्षा जारी रखने तथा उपलब्धि स्तर को प्रोत्साहित करने में केंद्रीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जेंडर संवेदी शिक्षक लड़कों और लड़कियों को एक-दूसरे की परवाह तथा सहभागिता के माहौल में एक-दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के स्थान पर एकसाथ बढ़ने के लिए क्रियाकलाप संचालित कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और स्कूल शिक्षा प्रारूप हेतु *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा* (*2005*) भी शिक्षक की उस भूमिका के महत्व पर बल देती है जो शिक्षा में नजर आने वाली जेंडर संबंधी कमियों को दूर कर सकती है।

नीति निर्देश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.) 1986 में इस बात पर ज़ोर दिया है कि "नयी नीति असमानताओं को दूर करने और उन लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देने पर विशेष ज़ोर देती है जिन्हें अब तक समानता से वंचित रखा गया है।" इसमें आगे कहा गया है, "महिलाओं की स्थिति को बदलने के लिए शिक्षा को एक बुनियादी कारक के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। विगत की संचित विकृतियों को समाप्त करने के लिए यह महिलाओं के पक्ष में एक सुचिंतित पहल होगी। महिलाओं के सशक्तीकरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सकारात्मक अंत: क्षेपक की भूमिका निभाएगी।" पुनर्व्यवस्थित पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षकों और निर्णयकर्ताओं तथा प्रशासकों के प्रशिक्षण और आरियंटेशन कार्यक्रमों एवं शैक्षिक संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता से यह नये मूल्यों के निर्माण को पुष्ट करेगी।

स्कूली शिक्षा के लिए *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ़.) 2005* में बताया गया है कि शिक्षकों को शिक्षा नीति 1968 तथा 1986 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए सहायता करनी होगी। एक सकारात्मक अंत: क्षेपक और कक्षागत वातावरण का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होने के नाते शिक्षक पाठ्यचर्या संपादन की प्रक्रिया एवं आचार-व्यवहार को और अधिक जेंडर संवेदी बनाने के लिए व्यावहारिक अंत:क्षेपण को विकसित एवं समायोजित कर सकते हैं। इसके साथ ही, जेंडर संवेदी शिक्षक लड़कियों को चुप और अलग-थलग रहने की सदियों पुरानी कुरीति से उबरने में मदद कर सकते हैं। वे ऐसा अनुकूल वातावरण निर्मित करने में भी मदद कर सकते हैं जहाँ लड़कियाँ अपनी क्षमता और योग्यता को पहचान सकती हैं। अधिकाधिक लड़कियों के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के द्वार खोलना, स्कूली पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों और संपादन की प्रक्रिया में जेंडर पक्षपात तथा जेंडर भेदभाव को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही, जेंडर समावेशी और जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या रणनीतियों को विकसित एवं क्रियान्वित करने की आवश्यकता है ताकि लड़कियों और लड़कों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो सके, जो समान रूप से सक्षम तथा एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील हो।

4.3 उद्देश्य

- जेंडर अनुकूल कक्षाओं के निर्माण में शिक्षक की भूमिका का परीक्षण।
- प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों द्वारा विज्ञान और सामाजिक-विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों के संपादन में अपनाई जाने वाली शैक्षिक पद्धतियों का विश्लेषण।
- कक्षागत सहभागिता और साथी-समूह अंतःक्रिया को जेंडर दृष्टि से देखना।
- शिक्षक द्वारा कक्षागत वातावरण को जेंडर अनुकूल बनाने के लिए अपनाए जाने वाले क्रियाकलापों के सुझाव देना।

4.4 कक्षाओं का व्यवस्थापन और प्रबंधन

मोटे तौर पर देखा जाए तो कक्षागत वातावरण दो प्रकार का होता है— भौतिक और सामाजिक। भौतिक वातावरण में कक्षा का आकार-प्रकार, हवादान और रोशनी तथा उपयोगी शिक्षण-अधिगम को सुगमित करने के लिए आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरण शामिल हैं। सामाजिक वातावरण से तात्पर्य व्यवहारपरक पक्ष से है, जो शिक्षकों और विद्यार्थियों तथा

© NCERT not to be republished

साथी समूहों के मध्य संबंधों को तय करता है। भौतिक और सामाजिक वातावरण का मिश्रित रूप ही कक्षागत आयामों को निर्धारित करता है। जेंडर के संबंध में कक्षा का भौतिक व्यवस्थापन और इसका प्रबंधन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कक्षागत प्रबंधन पर किए गए अध्ययन यह साबित करते हैं कि कक्षाओं का समायोजन हमेशा जेंडर अनुकूल नहीं होता। फर्नीचर का व्यवस्थापन और बच्चों को बैठाने का समायोजन आमतौर पर भेदभावपूर्ण होता है। लड़कों और लड़कियों को अकसर अलग-अलग किया जाता है और उन्हें बैठाया भी अलग-अलग ही जाता है। पंक्तियों के बीच दूरी भी एकसमान नहीं होती। लड़कियाँ अधिकतर आगे की पंक्तियों में ही बैठती हैं और कभी-कभार ही आगे-पीछे होती हैं। यह भी देखा गया है की खचाखच भरी कक्षाओं में फर्नीचर के दोषपूर्ण व्यवस्थापन से धक्कामुक्की और इधर-उधर ठेलने की स्थिति बन जाती है। इससे लड़के और लड़कियाँ दोनों ही प्रभावित होते हैं, परंतु लड़कियाँ अधिक प्रभावित होती हैं और अनुशासन का मसला पैदा हो जाता है। साथ ही कक्षा में बुलेटिन बोर्ड भी अकसर ऊँचाई पर ही लगाए जाते हैं जिससे लड़कियों को वहाँ तक पहुँचना कठिन हो जाता है। इस स्थिति में छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को दर्शाने के मौके केवल लड़कों तक सीमित हो जाते हैं। अध्ययन यह भी बताते हैं कि कक्षा के अतिरिक्त स्थान के प्रबंधन में शिक्षक कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। आम तौर पर यह रिक्त स्थान खाली पड़ा रहता है और जब थोड़ा बहुत उपयोग में लाया जाता है तो मेज और कुर्सियाँ ऐसे लगाई जाती हैं कि इससे लड़कों और लड़कियों में और अधिक अलगाव पैदा हो जाता है।

यह भी देखा गया है कि सरकार द्वारा स्थापित किए गए विद्यालयों में वातायन और रोशनी भी प्रभावी शिक्षण तथा अधिगम के लिए उपयुक्त मानकों के अनुरूप नहीं होती। इससे बच्चों का स्वास्थ्य और समग्र शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है। लड़कियों के मामले में यह प्रभाव और अधिक गंभीर होते हैं, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति वैसे ही अच्छी नहीं होती और विशेषकर जब लड़कियाँ गरीब परिवारों से संबंधित होती हैं, जहाँ लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को प्राथमिकता देने की प्रवृति होती है। कक्षागत वातावरण को जेंडर अनुकूल बनाने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित क्रियाकलाप या प्रयास करने चाहिए—

- शिक्षक को मिली-जुली बैठाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो कक्षा उपस्थिति पंजिका की सूची के आधार पर और अकारादि क्रम में बैठाया जा सकता है।
- फर्नीचर लगाते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कक्षा में आसानी से आने-जाने के लिए बीच में पर्याप्त स्थान छोड़ा जाए।
- बीच-बीच में गोलार्द्ध और अर्ध-गोलार्द्ध बैठने की व्यवस्था की जाए ताकि लड़के और लड़कियाँ आपस में एक-दूसरे के सामने बैठकर अंतःक्रिया करें और सामूहिक अनुभव साझा करने में मदद मिल सके।
- अलग-अलग क्रियाकलापों की आवश्यकतानुसार कमरे बनाएँ जाएँ।
- बुलेटिन बोर्ड को ऐसी ऊँचाई पर लगाया जाए जहाँ से उसे अच्छी तरह देखा जा सके, परंतु वह लड़कों और लड़कियों, दोनों के लिए सुगमता से पहुँचने योग्य होना चाहिए। सभी छात्रों को अपने-अपने रचनात्मक उद्यमों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, चाहे वह कोई कविता, कहानी, चित्र, पोस्टर आदि कुछ भी हो। लड़कियों को इसके लिए खास तौर पर आगे आने के लिए कहा जाए।
- कक्षा में समुचित रोशनी और वातायन व्यवस्था से शिक्षक कक्षा को बच्चों के लिए आरामदेह बना सकते हैं जहाँ बच्चों को समय बिताने में आनंद मिलता है।
- दृश्य प्रदर्शनियों को कक्षा में ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ उन्हें सभी बच्चे देख सकें। इससे सुरुचिपूर्ण और आनंददायक माहौल बनता है।
- इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कक्षा में प्रदर्शित वस्तुएँ अपने विषय-वस्तु चित्रण और प्रस्तुति में जेंडर पक्षपात और रूढ़िबद्धतापूर्ण न हों।
- लड़कों और लड़कियों, दोनों को मिले-जुले समूह में सहयोगात्मक तरीके से काम करने का अवसर उपलब्ध कराए जाएँ ताकि यह कक्षागत संस्कृति का रूप ले सकें।
- कक्षागत क्रियाकलापों को आयोजित करने में जेंडर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

© NCERT not to be republished

4.5 कक्षागत अंत:क्रियाएँ

कक्षागत व्यवहार पर किए अध्ययन बताते हैं कि शिक्षक लड़कों और लड़कियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं (श्रीवास्तव, गौरी. 1997 एवं वलेरी ई. ली. 1995)। इस अध्ययन में शिक्षकों में व्याप्त रूढ़िग्रस्त रवैये को उजागर किया है, जो खासतौर पर लड़कियों को कार्य सौंपते समय देखा जाता है। साफ़-सफ़ाई, धूल झाड़ना और सौंदर्यीकरण जैसी गतिविधि लड़कियों को दी जाती है जबकि प्रबंधन और नेतृत्व संबंधी लड़कों को दी जाती है। इसे प्रातःकालीन सभा में आगे चलने अथवा वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी तथा विद्यालय में अनुशासन रखने संबंधी दायित्वों को लड़कों को सौंपने में सीधे-सीधे देखा जा सकता है। सह-शिक्षा विद्यालयों में ऐसा अकसर होता है कि शिक्षक कक्षा मॉनिटर बनने और किसी भी प्रकार की परिचर्चा का नेतृत्व करने के लिए लड़कों को प्राथमिकता देते हैं। जहाँ तक व्यवसायों का सवाल है, अध्ययन में पाया गया है कि शिक्षकों की इच्छा होती है कि परंपरागत व्यवसायों, जैसे— इंजीनियरिंग, वैमानिकी, कंप्यूटर साइंस और सभी प्रकार की प्रशासनिक नौकरियों तथा सेना में उच्च पदों आदि पर लड़के ही जाएँ। लड़कियों के लिए लोचदार व्यवसाय, जैसे— नर्सिंग और शिक्षण आदि की अनुशंसा की जाती है, क्योंकि ये व्यवसाय लड़कियों के लालन-पालन और सेवाभाव के स्वभाव से मेल खाते हैं। इस प्रकार शिक्षकों और अभिभावकों की यह सर्वमान्य अपेक्षा रहती है कि लड़कों को आजीविका चाहिए जबकि लड़कियों को केवल एक पति। यह उम्मीद प्रचलित सामाजीकरण की प्रक्रिया और भारत के कुछ पितृसत्तात्मक समाजों में व्याप्त पारंपरिक धारणा से उपजी है कि पुरुष परिवार के लिए आजीविका उपलब्ध कराता है और उन्हीं के माध्यम से वंशावली खोजी जाती है। इस अंतर्जात विश्वास व्यवस्था के कारण अभिभावक, माता-पिता और शिक्षक सामान्यत: लड़कियों के प्रति उपेक्षापूर्ण और निरुत्साही होते हैं तथा लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, जो बहुधा अधिक वर्चस्वादी होते हैं। जब कभी लड़कियों को अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो उनसे भी पारंपरिक व्यवसाय की आशा रखी जाती है, जैसे शिक्षण अथवा नर्सिंग; जहाँ वे अपनी व्यावसायिक ज़िम्मेदारियों और घरेलू कामकाज के बीच उलझी रहती हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा संपादित की जाने वाली छद्म पाठ्यचर्या, जैसे— शरीर के हाव-भाव, आँखों का संपर्क, लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के तरीके आदि भी लड़कियों की हीन होने की स्थिति को ही बल देते हैं, ऐसा दैनिक आधार पर होता है तथा यह लड़कियों को नकारात्मक अधिगम अनुभव देता है। इससे उनमें निम्न आत्म-सम्मान, विश्वास में कमी और निम्न महत्वाकांक्षा के स्तरों की संस्कृति निर्मित होती है। कक्षा-व्यवहार पर आधारित अध्ययन यह भी बताते हैं कि सामाजिक विज्ञान अथवा भाषा पुस्तकों के अनुच्छेदों से संबंधित विभिन्न प्रकार की विषय-वस्तु पर आधारित प्रश्न और चर्चाएँ वितरित करते समय अथवा काव्य पाठ क्रियाकलापों में भी लड़कियों को कम प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही कक्षा में होने वाली चर्चाओं में लड़कियों की भागीदारी को कम ही आँका जाता है। यह एक आम धारणा है कि विद्यालय में लड़के, लड़कियों से अच्छे हैं, परंतु अधिकांश लोक-परीक्षा परिणाम इसे झूठा साबित करते हैं।

कक्षागत व्यवहारों में लड़कियों की वृहत्तर भागीदारी के लिए शिक्षकों को सुझाए गए कदम उठाने चाहिए—

- भाषा, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान-विषयक ज्ञान निष्पादन में लड़कों और लड़कियों में प्रश्न वितरण एक समान किया जाए।
- कक्षा में चर्चा के दौरान बच्चों के किसी एक खास दबंग समूह अथवा किसी विशेष छात्र को जो हावी रहता है उसे बढ़ावा न दिया जाएँ।
- शर्मीले और कक्षागत क्रियाकलापों में भाग नहीं लेने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित कर भागीदारी के अवसर प्रदान किए जाएँ।
- लड़कों के साथ-साथ लड़कियों को भी बोलने, अपनी राय रखने और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें, अपने विचारों को रचनात्मक रूप से व्यक्त कर वे अकसर आत्मविश्वास हासिल करते हैं।
- लड़कों और लड़कियों को एक-दूसरे के विचारों को सुनने और उनका आदर करने की शिक्षा दें।
- शिक्षकों को 'शरारती लड़का' अथवा 'प्यारी बच्ची' जैसे गुणसूचक नामों से बच्चों को पुकारकर रूढ़िपरक भाषा और दृष्टिकोण को बढ़-चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।
- बच्चों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना जेंडर समावेशी होनी चाहिए।

© NCERT not to be republished

- कक्षा और कक्षा से बाहर लड़कों और लड़कियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इससे उनमें सहज और स्वस्थ रिश्ते विकसित होंगे।
- सभी बच्चों से यह आशा की जानी चाहिए कि वे एक-दूसरे की चिंता करते हैं, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मॉडल के रूप में शिक्षक स्वयं अपनी समानुभूति का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं।
- एक-दूसरे की चिंता और सहभागिता की कमी के लिए लड़कियों और लड़कों का मज़ाक न उड़ाएँ।
- मूल रूप में जो अपेक्षित है वह जेंडर निष्पक्ष दृष्टिकोण और कक्षागत सक्रियता है। इससे संवेदनापूर्ण ही नहीं अपितु साररूपेण भी लड़कियों के लिए कक्षागत अकादमिक क्रियाओं और क्रियाकलापों तथा संगठनात्मक कार्यों एवं अपने अनुभवों व अपनी सांसारिक दृष्टि को साझा करने में सक्रिय भागीदारी के लिए अवसर उत्पन्न होते हैं।

प्रच्छन पाठ्यचर्या

प्रच्छन पाठ्यचर्या हमारे देश में संचालित होने वाली विविधतापूर्ण स्कूली प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कक्षागत वातावरण और उसके बाहर होने वाली सभी प्रच्छन पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है, जो पूर्णत आवश्यक नहीं अपितु सीखी जाती है। प्रच्छन पाठ्यचर्या का संबंध उन नियमों, मूल्यों, आस्था और व्यवहारों से है जो या तो समकालीन समाज और संस्कृति को पुनः स्थापित करते हैं या वे उन पर आपत्ति करते हैं; तथा आलोचना का प्रयास करते हैं। जेंडर के संदर्भ में यह विभिन्न जेंडर के बीच कार्यरत असमान सत्ता संबंधों को पोषित करते हैं अथवा इन पर प्रश्न करने के लिए प्रविधियों के विकास में मदद करते हैं। इस प्रकार ये शिक्षक और व्यवहार में जेंडर समानता संबंधी नीतियों के मध्य विरोधाभास की स्थितियों के समाधान में एक महत्वपूर्ण समतापरक कारक के रूप में स्थापित हो जाते हैं। प्रच्छन पाठ्यचर्या को परिलक्षित करने वाली महत्वपूर्ण स्थितियों में विद्यालयों में घटित होने वाली तमाम शैक्षिक कक्षागत प्रक्रियाएँ, कक्षागत प्रबंधन तथा अन्य सभी पाठ्येतर क्रियाकलाप शामिल हैं।

कुल मिलाकर विद्यालयों में किए जाने वाले क्रियाकलापों का आप नीचे दिए गए आयामों में विचार कर सकते हैं। क्या ये जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं?

- बच्चों को संबोधित करने में भाषा का प्रयोग
- शारीरिक हाव-भाव
- स्पर्श या शारीरिक संपर्क
- आँखों से संपर्क
- लड़कों और लड़कियों के संबोधन में प्रयुक्त विशेषण
- संकेत या हाव-भाव
- पढ़ाते समय तथा विभिन्न पाठ्येतर क्रियाकलापों का संचालन करते समय शिक्षक का कक्षा में चलना।

4.6 विषय-विशेष क्षेत्र में पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन

भाषा

भाषा व्यक्तियों में संप्रेषण का साधन है। इसके माध्यम से विभिन्न विषय-वस्तु के क्षेत्रों का अध्ययन छात्रों को कराया जाता है। इसमें सभी मानवीय अंत: क्रियाओं, विचारों, मूल्यों और दर्शनों को समाहित करने की क्षमता है। विचारों को क्रियान्वित करने का भी यह सर्वाधिक शक्तिशाली साधन है। भाषा शिक्षण करते समय शिक्षक को इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए—

- ऐसी लैंगिकतावादी भाषा का प्रयोग, विशेषकर लड़कियों के लिए न किया जाए जो अपमानजनक हो।
- *ही* (He), *हिमसेल्फ* (Himself), *मैन* (Man), *मैनकाइंड* (Makind) के लगातार प्रयोग के स्थान पर संदर्भ और सामग्री के आधार पर दे (They), *देमसेल्व* (Themself), *ह्यूमन* (Human), *ह्यूमैनिटी* (Humanity) आदि का प्रयोग किया जाए।
- भाषा का प्रयोग आपसी सम्मान, गरिमा, सहयोग और सहभागिता का भाव पैदा करने के लिए किया जाना चाहिए।
- ऐसी स्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जहाँ लड़कियाँ और लड़के स्वयं को खुलकर व्यक्त कर सकें उनमें और आत्मविश्वास तथा परस्पर भरोसा उत्पन्न हो सके।
- विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं के उदाहरण दिए जाएँ।
- मर्दानगी और नारीत्व के गुणों का बखान करने वाले विशेषणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बजाय जेंडर परस्पर आश्रितता तथा उभयलिंगिता को प्रश्रय देना चाहिए।

© NCERT not to be republished

क्षेत्र	2001 (%)		2011 (%)	
	पुरुष	महिलाएँ	पुरुष	महिलाएँ
ग्रामीण	71.4	46.7	78.57	58.57
शहरी	86.7	73.2	89.67	79.92
कुल	75.26	53.67	82.14	65.46

स्रोत – भारत की जनगणना 2011, महापंजीयक कार्यालय, भारत

गणित

गणित में मूर्त-से-अमूर्त की ओर ले जाने की संभावना होती है। इसलिए पुरुष और महिलाओं द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले बराबरी के योगदान को श्रम, संसाधनों में भागीदारी, सकारात्मक एवं स्वस्थ मानसिकता आदि द्वारा दिखाना संभव है। गणित शिक्षण को अधिक जेंडर समतुल्य बनाने के लिए निम्न सुझावों को सम्मिलित किया जा सकता है—

- परिवार कल्याण के नज़रिए से शिक्षक छोटे परिवार के नियम का महत्व समझा सकते हैं। छोटे और बड़े परिवार की पृष्ठभूमि तैयार कर उनके द्वारा भोजन, कपड़ों, शिक्षा और घर आदि के रूप में संसाधनों की खपत पर चर्चा की जा सकती है।
- जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान सहित काम की महत्ता को समय, श्रम और विभिन्न कार्यों के लिए खर्च की गई ऊर्जा की गणना कर अभ्यास में दिखाया जाना चाहिए।
- जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को पुनः प्रतिष्ठित एवं रेखांकित किया जाना चाहिए।

अधिकांश लड़कियों मे आत्म-छवि निर्मित करने में महिला निरक्षरता एक बड़ी बाधा है। इसी प्रकार शीघ्र विवाह और दहेज़ आदि भी लड़कियों के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। छात्रों से इस बारे में आँकड़ों के माध्यम से विश्लेषण के लिए कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ दी गई तालिका सारणियाँ इस समस्या के बारे में आभासी प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं और अंकों के गणितीय विश्लेषण का अवसर दे सकती हैं।

इसके बाद जेंडर विषय को सम्मिलित करते हुए इस प्रकार की चर्चा की जा सकती है—

(i) वर्ष 2001 में महिला साक्षरों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(ii) वर्ष 2001 में पुरुष साक्षरों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(iii) वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में ग्रामीण साक्षरों का प्रतिशत कितना था? क्या वर्ष 2001 के मुकाबले 2011 में ग्रामीण साक्षरों के प्रतिशत में कोई बढ़ोतरी हुई? अगर हुई तो कितनी?

(iv) वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में शहरी साक्षरों का प्रतिशत कितना था? क्या वर्ष 2001 के मुकाबले वर्ष 2011 में शहरी साक्षरों के प्रतिशत में कोई बढ़ोतरी हुई? अगर हुई तो कितनी?

सामाजिक अध्ययन

सामाजिक अध्ययन की विषय-वस्तु मानव समुदाय की अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण से होने वाली अंतःक्रिया पर आधारित होती है। इस विषय को पढ़ाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है—

- एक सायास प्रयास द्वारा महिलाओं के योगदान से सामाजिक अध्ययन के विषयों की पुष्टि की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए स्वाधीनता संग्राम अध्याय में सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, रमाबाई रानाडे आदि का उल्लेख होना चाहिए।
- महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए ऐसी फ़िल्में, तस्वीरें तथा स्लाइड्स दिखाई जानी चाहिए जिनमें महिलाओं को पुरुषों के साथ कृषक, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के काम करते हुए

© NCERT not to be republished

दिखाया गया हो। इससे महिलाओं की क्षमता और योग्यता प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में उजागर होगी।

- विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में बताते हुए इस पक्ष पर विशेष बल दिया जाए कि जेंडर समानता हमारे संविधान का केंद्र बिंदु है।
- यह जानने के लिए कि कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं, जैसे— राष्ट्रीय महिला आयोग अथवा एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय आदि ने महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए क्या भूमिका निभाई है, इस पर विद्यार्थियों को कुछ सामान्य अनुसंधान करने के लिए कहा जा सकता है।
- विद्यार्थियों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया जाए कि वे इरावती कर्वे जैसी महिलाओं के सामाजिक असमानता के निवारण और समानता को बढ़ावा देने में किए गए योगदान को जानें।
- सुप्रसिद्ध पुरुषों और महिलाओं, दोनों के विचारों और कथनों को विद्यार्थियों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

विद्यार्थियों से कहा जाए कि वे व्यापार, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करने वाली महिलाओं के बारे में जानें, जैसे— सुधा मूर्ति, इला भट्ट, राधा फाडकर, अंजलि इला मेनन आदि।

4.7 साथी समूह अंत:क्रिया

अनेक अध्ययनों में यह पाया गया है कि विद्यार्थियों के व्यवहार और अभिवृत्ति के विश्लेषण के लिए साथी समूह अंतःक्रिया पर गौर करना बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः साथी समूह बनाने के लिए कोई विशेष नियामक सिद्धांत नहीं हैं। इस प्रकार के समूह परस्पर पसंद और रुचियों पर बनते हैं। कभी-कभी साथी समूह सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी बनते हैं। अध्ययन यह भी बताते हैं कि समूह बनाने में जेंडर की भूमिका भी रहती है, विशेष तौर पर किशोरों में। स्कूल संबंधी और खाली समय के क्रियाकलापों में लड़के और लड़कियाँ अलग-अलग समूह बनाते हैं। लेकिन साथी समूह हमेशा ही बड़े व्यवस्थित नहीं होते हैं। विभिन्न समूहों में होड़, लड़कों का लड़कियों को तंग करना, धक्का-मुक्की, धकेलना और लड़ाई-झगड़ा आदि होने से व्यवहार संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। यहाँ जेंडर का सरोकार होने से यह महत्वपूर्ण है कि साथी समूह अपने को बेहतर सिद्ध करने के लिए जेंडर को आधार बनाने या डराने धमकाने की अपेक्षा एक-दूसरे का सम्मान करें और स्वीकार करें। शिक्षकों को ऐसी अभिवृत्यात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी जिससे दोनों जेंडर समूहों में परस्पर आदर की भावना पनपे। इस उद्देश्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों में इन्हें भी शामिल किया जा सकता है—

- कक्षागत व्यवहार के अनुरूप मिले-जुले साथी समूह निर्माण को बढ़ावा दिया जाए।
- व्यवहार की अतिशयता को टालने के लिए समूहों का प्रयोग किया जाए। उदाहरण के लिए आज्ञाकारी बच्चों को हावी होने वाले और गुस्सैल बच्चों के साथ इकट्ठे रखा जा सकता है ताकि वे एक-दूसरे से सीख सकें।
- सभी स्कूली अंतरालों और क्रियाकलापों में समूहों के बीच आपसी भागीदारी और उनको एक-दूसरे का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए।
- साथी समूह विषय-विशेष द्वारा उपलब्धियों के लिए कार्यों की पहचान करें।
- विशेष कार्यों के लिए समूह बनाएँ, जैसे— पर्यावरण संबंधी क्रियाकलाप, जिनमें कक्षाओं और वातावरण को साफ़ और सुव्यवस्थित रखना शामिल हों।
- सामाजिक चाल-चलन का सर्वेक्षण करने आदि की घटनाओं की प्रकृति को जानने के लिए समूह निर्माण करें।
- अलग-अलग पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी बच्चों के लिए आपसी आदर और प्रशंसा का भाव पैदा करने को प्रोत्साहन दें।
- सभी बच्चों, विशेषकर शर्मीले स्वभाव के बच्चों को अवसर प्रदान कर आपस में विश्वास हासिल करने के लिए बढ़ावा दें।

निश्चय ही उपरोक्त सभी कार्यनीतियों का उद्देश्य साथी समूहों को और अधिक जेंडर समावेशी तथा लड़कों एवं लड़कियों को एक-दूसरे की सराहना करने के लिए तैयार करना है।

4.8 कर्तव्यों और दायित्वों का आवंटन

यह जानना आवश्यक है कि कक्षा में कर्तव्य और दायित्व पर लड़कों और लड़कियों दोनों का बराबर अधिकार है। कक्षागत वातावरण में मध्यस्थ होने के नाते शिक्षकों को

© NCERT not to be republished

लड़कों और लड़कियों के बीच कर्तव्यों और दायित्वों का एकसमान वितरण सुनिश्चित कर कक्षागत संस्कृति निर्मित करनी चाहिए। जेंडर भेदभाव और रूढ़ियों से बचना चाहिए। सभी प्रकार के कार्य जेंडर भेदभाव के बिना और अपारंपरिक श्रम विभाजन के आधार पर ही आवंटित किए जाएँ। वास्तव में इन कार्यों का आवंटन व्यक्तियों की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। क्रियात्मक दृष्टि से शिक्षकों को इन बिंदुओं पर गौर करना चाहिए—

आत्मबोध

1. आपने लड़कों और लड़कियों को साथ बैठाने के लिए फर्नीचर को व्यवस्थित कर दिया है। दो सप्ताह के बाद आप किस प्रकार के बदलाव की अपेक्षा करते हैं? (सही उत्तर पर निशान लगाएँ)।

   (क) लड़के और लड़कियाँ आपस में दोस्ती का भाव रखते हैं (हाँ/नहीं)

   (ख) वे इनमें एक-दूसरे की सहायता करते हैं —

   (i) कक्षा कार्य में (हाँ/नहीं)

   (ii) गृह कार्य में (हाँ/नहीं)

   (iii) पढ़ाए गए पाठों के कठिन हिस्सों को समझाने में (हाँ/नहीं)

   (iv) लेखन सामग्री का आपस में लेनदेन (हाँ/नहीं)

   (v) लड़के और लड़कियाँ आपस में बिलकुल संवाद नहीं करते है (हाँ/नहीं)

   यदि, ऐसा नहीं है तो इसके कारण जानिए।

2. (क) किसी पाठ्यपुस्तक में से एक अनुच्छेद पढ़कर आपने अपनी कक्षा के लड़कों और लड़कियों में प्रश्न बाँट दिए हैं (सही उत्तर पर निशान लगाएँ)।

   (ख) यदि कोई लड़की उत्तर देने में संकोच करती है तो आप क्या करेंगे?

   (i) धैर्यपूर्वक इंतजार करेंगे।

   (ii) उसे अपने शब्दों में कुछ पंक्तियाँ बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

   (iii) उसे उन बच्चों के साथ बिठाएँगे जो कक्षा सहभागिता में अधिक सक्रिय हैं।

   (iv) अभिभावक-शिक्षक बैठक में बच्चे की इन समस्याओं पर माता-पिता से इस पर चर्चा करें और पता लगाएँ कि वह भाग लेने में संकोच क्यों करती है?

   (v) उपरोक्त सभी।

3. लड़कियों और लड़कों के मिले-जुले समूह की सहायता से अपनी कक्षा में एक प्रयोग करें। यह जाँच करें कि आप लड़कों और लड़कियों के व्यवहार में क्या भिन्नता देखते हैं?

   (i) लड़के और लड़कियाँ दोनों ही प्रयोग करने में उत्सुक थे।

   (ii) केवल लड़कों ने ही प्रयोग किए और लड़कियों ने केवल देखा।

   (iii) प्रयोग के दौरान लड़के हावी रहे।

4. कक्षा में लड़कियों को सक्रियता से भाग लेने के लिए आप क्या कदम उठाएँगे? (सही उत्तर पर निशाना लगाएँ)

   (i) उन्हें प्रेरित करें।

   (ii) लड़कियों को भी शामिल होने के लिए कहें, क्योंकि वे पाठ्येतर क्रियाकलापों से शर्माती हैं।

   (iii) अलग-अलग क्षमता वाले बच्चों के मिश्रित समूह बनाइए ताकि वे साथियों के साथ अंत:क्रिया से सीख सकें।

   (iv) उपरोक्त सभी।

5. प्रयोग करते समय मिश्रित समूह के प्रभाव पर ध्यान दीजिए।

© NCERT not to be republished

- कक्षा में दोनों लड़के और लड़कियाँ दायित्वों का साझा निर्वाह कर सकते हैं। लड़कों को भी लड़कियों की तरह सुव्यवस्थित होना चाहिए।
- लड़कों और लड़कियों दोनों को कक्षा के मॉनिटर बनाएँ।
- बच्चों को ऐसी टिप्पणियाँ करने से रोकें जो दूसरे जेंडर के प्रति अपमानजनक अथवा असहिष्णुता की मनोवृत्ति की सूचक हों।
- बच्चों की जेंडर आधारित भूमिकाओं के कारण उन पर नकारात्मक टिप्पणियाँ नहीं की जानी चाहिए।
- ऐसे अनुशासनात्मक उपाय नहीं किए जाने चाहिए जिनसे लड़कों और लड़कियों में द्वेष अथवा विरोध को बढ़ावा मिलता हो।
- विद्यार्थियों को सज़ा के तौर पर लड़कों और लड़कियों को इकट्ठे नहीं बिठाना चाहिए। ऐसा कर शिक्षक गलत संकेत दे सकते हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों की बराबर प्रशंसा की जानी चाहिए।
- परियोजनाएँ तथा मॉडल्स जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए, विशेष तौर पर शैक्षिक सैर-सपाटे के लिए समूह बनाते समय समूह नेता का चुनाव लड़कों और लड़कियों में से बिना किसी भेदभाव के किया जाए।
- ब्लैक-बोर्ड की सफ़ाई, सूचना बोर्ड, चार्टों की साफ़-सफ़ाई, कक्षा के लिए पानी लाना तथा इसी प्रकार की दूसरी ज़िम्मेदारियाँ लड़कों और लड़कियों दोनों को दी जाएँ।
- प्रातःकालीन सभा में बच्चों को पंक्तियों में खड़ा करना और सीधी लाइनों में विन्यसित करने का दायित्व लड़कों और लड़कियों, दोनों को दिया जाना चाहिए।
- कक्षा में कपड़ों, नाखून, जूतों आदि की साफ़-सफ़ाई की देखरेख की ज़िम्मेदारी भी दोनों ही वर्गों को दी जानी चाहिए।
- गृह कार्य को इकट्ठे करने का दायित्व भी लड़कों और लड़कियों दोनों को दिया जाए।
- प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद और पठन आदि प्रतिस्पर्धा के लिए छात्रों को अपनी मर्जी से नेता चुनने के लिए कहें।
- स्वच्छता और सजावट के दिन भी इस प्रकार आयोजित किए जाए कि उनमें लड़के और लड़कियाँ बराबर भाग लें तथा बिना किसी जेंडर भेदभाव के काम को साझा करें। इस प्रकार लड़कों को भी रंगोली और फूलों को सजाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- स्कूली आयोजनों में मुख्य अतिथि की अगवानी दल में लड़कों और लड़कियों दोनों को शामिल करें। फूल भेंट करने, माला पहनाने तथा स्वागत एवं धन्यवाद करने के लिए भी लड़कों और लड़कियों को बराबरी का दायित्व सौंपा जाए।
- कृत्रिम पंचायत और संसद सत्रों के आयोजन भी लड़कों और लड़कियों की सहभागिता से किए जाएँ।
- कक्षागत चुनावों में लड़कों और लड़कियों के उम्मीदवार शामिल किए जाएँ। इसी प्रकार ग्रामीण परिस्थिति में दोनों से ही सरपंच की भूमिका निभाने के लिए कहें।
- विभिन्न कार्यों के लिए लड़कों और लड़कियों पर आधारित 5–6 मॉनिटर नियुक्त किए जा सकते हैं; जैसे कि—
  - (i) कक्षा का रखरखाव
  - (ii) कक्षा में अनुशासन
  - (iii) कपड़ों, नाखूनों और जूतों आदि की व्यक्तिगत सफ़ाई की देखरेख
  - (iv) शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्यों का संग्रहण

आत्मबोध

1. आप अपने विद्यालय का वार्षिक दिवस समारोह आयोजित कर रहे हैं। मुख्य अतिथि की अगवानी के लिए आप किसे प्राथमिकता देंगे?

   (क) लड़का (ख) लड़की (ग) दोनों

2. कृत्रिम पंचायत आयोजित करते समय आप ग्राम सरपंच के रूप में किसे प्राथमिकता देंगे?

   (क) लड़का (ख) लड़की (ग) दोनों

3. स्वच्छता अभियान के दौरान फर्श, खिड़कियों के शीशे और ब्लैकबोर्ड तथा फर्नीचर साफ़ करने का काम सामान्यतः किसे दिया जाता है ?

   (क) लड़का (ख) लड़की (ग) दोनों

4.9 संदर्भ

- कफ, ई.सी. कैसिडी ए. हस्टलर डी. (संपादक). 1986. *एक्शन रिसर्च इन क्लासरूम एंड स्कूल्स*. एलन एंड अनविन, लंदन.

© NCERT not to be republished

- गोविंदा, आर. (संपादक). 2002. *इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट – ए प्रोफाइल ऑफ़ बेसिक एजुकेशन*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली.
- जेरोम, एच. फ्रीबर्ग और ड्रिस्कॉल. एमी स्कोल. 1992. *यूनिवर्सल टीचिंग स्ट्रेटेजीज*. एलिन एंड बेकन, लंदन.
- टीचर्स एजुकेशन इन ए चेंजिग सोसायटी. 1974. *शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रमंडल सम्मेलन*. राष्ट्रमंडल सचिवालय. नेरौबी, केन्या.
- डेंसकोम्ब, मार्टिन. 1985. *क्लासरूम कंट्रोल – ए सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव*. एलन एंड अनविन. लंदन.
- नायर, उषा. 1995. *फ्रॉम ए गर्ल चाइल्ड टू पर्सन – रिसोर्स मैटेरियल्स फ़ॉर टीचर्स एंड हेड टीचर्स फॉर प्राइमरी स्कूल्स इन इंडिया*. यूनेस्को, नयी दिल्ली कार्यालय.
- वाकर, रोब. 1975. *ए गाइड टू क्लासरूम ऑब्जर्वेशन*, मैथ्यून एंड कंपनी लिमिटेड, लंदन.
- व्हील्डल, केविन और ग्लाइम, टेड. 1989. *इफेक्टिव क्लासरूम लर्निंग*. बेसिल ब्लैकवेल, ऑक्सफोर्ड.
- स्ट्री, एफ. बॉब. 1998. *बिकमिंग ऑन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजर – ए रिसार्स बुक फॉर टीचर्स*. स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यूयार्क प्रेस. न्यूयार्क.
- हुसैन, टॉर्स्टन और बोल्ट गुन्ना. 1968. *एजुकेशनल रिसर्च एंड एजुकेशनल चेंज*. जॉन विले एंड संस, सिडनी.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 5

किशोर लड़कियों का मानसिक स्वास्थ्य संकल्पना, सरोकार और रणनीतियाँ

मॉड्यूल की रूपरेखा

5.1 परिदृश्य
5.2 भूमिका
5.3 उद्देश्य
5.4 मानसिक स्वास्थ्य की संकल्पना
5.5 मानसिक स्वास्थ्य के मानववादी सिद्धांत
5.6 मानसिक रूप से स्वस्थ किशोरों की क्षमताएँ और योग्यताएँ
5.7 मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक
5.8 उबरने की रणनीतियाँ
5.9 नवीनतम रुझान
5.10 संदर्भ

© NCERT not to be republished

5.1 परिदृश्य

यह मॉड्यूल लड़कियों की ज़िंदगी के अति महत्वपूर्ण चरण यानी किशोरावस्था पर केंद्रित है। किशोरावस्था बचपन से वयस्कता की ओर जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें अपनी अस्मिता की पहचान निर्मित होती है। इस चरण के विकास पर प्रकाश डालने वाले अनेक सिद्धांतों पर इस मॉड्यूल में चर्चा की गई है। इसके साथ मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का भी उल्लेख किया गया है। किशोर लड़कियों के लिए उपयोगी रणनीतियों की चर्चा तो की ही गई है साथ ही यदि उनके समक्ष कठिनाइयाँ आती हैं तो उनसे उबरने के उपाय भी बताए गए हैं। लड़कियों के लिए अपनी क्षमताओं के आकलन संबंधी कुछ जीवन कौशल तथा आत्म-बोध क्रियाकलापों को भी इसमें सम्मिलित किया गया हैं।

5.2 भूमिका

किशोरावस्था शारीरिक और मानसिक, दोनों ही स्तरों पर महत्वपूर्ण बदलाव का समय होता है। किशोर-किशोरियों के अनुभव ही यह निर्धारित करते हैं कि वे वयस्क होने पर कितने परिपक्व और संतुलित होंगे। किशोरावस्था से वयस्कता का विकास क्रम अत्यधिक परिवर्तनशील और परस्पर अंतःक्रिया एवं प्रभावित करने वाले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक व परिवेशीय कारकों से प्रभावित होता है। ऐसा पाया गया है कि सकारात्मक विकास तभी हो पाता है जब किशोरों में उद्यमिता एवं क्षमता की समझ, सह-संबद्धता की भावना, जीवन में अपने भाग्य के नियंत्रण पर विश्वास तथा स्थायी अस्मिता का विकास हो जाता है। जिन किशोरों-किशोरियों में इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं उनका व्यवहार समाजोन्मुखी हो जाता है तथा वे

विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रभावी सदस्य बन जाते हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में चिंता का विषय भारतीय किशोर लड़कियाँ हैं, क्योंकि लड़कियों का बालपन से नारीत्व के रूप में परिवर्तन कठिनाइयों भरा समय होता है। इस दौर में कई लड़कियाँ अपने ज्ञान और अनुभव पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर पाती हैं, वे अपनी भावनाओं को कमतर आंकती हैं तथा उनकी उपेक्षा कर ऐसे संबंध बनाती हैं, जो उनकी अपनी ईमानदारी तथा सच्चाई की अपेक्षा सांस्कृतिक रूढ़ियों पर अधिक आधारित होते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब उनमें यह विश्वास घर कर जाता है कि उनमें कोई कमी है तथा वे कहीं-न-कहीं अयोग्य हैं, क्योंकि वे अपेक्षित स्तर पर खरी नहीं उतरती हैं। इसका मूल कारण यौवनावस्था और समाज के दूसरे मनो-सामाजिक कारक हैं जिनके कारण उनमें शारीरिक, भावनात्मक तथा संज्ञानात्मक बदलाव भी होते हैं।

5.3 उद्देश्य

- मानसिक स्वास्थ्य की संकल्पना की समुचित समझ।
- मानसिक स्वास्थ्य के मानववादी सिद्धांतों के प्रति जागरूकता विकसित करना।
- किशोर लड़कियों के सरोकारों से अवगत होना।
- मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान।
- मानसिक रूप से स्वस्थ किशोरियों की क्षमताओं और योग्यताओं को जानना।
- मानसिक स्वास्थ्य में सहायता और उसे पुष्ट करने वाली रणनीतियों से परिचित होना।

क्रियाकलाप

1. मानसिक स्वास्थ्य क्या है?

   ....

   ....

2. मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण बताइए।

   ....

   ....

5.4 मानसिक स्वास्थ्य की संकल्पना

मानसिक स्वास्थ्य क्या है? इससे पहले कि हम मानसिक स्वास्थ्य की संकल्पना और इसके तात्पर्य पर चर्चा प्रारंभ करें, आइए हम आत्म-अवलोकन करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ें।

आपके मन में निश्चित ही सुखी होने, खुश होने, जीवन में संतोष, आशावादिता और प्रसन्नता आदि का ख्याल आया होगा, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य की उत्तम परिभाषा के रूप में सुखी होने की मनो-वैज्ञानिक अवस्था माना जा सकता है जिसमें व्यक्ति का अपना विकास सतत रूप से जारी रहता है, जीवन जीने का उद्देश्य निहित होता है तथा आत्म-स्वीकार्यता और दूसरों के साथ सकारात्मक रिश्ते बने रहते हैं। कुछ मनोविज्ञानी सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं, जैसे आनंद और उदासी के मध्य संतुलन बनाए रखने को मानसिक स्वास्थ्य मानते हैं। कुछ मनोविज्ञानी सुखी होने के लिए व्यक्ति के अपने वातावरण के प्रभावी होने पर अधिक बल देते हैं। जबकि कुछ लोग इसे किसी मानसिक बीमारी का अभाव मानते हैं, हालाँकि यह बहुत संकुचित परिभाषा है। किसी भी संकल्पना को ले लें, हमें यह मानना पड़ेगा कि अपने होने की सकारात्मक उपस्थिति का अहसास ही मानसिक स्वास्थ्य है जिसमें व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्ण, सुसमायोजित और यथार्थ से सुपरिचित होता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य की परिघटना को वैयक्तिक और सामाजिक क्रियाशीलता को सुगमित करने के स्तर को कायम और बनाए रखने की दृष्टि से परखा गया है। संक्षेप में उस मानववादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया गया है, जो मनुष्यों में स्वयं के रचनात्मक विकास एवं उन्नति पर बल देता है।

5.5 मानसिक स्वास्थ्य के मानववादी सिद्धांत

मानववादी परिप्रेक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत निहित तत्वों को जानना होगा। मानववादी परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए उन दो सिद्धांतकारों के योगदान की चर्चा के बिना मानसिक स्वास्थ्य की संकल्पना अधूरी होगी जिन्होंने इस विषय पर महत्वपूर्ण काम किया है। ये दो विद्वान हैं अब्राहम एच. मासलोव तथा कार्ल रोजर्स। उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डालना इसलिए आवश्यक है कि उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रत्येक व्यक्ति में निहित क्षमता और गरिमा पर आधारित किया है। किशोर लड़कियों के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शोध से बार-बार यह सिद्ध

© NCERT not to be republished

हुआ है कि उनका आत्म-बोध, खासतौर पर अपनी छवि और सम्मान उनके जीवन के अनुभवों से निरंतर संकटग्रस्त रहता है तथा क्षीण होता रहता है। उनके अपने अस्तित्व की अंतरंग आत्मगत छवि को शायद ही कभी व्यक्त होने का मौका मिलता हो। अतः ऐसा परिप्रेक्ष्य जिसमें उनकी आवश्यकताओं, उनके आत्म-विकास एवं वैयक्तिक विशिष्टता जैसे पक्षों को विशेष रूप से शामिल किया जाता है तो वह प्रचुरता से उनके हित में संगत और सार्थक लगता है।

मासलोव की आवश्यकता संबंधी पदक्रमता की धारणा

अब्राहम मासलोव के अनुसार मानवीय आवश्यकताएँ सभी प्राणियों के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। उनका मत है कि जहाँ मूल्य, आस्थाएँ तथा रीति-रिवाज एक देश से दूसरे देश और एक समूह से दूसरे समूह में अलग-अलग पाए जाते हैं, वहीं सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएँ एक समान रहती हैं। उनका अनुभव है कि मानवीय ज़रूरतें एक पदक्रमता के वर्गीकरण में विन्यस्त होती हैं जिसमें दो बड़े समूह शामिल हैं, मूलभूत आवश्यकताएँ और अधि-आवश्यकताएँ।

मूलभूत आवश्यकताएँ

मूलभूत आवश्यकताएँ शारीरिक आवश्यकताएँ होती हैं, जैसे कि भोजन, पानी तथा नींद आदि। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में प्यार, सुरक्षा और आत्म-सम्मान शामिल हैं। मूलभूत आवश्यकताओं को 'न्यून-आवश्यकताएँ' भी कहा जाता है, क्योंकि यदि इनकी आपूर्ति व्यक्ति के अपने संतोषजनक स्तर के अनुरूप नहीं होती है तो वह लगातार उनके अभाव को पूरा करने के प्रयास करता है। इस प्रकार इनकी अभिप्रेरणा आवश्यकता से उत्पन्न होती है। जिनकी पूर्ति नहीं हुई हो और उनसे संतुष्टि की इच्छा बनी रहती है।

अधि-आवश्यकताएँ

अधि-आवश्यकताओं अथवा संवर्धनशील आवश्यकताओं को उच्चतर स्तर की आवश्यकताएँ भी कहा जाता है। इनमें न्याय, अच्छाई, सुंदरता, व्यवस्था, एकता आदि शामिल हैं। मूलभूत आवश्यकताएँ संवर्धनशील आवश्यकताओं से महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जब भोजन अथवा पानी का संकट हो तो सौंदर्य अथवा न्याय की परवाह कहाँ होती है। उच्चतर आवश्यकताओं की ज़रूरत अनुभव हो अथवा उनके समाधान तलाशे जाएँ, इससे पहले यह आवश्यक है कि पदक्रमता के प्रारंभिक चरणों में संतुष्टि हासिल हो सके।

अधिक ठोस जानकारी के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को यहाँ तालिका 1 में पदक्रमता के क्रम में दर्शाया गया है। निम्न स्तर की आवश्यकताओं को नीचे (1 से 4 तक) रखा गया है, उनकी पूर्ति उच्चतर स्तर की आवश्यकताओं से पहले होनी चाहिए। ऊपर की चार (5 से 8 तक की) आवश्यकताएँ व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी पूर्ण की जा सकती हैं।

तालिका 1— मासलोव की आवश्यकता आधारित पदक्रमता

आवश्यकताएँ	विशेषताएँ
8. आत्म-उत्कर्ष	इसमें उच्चतर स्तर की चेतना शामिल रहती है, जैसे— दूरदर्शी अंतर्ज्ञान, परोपकारिता तथा जगत के साथ ऐक्य आदि।
7. आत्म-क्रियान्वितीकरण	यह क्षमता के विकास की चरम अवस्था होती है और व्यक्ति का अपना स्वत्व क्या है, उसकी दिशाएँ-लक्ष्य क्या हैं तथा वह क्या हासिल करना चाहता या चाहती है आदि इसमें सम्मिलित होता है।
6. सौंदर्य	इस अवस्था में व्यक्ति शांत होता है तथा अपनी आतंरिक संरचना के प्रति अधिक जिज्ञासु होता या होती है। यह अवस्था क्रम और सुंदरता से परिलक्षित होती है।
5. संज्ञानात्मक	इस अवस्था में व्यक्ति जानने के आनंद तथा अपनी समझ विकसित करने के लिए सीखता है तथा ज्ञान संसाधन में अपना योगदान करने की चाहत रखता या रखती है।

© NCERT not to be republished

4. सम्मान	इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं पर विश्वास, अपनी योग्यता और क्षमता का अहसास, आत्म-सम्मान तथा दूसरों के लिए आदर के भाव को संतुष्टि प्रदान करने की इच्छा रखता या रखती है। यह अवस्था संसार में अपना उच्च स्थान बनाने तथा अपने बारे में न्यूनतर शंका से भी परिलक्षित होती है।
3. चाहत और प्यार	इस अवस्था में व्यक्ति किसी समूह से संबद्ध होना चाहता या चाहती है, भरोसे के विश्वस्त मित्र चाहता या चाहती है। संक्षेप में व्यक्ति प्यार करना और प्यार पाना चाहता या चाहती है।
2. सुरक्षा	इस अवस्था में सुरक्षा, समनुरूपता और शांत चित्तता के लिए संभावित खतरे से मुक्त होने की भावना रहती है।
1. शारीरिक	ये मूलभूत शारीरिक आवश्यकताएँ होती हैं, जैसे— भोजन, पानी, आश्रय तथा यौन आदि।

किसी किशोर भारतीय लड़की के जीवन में इन परिस्थितियों का संदर्भ जानने लिए आयोजित चर्चा में (नीचे) बॉक्स में दिए गए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चर्चा से पता चल सकता है कि बहुत सी लड़कियों की आवश्यकताएँ भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति के कारण अभी भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके साथ-साथ लड़कियों के साथ विभिन्न स्वरूपों में भेदभाव और हिंसा होती है।

क्या आप समझते हैं कि भारत में एक किशोर लड़की की जरूरतें पर्याप्त रूप से पूरी होती हैं?

....

....

इसके उपरांत नीचे दिए गए केस-अध्ययन का विश्लेषण कर यह देखने की कोशिश की जा सकती है कि मासलोव की आवश्यकता पदक्रमता एक किशोर लड़की के जीवन को वास्तविक संदर्भ में किस प्रकार प्रभावित करती है।

क्रियाकलाप

नीचे दिए गए केस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें।

ज्योत्स्ना 16 वर्षीय लड़की है। वह एक गरीब परिवार से है तथा दिनभर उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। उसे अपने भाई-बहनों और घर की देखभाल करनी पड़ती है। गाँव में कुछ दिन पहले आई महिला डॉक्टर को देखकर उसके मन में भी डॉक्टर बनने का इच्छा होती है। यह जानते हुए कि वह गरीब है तथा उसके जीवन में दूसरी प्राथमिकताएँ और सरोकार हैं, वह यह मान लेती है कि वह कभी भी मेडिकल कॉलेज नहीं जा पाएगी। फिर भी वह कड़ी मेहनत करने का निर्णय लेती है ताकि वह एक शिक्षक बन सके और गाँव के स्कूल में पढ़ाए तथा अपने समुदाय के लिए कुछ अच्छा कर सके। दिनभर के काम के बाद वह पढ़ने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाती थी। वह हमेशा अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करती थी। उसने कभी भी अपनी परिस्थितियों अथवा परिवार को नहीं कोसा और सभी के बारे में भला ही बोला। उसकी अध्यापिकाएँ हमेशा कहती थीं, यह लड़की स्वतःप्रेरित, सर्जनात्मक, नये अनुभवों से सीखने तथा नयी चुनौतियों से जूझने की इच्छा रखती है।

1. आपके अनुसार मासलोव की आवश्यकता की पदक्रमता के अनुसार ज्योत्स्ना किस अवस्था में है? उसकी आवश्यकताएँ क्या हैं?

   ....

   ....

2. उसके व्यक्तित्व की विशेषताएँ क्या-क्या हैं?

   ....

   ....

उसे मानसिक रूप से एक स्वस्थ लड़की माना जा सकता है, जो उच्चतर क्रम आवश्यकता वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आती है, क्योंकि वह जीवन की परिस्थितियों का प्रभावी रूप से समाधान तलाशती है, उसके यथार्थ को स्वीकारती है तथा अपनी योग्यता के विषय में किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं रखती अथवा विश्वास नहीं खोती है। वह अपनी स्थिति से उबरने के लिए वैकल्पिक रास्ता खोजती है। वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित है तथा अपने अस्तित्व के लिए सकारात्मक अनुभवों को जोड़ती है। अंततः वह एक आत्म-क्रियान्वित व्यक्ति बन सकेगी, इसकी पूरी संभावना है। मासलोव के अनुसार

© NCERT not to be republished

आत्म-क्रियान्वित व्यक्ति निम्नलिखित अभिलक्षणों से जाना जाता है —

- उनका यथार्थ बोध बेहतर होता है तथा वे अपनी और अपने जीवन की परिस्थितियों में सहज अनुभव करते हैं।
- वे स्वयं को तथा अपने स्वभाव को स्वीकार करते हैं।
- उनमें कृत्रिमता (दिखावा) नहीं होती।
- वे दूसरों की समस्याओं पर भी ध्यान देते हैं और बुनियादी तथा शाश्वत मुद्दों से सरोकार रखते हैं।
- वे निजता चाहते हैं और कुछ-कुछ तटस्थ दिखाई देते हैं।
- वे अपने विकास पर निर्भर करते हैं तथा सतत आगे बढ़ते रहने पर केंद्रित होते हैं।
- वे जीवन की मूलभूत खुशियों की कद्र करते हैं (खुशियों को स्वतः सुलभ नहीं मानते)।
- उनमें दूसरों के साथ गहरे लगाव का भाव होता है।
- वे पूर्णतः लोकतांत्रिक होते हैं तथा भेदभाव का शायद ही उन्हें आभास होता हो।
- उनके नैतिक और आचार-व्यवहार के मानक बड़े दृढ़ होते हैं।
- वे मौलिक और कल्पना-कुशल तथा कम संकोची एवं दूसरों के मुकाबले से अधिक ऊर्जावान होते हैं।

इस सूची से यह तो पता चलता है कि सभी किशोर लड़कियों में आत्म-क्रियान्विति की इच्छा होती है बस उन्हें सहयोग और अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है। हर लड़की ज्योत्स्ना हो सकती है, केवल इसके लिए सही मानसिक सोच और सचमुच में आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार आत्म-क्रियान्विति कोई अमूर्त नहीं अपितु सुप्राप्य लक्ष्य है। कार्ल रोजर्स ने भी क्रियान्वितिकरण की संकल्पना पर विस्तार से चर्चा की है।

कार्ल रोजर्स का सिद्धांत

कार्ल रोजर्स के अनुसार सभी प्राणियों में अपनी सहजात क्षमताओं को क्रियान्वित करने का बुनियादी रुझान होता है। यह क्षमता पौधों सहित सभी जीवधारियों में होती है, मनुष्यों में इसका एक अतिरिक्त रूप यानी अपने आपको क्रियान्वित करने का लक्षण भी प्राप्त होता है जिसे आत्म-क्रियान्विति कहा जाता है। आत्म-क्रियान्वित व्यक्ति के गुणों अथवा लक्षणों पर चर्चा से पूर्व आइए रोजर्स द्वारा वर्णित किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की मूल विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालें। उनके सिद्धांत के बुनियादी पहलुओं को जानने का एक प्रयास किया जाए।

स्व-चेतना

व्यक्ति की चेतन भावना कि वह कौन और क्या है, स्व-चेतना होती है। यह जागृति में पाई जाती है। यह नामध्वनियों संबोधन वाचिक, जैसे 'आई' अथवा 'मी' में और दृक्-विषयक यथार्थ (किसी व्यक्ति की यथार्थवादी निजी धारणा) के माध्यम से क्रमशः निर्मित होती है। उदाहरण के लिए मैं एक 16 वर्ष की लड़की हूँ, अथवा मुझे सभी पसंद करते हैं, क्योंकि मैं अग्र-सक्रिय हूँ, पहल करती हूँ, दूसरों को समझती हूँ, और उनकी यथासंभव मदद भी करती हूँ, मैं कुशाग्र हूँ तथा एक पत्रकार बनना और बहुत कुछ करना चाहती हूँ। इसका महत्वपूर्ण पक्ष उसका निजी अनुभव है। यह प्रत्येक व्यक्ति की एक सार्वभौम आवश्यकता है कि वह दूसरों से स्वीकार्यता, प्रेम तथा अनुमोदन चाहता या चाहती है। यह वह समय होता है जब स्वीकार्यता और अनुमोदन व्यक्ति के अपने अंदर से आते हैं और आत्म-संकल्पना का हिस्सा बन जाते हैं। इनमें आत्म-सम्मान, आत्म-क्षमता, तथा सकारात्मक आत्म-छवि भी शामिल होती है। यह पक्ष 'मैं कुशाग्र हूँ', 'मैं प्यार के काबिल हूँ' तथा मैं अपने जीवन में जो भी करूँगी उसमें सफलता प्राप्त करूँगी, जैसी भावनाओं से जाहिर होता है। यह पक्ष उन्हें दूसरों के सकारात्मक आदर के अनुभव से मिलता है जो उन्हें निर्माणात्मक वर्षों में प्राप्त होता है अर्थात् बड़े होने के दौरान। इस प्रकार रोजर्स का सिद्धांत भारत में किशोर लड़कियों के लिए प्रभावों की एक पूरी शृंखला प्रस्तुत करता है, विशेषतौर पर उनके सकारात्मक आदर, प्यार और स्वीकार्यता संबंधी आवश्यकता के लिए। आइए, देखें कि ऐसे कौन-से प्रभाव हैं जो लड़की की स्व की भावना के विकास पर प्रभावी होते हैं। इसके बारे में नीचे दिया गया आत्म-बोध अभ्यास हमें और अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा।

नीचे दिए गए कथन पर आत्म-बोध कीजिए —

- यदि तुम .... करती हो तो तुम एक अच्छी लड़की हो।
- मैं तुम्हें तभी पसंद करूँगी यदि तुम अपना सारा काम करोगी।
- तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकती। तुम प्रधानाचार्या के सामने मुझे और स्वयं अपने को बस बेवकूफ़ बनाती हो।

© NCERT not to be republished

- तुम मेरी सबसे अच्छी विद्यार्थी तभी बनोगी जब कक्षा में प्रथम आओगी।
- तुम तभी किसी लायक हो यदि तुम पूरी तरह सक्षम हो और उच्च उपलब्धि प्राप्तकर्त्ता हो।
- मेरी तरह बनने के लिए तुम्हें हमेशा सबसे श्रेष्ठ बनना होगा और बाकियों से बेहतर।
- मैं तुम्हें पसंद करूँ इसके लिए तुम्हें मेरे कहे अनुसार कार्य करना होगा और जो भी कहा जाए उससे सहमत होना पड़ेगा।

1. आप अपने आपको कितनी बार इस प्रकार के सशर्त कथन की स्थिति में पाते हैं?

   ....

   ....

2. इस प्रकार के कथन के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लिखिए।

   ....

   ....

जब आप इस प्रकार के कथन प्रयुक्त करते हैं तो आप पात्रता की शर्तें जोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आपको प्रेम और स्वीकृति तभी मिलेगी जब आपका व्यवहार प्रत्याशित और समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। एक किशोर लड़की तभी तक प्रेम प्राप्त करेगी जब तक वह अपने शिक्षकों अथवा माता-पिता का अनुकरण करती है। यदि वह उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कुछ करती है तो वह उनका प्यार खो देती है। हमें यह याद रखना होगा कि व्यक्ति को सही मायनों में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक आदर और बिना शर्त स्वीकार्यता की ज़रूरत होती है। जब हम व्यक्तियों को स्वीकार करने से पूर्व शर्तें निर्धारित करना शुरू कर देते हैं तो सशर्त सकारात्मक आदर से 'पात्रता' की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें लड़की यह विश्वास करना प्रारंभ कर देती है कि वह तभी तक प्यार और स्नेह की पात्र है जब तक वह दूसरों की पसंद का व्यवहार करती है। लड़की तभी अपने आपको पसंद करती है जब वह अपनी क्षमताओं की पूर्णता की अपेक्षा दूसरों द्वारा निर्धारित मानकों पर अपने आपको खरा पाती है। हमें यह पता होना चाहिए कि इनमें से अधिकांश मानक ऐसे हैं जो व्यक्ति-विशेष की विलक्षणताओं पर गौर किए बिना ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। इसमें उस लड़की की क्षमताओं और शक्तियों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। अकसर वह लड़की अपने आपको निर्धारित मानकों के अनुरूप न पाकर सकारात्मक आत्म-सम्मान को भी बनाए नहीं रख सकती है। इससे उसके अपने अनुभवों और उससे जुड़ी अपेक्षाओं के मध्य विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

विसंगति

यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के अनुभवों और आत्म-बोध में विभेद उत्पन्न हो जाता है। वास्तविक आत्म-बोध और आदर्श आत्म-बोध तथा 'मैं क्या हूँ' और 'मुझे क्या होना चाहिए' इन दोनों के बीच दूरी पाई जाती है। इससे व्यक्ति का व्यवहार सुरक्षात्मक हो जाता है और आत्म-सम्मान की हानि होती है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधिकांश कार्यकर्ता किशोर लड़कियों की समस्याओं को आत्म-बोध की हीन भावना में देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह रोजर्स की रूपरेखा के विविध आयामों से स्पष्ट हो चुका है। अधिकांश भारतीय लड़कियाँ छींटाकशी तथा पाबंदियाँ या नियंत्रण की शिकार होती हैं। नियंत्रण को उनके साथ सख्ती से अमल में लाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों को अपने जीवन में बहुत ही सीमित स्वाभाविकता, आज़ादी, शक्ति तथा आत्म-नियंत्रण प्राप्त होता है। वे दूसरों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं पर खरा न उतरने अथवा अपनी इच्छाओं को व्यक्त न करने के कारण अकसर आत्म-शंका और आत्म-अवमूल्यन की भावना का शिकार हो जाती हैं। भारतीय लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में रोजर्स का सिद्धांत विशेषकर उल्लेखनीय है। बिना किसी शर्त सकारात्मक आदर देने का महत्व इससे सिद्ध हो चुका है।

निःशर्त सकारात्मक आदर तब दिया जाता है जब आप किसी को प्यार करते हैं और उस व्यक्ति के व्यवहार की परवाह न करते हुए स्वीकार्यता का संकेत देते हैं। इसका अभिप्राय नियंत्रण और निराशा की कमी नहीं है। उदाहरण के लिए यदि कोई लड़की किशोर साथियों के दबाव में धूम्रपान अथवा अभद्र कपड़े पहनना शुरू कर देती है तो उसे रोकना पड़ेगा। उसे इस तरह के पहनावे और धूम्रपान के दुष्प्रभाव के बारे में बताना पड़ेगा। हालाँकि उसे इसके लिए गलत, पथभ्रष्ट और दुष्ट लड़की के रूप में दंडित नहीं किया जाना चाहिए। सकारात्मक सोच अधिक सामंजस्य उत्पन्न करती है जिसके

© NCERT not to be republished

परिणामस्वरूप अनुभव अधिक उदात्त हो जाते हैं और अंततः व्यक्ति को पूर्णतः कार्यशील बना देते हैं।

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति एक पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति होता है, जिसमें आत्म-क्रियान्विति की प्रवृत्ति हिलोरें मारती है। इस प्रकार के व्यक्ति में निम्नलिखित गुण देखे जा सकते हैं —

अनुभवों की उदारता

यह गुण रक्षात्मक से विपरीत है। किसी व्यक्ति के सांसारिक अनुभवों का यह सर्वाधिक सटीक दृष्टिकोण है। इसका तात्पर्य अपनी भावनाओं के साथ-साथ सच्चाई को स्वीकार करना भी है।

अस्तित्ववादी जीवनशैली

इसका आशय वर्तमान परिस्थितयों में जीवन जीना है। रोजर्स इस बात पर ज़ोर देते हैं कि सच्चाई के साथ समरसता की प्रक्रिया में हमें अतीत अथवा भविष्य में नहीं जीना चाहिए। इसमें से एक गुज़र चुका है और दूसरे का अभी उदय होना है। हमारे पास एकमात्र वास्तविकता वर्तमान की ही है। परंतु इसका मतलब यह कदापि नहीं कि हमें अपने बीते कल से सीखना नहीं चाहिए और उसको याद नहीं करना चाहिए। इसका यह भी अर्थ नहीं कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी है और कुछ कल्पनाएँ भी नहीं करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यादें, सपनें और वैसे अनुभव जो हमारे वर्तमान के हैं जिस उद्देश्य के लिए हैं उसे हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए।

सर्वांगिक विश्वास प्रक्रिया

हमें अपने आपको सर्वांगिक जीवन मूल्यों की प्रक्रिया से निर्देशित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके लिए हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और जैसी स्वाभाविक प्रक्रिया हो उसके अनुसार जो अच्छा लगे वैसे करें। स्वाभाविकता का अर्थ यह नहीं कि यदि आप परपीड़क हैं तो आप किसी को चोट पहुँचा दें और यदि आप स्वपीड़क हैं तो अपने आप को नुकसान पहुँचा लें अथवा यदि नशा या मद्य आपको प्रसन्न रखता है तो आप उनका सेवन करें या फिर यदि आप विषादग्रस्त हैं तो आप आत्महत्या कर लें। इसका अर्थ है कि आप अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करें और यदि आप अपने अनुभवों के प्रति उदार हैं तथा आत्म-क्रियान्वितिकरण के संपर्क में हैं तभी आप जान सकते हैं कि आपकी अपनी अंतरात्मा क्या कह रही है।

अनुभवजन्य स्वतंत्रता

रोजर्स का कहना है कि पूर्ण क्रियाशील व्यक्ति ही स्वतंत्रता की भावना को स्वीकार करता है और अपनी प्राथमिकताओं के लिए उत्तरदायित्व लेता या लेती है।

सर्जनात्मकता

पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति जो आत्म-क्रियान्वितिकरण की प्रक्रिया से जुड़ा है वह अपने स्वभाव की प्रेरणा से दूसरों को क्रियाशील करने में योगदान करने का भाव रखेगा और वह अपने जीवन में भी यही करता है। ऐसा करना कला अथवा विज्ञान में रचनात्मकता, सामाजिक सरोकार तथा माता-पिता के प्यार या केवल अपने काम को पूर्ण क्षमता से करने के माध्यम से संभव होता है।

इसके विपरीत अव्यवस्थित व्यक्ति को केवल सशर्त सकारात्मक आदर और विकसित पात्रता ही प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के आत्म-बोध और क्षमताओं में विसंगतियाँ विद्यमान होती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति के निम्नलिखित लक्षण होते हैं—

1. रक्षात्मक जीवन शैली — ऐसा व्यक्ति जीवन अनुभवों के प्रति उदार नहीं होता या होती।
2. व्यक्ति पूर्व-कल्पित योजनाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता या करती है जो आमतौर पर माता-पिता द्वारा निर्धारित होती हैं।
3. सर्वांगिक विश्वास प्रक्रिया में व्यक्ति उपेक्षा करता या करती है, व्यक्ति में अंतर्प्रज्ञा नहीं होती है।
4. व्यक्ति अपने से खिलवाड़ किया महसूस करता या करती है। लड़की अपनी पसंद का चयन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती है।
5. सार्वजनिक और समनुरूपक होती है।

आइए! जो हमने अब तक जाना उसे फिर से दोहराएँ

1. किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान कीजिए जिसे आप मानसिक रूप से स्वस्थ मानते हैं।

 ....

 ....

2. इस प्रकार के व्यक्ति की विशेषताओं की एक सूची बनाएँ।

© NCERT not to be republished

5.6 मानसिक रूप से स्वस्थ किशोरों की क्षमताएँ और योग्यताएँ

बॉक्स 1

शोध अध्ययन बताते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ किशोर में निम्नलिखित योग्यताएँ देखी जाती हैं —

- मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होना।
- स्वयं में विश्वास का भाव होना।
- अपने प्रति सहजता का भाव।
- परस्पर संतोषप्रद वैयक्तिक संबंधों की शुरुआत और उन्हें बनाए रखना।
- एकांतता की आदत और उसका उपभोग।
- दूसरों के प्रति जागरूक और समानुभाव रखना।
- खेलना और सीखना।
- अच्छे और बुरे की समझ विकसित करना।
- परेशानियों और नाकामयाबियों का सामना करना और उनसे सीखना।
- प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें दृढ़ता से पाने की कोशिश करना।

बॉक्स 2

हेविगर्स्ट (Havighurst) (1972) ने किशोरों की उपलब्धियों का वर्णन विकासात्मक कार्यों के माध्यम से किया है। ये उपलब्धियाँ आज की परिस्थितियों में भी प्रासंगिक हैं। इनकी सूची इस प्रकार है—

- अपनी शारीरिक संरचना को स्वीकार करना और उसका प्रभावी इस्तेमाल करना।
- हमउम्र लड़के और लड़कियों के साथ नए-नए और अधिक परिपक्व संबंध बनाना।
- पुरुष और स्त्री की सामाजिक जेंडर भूमिका प्राप्त करना।
- माता-पिता तथा दूसरे वयस्कों से अलग भावनात्मक रूप से आत्म-निर्भर होना।
- अपने भविष्य की योजना निर्धारित करना और उसके लिए तैयारी करना तथा रोजगार की दुनिया में शामिल होना।
- सामाजिक क्षमता के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक कौशल और संकल्पनाओं का विकास करना।
- समाज में अपेक्षित दायित्वपूर्ण व्यवहार को जानना और उसे प्राप्त करना।
- विवाह और पारिवारिक जीवन के लिए अपने आपको तैयार करना।
- ऐसे मूल्यों को अपनाना जो यथेष्ट वैज्ञानिक विश्व-परिदृश्य के साथ सामंजस्य रखते हों।

5.7 मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक

जीवन के विभिन्न पहलू मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अनेक शोधकर्ताओं ने ऐसे महत्वपूर्ण कारकों की पहचान की है, जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। किशोरों के लिए जो क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं उनमें व्यक्तिगत गुण, स्कूली जीवन, सामुदायिक और सामाजिक-पारिवारिक जीवन तथा साथी समूहों के साथ हुए अनुभव शामिल हैं। चित्र 1 में उन विभिन्न कारकों का एक आरेखीय चित्र दिया गया है जो किशोर या किशोरी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास और संवर्धन को प्रभावित करते हैं। इन क्षेत्रों में कोई भी नकारात्मक अनुभव, जैसे असुविधाजनक शिक्षक अथवा कलही पारिवारिक जीवन आदि किसी लड़की के संपूर्ण सुखमय जीवन भाव में कमी कर सकते हैं।

चित्र में दिया गया है कि विकासात्मक प्रक्रिया को व्यक्ति तथा उसके परिवेश में होने वाली अंतःक्रिया से समझा जा सकता है। इनसे किशोरी लड़की को अपने जीवन के मायने और अपनी अस्मिता को इस प्रकार समझने में मदद मिलती है कि उसके परिवेश के आंतरिक और बाह्य पहलू भी उसमें शामिल हो जाते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में दबाव अथवा तनाव भी शामिल हैं। सामान्यतः लोग उस समय तनाव का अनुभव करते हैं जब उनसे अपेक्षाओं की अधिकता उपलब्ध संसाधनों की क्षमता से अधिक हो जाती है। किसी किशोरी के जीवन में तनाव के महत्वपूर्ण कारकों में यौनता, माता या पिता की मृत्यु, कॉलेज में प्रवेश अथवा विद्यालय के अगले दर्जे में जाना, गंभीर व्यक्तिगत चोट अथवा बीमारी

© NCERT not to be republished

आदि शामिल है। इस प्रकार की घटनाएँ किसी किशोरी की कार्यशीलता और तनाव से उबरने की क्षमता को गंभीरता से प्रभावित कर सकती हैं।

यौनता का किशोर लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके जीवन में इसके साथ अनेक नए परिवर्तन होते हैं। आइए किशोर लड़की में विकासात्मक सरोकारों को संक्षेप में जानें।

प्रतिभागियों को किशोर लड़कियों के उन सरोकारों की सूची बनाने के लिए प्रेरित किया जाए, जिनका उन्हें पता है कि वे चुनौतियों, कठिनाइयों और मुश्किलों से दो चार हैं।

....

....

परिशिष्ट 1 को देखें जिसमें किशोर लड़कियों के सरोकारों की सूची दी गई है।

चित्र 1— किशोर विकास को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी परिणतियाँ

परिवार
- बच्चे जनने की रीतियाँ
- परिवार-संरचना
- माता-पिता और बच्चों के आपसी रिश्ते
- पारिवारिक कार्यशीलता में नैदानिकता

समाज
राजनीतिक, आर्थिक और रोजगार की परिस्थितियाँ

यदि अनुकूल हो — स्वस्थ और समाजोपयोगी किशोर (सकारात्मक मार्ग)

यदि प्रतिकूल अथवा अस्वस्थ हो — अस्वस्थ और गैर-उत्पादक किशोर (नकारात्मक मार्ग)

दादा-दादी तथा माता-पिता द्वारा अनुकरण किया गया मार्ग

विकासक्रम को बदलने वाली घटना का समय

स्कूली शिक्षक
पाठ्यक्रम मूल्यांकन

किशोर क्षमताएँ
संबद्धता का भाव
स्थायी पहचान
अपनेपन का भाव
यौनता की आयु
व्यक्तित्व
संज्ञानात्मक विकास

किशोरों में कौशल, क्षमता और योग्यताएँ होती हैं जिनसे वे जीवनयापन की आवश्यकताओं के विभिन्न पक्षों के हल निकाल सकते हैं, इनमें उनका परिवार होता है अथवा कोई सांस्थानिक पहचान जुड़ी होती है तथा उसकी अपनी पहचान आदि भी होती है... वह तब स्वस्थ कहलाएगी और समाज में अपना योगदान कर सकती है।

समुदाय

साथी-समूह

सकारात्मक मार्ग

मनो-सामाजिक सहायता के स्रोत— युवा संगठन, समुदाय के भीतर सांस्कृतिक कारक कायदे और मूल्य

मैत्री समूह
साथी समूह मूल्य
साथी समूह संस्कृति

इन सब संसाधनों से संपन्न व्यक्ति सामुदायिक आवश्यकताओं से अंतःक्रिया कर सकेगा और उनके समाधान निकाल सकेगा। साथ ही वह स्वयं, परिवार और समाज के विकास के प्रति संगठनात्मक और मनो-सामाजिक सहायता सुविधाओं का उपयोग भी कर सकेगा।

सकारात्मक मार्ग

स्रोत— एडोलेसेंट केयर में प्रकाशित डा. विमला वीरराघवन का लेख *एडोलसेंट डेवलपमेंट — प्रोमोटिंग पॉजिटिव पाथवेज ऑफ़ ग्रोथ* (किशोर विकास— विकास के सकारात्मक मार्गों को प्रोत्साहित करना)

© NCERT not to be republished

इसके उपरांत निम्नलिखित केसों का अध्ययन किया जा सकता है—

केस 1

शेफाली के पिता उसे संगीत की कक्षा में जाने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि उसने बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में केवल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। उसके पिता उसे लड़कों से बात करने की अनुमति भी नहीं देते हैं और न ही उसे सिनेमा देखने भेजते हैं। शेफाली पर पहनावे को लेकर भी पाबंदी है तथा अपना करियर तय करने की छूट भी नहीं है। उसे धीरे बोलने के लिए कहा जाता है तथा यह अनुभव कराया जाता है कि वह हमेशा दूसरों पर निर्भर बनी रहेगी।

केस 2

फैज़ल एक 18 वर्ष की अत्यधिक शर्मीली तथा रूढ़िवादी लड़की है तथा वह लोगों के सामने चुप रहती है। उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है और वह अनुभव करती है कि वह किसी लायक नहीं है तथा निकम्मी भी है और उसका कोई दोस्त नहीं है। वह समझ नहीं पाती है कि उसके माँ-बाप उसके साथ उसके भाइयों से भिन्न व्यवहार क्यों करते हैं? वे हमेशा उन्हें दोस्तों के साथ बाहर जाने तथा कॉलेज पढ़ने और मनमर्जी करने की छूट देते हैं। फैज़ल से बस यही कहा जाता है कि उसकी शादी जल्द हो जाएगी। इसलिए उसे खाना पकाने तथा घर-गृहस्थी के काम सीखने चाहिए। उसकी सभी चाचियाँ व मौसियाँ यह कहते हुए उसकी आलोचना करती हैं कि उसकी लंबाई बहुत कम है, वह गोरी नहीं है, उसके शरीर पर बाल हैं तथा उसके स्तन छोटे हैं।

ये कुछ उदाहरण उन कठिनाइयों के थे जिनका सामना किशोर लड़कियों को करना पड़ता है।

लड़कियाँ 13 से 19 वर्ष की आयु में अपने शारीरिक विकास में तीव्रता से होने वाले बदलावों का अनुभव करती हैं। इनमें अचानक लंबाई तथा वज़न में बढ़ोत्तरी और हार्मोन स्तर में बदलाव होता है जिसके कारण उनमें गौण लैंगिक गुणों का विकास सक्रिय हो उठता है। इसके परिणामस्वरूप किशोरी लड़कियाँ अपने वज़न और शरीर के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं; उनकी शरीर संबंधी छवि-चेतना सामान्यतः बड़ी उच्च स्तरीय होती है, क्योंकि उनकी शारीरिक छवि उनके लिए बड़े मायने रखती है इसलिए इस पर हम अगले भाग में विस्तृत चर्चा करेंगे।

शारीरिक बदलाव से अनके दूसरे भावनात्मक बदलाव भी उपजते हैं। उदाहरण के लिए अब तक जिस लड़की को उसका पिता गले लगाकर और चुम्बन से प्यार करता था अब उससे संकोची व्यवहार करता है, क्योंकि वह बड़ी हो गई है। दोस्ती के उसूल भी बदल गए हैं। जिस पड़ोसी के लड़के के साथ वह छुपा-छुपी खेलती थी अब वह अचानक ही उसके माता-पिता के लिए एक खतरनाक व्यक्ति हो गया है (रंगनाथन, 2003)। उसकी जीवन-शैली तथा व्यवहार पर नैतिकता के नियंत्रण उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगते हैं तथा माँ सामान्यतः एक नियामक शक्ति का रूप बन जाती है। इसके साथ-साथ बढ़ती उम्र की लड़की को शीघ्रतापूर्वक महिला जेंडर की भूमिका में सामाजीकृत करने का प्रयास किया जाता है तथा एक अच्छी लड़की के स्वरूप में ढलने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप उसे घर और विद्यालय में उच्च आदर दिया जाने लगता है। उसके मिलने-जुलने वाले सभी लोग लगातार आने वाले समय में उसकी पत्नी तथा जननी की भूमिका को साबित करने पर बल देते हैं। तारुण्य से पूर्व की उसके बच्ची के रूप की स्वाभाविकता, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता अब आत्म-संकोच, सामाजिक अपेक्षाओं तथा समानुरूपता के दबाव से अंतरित हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप उसकी बहुतेरी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें, जैसे— खतरे उठाना, रोमांच, आत्माभिव्यक्ति, स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता आदि असंतृप्त और दमित रह जाते हैं। उसकी निजता अब व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित की जाने लगती है। अकसर इसके कारण तनाव, द्वंद्व, दबाव और उद्विग्नता आदि तीव्रता से उभरने लगते हैं। रजोधर्म के अनुभव तथा इसके परिणामस्वरूप लड़की को उसे गुप-चुप तरीके से रखने की सामाजिक सोच से लड़कियों में अपराध-बोध तथा लज्जा का भाव पैदा हो जाता है। लड़की के 'कौमार्य' को ही सर्वस्व मान लिया जाता है तथा 'पुरुष आक्रमण' का खतरा लड़की की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। इन सब बातों का उसे लगातार अहसास कराया जाता है, अंततः इससे उसमें कमज़ोरी, हीनता तथा शक्तिविहीनता का भाव विकसित हो जाता है।

इसी समय संवेगी विकास भी लगातार तेज़ी से होते रहते हैं। किशोरी लड़की इस समय संकल्पना, विवेकशीलता और कोमलता तथा अन्यमनस्कता से सोचने लगती है। ऐसा मूल्यांकन निर्मिति के कारण होता है। दुर्भाग्य से इन सभी संकल्पनाओं को केवल अक्रियात्मक अभिप्रेरण तथा परितोष ही प्राप्त होता है,

© NCERT not to be republished

क्योंकि इन्हें निजी निर्णयों और सामाजिक मुद्दों में अभिव्यंजित करने की अनुमति नहीं होती है। इस प्रणाली से लड़कियों की अपरिमित क्षमता व्यर्थ हो जाती है अथवा दमित हो जाती है। इस प्रकार उसकी स्वाभाविक क्षमता तथा अस्मिता के यथार्थ के मध्य अंतराल और अधिक व्यापक हो जाते हैं।

किशोर लड़कियों के लिए विशिष्ट सहायतापरक रणनीतियाँ

माता-पिता, शिक्षक तथा प्रशासक किशोर लड़कियों को विभिन्न तरीकों से सहायता प्रदान कर सकते हैं। अभिभावक ऐसा भी कर सकते हैं—

- प्रारंभ से ही रूढ़िवादी अपेक्षाओं से मुक्त रहने का भाव उत्पन्न करना। ऐसे खिलौने लड़कियों को दें, जो बच्चों के खेलने के सभी आयामों पर आधारित हों तथा उन्हें ऐसे टेलीविज़न कार्यक्रम और फ़िल्में देखने दें, जिनमें पुरुष और महिला पात्रों, दोनों का सकारात्मक पारंपरिक एवं गैर-सकारात्मक पारंपरिक भूमिकाओं में संतुलन हो।
- लड़कों में भी पालन-पोषण तथा दूसरों की परवाह करने के गुणों के विकास को बढ़ावा दें।
- लड़कियों को उनकी रुचि के कार्यक्षेत्र में ले जाएँ तथा उन्हें यह समझाएँ कि उनका काम किस प्रकार समुदाय की भलाई में अपना योगदान करना है।
- स्कूल में लड़कियों की सहभागिता के बारे में पूछताछ करें तथा उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों से पूछें।
- अभिभावक का अपनी बेटियों के प्रश्न, शिकायतें तथा साथियों, बहन-भाइयों और वयस्कों पर उनकी टिप्पणियों को सुनें व ध्यानपूर्वक यह पता लगाएँ कि यदि कोई परेशानी है तो कहाँ है।
- इस बात को जानें कि हमारी संस्कृति में लड़कियाँ अपनी क्षमता तथा स्थान के बारे में स्कूल, टेलीविज़न तथा फ़िल्मों से परस्पर विरोधी संदेश प्राप्त करती हैं। इस प्रकार के विचारों पर उनसे खूब आलोचनात्मक बातचीत करें तथा ऐसा उनकी आयु के समानुरूप सशक्त महिला पात्रों वाली कहानियाँ एवं जीवनियाँ पढ़कर किया जा सकता है।

यहाँ कुछ और तरीके सुझाये गए हैं जिनको क्रियान्वित करके शिक्षक किशोर लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्हें—

- उन्हें माध्यमिक कक्षा के लिए जेंडर अनुकूल पाठ्यचर्याओं का विकास करना चाहिए। पुरुष तथा महिला शिक्षकों को उनके काम के दौरान अलग-अलग कर इन प्रश्नों पर गौर करना चाहिए—
  - मैं एक लड़की के दृष्टिकोण से कैसे चीज़ों को देख सकता या सकती हूँ तथा कैसे पढ़ा सकता या सकती हूँ?
  - मैं अपने कक्षागत व्यवहार से लड़कियों को क्या संदेश देती या देता हूँ?
  - लड़कियों को सभी अकादमिक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण के लिए प्रेरित करें, विशेषकर विज्ञान और गणित में। यह ध्यान रखें कि कक्षागत बातचीत में उनके योगदान का मूल्याँकन किया जाए।
  - सत्ता, जेंडर, नस्ल तथा राजनीति जैसे मुद्दों की सीधे-सीधे और उनकी (लड़कियों) आयु के अनुसार ही व्याख्या करें। इस प्रकार इन मुद्दों के केंद्रीय पहलुओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर पर्याप्त ध्यान दें।

प्रशासन को चाहिए कि

- विद्यार्थी तथा शिक्षक लड़कियों के जेंडर संबंधित उत्पीड़न के प्रति नीतियों के निर्माण का समर्थन करें और उन्हें लागू करें।
- यह सुनिश्चित पहले करें कि शिक्षक स्कूल कार्यक्रमों के अंतर्गत कक्षाओं तथा पाठ्येतर गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को समान भागीदारी के अवसर प्रदान करें।
- स्कूल सुधार प्रयासों के एक भाग के रूप में इस बात की आवश्यकता को स्वीकार करें कि लड़कियों के आत्म-बोध सुधार तथा उपलब्धियों का उल्लेख करने पर बल दिया जाना चाहिए।

5.8 उबरने की रणनीतियाँ

किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए विपत्तियों से उबरने की योग्यता का बड़ा महत्व है। उबरने का मतलब है जीवन में उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से सफलतापूर्वक निपटना। विपत्तियों से निपटने के लोगों के प्रयासों में भारी अंतर देखा गया है। कुछ लोग भावनाओं पर केंद्रित नीति अपनाते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की भावनाओं के प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता है। उबरने की इस रणनीति में किसी व्यक्ति का ध्यान

© NCERT not to be republished

उसकी समस्याओं से हटाना भी शामिल है, इसमें समस्या की उपस्थिति को नकारना, किसी की भावनाओं के निकास अथवा दूसरों से अपनी दिक्कतों को साझा करने को ही नकार दिया जाता है। उबरने की दूसरी रणनीति में समस्या केंद्रित उबरने की नीति शामिल है। इसमें समस्या के समाधान के लिए तनाव घटाने के प्रयास शामिल हैं। जो लोग इस नीति का अनुपालन करते हैं वे समस्या से उबरने के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं। इनमें संबंधों को जोड़ने के लिए परामर्शदाता की सेवा लेना अथवा कार्य संबंधी समस्या के होने पर नयी नौकरी की तलाश करना शामिल होता है। वे दोस्तों अथवा परिवार के सदस्यों की सहायता भी ले सकते हैं।

लोग (अवसाद आदि से) उबरने के नए कौशल भी सीख सकते हैं। शिक्षक और परामर्शदाता स्कूल में किशोरियों को मुश्किलों के समाधान ढूँढ़ने के तरीके, तनावपूर्ण घटनाओं तथा द्वंद्व से उबरने के कौशल सिखा सकते हैं।

सकारात्मक सोच

सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम और बदलाव में विश्वास रखने की योग्यता है। इससे किशोरी लड़कियों में विवेकपूर्ण विकासोन्मुखी रुझान विकसित करने में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप वे अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। सकारात्मक सोच से कार्यक्षमता में वृद्धि, ऊर्जा में सुधार तथा परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता का अहसास होता है। इससे नैराश्यभाव, विरक्ति, कुंठा तथा आधुनिक जीवन-शैली के प्रति निराशा समाप्त हो जाती है। साथ ही इससे विश्वास भी विकसित होता है और नकारात्मक व्यवहार प्रतिमान सकारात्मक व्यवहार रूपों में बदल जाते हैं। जब किशोर लड़कियाँ अपने आपको असमर्थ मानती हैं या अपनी गलतियों पर अपने को कोसती हैं और अपनी योग्यता पर संदेह अथवा संभावित असफलताओं से डरती हैं तो उस स्थिति में नकारात्मक सोच पैदा होती है।

आत्म-विश्वास

आत्म-विश्वास एक ऐसी अभिवृत्ति है जो किसी व्यक्ति को अपने और अपनी परिस्थितियों के बारे में सकारात्मक परंतु यथार्थ दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करती है। आत्म-विश्वासी व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन पर नियंत्रण का एक सामान्य भाव उनमें बना रहता है तथा वे यह मानते हैं कि वे जो चाहते हैं, सोचते हैं और उम्मीद करते हैं वैसा यथासंभव अपने जीवन में कर सकेंगे। उनकी आशाएँ वास्तविकताओं पर आधारित होती हैं और यदि कभी उनकी उम्मीदें पूरी नहीं भी होती हैं तो भी वे सकारात्मक बने रहते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। वे दूसरों की असहमतियों का खतरा मोल लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा होता है। उन्हें अपने सामर्थ्य पर विश्वास होता है अतः दूसरों की स्वीकार्यता के लिए वे अपने को उसके अनुरूप ढालने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक इसके विपरीत जिन व्यक्तियों में आत्म-विश्वास की कमी होती है वे अपने को सहज अनुभव करने के लिए पूरी तरह दूसरों की स्वीकार्यता पर निर्भर करते हैं। असफल होने की आशंका भर से ही वे खतरे उठाने में संकोच करते हैं। सारांश यह कि वे सफलता की उम्मीद नहीं रखते हैं। वे अकसर स्वयं को उपेक्षा भाव से देखते हैं और मिलने वाली सराहना को नगण्य एवं अनदेखा कर देते हैं।

अहंभाव शक्ति

अहंभाव शक्ति व्यक्ति की वह योग्यता है जो पीड़ा, तनाव की बेचैनी तथा परस्पर विरोधी आतंरिक शक्तियों और वास्तविकता की अपेक्षाओं में अपनी पहचान बनाए रखती है। यह व्यक्ति की भेद करने, नियंत्रित करने, सहने तथा यथार्थ की परीक्षा एवं विचार करने की शक्ति है। किसी भी व्यक्ति में पर्याप्त अहंभाव शक्ति का होना अनिवार्य है ताकि इस शक्ति से दुनिया की चुनौतियों से व्यावाहरिक तरीके से निपटा जा सके तथा सचेतन रणनीतियों द्वारा आतंरिक मानसिक द्वंद्वों के हल शीघ्रता से पाए जा सकें और अवचेतनता में झांक सकें तथा उद्विग्नता का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें। किशोर लड़कियों के संदर्भ में यह आशा की जाती है कि यदि उनका अहंभाव सशक्त बनता है तो वह इस प्रकार से समर्थ हो जाती है कि—

- यह अनुभव करने के लिए पर्याप्त आत्म-सम्मान कि उनकी (लड़कियों की) सुरक्षा की जानी चाहिए।
- जोखिम की परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने की योग्यता।
- आवेग को नियंत्रित करने की योग्यता।
- जोखिम की स्थितियों पर नियंत्रित की योग्यता का आनंद लेना।
- बाहरी दुनिया तथा उसमें जीवित रहने के बारे में अपेक्षित जानकारी।
- अपनी सुरक्षा के लिए आत्म-दृढ़ता का सामर्थ्य।
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने की योग्यता, जो उसके जीवन में खतरा न बनकर उसकी सुरक्षा करेंगे।

© NCERT not to be republished

किशोर लड़कियों के लिए व्यवहारिक रणनीतियाँ

प्रश्न यह है कि लड़कियों में इन्हें कैसे पुष्ट किया जाए। किशोर लड़कियाँ जिन रणनीतियों को व्यवहार में ला सकती हैं उनकी एक सूची यहाँ दी गई है—

अपनी हितकारी परिस्थितियों को जानिए

अभ्यास के उद्देश्य को जानने के लिए नीचे दिए गए कथन और परिकल्पना को ध्यान पूर्वक पढ़िए—

मेरे माता-पिता या पति-पत्नी मेरा ध्यान रखते हैं, वे मुझे प्यार करते हैं तथा मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं।

मेरे बहुत से मित्र हैं।

मेरे शिक्षक मेरे काम से बहुत खुश हैं।

मैं अपनी बातें अपनी बहन या भाई से साझा कर सकती हूँ।

मैं अच्छी चित्रकारी कर सकती हूँ।

काम करने के लिए मेरे दोनों हाथ सलामत हैं।

ठीक से चलने के लिए मेरे दोनों पाँव हैं।

यह सूची काफी लंबी हो सकती है।

आप क्या समझते है? लेखिका यहाँ पर क्या कहना चाहती है?

....

....

यह पद्धति अति-सामान्य होने के बावजूद एक बड़ी सशक्त पद्धति है। आपको करना बस इतना भर है कि एक कागज़ का टुकड़ा लेना है या फिर किसी कॉपी एक पन्ना और उस पर अपने हित की तमाम बातें और सफलताएँ लिखनी हैं (अपने परिवार, प्रिय संगीत, दोस्तों आदि के बारे में)। इस पर तिथि डालकर इसे सुरक्षित जगह पर रख दें, जब कभी दुखी महसूस करें अथवा चीज़ें आपकी इच्छानुसार घट नहीं रहीं हों तो इसे निकालें और पढ़ें तथा इनसे कुछ सांत्वना हासिल करें। आपको अहसास होगा कि आपकी उपलब्धियों और हासिल की गई चीज़ों का क्या महत्व है। आपको इससे मुस्कुराहट भी मिलेगी।

परिवर्तन

मैं नहीं कर सकती अथवा मैं असफल रही, आदि कथनों को; मैं कर सकती हूँ और मैंने अपने अनुभवों से सीखा है, जैसे कथनों में परिवर्तित करने के लिए सचेतन प्रयास कीजिए।

अपनी क्षमताओं को महत्व दीजिए

आप जो कुछ प्रयास करती हैं उसके लिए अपने को श्रेय दीजिए। इस बात पर बल दें कि आप क्या कर सकती हैं, न कि इस बात पर कि आप क्या नहीं कर सकती हैं। प्रयास के परिणाम पर अधिक ध्यान न देते हुए अपने प्रयास करने के उत्साह की सराहना कीजिए। अपनी और दूसरों की प्रशंसा कीजिए। सफलता के सपने अवश्य देखें।

जोखिम उठाइए

किसी भी नए अनुभव को जीत अथवा हार के बजाय उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखिए। इससे नयी-नयी संभावनाओं का उदय होगा और आपमें आत्म-स्वीकृति के भाव का विकास होगा। ऐसा न करने पर सभी संभावनाएँ असफलताओं में बदल जाती हैं जिससे व्यक्ति का विकास रुक जाता है।

अतार्किक धारणाओं का निराकरण

निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और जानिए कि लेखिका क्या कहना चाहती है—

1. प्रत्येक व्यक्ति को मुझे प्यार करना चाहिए।
2. मुझे लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ।
3. जटिल स्थिति का सामना करने की अपेक्षा उससे बचना ही बेहतर है।
4. यदि एक बार कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं तो वे हमेशा गलत ही रहेंगी।
5. मैं जो भी करूँगी उसमें मेरा प्रदर्शन श्रेष्ठ ही होना चाहिए।

ये कुछ अतार्किक धारणाएँ हैं जो किसी व्यक्ति की धारणाओं का हिस्सा होती हैं। अतार्किक धारणाएँ ऐसी ही होती हैं जैसी ऊपर बताई गई हैं और ये भावनात्मक असंतोष का मुख्य कारण होती हैं। व्यक्ति को यह बताया जाना चाहिए कि इन्हें किस प्रकार बदला जा सकता है। शिक्षक बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस प्रकार इन अतार्किक धारणाओं को तार्किक, अनुभवजन्य धारणाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार की तकनीकों में वाद-विवाद एक तकनीक है जिसमें हम प्रश्न कर सकते हैं कि इस धारणा पर विश्वास करने का क्या कारण है अथवा 'यह धारणा इस प्रकार की है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं?', किस प्रकार यह सत्य अथवा असत्य के रूप में सिद्ध होती है? विभेदकता से मनुष्य आकांक्षाओं और

© NCERT not to be republished

ज़रूरतों, इच्छाओं और माँगों, तार्किक और अतार्किक विचारों, पूर्ण अथवा अपूर्ण मूल्यों और व्यवहारों के मध्य स्पष्ट अंतर कर सकता है। यह तय करने में व्यक्ति का अपने कार्यों और मंतव्यों को स्पष्टतः चयनित करना शामिल है। वे नीचे दिए गए तार्किक सिद्धांतों का अनुपालन कर ऐसा कर सकते हैं (1) क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा हमेशा होगा, (2) क्योंकि किसी व्यक्ति ने किसी खास समय पर ऐसा सोचा था इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा ऐसा ही सोचेगा, (3) क्योंकि किसी ने किसी खास समय पर विशेष तरीके का व्यवहार किया था, इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी बदलेगा नहीं।

इस प्रकार की विश्वास पद्धति से जटिल परिस्थितियों के प्रति नए और अधिक संगत भावनात्मक परिणाम हासिल होते हैं। इनसे ऐसे कौशलों का विकास होता है, जो व्यक्ति को पहले अपनी ही अतार्किक मान्यताओं को पहचानने में मदद करते हैं तदुपरांत उनकी विवेचना करने में भी सहायता करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे वे जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी लागू कर सकते हैं।

आत्म-मूल्यांकन

अपने लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए आप आत्मनिर्भर होकर स्वयं को मूल्यांकित करें। दूसरों से अपनी तुलना न करें। अपने आपको सुधारने की क्षमता केवल आप में है, दूसरे के विषय में आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आप दूसरों से अपनी तुलना करते हों तो एक मिनट के लिए भले ही आप खुश होंगे, क्योंकि आप दूसरों से बेहतर हैं, परंतु दूसरे ही मिनट आप दुखी होंगे क्योंकि आप पाएँगे कि दूसरे आप से अच्छे हैं। इसका नतीजा लगातार कष्टदायक ही होगा। अपने ऊपर आंतरिक रूप से ध्यान दीजिए और ज्ञात कीजिए कि आप अपने व्यवहार, काम आदि पर क्या राय रखते हैं, इससे आप में अपने बारे में कुछ शक्ति भाव उत्पन्न होंगे तथा अपनी निजी शक्तियों को दूसरों को देने से बच जाओगे।

खेल एवं व्यायाम

शोध अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, दोनों ही स्तरों पर बेहतर मनोदशा, उच्च आत्म-सम्मान तथा भावनाएँ, संवर्धित ताकत और कार्य अथवा निर्णय पर बने रहने की शक्ति निर्मित होती है। इससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जो हृदय को और स्वस्थ बनाती है जिससे शरीर में रक्त की आपूर्ति उत्तम होती है। सर्वोत्तम प्रभाव के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। महीने में एकाध बार उठकर घूमने जाने से शायद ही कुछ लाभ हो।

निश्चयात्मकता

किसी व्यक्ति के प्रति व्याकुलता को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का दृढ़तापूर्ण व्यवहार ही भावनाओं का सही-सही अभिव्यक्तिकरण है। दूसरे व्यक्ति को नीचा न दिखाते हुए अपनी समझ के आधार पर निर्णय करने की क्षमता ही निश्चयात्मकता है। यह स्नेहमय व्यवहार का प्रदर्शन और सटीक संप्रेषण है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही भावनाएँ शामिल होती हैं। निश्चयात्मकता को कई बार आक्रामकता के रूप में भी देखा जाता है, जबकि आक्रामकता एक प्रकार से डर का भाव पैदा करना होता है, जिसका उद्देश्य दूसरों पर शक्ति के प्रयोग से वर्चस्व हासिल करना होता है। यह शक्ति प्रयोग प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रकार का हो सकता है।

क्या मैं यह विश्वास कर सकती हूँ कि असहमति से सहमत होना ठीक है और सहमति हमेशा आवश्यक नहीं होती?

जीवन के प्रति व्यवहार और दृष्टिकोण में दृढ़ता के केंद्र बिंदु के अनुसार ये बातें सम्मिलित होती हैं—

- **अपने आप को समझिए**— आपके मूल्य, आस्थाएँ, आपके व्यक्तित्व के गुणों, उनके कारणों तथा उनकी उत्पति के कारणों को समझें।
- **अपने आपको जानिए**— अपनी इच्छाओं, पूर्व-कल्पनाओं, आकाँक्षाओं और लक्ष्यों को जानिए।
- **अपनी कद्र करें**— अपना आत्म-विश्वास बढ़ाएँ तथा अपने अधिकारों की रक्षा करना भी जानें।
- **दूसरों को समझें और उनका आदर करें**— दूसरों के मूल्यों, आस्थाओं और अधिकारों को जानिए और उनका आदर कीजिए।

लक्ष्य निर्धारित करें

लक्ष्यों और उद्देश्यों के निर्धारण से एक किशोर लड़की को यह चयन करने में मदद मिलती है कि वह जीवन में क्या करना चाहती है और जीवन में सचमुच क्या हासिल करना चाहती है। इस प्रकार उसे यह पता चल पाएगा कि उसे किन-किन क्षेत्रों में ध्यान देकर

© NCERT not to be republished

अपने आपको सुधारना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण से उसे दीर्घावधि की अंतदृष्टि और तात्कालिक अभिप्रेरणा मिलेगी।

5.9 नवीनतम रुझान

जब हम प्रतिरक्षात्मक और प्रोत्साहनपरक मानसिक स्वास्थ्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे— जीवन कौशल शिक्षा, यौनता शिक्षा, पारिवारिक जीवन शिक्षा और किशोर शिक्षा के समाधान भी तलाश करने होंगे।

जीवन कौशल शिक्षा

जीवन कौशल शिक्षा का तात्पर्य जीवन संबंधी कौशल सीखने से है। जीवन कौशल की परिभाषा इस प्रकार दी गई है—'ऐसा अनुकूलनीय और सकारात्मक व्यवहार जिससे व्यक्ति दैनिक जीवन की चुनौतियों और आवश्यकताओं से प्रभावी रूप से निपटने के योग्य बनता है' (डब्ल्यू.एच.ओ. 1993)। इसमें अनिवार्य रूप से वे योग्यताएँ निहित होती हैं जो जीवन की वास्तविकताओं से दो-चार होने वाले युवा लोगों में मानसिक स्वास्थ्य और क्षमता को बढ़ावा देती हैं। जीवन कौशल शिक्षा व्यक्ति को कौशल सीखने और उसका अभ्यास करने में समर्थ बनाती है। इसमें निहित दर्शन भाव है कि युवा लोगों को अपने कार्यों के प्रति अधिक-से-अधिक ज़िम्मेदारी के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। डब्ल्यू.एच.ओ. दस्तावेज़ के अनुसार जीवन कौशल शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनके बारे में बच्चों और किशोर या किशोरियों को स्वास्थ्यवर्धन की दृष्टि से पढ़ाया जाना चाहिए उनमें ये शामिल हैं—

- सृजनात्मक चिंतन
- आलोचनात्मक सोच-विचार
- संप्रेषण
- आत्म-जागरूकता
- भावनाओं से उबरना
- अंतर्वैयक्तिक कौशल
- समानुभूति
- तनाव से निपटना

यौनता शिक्षा

किशोरावस्था ही वह समय होता है जब यौन इच्छाएँ जागृत होती हैं, परंतु किशोर लड़की को यह समझ नहीं होती है कि इसके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक और कानूनी पहलू भी हैं। लड़की में यौनता की इच्छाएँ विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण के अंतर्गत प्रेमासक्ति, नायक-पूजा, डेटिंग, अकड़कर चलना आदि में प्रदर्शित होती हैं। वह एकदम से आवेग में आ सकती है और जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। हो सकता है कि वह परिणाम की परवाह किए बगैर यौन संबंध में भी फँस सकती है। इसलिए शिक्षकों और माता-पिता को किशोर लड़कियों का मार्गदर्शन और सहायता करनी होगी और यौनता की शिक्षा देनी होगी ताकि लड़कियाँ अपने यौनता संबंधी मूल्यों का निर्माण कर सकें। इस प्रकार की शिक्षा के केंद्र में मानव यौनता, मानव प्रजननता, ज़िम्मेदारीपूर्ण और स्वस्थ यौन व्यवहार, नैतिक और आचार व्यवहार के मुद्दे, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित यौन संबंध, अपने शरीर की कद्र करना, संप्रेषण कौशल, मना करने का कौशल तथा अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायित्व लेना आदि बातें शामिल होनी चाहिए।

किशोर शिक्षा

बढ़ती आयु में किशोर और किशोरी, विशेषकर प्रजजन स्वास्थ्य के बारे कोई ठोस जानकारी न होने कारण बहुत-सी जटिलताओं का सामना करते हैं। किशोर शिक्षा का उद्देश्य पाठकों को किशोरों के प्रजजन स्वास्थ्य के बारे में सही-सही और पर्याप्त ज्ञान देना है। इस ज्ञान के विचारणीय पक्षों में किशोरावस्था में विकास, उनके जैविकीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और नैतिक पक्ष शामिल रहते हैं। इससे यही अभिप्रेत है कि किशोरावस्था में यौन संबंध के प्रति एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सके, उन्हें एच.आई.वी. या एड्स तथा नशीले पदार्थों के प्रति जागरूक किया जाए ताकि वे विपरीत जेंडर के प्रति सम्मान का भाव बना सकें और यौन संबंध तथा नशीले द्रव्यों के प्रति ज़िम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करें।

पारिवारिक-जीवन शिक्षा

पारिवारिक जीवन संबंधी शिक्षा को सुखी पारिवारिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए ही बनाया गया है। इसका उद्देश्य नवयुवकों या नवयुवतियों को सफल वैवाहिक जीवन और ज़िम्मेदार माता-पिता बनने के लिए तैयार करना है। इसमें ध्यान देने वाले विषयों में परिवार, परिवार की संरचना, परिवार के विभिन्न स्वरूप और प्रकार्य, पारिवारिक वैमनस्य और उनके समाधान, किशोर

© NCERT not to be republished

तथा उनकी विभिन्न जरूरतें एवं जटिलताएँ, मनुष्य की यौनता के बारे में जानकारी, विवाह और उत्तरदायी पितृ व मातृत्व के लिए तैयारी सम्मिलित हैं।

आत्म-बोध अभ्यास

यहाँ नीचे दिए गए प्रकरण केस को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसपर निर्मित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए।

केस 1

वंदना एक गौरवर्ण 16 वर्षीय लड़की है। पढ़ने में वह अच्छी है तथा लड़कों और लड़कियों में काफ़ी लोकप्रिय है। हाल ही में वह टेलीविज़न मॉडल्स से प्रभावित होकर उनके जैसा शरीर पाने के बारे में सोच रही है। वह केवल फैशन टी.वी. देखती है और फैशन पत्रिकाएँ ही पढ़ती है। हालाँकि उसका शरीर सुडौल है पर उसे लगता है कि उसके शरीर में मोटापा आ गया है और उसने कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग अपने भोजन में बंद कर दिया है। वह अधिकतर समय जिम में बिताती है जिसके कारण दोस्तों के लिए उसके पास मुश्किल से ही कुछ वक्त बचता है। परिणामस्वरूप अपने दोस्तों से दूर हो रही है। वह चाहती है कि सब उसकी प्रशंसा करें और उस पर ध्यान दें। यदि लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं तो वह नाराज़ और कुंठित हो जाती है। उसे लगता है कि इसकी त्वचा अथवा शरीर में कुछ कमी है। पिछले कुछ दिनों में उसके किसी दोस्त ने जिम में उसे बताया कि सिगरेट पीने से लड़के (विपरीत जेंडर) उसकी तरफ आकर्षित होंगे और साथ ही उसका वज़न भी कम होगा।

आपको क्या करना है—

- संभावित कारणों का पता लगाइए।
- बताइए कि उसका वांछित व्यवहार कैसा होना चाहिए।
- उन प्रयासों की सूची बनाइए जिनसे मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन मिल सके।

केस 2

ऋचा एक 17 वर्षीय लड़की है जिसके माता-पिता दोनों नौकरी करते हैं। उसकी माँ एक बुटिक चलाती हैं जबकि पिता उद्योगपति हैं। उसे फ़िल्में देखना, पॉप संगीत सुनना, सोप ओपेरा देखना और नए-नए संगीत के वीडियो देखना पसंद है। हाल ही में उसकी अपने पुरुष मित्र से उसकी अनबन हो गई तथा तब से उसने दूसरों से भी बात करना बंद कर दिया है। वह स्कूली गतिविधियों में भाग नहीं लेती और यदि उसे कुछ कहा जाए तो उसे करना भूल जाती है। वह अपना अधिकांश समय रोमांटिक उपन्यास पढ़ने में गुजारती है तथा इस कल्पना में खोई रहती है कि किसी दिन कोई आकर उसको मनाएगा तथा प्यार और रोमांस की दुनिया में ले जाएगा। गणित शिक्षक ने उसे कक्षा में असावधान पाया और एक सामान्य गणित की समस्या को हल करने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि कक्षा में क्या कुछ हो रहा है इसका उसे कोई पता नहीं है। शिक्षक ने उसकी गोद में एक पुस्तक देखी। लगभग सभी विषयों में उसकी यही स्थिति है। अब तो उसने दिवा-स्वप्न देखना शुरू कर दिया है। कल्पना कीजिए आप उसकी शिक्षक हैं और उसकी मदद करना चाहती हैं।

आप क्या करेंगी—

- संभावित कारण का पता लगाएँगी।
- बताएँ कि उसका अपेक्षित व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए।
- उन प्रयासों की एक सूची बनाइए जो आप मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए करेंगी।

5.10 संदर्भ

- ओरेनस्टीन, पी. 1994. *स्कूलगर्ल्स – यंग वूमेन, सेल्फ स्टीम एंड द कांफिडेंस गैप*. डबलडे, न्यूयॉर्क.
- गिलिगन, सी. 1982. *इन ए डिफ्रेंट वाइस – साइक्लॉजिकल थ्योरी ऑफ़ वूमेन्स डेवलपमेंट*. एम.ए. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैंब्रिज.
- गिलिगन, सी., जे.वी.वार्ड, जे.एम. टेलर, बी. बर्डीज. 1988. *मैपिंग ऑफ़ मोरल डॉमेन*. एम.ए., हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. कैंब्रिज.
- डब्ल्यू.एच.ओ. 1996. *लाइफ स्किल्स एजुकेशन – प्लानिंग फॉर रिसर्च डिवीजन ऑफ़ मेंटल हेल्थ*, डब्ल्यू. एच.ओ., जेनेवा.
- तपन, एम. 1997. *फेमिनाइन्टी एंड इट्स डिस्कंटेटमेंट – वूमेन बॉडी इन इंटीमेट रिलेशनशिप एन एम्बॉडीमेंट – जेंडर एंड आइडेंटिटी*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली.
- ब्राउनली, बी. 1999. *इनसाइड द टीन ब्रेन*. यू.एस. न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट.

© NCERT not to be republished

- रोजर्स, सी.आर. और आर.ई.फार्सन. 1976. *एक्टिव लिस्निंग शिकागो इंडस्ट्रियल रिलेशंस,* यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो, अमेरिका.
- रंगनाथन, एन. 2003. *प्बर्टी सेक्सूऐलिटी एंड कोपिंग – एन एनालिसिस ऑफ़ एक्सपीरियंस ऑफ़ अर्बन एडोलेसेंट गर्ल्स.* साइक्लोजिकल स्टडीज 48(1). पृष्ठ संख्या 56–63.
- लाजर, आर.एस. 1975. *कापिंग विद स्ट्रेस – मेजर्स एंड फ्यूचर डारेक्शंस फॉर स्केल डेवलपमेंट.* एप्लाइड साइकालॉजी जर्नल, 71(3) पृष्ठ संख्या 377–85.
- लाजर, आर.एस. और एस. फोकमैन. 1984. *स्ट्रेस, एपरेजल एंड कोपिंग.* स्प्रिंगर, न्यूयॉर्क.
- वीरराधवन, वी. 2000. *एडोलसेंट डेवलपमेंट – प्रोमोटिंग पोजिटिव पाथवेज ऑफ़ ग्रोथ इन एन एडोलसेंट केयर.* डॉ. एस. यादव और टी.एस. जैन (संपादक). आई.ए.पी., कैंब्रिज प्रेस, दिल्ली.
- शर्मा, वी. और ए. शर्मा. 1994. *मनार्की – ए ट्रॉमैटिक एक्सपीरियंस फॉर इंडियन गर्ल्स.* प्री एडोलेसेंस क्लिनिक एंड रिसर्च की अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस में प्रस्तुत शोधपत्र.
- सुंदरराजन, पी. 2001. *डेवलपमेंट ऑफ़ ए नीड बेस्ड मेंटल हैल्थ प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंस गर्ल्स.* अप्रकाशित पी-एच.डी शोध सी.आई.ई., दिल्ली विश्वविद्यालय.
- हॉल, जी. स्टेनली. 1904. *एडोलसेंट – इट्स साइक्लोजी एंड इट्स रिलेशन टू फ़िजियोलॉजी, एनथ्रोपोलॉजी, सोशलॉजी, सेक्स, क्राइम, रिलिजन एंड एजुकेशन.* डी. एप्पलटन एंड कंपनी, न्यूयार्क.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 6

शिक्षक एक परामर्शदाता

मॉड्यूल की रूपरेखा

6.1 परिदृश्य
6.2 भूमिका
6.3 उद्देश्य
6.4 शिक्षक एक परामर्शदाता— औचित्य, आवश्यकता और महत्व
6.5 मार्गदर्शन और परामर्श क्या है?
6.6 प्रभावकारी परामर्शदाता के रूप में शिक्षक के अपेक्षित गुण
6.7 परामर्शदाता के रूप में शिक्षक के साधन और तकनीकें
6.8 संदर्भ

© NCERT not to be republished

6.1 परिदृश्य

आज शिक्षक अनेक ज़िम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। समाज में जिस प्रकार से तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं उनसे शिक्षकों को लगातार नए-नए दायित्व सौंपे जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में शिक्षक अपनी भूमिका केवल एक अकादमिक के रूप में ज्ञान और वैश्विक जानकारी के संसाधन के रूप में सीमित नहीं रख सकते। उसे अपनी भूमिका को व्यापक संकल्पना के रूप में एक परामर्शदाता, सहायताकर्त्ता, मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अपने विद्यार्थियों के समग्र विकास की कारक के रूप में समझनी होगी। इसके लिए उसे विद्यार्थियों में 'स्व' और 'अस्मिता' के भाव को उनके स्कूली अनुभवों के माध्यम से विकसित करने की दिशा में काम करना होगा।

प्रस्तुत मॉड्यूल शिक्षक की भूमिका को एक परामर्शदाता के रूप में जानने की आवश्यकता और महत्व की चर्चा करता है। इसमें मार्गदर्शन और परामर्श की संकल्पना की संक्षिप्त चर्चा इसलिए की गई है कि शिक्षकों को उनके कामकाज की बारीकियों से रूबरू कराया जा सके। इस मॉड्यूल में शिक्षक की भूमिका को विद्यार्थियों के आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी के रूप में तथा मार्गदर्शक की भूमिका के बारे में जागरूक करने का भी प्रयास किया गया है। यद्यपि इसका मुख्य केंद्र बिंदु बालिकाएँ हैं।

इस संदर्भ में जहाँ स्पष्ट है कि सभी बच्चे परेशानियों का सामना करते हैं और अपनी जीवन यात्रा में चुनौतियों का सामना करते हैं तथा मार्गदर्शन एवं परामर्श की आवश्यकता अनुभव करते हैं, वहीं लड़कियों के लिए यह आवश्यकताएँ कहीं अधिक तीव्र होती हैं। वे विशेष रूप से सामाजिक और जेंडरीकृत अपेक्षाओं से विवश होती है जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है तथा अपनी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने से पूर्व उनके हल निकालने पड़ते हैं। सामाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत उसे जन्म से ही एक पुत्री, बहन तथा भविष्य में पत्नी, सास और माँ की भूमिका की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार मार्गदर्शन, पालन-पोषण और परामर्शदाता संबंधी उसकी ज़रूरतें लड़कों की अपेक्षा वृहत्तर होती हैं।

6.2 भूमिका

वर्तमान विश्व में लड़कियाँ अपने जीवन में अनेक प्रकार की बड़ी चुनौतीपूर्ण और जटिल अवसरों के साथ विविध

तनावकारी तथा जटिलताओं की स्थितियों का सामना करती हैं। ये विसंगतियाँ सभी क्षेत्रों, वर्गों, जातियों और धर्मों में पाई जाती हैं। इन समस्याओं तथा चुनौतियों का फलक बड़ा व्यापक और विविध है तथा इनके स्वरूप और प्रकार लड़कियों की अपनी पृष्ठभूमि से निर्मित होते हैं, जहाँ वे रहती हैं और बड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए अधिक जेंडर समानता वाले शहरी क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों की अपेक्षा पारंपरिक समुदायों में जहाँ आस्थाएँ अधिक रूढ़िग्रस्त हैं, वहाँ लड़कियों के लिए चुनौतियाँ अलग होंगी। यद्यपि संदर्भ भिन्न होने के बावजूद कुछ मुद्दे सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए समान हैं। इनमें शारीरिक छवि और दिखने के सरोकार, तरुणाई, महिलाओं के लिए यथोचित समझे जाने वाले गुणों और विशेषताओं का आत्मसातीकरण, वैवाहिक जीवन की ज़िम्मेदारियों से निपटना, विवाहित जीवन, मातृत्व और प्रजनन स्वास्थ्य, अपने भविष्य की आकांक्षा तथा घरेलू जीवन के बीच संतुलन बनाने जैसे अनेक पहलू सम्मिलित हैं। लड़कियों के जीवन की अनेक ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ उनकी जल्दी शादी होने से उनकी पढ़ाई एकदम बंद हो गई। इसी प्रकार उन्हें प्रजनन स्वतंत्रता न होने के कारण वे जल्दी माँ बन जाती हैं और मज़बूरी में घरेलू जीवन में फँस जाती हैं। अतः महिलाओं का जीवन संसार द्वंद्व, असमंजस और संघर्ष से भरा होता है।

सभी शिक्षकों को यह समझाने की ज़रूरत है कि स्कूली प्रक्रिया द्वारा शिक्षा का उद्देश्य केवल बालिकाओं के संवेगी कौशल का निर्माण और निष्पादन कौशल को बढ़ाना ही नहीं, अपितु उन्हें उन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए भी तैयार करना है जिनका वे अपने जीवन में सामना करती हैं ताकि वे अपनी अस्मिता की विशिष्ट पहचान तथा अपना-अलग व्यक्तित्व बना सकें।

6.3 उद्देश्य

- शिक्षकों की सहायता करना ताकि वे परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका को समझ सकें।
- उन्हें इस बात के लिए तैयार करना कि वे अपने विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों की आवश्यकताओं, उन्हें पेश आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बन सकें।
- उनमें विभिन्न प्रकार के परामर्श एवं मार्गदर्शन के साधनों और तकनीकों के प्रति समझ विकसित करना।
- परामर्शदाता के रूप में उन्हें उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करना।
- एक प्रभावी परामर्शदाता के रूप में अपेक्षित अभिवृत्तियों और विशेषताओं को आत्मसात करने में उनकी मदद करना।
- कक्षागत गतिविधियों को अमल में लाने के लिए जेंडर अनुकूल प्रविधियों का विकास।
- उन्हें ऐसी भूमिकाओं को निभाने के लिए समर्थ बनाना जिनके उपयोग से वे लड़कियों में 'स्व' तथा 'अस्मिता' के भाव का विकास कर सकें।

6.4 शिक्षक एक परामर्शदाता — औचित्य, आवश्यकता और महत्व

आइए हम शिक्षकों की परामर्शदाता के रूप में विस्तृत होती भूमिका की आवश्यकता और उसके औचित्य को समझने का प्रयास करें। इसकी शुरुआत नीचे दिए गए अभ्यास से की जा सकती है—

आत्मबोध

नीचे दिए गए 'मैं — कथन' को आप अपने विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए उनके शिक्षक के रूप में 'ऐसा कर सकता या सकती हूँ या नहीं कर सकता या सकती हूँ' से पूर्ण कीजिए। मदद के क्षेत्र केवल आपके पढ़ाए जाने वाले विषय तक सीमित नहीं हैं, अपितु अन्य विषयों को भी आप शामिल कर सकते हैं। कम-से-कम 10 वाक्य अवश्य लिखें—

मैं .... ऐसा नहीं कर सकता या सकती हूँ।
मैं .... ऐसा नहीं कर सकता या सकती हूँ
मैं .... ऐसा नहीं कर सकता या सकती हूँ।
मैं .... ऐसा नहीं कर सकता या सकती हूँ
मैं .... ऐसा नहीं कर सकता या सकती हूँ।
मैं .... ऐसा नहीं कर सकता या सकती हूँ
मैं .... ऐसा नहीं कर सकता या सकती हूँ।
मैं .... ऐसा नहीं कर सकता या सकती हूँ।
मैं .... ऐसा नहीं कर सकता या सकती हूँ।
मैं .... ऐसा नहीं कर सकता या सकती हूँ।

© NCERT not to be republished

वाक्य पूरे करते समय प्रतिभागियों के अनुभवों को चर्चा में शामिल कर सकते हैं। संभावना है कि अधिकांश ने यह माना होगा कि सूची बहुत लंबी चौड़ी थी। यदि 'मैं कर सकता या सकती हूँ' के बजाय 'मैं नहीं कर सकता या नहीं सकती हूँ, की संख्या अधिक हो तो उन्हें यह बताना महत्वपूर्ण है कि शिक्षक के रूप में उन्हें अपने विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता पैदा करने की आवश्यकता है, खासतौर पर लड़कियों के मामले में, क्योंकि वे महिला शिक्षकों के साथ समान जेंडर की वज़ह से बेहतर तालमेल बिठा सकती हैं।

शिक्षकों को परामर्शदाता के रूप में तैयार करने के प्रथम चरण में उन्हें यह जानने में मदद की जाए कि आजकल की लड़कियों के लिए ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहाँ वे अपने जीवन के सबसे बड़े तनाव कारकों तथा चुनौतियों का सामना करती हैं।

शहरी वातावरण से लिए गए कुछ विविधतापूर्ण दृश्य प्रस्तुत करने वाले प्रकरण यहाँ नीचे दिए गए हैं जिन्हें चर्चा में शामिल किया जा सकता है। इन विविधवर्णी प्रकरणों के समूह को और व्यापक बनाकर इनमें अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उदाहरण भी शामिल किए जा सकते हैं। प्रतिभागियों से इसका विश्लेषण करने के लिए कहा जाए कि इनमें से प्रत्येक द्वंद्वपूर्ण और जटिल परिस्थिति में विद्यार्थी की सहायता के लिए वे क्या कुछ विशेष कर सकते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें जिन्हें विश्लेषण करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है, वे हैं—

- 'मैं कर सकता या सकती हूँ', के लिए सकारात्मक रवैया बनाए रखें, और
- सत्तावादी प्रशासक की भूमिका न निभाकर एक चिंता करने वाले और सरोकारी शिक्षक की भूमिका निभाएँ।

केस 1– "रीना एक शहरी निजी सह-शिक्षा विद्यालय में पढ़ती है। वह कक्षा 9 की छात्रा है। वह एक होशियार लड़की मानी जाती है जिसने अपनी उच्च प्राथमिक शिक्षा के दौरान सभी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक हासिल किए। परंतु हाल ही में उसे सामाजिक रूप से कक्षा में शायद ही किसी के साथ बातचीत करते देखा गया हो। उसके ग्रेड भी नीचे आ रहे हैं। वह कैसी दिखती है इसके प्रति वह अत्यधिक संवेदनशील हो गई है अर्थात् वह अकसर ढीली कमीज़ जैसे वस्त्र पहनती है। कक्षा का एक लड़का उसमें रुचि लेता है इसके प्रति भी वह असमंजस में है। उसे उस लड़के से बात करना पसंद है, परंतु उसके मन में अपराधबोध भी है। हालाँकि वह उस लड़के से केवल स्कूली समय में कुछ ही मिनटों के लिए बात करती है परंतु वह इसके लिए अपने आपको अपराधी मानती है। उसे लड़के के साथ होना अच्छा अवश्य लगता है, परंतु वह उसे स्वीकारने से डरती है। वह अपनी भावनाओं अथवा उलझन को किसी से साझा नहीं कर सकती है, क्योंकि वह एक रुढ़िवादी पारंपरिक परिवार से संबंध रखती है। उसे डर है कि वे उसके स्कूल जाने पर रोक लगा देंगे या उसे बुरी तरह प्रताड़ित करेंगे।"

केस 2– "हेमा कक्षा 11 में क्या विषय रखे इसको लेकर इन दिनों बहुत परेशान है। कौन-कौन से विषय क्षेत्र उपलब्ध हैं इसका उसे स्पष्ट ज्ञान नहीं है। वह एक अच्छी लड़की है और किसी भी विषय क्षेत्र को पढ़ने की उसमें क्षमता है। इसके कारण तो वह और भी असमंजस में है। टेलीविज़न पर उसने कई सफल महिलाओं को देखा है जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों, जैसे— पायलट, वैमानिकी, इंजीनियर, पुलिस महिला अधिकारी, टेलीविज़न स्टार आदि के रूप में अपना भविष्य बनाया है। इन सबके प्रति वह तीव्र आकर्षित है, परंतु वह इस बात से चिंतित है कि क्या वह एक लड़की होते हुए ऐसा कर सकती है और क्या उसके परिवार वाले उसे इस प्रकार के नए करियर का चुनाव करने की अनुमति देंगे।"

केस 3– "सीमा लड़कियों के विद्यालय में पढ़ती है। उसे अकसर अपनी और निचली कक्षाओं की लड़कियों पर धौंस जमाते हुए पकड़ा गया है। उसकी एक दोस्त जो उसकी पड़ोसी भी है उसका कहना है कि शायद ऐसा इसलिए है कि उसके माता-पिता उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। वे उसके लड़की होने के कारण उसकी सकुशलता और सुरक्षा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। वह यह भी देखती है कि ये नियम उसके भाइयों पर लागू नहीं होते हैं। घर पर वह दब्बू बनी रहती है, क्योंकि जब भी वह कुछ विरोध करना या पूछना चाहती है तो उसे डांट दिया जाता है। शायद इसलिए वह जहाँ सभी लड़कियाँ हैं वहाँ अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, परिणामस्वरूप यह कुंठा छोटी और कमज़ोर लड़कियों पर धौंस के रूप में सामने आती है।"

इस तरह के मामले अकसर देखने को मिलते हैं। प्रतिभागियों से इन्हें अपनी सूची में जोड़ने के लिए कहा जा सकता है। अच्छा तो यह होगा कि प्रतिभागी इस प्रकार के संघर्ष और द्वंद्व के किस्से गढ़ें जिनसे लड़कियाँ अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और संदर्भों में दो-चार होती हैं। शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलाप करके

© NCERT not to be republished

उन चुनौतियों की सूची बना सकते हैं जिनका वर्तमान दौर की लड़की को सामना करना पड़ता है।

आइए कक्षा में यह क्रियाकलाप करें

कागज़ के कुछ छोटे-छोटे टुकड़े बना लें। प्रत्येक टुकड़े पर अलग-अलग पक्ष, जैसे— निजी, अंतर्वैयक्तिक, स्व, करियर, सामाजिक आदि शब्द लिख लें। इन टुकड़ों को 3–4 बच्चों के प्रतिभागी समूह को देकर उनसे आत्म-मंथन करने के लिए कहें और ऐसी अधिक-से-अधिक समस्याओं के नाम बताने के लिए कहें, जिनका उनके अनुसार लड़कियाँ इन क्षेत्रों में सामना करती हैं। उनसे यह भी कहा जा सकता है कि वे शहरी और ग्रामीण दोनों ही परिवेशों को ध्यान में रखें। मूल उद्देश्य यह है कि वे एक सूची का निर्माण करें।

प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई सूची से लड़कियों के सरोकारों पर चर्चा हो सकती है। चर्चा के मुख्य बिंदुओं का उद्देश्य लड़कियों की आवश्यकताओं और मुश्किलों के प्रति समझ विकसित करना होना चाहिए। इससे शिक्षकों को लड़कियों का मार्गदर्शन देने की अपनी भूमिका को समझने में मदद मिलेगी और अधिक स्पष्टीकरण के लिए कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक मूलभूत आवश्यकता लड़कियों को अपने घरेलू परिवेश से बाहर भी एक योग्य नागरिक के रूप में साबित करने की है। इसके लिए उन्हें सहायता की ज़रूरत होती है। कभी-कभी लड़कियों को कुछ हासिल करने अथवा अपनी रुचियों एवं सपनों को पूरा करने के लिए रूढ़ितापूर्ण जेंडर भूमिकाओं और उनसे जुड़ी अपेक्षाओं से जूझना पड़ता है। इसके लिए भी उन्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब लड़कियों में निम्न आत्म-विश्वास इसलिए घर कर जाता है, क्योंकि उन्हें जन्म से ही अपने भाइयों की तुलना में परिवार से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। लड़कियाँ इन शिकायतों और असमानताओं को मन में रखती हैं और इनसे निजात पाने के लिए उन्हें परामर्श तथा मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है। निम्न वर्ग अथवा ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली लड़कियों को अपने घरेलू दायित्वों और स्कूल के काम के बीच संतुलन बैठाने में भी भारी जद्दो-जहद करनी पड़ती है। उन्हें ऐसे शिक्षकों की सहायता अपेक्षित होती है जो उनकी दुविधाओं को समझते हों। किशोर लड़कियों के संदर्भ में इस मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता और अधिक होती है, क्योंकि इस दौरान उन्हें तरुणाई तथा उसके साथ होने वाले शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक बदलावों से भी जूझना पड़ता है। उन्हें शिक्षकों और माता-पिता द्वारा कठोर नैतिक नियंत्रणों से भी जूझना होता है, विशेषतौर पर जब वे लड़कों को इतनी अधिक स्वतंत्रता मिलते हुए देखती हैं। वे कई बार बड़ी ही विचलित हो जाती हैं, जब कुछ प्रचलित मान्यताओं और आस्थाओं के आधार पर लड़कियों के बड़े हो जाने के कारण अपने मासिक चक्र के दौरान मंदिर जाने की मनाही की जाती है अथवा लड़कों से खुलकर बात करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कुछ परिवारों में लड़कियाँ इसके कारण और अधिक आतंरिक द्वंद्व तथा अनिश्चितता का शिकार हो जाती हैं। इन सबसे उनमें किशोर यौनता के प्रति एक अनावश्यक नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है। इससे बढ़ती उम्र की लड़कियों में हीनता का अनावश्यक भाव पैदा हो सकता है और यह उनकी अपनी अस्मिता के प्रति आत्मबोध को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इन सब पहलुओं के कारण परामर्शी सहायता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

करियर चुनने के मामलों में भी बहुत-सी लड़कियाँ या तो उनके लिए उपलब्ध अवसरों के विकल्पों से अनभिज्ञ होती हैं अथवा उनके माता-पिता उन्हें ऐसे करियर चुनने के लिए विवश करते हैं जिन्हें जेंडर-अनुकूल समझा जाता है, जैसे— शिक्षण, नर्सिंग आदि। अधिकांश मामलों में उनसे बहुत अधिक भविष्य-महत्वाकांक्षी न होने की अपेक्षा की जाती है और इस प्रकार उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए सामाजीकृत किया जाता है कि वे ऐसा करियर चुनें जो पारिवारिक दायित्वों से मेल खाता हो। उप शहरी और शहरी क्षेत्रों में बढ़ते अपराधों के कारण अभिभावक अपनी लड़कियों की सुरक्षा के प्रति उत्तरोतर सावधान हो रहे हैं तथा उन्हें देर तक काम पर रहने वाले करियर चुनने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। शहरी क्षेत्रों में हालाँकि लड़कियाँ भी लड़कों के बराबर ही अधिक अपारंपरिक करियर चुनती देखी गई हैं परंतु अभी भी उनका प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है।

शिक्षकों को यह जानना ज़रूरी है कि लड़कियों की बहुत-सी कठिनाइयाँ होती हैं तथा ये लगातार और अधिक विकट होती जाती है, जैसे परिवार आदि में छोटी-मोटी समन्वय संबंधी दिक्कतों से लेकर गंभीर स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ और परेशानियाँ। लगभग सभी आयामों पर दिक्कतें हो सकती हैं, इसमें करियर, स्वत्व, अंतर्वैयक्तिक संबंध, स्वीकार्यता और अस्मिता का संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए छटपटाहट एवं शारीरिक-छवि तथा

© NCERT not to be republished

दिखने के प्रति संवेदनशीलता, यौनता, निम्न आत्म-सम्मान आदि किसी भी पक्ष पर ये दिक्कतें हो सकती हैं।

इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक अपनी भूमिका को केवल पढ़ाई तक सीमित करके न देखें, क्योंकि पाया गया है कि लड़कियाँ ढेर सारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कठिनाइयों एवं चुनौतियों का सामना करती हैं। उन्हें लड़की के जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों और सरोकारों को भी हल करना है। शिक्षकों द्वारा लड़कियों की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशीलता और समानुभूति उत्पन्न करने के लिए नीचे बॉक्स में दिया गया क्रियाकलाप कराना चाहिए।

आत्मबोध

1. आप यह सोचें और कल्पना करें कि आप एक टाइम मशीन में हैं। बस अपने बिताए हुए जीवन में जाएँ और उसका विश्लेषण करें। उन कठिनाइयों के बारे में सोचें जिनका आपने जीवन के प्रत्येक चरण में सामना किया होगा। कभी आपने ऐसा अवश्य सोचा होगा कि आप अपनी परेशानियों को अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं कर पा रहे हैं। अन्य किसी के बजाय एक वयस्क से बात कर शायद आपकी समस्याओं के कुछ समाधान अवश्य मिल गए होते। अपने जीवन के किन्हीं पाँच ऐसे प्रसंगों को एक सूची में लिखें।

   ....

   ....

2. उस समय के बारे में विचार करें जब आपने एक शिक्षक के रूप में अच्छा महसूस किया हो अर्थात् किसी विद्यार्थी ने आपकी प्रशंसा की हो या आपके बारे में कुछ कहा हो जिससे आपने वास्तव में अपने बारे में अच्छा अनुभव किया होगा।

   ....

   ....

6.5 मार्गदर्शन और परामर्श क्या है?

मार्गदर्शन का वर्तमान स्वरूप पहले की तुलना में आज कहीं अधिक व्यापक हो गया है। यह केवल व्यवसाय अथवा करियर मार्गदर्शन अथवा शैक्षिक मार्गदर्शन की गतिविधि की अपेक्षा किसी मनुष्य के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को समाहित करता है।

आज की अवधारणा में मार्गदर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, जो किसी व्यक्ति को इतना स्वतंत्र और सक्षम बना देती है कि वह अपनी कठिनाइयों को हल कर सके। मार्गदर्शन किसी व्यक्ति की परेशानियों को हल करना नहीं, अपितु तालमेल बैठाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक, निजी और सामाजिक प्रकृति की कठिनाइयों के समाधान पाने में मदद की जाती है।

भारतीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए भटनागर और गुप्ता (1999) ने मार्गदर्शन की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएँ निर्धारित की हैं —

- शिक्षा का एक अनिवार्य अंग जिसकी सभी को ज़रूरत होती है।
- सतत सेवा और गंभीर आवश्यकता पूर्ति के लिए सहज वातावरण।
- ऐसी सेवा जिसका उद्देश्य लड़कियों के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं की अपेक्षा समग्रता में सेवा प्रदान करना है।

इन्होंने परामर्श को विभिन्न प्रकार की तकनीकों और कौशल का प्रयोग बताया है, जो ऐसे संबंधों से होकर गुजरते हैं कि वे असंतोष से संतोष, पीड़ा से सुख, निम्न आत्म-सम्मान से उच्च आत्म-सम्मान आदि में सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया को सुगमित करते हैं। परामर्श किसी जटिलता के केवल एकमात्र समाधान तक सीमित न होकर किसी व्यक्ति को अधिक स्वतंत्र बनाने पर केंद्रित है।

भटनागर और गुप्ता परामर्शदाता को शिक्षक के सर्वाधिक करीबी बताते हुए लिखते हैं "किसी सर्जनात्मक शिक्षक की तरह परामर्शदाता एक सक्रिय कार्यकर्ता है, जो अपने विद्यार्थी को अपने गहरे मंथन और उसकी क्षमताओं और अस्तित्व से और अधिक आत्म-परावर्ती बनाने में मदद करते हैं।"

इस प्रकार परामर्श को एक सार्वभौम आवश्यकता के रूप में माना जा सकता है जिसकी ज़रूरत अपने जीवन में तालमेल बैठाने और गुणवत्ता बढ़ाने में सभी को पड़ती हैं। परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति के सार्वभौम विकास और संवृद्धि में बढ़ोतरी करना है। इसका निहितार्थ व्यक्ति को ऐसी क्षमताओं के लिए तैयार और सशक्त करना है जिनसे कि वह दूसरों की सहायता पर आश्रित न रहकर आवश्यक विकल्प तलाश कर सके और

© NCERT not to be republished

अपेक्षित निर्णय ले सके। यह मनुष्य के व्यक्तित्व और जीवन के प्रति उसके स्वस्थ दृष्टिकोण के विकास में भी मदद करता है।

मार्गदर्शन और परामर्श दोनों का जायजा लेने पर ज्ञात होगा कि इनका लक्ष्य व्यक्ति को अधिक सक्षम और संतुष्ट बनाना है। दोनों से ही व्यक्ति समस्या-समाधान कौशल सीखते हैं जिससे वे अपनी क्षमता और योग्यताओं का श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं।

इस प्रकार मार्गदर्शन और परामर्श व्यक्ति के बढ़ते जीवन का एक अभिन्न भाग बन जाता है और इसकी आवश्यकता विशेषकर बाल्यावस्था से किशोर उम्र के महत्वपूर्ण चरणों में अधिक होती है। इस पर पहले ही किशोर लड़कियों के संदर्भ में चर्चा हो चुकी है।

अभी हाल ही में रंगनाथन (2012) ने मार्गदर्शन और परामर्श को गतिविधियों के रूप में जानने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। उनके अनुसार ये दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक सुख जैसे व्यापक शैक्षिक प्रक्रिया के अभिन्न घटक हैं। इन्हें एक उत्तम सहायक के रूप में भी माना जा सकता है, जो किसी व्यक्ति को उसके जीवन के तनाव कारकों और चुनौतियों के प्रभावी समाधान तलाश करने में मदद करते हैं तथा समस्याओं और मुश्किलों के प्रति सहनशीलता का भाव उत्पन्न करते हैं। इससे वे जीवन के अन्य अनुभवों को समझने में खुला दृष्टिकोण विकसित करते हैं। वास्तविक द्वंद्व और मुश्किल की स्थिति में मार्गदर्शन और परामर्श में अंतर करना कठिन होता है। अतः इन्हें वर्तमान परिस्थितियों में एकसाथ रखा गया है। मार्गदर्शन और परामर्श का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य की ही तरह व्यक्ति की बार-बार होने वाली समस्याओं का निवारण करना तथा समस्याग्रस्त व्यक्ति को ठीक करना है। ये सभी काम शिक्षक को भी करने होंगे। इस प्रकार सभी शिक्षक मार्गदर्शन, परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य कार्मिकों के तौर पर भी देखे जाते हैं।

आत्मबोध

1. इस अध्याय में पहले दिए गए केसों का पुनः विश्लेषण करें। यदि आप परामर्शदाता हैं और उनमें से प्रत्येक को आपको कुछ सलाह देनी है तो आप क्या नया करते?

   ....

   ....

2. उन बदलावों पर ध्यान दीजिए जो आपकी भूमिका को शिक्षक और एक शिक्षक परामर्शदाता के रूप में अलग-अलग परिभाषित करते हैं। अपनी राय इस कथन पर भी स्पष्ट करें कि 'सभी शिक्षक अनिवार्यतः परामर्शदाता हैं'।

   ....

   ....

शिक्षकों को फिर से एक परामर्शदाता तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन में मदद करने के लिए ऊपर बॉक्स में दिए गए क्रियाकलापों का प्रयोग किया जा सकता है।

6.6 प्रभावकारी परामर्शदाता के रूप में शिक्षक के अपेक्षित गुण

प्रभावी परामर्शदाता होने के लिए सबसे पहले अपने विद्यार्थियों को जानना और उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है। यहाँ आगे एक सूची दी गई है जो यह बताएगी कि अपने विद्यार्थी को समझने के लिए शिक्षक को किन-किन बातों की जानकारी होनी चाहिए।

- नाम
- जन्म तिथि
- उस गतिविधि का नाम जिसमें भाग लेना वे पसंद करते हैं
- उनकी कोई तीन विशेष क्षमताएँ
- बच्चे के कुछ विशिष्ट गुण

शिक्षक परामर्शदाता के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि वे अपने विद्यार्थियों के प्रति सरोकार का भाव प्रदर्शित करें। विद्यार्थी की सभी जानकारियाँ शिक्षक के पास हों, ऐसा संभव नहीं होता, तथापि विद्यार्थी में उसकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सरोकारों और विकास के प्रति सच्ची चिंता करेगा वह उनके बारे में ज़्यादा-से-ज़्यादा जानने का प्रयास अवश्य करेगा। उसके पास उनकी समस्याओं को सुनने के लिए अपेक्षित धैर्य और सक्रियता का भाव होगा। वह उनके प्रति ज़िम्मेदारी अवश्य अनुभव करेगा।

© NCERT not to be republished

कक्षा में इसे कैसे करें

प्रतिभागियों को उच्च प्राथमिक दर्जे और वरिष्ठ कक्षाओं में जाने के लिए कहें। शिक्षक को निर्देश दिया जाए कि वे विद्यार्थियों से उनकी रुचियों और शौक, आकांक्षाओं और इच्छाओं, खाली समय में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों तथा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में जाते समय होने वाले अनुभवों के बारे में पूछें। इसके लिए बच्चों से अलग-अलग पूछने के बजाय एक विचार मंथन सत्र का आयोजन किया जाए। लड़कियों तथा लड़कों के सभी अनुभवों को सूचीबद्ध किया जाए। इससे लड़कों और लड़कियों के प्रत्येक चरण के अनुभवों के जेंडरपरक दृष्टिकोण प्राप्त होंगे, जिससे लड़कियों के प्रति अधिक ध्यान और संवेदना निर्मित होगी। इससे शिक्षक को लड़कों और लड़कियों, दोनों के बारे में उनकी विकासात्मक ज़रूरतों और समस्याओं के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण निर्मित करने में मदद मिलेगी। कभी-कभी जब बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं तो शिक्षक को यह जानना होगा कि ये जटिलताएँ उनके बड़े होने की प्रक्रिया का एक भाग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 6 के बच्चे दो घंटे तक शांत बैठे रहें और ऐसी किसी गतिविधि में व्यस्त रहें जिसमें उनकी रुचि हो। हो सकता है कि वरिष्ठ कक्षाओं की लड़कियाँ अपनी यौनता के विकास के मुद्दों पर चर्चा में शामिल न होना चाहें, परंतु समूह चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार हों। इसलिए यही उचित होगा कि समूह चर्चा सत्र आयोजित किए जाएँ जिनसे बड़ी संख्या में लड़कियाँ निश्चिंत वातावरण में अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकेंगी।

यहाँ शिक्षकों को यह भी समझाने की ज़रूरत होती है कि वे विद्यार्थियों की सभी कठिनाइयों के हल प्रदान नहीं कर सकते हैं। उनका कार्य विद्यार्थियों में अपनी समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समाधान-उन्मुखी रवैया विकसित करने में मदद करना है। उदाहरण के लिए यदि वरिष्ठ स्कूल की कोई लड़की आपसे यह कहती है कि वह मानविकी विषयों का चुनाव करना चाहती है और उसके माता-पिता उस पर विज्ञान के लिए दबाव डाल रहे हैं तो शिक्षक का दायित्व पहले समस्या के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। शिक्षक को यहाँ पता लगाना होगा कि लड़की सचमुच मानविकी में रुचि रखती है या फिर अपने दोस्तों की वज़ह से लेना चाहती है। उसके अभिभावकों की राय जानने के लिए उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, परंतु इसके लिए उसे महाविद्यालय तक जाने में 10 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी होगी। हो सकता है कि इस लंबी दूरी के कारण उसके माता-पिता उसे भेजने में संकोच कर रहे हों। ऐसी स्थितियाँ भारत में सामान्यतः देखी जाती हैं और इसमें माता-पिता को समझाने तथा लड़की को अपना भविष्य बनाने में शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। सभी समस्याओं और कठिनाई की स्थितियों में इस प्रकार की प्रविधि अपनाई जा सकती है। शिक्षक को छात्रा के विषय में अथवा उसकी समस्याओं के विषय में कोई पूर्वानुमान लगाने की अपेक्षा अलग-अलग स्रोतों से जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। छात्रा को किसी समाधान पर पहुँचने में मदद करनी होगी, न कि उसकी स्थितियों का समाधान करना होगा और यदि ऐसी स्थिति बनती है कि वह स्वयं उसकी सहायता करने में असमर्थ है तो उसे लड़की को परामर्शदाता के पास भेजने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को अपनी क्षमताओं और सीमाओं का भी अभिज्ञान होना चाहिए। उसे एक सक्रिय श्रोता के होने के साथ-साथ किसी के प्रति पूर्वाग्रहमुक्त होना चाहिए तथा विवरणात्मक एवं गैर-निर्देशित प्रश्न करते हुए बच्चे को उसकी शंकाओं के समुचित समाधान देने चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई लड़की जो सामान्यतः लड़कों के साथ दिखाई देती है और वह शिक्षक से अपनी किसी समस्या पर चर्चा करनी चाहती है, तो शिक्षक को अपनी स्वयं की राय के आधार पर अथवा उस लड़की के व्यवहार पर कोई आपत्ति अथवा कोई नीति निर्णय नहीं करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक अपने एकपक्षीय दृष्टिकोण को दरकिनार करते हुए छात्रा के परिप्रेक्ष्य से समस्या का निवारण करें।

शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहार में होने वाले संकेतों और बदलावों के प्रति भी चौकस और संवेदी होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि कोई लड़की कक्षा में बातूनी है और चर्चा में बढ़-चढ़कर भाग लेती है और अचानक ही उसने चुप रहना शुरू कर दिया है, तो शिक्षक को परामर्शदाता के रूप में इस व्यवहार के प्रति सावधान होने तथा छात्रा के साथ इसके बारे में चर्चा की ज़रूरत है। यह भी अनिवार्य है कि शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में अपनी छात्राओं की कठिनाइयाँ केवल सुने ही नहीं, अपितु उनके साथ सघनता से मेलजोल भी करे।

© NCERT not to be republished

उनके हावभाव के संकेतों से बच्चों के प्रति वास्तविक चिंता जाहिर होनी चाहिए न कि उपेक्षा का भाव।

परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ समानुभूति होनी चाहिए और उनके सकारात्मक गुणों पर केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक की एक भी टिप्पणी गलत संदेश दे सकती है। उदाहरण के लिए अधिकांश शिक्षक कक्षा में चार्ट को लटकाने के लिए कक्षा के सबसे लंबे छात्र को कहते हैं जबकि ऐसा लड़की भी कर सकती है। इसी प्रकार यदि लड़का और लड़की आपस में झगड़ रहें हों तो शिक्षक लड़की को यह कहकर चुप रहने के लिए कहती है कि लड़कियाँ झगड़ती नहीं हैं।

शिक्षकों की इस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ विद्यार्थियों में गलत संदेश देती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक का व्यवहार संतुलित, उदार-मन और जेंडर संवेदी हो। जेंडर मुद्दों को विशेषकर इस प्रकार हल किया जाए कि एक स्वस्थ जेंडर पहचान का विकास होने के साथ-साथ दूसरे जेंडर के प्रति सकारात्मक रुझान भी पैदा हो।

आइए कक्षा में यह क्रियाकलाप करें

- कक्षा को क्रमश: लड़कों और लड़कियों के दो समूहों में विभाजित करें। दोनों समूहों से उन विचारों को साझा करने के लिए कहें, जो वे विपरीत जेंडर के प्रति रखते हैं। उनसे यह भी कहा जाए कि वे यह सोचकर बताएँ कि दूसरा जेंडर किन-किन समस्याओं का सामना कर रहा होगा।

  इससे प्रचुर मात्रा में संवेदनशीलता और जागरूकता उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। इस अभ्यास के बाद कक्षा में अनुभवों और उदाहरणों पर चर्चा के लिए एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सभी शिक्षक यह महसूस करें कि परामर्शदाता के रूप में उन्हें प्रत्येक बच्चे के विशिष्ट व्यक्तित्व का सम्मान करना है तथा उसे अपनी क्षमता एवं योग्यता की पहचान करने में मदद करनी है। लड़कियों के मामले में ऐसा करना और भी अधिक आवश्यक है।
- लड़कियाँ एक महिला और एक व्यक्ति के नाते अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचती हैं, इस पर लिखने के लिए शिक्षक लड़कियों से कह सकते हैं। इसके बाद इस विषय पर एक परिप्रेक्ष्य निर्माण के लिए विचार मंथन सत्र का आयोजन किया जा सकता है।

आत्मबोध

अपनी पाँच सहकर्मियों की किन्हीं सात खूबियों की एक सूची बनाइए। उनकी शारीरिक विशेषताओं और शिक्षण विषयों के अलावा अन्य खूबियों को शामिल करने की कोशिश करें। क्या ये सब विशेषताएँ एक समान हैं?

....

....

संभावना है कि इसका जबाव 'नहीं' में ही होगा। इससे यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि जब एक-दूसरे के सहयोगी शिक्षक ही इतने भिन्न-भिन्न हैं तो विद्यार्थी भी अवश्य भिन्नताएँ रखते होंगे। इस प्रकार की गतिविधि से शिक्षक यह जान पाएँगे कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्टता का सम्मान किया जाना चाहिए।

6.7 परामर्शदाता के रूप में शिक्षक के साधन और तकनीकें

परामर्शदाता के रूप में शिक्षकों का प्रथम कर्तव्य है कि वह विद्यार्थी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। डाटा एकत्रित करने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रविधियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे — चेकलिस्ट, स्व-लेखन विश्लेषण, साक्षात्कार और प्रश्नावली आदि। छात्रा से अधिकतम जानकारी हासिल करने और उसके सभी पक्षों की जाँच करने के लिए शिक्षक परामर्शदाता सारग्राही पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब शिक्षक ने सभी पहलुओं की जाँच कर ली है तो परामर्श प्रक्रिया को निजता का भाव देते हुए एक पेशेवर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगले अनुच्छेद में मार्गदर्शन और परामर्श तकनीकों के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की गई है। इनका अध्ययन करते समय प्रतिभागियों को पीछे दिए गए तीन केस अध्ययनों के प्रकरणों अथवा उनके द्वारा एकत्रित किसी नए डाटा प्रकरण पर इन तकनीकों को लागू करने के लिए कहें। विद्यार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली किसी अन्य कठिनाई पर भी यह तकनीक लागू की जा सकती है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को मार्गदर्शन और परामर्श में लागू की जाने वाली तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना है।

जानकारी इकट्ठा करने के उपरांत परामर्श का अगला चरण उस उद्देश्य का विकास है, जो लक्षित व्यवहार को प्रदर्शित करता

© NCERT not to be republished

है और जिसे परस्पर चर्चा के द्वारा शिक्षक और विद्यार्थी हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद बारी आती है समुचित तकनीक का चुनाव और अनुप्रयोग तथा विद्यार्थियों के साथ वास्तविक सत्रों के आयोजन की। शिक्षक मार्गदर्शन और परामर्श में विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

तार्किक विश्लेषण

सामान्यतः जब भी हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम अपने हक में पक्षपाती हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब कभी कोई झगड़ा होता है तो हम अपने आपको निर्दोष और दूसरे को खलनायक सिद्ध करते हैं। वयस्क होने के नाते हम बेशक प्रत्यक्षतः दोषारोपण न करें परंतु हमारी अवधारणा हमेशा हमारे पक्ष में होती है। इसका संज्ञान लेते हुए शिक्षक विद्यार्थी को किसी भी परिस्थिति को तार्किकता से समझने और वस्तुनिष्ठता से उसका समाधान पाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि उसके पास कोई लड़की आकर यह कहती है कि उसके माता-पिता उसे अपनी मर्जी करने की अनुमति नहीं देते हैं तो शिक्षक उसे उसके माता-पिता के परिप्रेक्ष्य को समझने में मदद कर सकते हैं तथा दूसरों के प्रति एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य एवं संवेदनशीलता विकसित करने में सहायता कर सकते हैं।

भावनात्मक लेखा-जोखा

जब कभी परेशानी होती है तो सकारात्मक भावनाओं पर नकारात्मक भावनाएँ हावी हो जाती हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से एक लेखा-जोखा पत्र बनाने के लिए कह सकते हैं जिसमें परिसंपत्तियों और देनदारियों के दो स्तंभ बनाएँ। परिसंपत्ति स्तंभ में विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का उल्लेख करें जबकि देनदारियों स्तंभ में अपनी कमज़ोरियों को लिखें तथा स्वयं ही यह भी लिखें कि उनकी कमजोरियाँ किस प्रकार उनकी क्षमताएँ बन सकती हैं। इससे उन्हें अपनी आत्म-जागरूकता को व्यापक बनाने तथा अपने प्रति उत्तरदायी बनने मदद मिलेगी।

अतार्किक आस्थाओं का खंडन

हम सभी कुछ धारणाओं के शिकार होते हैं जो हमारी अथवा हमारे व्यक्तित्व संबंधी जटिलताओं के विभिन्न पक्षों से संबंधित होती हैं, जैसे कोई लड़की यह अनुभव करती होगी कि वह कुछ भी करने के योग्य नहीं है। शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इस प्रकार की धारणाओं से तार्किकता से निपट सके और उन्हें बदल सके। वह इन धारणाओं अधिक वास्तविक धारणाओं के साथ बदल सकते हैं, जैसे कुछ काम मैं अच्छे से कर सकती हूँ तथा दूसरे कामों के लिए अपने को सुधार सकती हूँ तथा सीख सकती हूँ। इसलिए विद्यार्थियों को यह निष्कर्ष निकालने में मदद की जानी चाहिए कि क्या उनकी धारणाएँ तार्किक हैं और यदि ऐसा नहीं है तो वे उन्हें ऐसा कैसे तार्किक बना सकते हैं।

वाद-विवाद

वाद-विवाद एक ऐसी तकनीक है जिससे हम किसी समस्या या मुद्दे के दोनों पहलुओं को जान सकते हैं। विद्यार्थियों को किसी स्थिति के दोनों पहलुओं पर वाद-विवाद करने के लिए कहा जा सकता है, जैसे किसी लड़की को अपना करियर चुनने में अपने माता-पिता से कोई शिकायत है तो वह अपना दृष्टिकोण अपने माता-पिता के दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में उनका ही अनुकरण करते हुए वाद-विवाद कर सकती है। इससे मामले के प्रति दोनों ही पक्षों को संबद्ध करती एक स्पष्ट तस्वीर बनाने में मदद मिलती है। इस अभ्यास के अंत में लड़की स्वयं ही अपेक्षाकृत और अधिक तार्किक नज़रिया बनाने लगेगी।

सकारात्मकता पर ध्यान देना

हम सामान्यतः अपने व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। जो व्यक्ति अपनी नकारात्मक विशेषताओं पर ध्यान देती है उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसलिए शिक्षक या परामर्शदाता को सभी विद्यार्थियों से ज़ोर देकर अपनी उन सकारात्मक विशेषताओं की सूची बनाने के लिए कहना चाहिए जिन्हें वे अपने जीवन में वरदान मानते हैं। बस एक बार जब वे अपने जीवन, अपने गुणों और चरित्र में सकारात्मक पहलुओं का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं और वे अपने बारे में नकारात्मक विचारों और आत्म-पराजय के भाव से पूर्व-ग्रसित नहीं होते हैं। इससे व्यक्ति को आत्म-विश्वास हासिल करने और आने वाली कठिनाइयों के प्रति नम्यता का भाव विकसित करने में मदद मिलती है।

जो है, उसके प्रति कृतज्ञ हो

इसे साधारण शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है—'मैं अब तक जूते न होने के बारे में दुखी होता था, परंतु मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसके पैर नहीं थे।' शिक्षक दूसरों से तुलना कर विद्यार्थियों को उन्हें प्राप्त सुविधाओं का संज्ञान करा सकते हैं, जिनकी कठिनाइयाँ और मुश्किलें अधिक गंभीर हैं। इससे उन्हें

© NCERT not to be republished

अपनी समस्याएँ कम गंभीर जान पड़ेंगी और वे उनके समाधान पाने के लिए प्रयास करेंगे।

सच्चाई का सामना करना

इस तकनीक के अंतर्गत शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपनी अयोग्यता अथवा निजी संघर्षों को खुलकर कहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जिनका सामना वे कर रहें हों, क्योंकि उनकी निजी भावनाएँ और अनुभव समाज द्वारा दी गई शिक्षा से बिलकुल अलग हो सकते हैं। लड़कियों को जेंडर रूढ़ियों के साथ जीवन जीने और उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार कर दिया जाता है परंतु बहुत-सी लड़कियाँ फिर भी उन पर सवाल उठाती हैं। परिणामस्वरूप वे अकसर इन सबके लिए अपने अंदर बड़ी कटु अनुभूति विकसित कर लेती हैं। सच्चाई का सामना करने का मतलब है इस प्रकार कड़वाहट की अंतरंग भावनाओं को बाहर निकालना और उन्हें व्यक्त करना है। एक बार जब वास्तविक अनुभव खुल जाता है तो आगे उस पर प्रगति हो सकती है।

अंतरावलोकन

यह एक प्रभावी अंतर-सहायक और अंतर-जाँच तकनीक है। बुनियादी तौर पर शिक्षक अपने विद्यार्थियों से नियमित रूप से अपने जीवन के अनुभवों में अंतर-दर्शी (आत्ममंथन) यात्रा पर जाने के लिए कह सकते हैं। उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में तथा कैसे उन्होंने उन्हें प्रभावित किया है इस पर सोचने के लिए कहा जा सकता है। उनसे यह भी बताने के लिए कहा जा सकता है कि उनके जीवन का अविस्मरणीय और सर्वाधिक दुखदायी अनुभव कौन-सा रहा है तथा उन्होंने इस बारे में कैसा अनुभव किया और उसका हल कैसे निकाला। आत्म-विश्लेषण के दायरे को व्यक्ति के अपने जीवन की और बेहतर समझने तक बढ़ाया जा सकता है। यदि विद्यार्थी विक्षुब्ध हो, तो अंतरावलोकन की क्रिया समस्या तथा उसके कारणों और उत्पन्न होने वाले प्रभावों आदि पर केंद्रित हो जाती है।

भूमिका निर्वहन (रोल-प्ले)

शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अपने जीवन के विभिन्न समस्या चरित्रों के बारे में सोचने तथा इसी प्रकार उन्हें मुश्किल परिस्थितियों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों से इनका नाटकीकरण करने के लिए भी कहा जा सकता है। भूमिका निर्वहन में विद्यार्थी अकसर अपने दुनियावी ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं तथा कई व्यावहारिक और वास्तविक जीवन आधारित समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। भूमिका निर्वहन के बाद चर्चा होनी चाहिए ताकि इसे अधिक प्रयोजनशील बनाया जा सके। चर्चा भूमिका निर्वहन में निभाए गए विभिन्न पात्रों, उनके द्वारा परिस्थितियों को संभालना और अन्य संभावित विकल्पों आदि से संबद्ध हो सकती है।

भूमिका बदलना

विद्यार्थियों को एक-दूसरे की भूमिका को समझने में मदद करने के लिए शिक्षक इस गतिविधि की भूमिका में अदला-बदली कर दें। उदाहरण के लिए यदि लड़कियाँ लड़कों के बारे में उन्हें न समझने और उन पर हावी होने की शिकायत करती हैं तो उन्हें लड़कों की तरह भूमिका निभाने के लिए कहा जा सकता है, ताकि वे भूमिका निर्वहन के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर कर सकें। गतिविधि के उपरांत होने वाले चर्चा सत्र में लड़के इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं और उनके रवैये को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है इस पर विचार किया जाना चाहिए। इस अभ्यास सत्र से बेहतर दृष्टिकोण निर्मित करने में मदद मिलती है तथा आगे क्या किया जाना चाहिए इसके लिए कार्य योजना का निर्णय भी लिया जा सकता है।

कथ्य-सामग्री का पुनर्कथन

जब कभी हम जटिल स्थिति में होते हैं तो अपनी भावनाओं को घालमेल करके व्यक्त करते हैं। हमारे अपने ही विचार सुस्पष्ट नहीं होते। जब शिक्षक विद्यार्थियों के अस्पष्ट और जटिल विचारों को देखते हैं तो वे उनकी व्यक्त भावनाओं के आशय को पुनः व्यक्त करते हुए अथवा जो कुछ विद्यार्थियों ने कहा होगा उसे अधिक स्पष्टता से पुनः कहते हुए विद्यार्थियों को अधिक स्पष्टता और सामंजस्य प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को यह समझ में आ जाता है कि उनकी दिक्कत अथवा कठिनाई क्या है इससे वे परेशानी और विचारों को अलग-अलग कर समझने में सक्षम हो जाते हैं।

ऊपर वर्णित सभी तकनीकों को अलग-अलग अथवा एक-दूसरे के साथ बारी-बारी से प्रयोग में लाया जा सकता है। निर्देशी सिद्धांतों के रूप में इनके माध्यम से लड़कियों में अहंभाव तथा अस्मिता की निर्मिति के लिए विद्यालयी वातावरण को और अधिक सहायक बनाया जा सकता है। मार्गदर्शन और परामर्श की

© NCERT not to be republished

इन तकनीकों को प्रयुक्त करने के साथ शिक्षक या परामर्शदाता कक्षा में और अधिक सुगमकारी, सहयोगी तथा जेंडर अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु नीचे वर्णित रणनीतियों को भी उपयोग में ला सकते हैं।

- वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थी कई बार समय का ठीक-ठीक प्रबंधन कर पाने में असमर्थ रहते हैं। शिक्षक उन्हें अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय करने तथा निश्चित समय पर पूरा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए प्राथमिकता के आधार पर समय आवंटित करने में मदद कर सकते हैं। शिक्षक उन्हें किसी व्यवहार में लाने योग्य समय-सारणी या समय अनुसूची बनाने में भी सहायता कर सकते हैं।
- अधिगम को श्रेष्ठ बनाने के लिए अध्ययन और काम की आदतों के संदर्भ में कुछ विशेष कार्यनीतियाँ भी सुझाई गई हैं। पढ़ते हुए हलका वाद्य संगीत सुनने से विद्यार्थियों की एकाग्रता बनती है, पढ़ाई करते समय आए हुए फ़ोन न सुनना भी अच्छा रहता है तथा प्रत्येक संकल्पना जानने के बाद उसके मुख्य बिंदुओं को लिख लेना भी एक प्रकार का दोहराना ही होता है। इनके साथ-साथ विद्यार्थियों के अपने अनुभवों से उत्पन्न अन्य कार्यनीतियों को भी अमल में लाया जा सकता है। ये कार्यनीतियाँ लड़कों और लड़कियों दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं, क्योंकि यह संदेश तो अंतर्निहित ही है कि दोनों ही वर्गों पर पढ़ाई और अच्छे प्रदर्शन का दबाव बराबर है तथा संस्तुत कार्यनीति किसी जेंडर भेदभाव पर आधारित न होकर लड़कों और लड़कियों की योग्यता तथा आवश्यकता के एक समान होने पर आधारित है।
- कक्षा में स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंध विकसित करने के लिए शिक्षक जेंडर अनुकूल प्रविधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी की कक्षा में 'मीडिया में भारतीय स्त्री की छवि' जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बहस हो सकती है। इतिहास की कक्षा में जहाँ विद्यार्थी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं वहाँ महिलाओं की स्थिति और उसके बदलाव को भी जेंडर परिप्रेक्ष्य निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। शिक्षक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह कक्षा में पुरुषों और महिलाओं से संबंधित रूढ़िवादी छवियों को तोड़े, ऐसा वह लड़कों और लड़कियों द्वारा कक्षा अथवा स्कूल में रूढ़िवादी सोच को तोड़ने वाले विभिन्न कार्यों के निष्पादन से कर सकते हैं। छोटे-छोटे प्रयासों से ऐसा किया जा सकता है। गणित की कक्षा में लड़कियों को गैर-पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाया जा सकता है, जैसे किसी कार रैली में महिला चालक को 500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। उसे (महिला) कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी कि वह इस दूरी को साढ़े तीन घंटे में तय करे? सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों से एक कोलाज बनाने के लिए कहा जा सकता है जिसमें लड़कों और लड़कियों के बीच रिश्तों का विकास दिखाया गया हो अथवा भाषा की कक्षा में कहानियों के माध्यम से लड़कियों और लड़कों को उन्मुक्त भूमिकाओं में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मेरी माता खाना पकाती हैं और मेरे पिता ऑफिस जाते हैं सिखाने के बजाय यह सिखाया जाना चाहिए कि खाना पकाना और ऑफिस जाना दोनों पुरुषों और महिलाओं के लिए सामान्य और आवश्यक है।

यहाँ तक कि जब कभी विद्यार्थियों से कुछ शारीरिक श्रम करने हेतु स्वयंसेवी बनने के लिए कहा जाए तो लड़कियों से भी पूछना चाहिए। सजावटी और सौंदर्यीकरण जैसे स्कूली कार्यों के लिए लड़कों को भी समुचित अवसर और मौके देने चाहिए। इस प्रकार शिक्षक को कक्षा में जेंडर समानता भाव को विकसित करने के लिए सचेत प्रयास करना चाहिए। काम का विभाजन जेंडर आधारित नहीं, अपितु रुचि, योग्यता और निजी इच्छा आदि पर होना चाहिए।

यहाँ कुछ सीमित रणनीतियों की चर्चा की गई है। विद्यार्थियों की समस्याओं और सरोकारों के आधार पर शिक्षक कई और रणनीतियों का विकास कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में नीचे बॉक्स में दी गई दो स्थितियों के माध्यम से इस अध्याय में प्रदत्त अधिगम और अंतर्दृष्टि का सार प्रस्तुत किया जा सकता है।

आत्मबोध

1. एक परामर्शदाता की दृष्टि से नीचे दी गई स्थितियों का विश्लेषण कीजिए और कक्षा में इन मुद्दों के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यनीतियों का विकास कीजिए।
   - दो विद्यार्थियों को स्कूल में नशे का प्रयोग करते पकड़ा गया है। प्रधानाचार्य भी विद्यार्थियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही करने के बारे में सोच रहे हैं। आप भी एक परामर्शदाता के रूप में कक्षा में इस मुद्दे का हल निकालना चाहते हैं। आप क्या योजना बनाएँगे?

© NCERT not to be republished

- आपकी कक्षा में एक लड़का और लड़की एक-दूसरे की उपस्थिति से अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। आप उनकी मदद करना चाहते या चाहती हैं। बताइए कि आप उन्हें किस प्रकार परामर्श देंगे या देंगी?

....

....

2. अपनी कक्षा में इस प्रकार के मुद्दों की पहचान तथा विश्लेषण कीजिए। कक्षा में पढ़ाते समय इस प्रकार के मुद्दों से निबटने के लिए प्रयोग की जाने वाली कुछ रणनीतियों का निर्माण करने का प्रयास कीजिए।

....

....

3. एक शिक्षक के रूप में आपके विद्यार्थी आपसे क्या आशा रखते हैं, इस पर अपनी कक्षा में एक विचार मंथन सत्र का आयोजन कीजिए। विद्यार्थियों की अपेक्षाओं का मिलान परामर्शदाता से कीजिए।

....

....

6.8 संदर्भ

- जूल्स, वेना और पीटर कुटनिक. 1997. *स्टूडेंट पर्सेप्शन ऑफ़ गुड टीचर – द जेंडर पर्सपेक्टिव,* ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, खंड 6. पृष्ठ संख्या 497–511.
- भटनागर, ए. और एन. गुप्ता. 1999. *गाइडेंस एंड काउंसलिंग – ए थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिव,* खंड 1. विकास पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली.
- ———. 1999. *गाइडेंस एंड काउंसलिंग – ए प्रेक्टिकल अप्रोच,* खंड 2. विकास पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली.
- रंगनाथन, एन. 2012. *एजुकेशन फॉर मेंटल हेल्थ.* शिप्रा पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 7

विद्यालयों में जीवन-कौशल शिक्षा

मॉड्यूल की रूपरेखा

7.1 परिदृश्य
7.2 भूमिका
7.3 उद्देश्य
7.4 जीवन-कौशल क्या हैं?
7.5 विभिन्न जीवन-कौशल कौन-कौन से हैं?
7.6 जीवन-कौशल की आवश्यकता
7.7 जीवन-कौशल को जेंडर समावेशी बनाना
7.8 जीवन-कौशल शिक्षा प्रदान करने की प्रविधियाँ
7.9 क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन-कौशल शिक्षा प्रदान करना
7.10 विद्यालयों में जीवन-कौशल शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य
7.11 संदर्भ

© NCERT not to be republished

7.1 परिदृश्य

जीवन-कौशल वे कौशल हैं, जो विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उपयोगी समाधान तलाश करने में समर्थ बनाते हैं। इन कौशलों को विद्यालयी शिक्षा के साथ समेकित करने से आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान तथा निर्णय लेने की व्यावहारिक क्षमताओं को वास्तविक जीवन स्थितियों में परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी। ऐसे बहुत से निजी और सामाजिक मुद्दे होते हैं जिनके समाधान शिक्षक को इन जीवन-कौशल के माध्यम से खोजने होते हैं। संबद्ध उदाहरण और स्व-मूल्यांकन अभ्यास भी इसके लिए सुझाए गए हैं। इन्हें स्कूली परिस्थितियों में प्रारंभिक स्तर पर अपनाया जा सकता है। शिक्षक और शिक्षक परामर्शदाताओं को इस प्रकार के कौशलों की संकल्पनाओं और महत्व के प्रति जागरूक बनाने के प्रयत्न किए गए हैं। साथ ही इन कौशलों के विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन को सुगमित करने के लिए कुछ क्षेत्रों की संस्तुति की गई है। इस मॉड्यूल में बहुत से क्रियाकलाप शामिल किए गए हैं जिन्हें वे विद्यालय के वातावरण में अमल में ला सकते हैं। शिक्षक को इन सब के प्रति संवेदनशील होना चाहिए तथा उनसे निपटने के लिए अलग-अलग प्रविधियों तथा क्रियाकलापों को उपयोग में लाना चाहिए।

7.2 भूमिका

पूरे विश्व में नए युग के सूत्रपात से संसार आज एक वैश्विक ग्राम बन गया है तथा तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। वैश्वीकरण, शहरीकरण, तीव्र आर्थिक विकास या मीडिया के अप्रत्याशित विस्तार से युवा बच्चों और वयस्कों के जीवन परिवर्तित हो गया है। हम हर रोज गुस्सैल व्यवहार, हिंसा, अपराध, आत्महत्या,

सड़क पर गुस्सा निकालने तथा जाति, धर्म और जेंडर पर आधारित भेदभाव के किस्से पढ़ते हैं। यहाँ आगे कुछ उद्धरण समाचार पत्रों से प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो सामाजिक असंतोष और युवा पीढ़ी की चुनौतियों के बारे में एक जायजा प्रस्तुत करते हैं।

नीचे दिए गए समाचार पत्र के लेख को पढ़िए—

1. राजधानी में लावारिस छोड़ दी गई लड़कियों की मौत (हिंदुस्तान टाइम्स, 28 जनवरी 2011)

केवल एक महीने में माँ-बाप द्वारा लावारिस छोड़ दिए गए तीन बच्चों में से एक की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये सभी लड़कियाँ थीं। दो नवजातों को अस्पताल के कर्मियों के पास छोड़ दिया गया जबकि सात वर्षीय लड़की को दक्षिणी दिल्ली के अंसल प्लाजा मॉल में छोड़ दिया। 19 जनवरी 2011 को उत्तरी दिल्ली के सराय रोहिल्ला के पास एक नवजात बच्ची मल-मूत्र के बहते नाले में पाई गई। पुलिस का कहना है कि इस बच्ची को जन्म के कुछ ही घंटों बाद फेंक दिया गया था। जिन दो माँ-बाप ने अपनी नवजात बच्चियों को कलावती सरन और बाड़ा हिंदूराव अस्पतालों के पास फेंक दिया था उन्होंने ऐसा अस्पतालों की सहमति से ही किया। इन माता-पिता ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि उनके पहले ही दो-दो लड़कियाँ थीं और वे एक और लड़की का बोझ सहन करने की स्थिति में नहीं थे।

2. पाठ्यपुस्तकें माँगने पर प्रधानाचार्या ने किया लड़कियों का उत्पीड़न (मेल टुडे, 5 मार्च 2011)

दौसा जिला के सिकंदरा में छठी कक्षा में पढ़ने वाली छह लड़कियों की पाठ्यपुस्तकें माँगने पर प्रधानाचार्या ने निर्दयतापूर्वक पिटाई की।

लड़कियों ने शनिवार को कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की प्रधानाचार्या संगीता मीना से अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें देने का अनुरोध किया। उनकी बात सुनने के बजाय मीना ने उन्हें कहा कि पुस्तकें केवल उच्चाधिकारियों के निर्देश मिलने के उपरांत ही बाँटी जाएँगी।

जब कुछ लड़कियों ने कहा कि कुछ विद्यार्थियों को पुस्तकें पहले ही प्रदान कर दी गई हैं तो प्रधानाचार्या ने गुस्से में आपा खोते हुए लड़कियों को सिर से पकड़कर पहले उन्हें दीवार पर और बाद में लोहे के जंगले पर पटक दिया। इसके बाद उन्हें बेरहमी से पीटा। डरी हुई और घायल लड़कियाँ किसी तरह पास के गाँव निहालपुरा पहुँची, जहाँ उन्हें गाँव के सरपंच लक्ष्मण सिंह फौजी प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र लेकर गए।

3. विनाश किसी भी क्षण संभावित? (मेल टुडे, नयी दिल्ली, 13 मार्च 2011)

जापान न्यूक्लियर संकट के मुहाने पर खड़ा है। अब तक इस विपदा में 1700 लोगों की जान जा चुकी है। कुल बीमित नुकसान लगभग 15 अरब डॉलर का हो चुका है। सुनामी ने 3400 भवनों को नष्ट कर दिया है। 50,000 सैनिक बचाव कार्यों में जुटे हैं तथा पृथ्वी अपनी धुरी से लगभग 4 इंच खिसक चुकी है।

4. बीते कल के चीयरलिडर्स? (मेल टुडे, नयी दिल्ली, 16 मई 2010)

खाप ने समान गोत्र के लोगों में विवाह पर प्रतिबंध लगा रखा है। क्या ग्रामीण समाज के बदलाव पर शादियों के माध्यम से नियंत्रण पाने की कोशिश हो रही है? दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैथल, हरियाणा में थोड़ी कम भीड़-भाड़ वाली सड़क पर स्थित है। यह क्षेत्र हरियाली से भरपूर है तथा सुप्रसिद्ध स्थल होने से चर्चित है। लगभग दो सप्ताह पूर्व इस शांत कस्बे को एक कारण से 15 मिनट के लिए जोरशोर से पहचान मिली जब करनाल में एक न्यायालय ने पाँच लोगों को मृत्यु दंड और दो लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। यह सज़ा कैथल ज़िले के करोड़ा गाँव के मनोज और बबली नाम के दंपत्ति की हत्या के सिलसिले में सुनाई गई, जिनका गुनाह केवल यह था कि वे दोनों एक ही गोत्र से संबंध रखते थे। शायद लोगों को इस बात का पता न हो, परंतु खाप पंचायतें हरियाणा में ही नहीं, अपितु उत्तर प्रदेश और झारखण्ड के कुछ हिस्सों में भी मौजूद हैं।

आत्मबोध

यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. इन रिपोर्टों में आप किन-किन मुद्दों की पहचान कर सकते हैं?
   ....
   ....
2. जिस प्रकार के जीवन संबंधी हालात आजकल हैं क्या आप उनके साथ जीने के लिए तैयार हैं?
   ....
   ....
3. क्या हमने अपने बच्चों की सर्वांगीण शिक्षा प्रणाली से आधुनिक उपभोक्तावादी शिक्षा की ओर विचलन कर लिया है?
   ....
   ....

© NCERT not to be republished

4. क्या हमें शिक्षा प्रणाली और विषय-वस्तु पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है?
....
....

7.3 उद्देश्य

- जीवन-कौशल की अवधारणा को समझाना।
- लड़कों और लड़कियों, दोनों के जीवन में जीवन-कौशल के महत्व पर चर्चा करना।
- विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा विद्यार्थियों में जीवन-कौशल का विकास।
- विद्यार्थियों में जीवन-कौशल विकसित करने की रणनीतियों की पहचान।

7.4 जीवन-कौशल क्या हैं?

जीवन-कौशल की कोई वैश्विक परिभाषा नहीं है। अलग-अलग एजेंसियों ने इनकी अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं। इनमें से जीवन-कौशल संबंधी कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) (1993) ने जीवन-कौशल की परिभाषा इस प्रकार दी है, 'यह अनुकूलन एवं सकारात्मक व्यवहार की ऐसी योग्यता है जिससे व्यक्ति दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में समर्थ हो जाता है।'

संयुक्त राष्ट्र संघ आपातकालीन अंतर्राष्ट्रीय बाल कोश (यूनिसेफ 2004) में जीवन-कौशल की परिभाषा में इसे, "व्यवहार अंतरण अथवा व्यवहार विकास बताया है जिसका उद्देश्य ज्ञान, अभिवृत्ति और कौशल इन तीन क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने के दृष्टिकोण का विकास है। आगे एक और दस्तावेज़ में जीवन-कौशल आधारित शिक्षा (एल.एस.बी.ई.) को शिक्षण और अधिगम की ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जो शिक्षार्थियों को ऐसा ज्ञान अर्जन एवं दृष्टिकोण तथा कौशल हासिल करने में समर्थ बनाती है जिससे स्वस्थ व्यवहार प्रक्रिया को अपनाने में मदद मिलती है।"

शिक्षा विभाग, दिल्ली (2005) विद्यालय किशोर शिक्षा कार्यक्रम, युवा (Yuva) के अनुसार जीवन-कौशल व्यक्तिगत कौशल या योग्यताएँ हैं, जो हम सभी में होती हैं तथापि जीवन की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। जीवन-कौशल को प्रभावी ढंग से अपनाने पर व्यक्ति अपने और दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है तथा इससे व्यक्ति की उत्पादकता, कार्यकुशलता, आत्म-सम्मान तथा आत्म-विश्वास बढ़ता है। जीवन-कौशल से हमें वे साधन और तकनीकें भी उपलब्ध होती हैं जिनसे हमारे अंतर्वैयक्तिक संबंधों में सुधार होता है। अपेक्षाओं के सृजन करने तथा उपलब्ध शैक्षिक, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के लाभकारी उपयोग के लिए भी जीवन-कौशल आवश्यक हैं।

7.5 विभिन्न जीवन-कौशल कौन-कौन से हैं?

सघन विचार मंथन और सामाजिक-कौशल को जीवन-कौशल माना गया है। अलग-अलग एजेंसियाँ इन्हें अपने-अपने तरीके से परिभाषित करती हैं, लेकिन जीवन-कौशल मूलतः लौकिक, स्थानिक और संदर्भपरक होते हैं तथा देश, काल और उनकी ज़रूरत रखने वाले छात्र समूह के संदर्भ विशेष के कारण इनमें बदलाव और सुधार होते रहते हैं। यहाँ यह भी देखना होगा कि किसी काल विशेष अथवा स्थान के लिए प्रासंगिक जीवन-कौशल सभी स्थानों और संस्कृतियों के लिए हमेशा उपयोगी नहीं होते हैं। किसी एक विशेष संगठन के उद्देश्य अथवा दायित्वों के तहत भी विभिन्न प्रकार के जीवन-कौशल निर्मित किए जाते हैं और उन पर बल दिया जाता है। इन सबके बावजूद जीवन-कौशल के 10 ऐसे मूल क्षेत्र हैं जिनकी पहचान महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में की गई है। यही विद्यालयों में भी जीवन-कौशल शिक्षा के मूल तत्वों के रूप में परिलक्षित होते हैं—

10 मूल जीवन-कौशल को इस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है—

• आत्म-जागरूकता	• समस्या समाधान
• समानुभूति	• प्रभावी संप्रेषण
• आलोचनात्मक चिंतन	• अंतर्वैयक्तिक संबंध
• रचनात्मक सोच	• तनाव से उबरना
• निर्णय लेना	• भावनाओं से पार पाना

(*स्रोत*— यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यू.एच.ओ., युवा एवं रा.शै.अ.प्र.प.)

रा.शै.अ.प्र.प. ने अपनी 'सक्षम' रिपोर्ट (1998) में कुछ अतिरिक्त कौशल भी निर्धारित किए हैं। इनमें ये भी शामिल हैं—

© NCERT not to be republished

- घर-गृहस्थी संबंधी कौशल
- जन सेवा का उपभोग
- परिवार संबंधी कौशल
- पर्यावरणीय संवेदनशीलता
- विधि साक्षरता

(यहाँ उल्लिखित प्रत्येक जीवन-कौशल का अर्थ जानने के लिए परिशिष्ट 2 को देखें)

7.6 जीवन-कौशल की आवश्यकता

अब तक हमने जीवन-कौशल की अवधारणा पर चर्चा की है। हम यह भी जानते हैं कि किस प्रकार ये विभिन्न कौशल विभिन्न कौशल कार्यक्रमों के संभाग बनते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जीवन-कौशल की आवश्यकता क्यों हैं? इन्हें क्यों विद्यालय पाठ्यचर्या का भाग बनाया जाए। इसका उत्तर नीचे दिए गए तर्कों में निहित हो सकता है—

- वर्तमान संसार में व्यवस्था की अपेक्षा व्यक्ति ही समाज की बुनियादी इकाई संघटक है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी व्यक्ति ऐसे कौशलों का विकास करें जो उन्हें सुविज्ञ विकल्प तलाशने तथा दैनिक जीवन के तनाव कारकों का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए तैयार कर सकें। कुछ ऐसे मूल जीवन-कौशल हैं जिन्हें अवश्य सीखना चाहिए। इनमें समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन, संप्रेषण आत्म-जागृति, तनाव का सामना, निर्णय लेना, उत्पादक चिंतन, परिणामकारी सोच, अंतर्वैयक्तिक संबंध और समानुभूति आदि शामिल हैं।
- विद्यालयी शिक्षा विद्यार्थियों को कौशल प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे उन्हें स्वयं से अपने वातावरण और अपने समुदाय या समाज से संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है।
- कुछ विद्यार्थी अपनी स्कूली शिक्षा बड़े आराम से पूर्ण कर लेते हैं। दूसरे विद्यार्थी वे हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ाई जल्दी छोड़ दी हो। जल्दी पढ़ाई छोड़ देने वाले ये युवा लड़के और लड़कियाँ, पुरुषों और महिलाओं के रूप में बड़े होते हैं, परिवार बनाते हैं तथा स्वस्थ गुणवत्तापूर्ण जीवन के आवश्यक बुनियादी जीवन-कौशल को जाने बगैर ही अपनी आजीविका कमाने लगते हैं। इनमें से कई पुरुष और महिलाएँ पंचायतों, प्रशासन तथा स्थानीय निकायों में काम करने के लिए उम्मीदवार बन जाते हैं और वे तभी सामाजिक बुराइयों से लड़ सकते हैं यदि वे जागरूक नागरिक और सुविज्ञ इंसान होंगे।
- जीवन-कौशल यथोचित निर्णय लेने और उन पर अमल करने के लिए आवश्यक होते हैं। इनसे व्यक्ति जीवन की वास्तविक स्थितियों में 'क्या करना चाहिए', 'कब करना चाहिए' तथा कैसे करना चाहिए' आदि के बारे में जानने में समर्थ बनता है।
- रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा तैयार की गई *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ़.) 2005* में भी जीवन-कौशल शिक्षा पर बल दिया गया है। इसमें कहा गया है 'शिक्षा को विभिन्न जीवन-कौशल के साथ घनिष्टता से संबद्ध करना अपेक्षित है... यही वे कौशल हैं जिनसे विद्यार्थी नशाखोरी की आदत, हिंसा, किशोरावस्था में गर्भधारण, एड्स तथा कई दूसरी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। एन.सी.एफ़. 2005 में जीवन-कौशल को किशोर शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ा गया है।
- जीवन-कौशल की जानकारी से छात्र उपभोक्ता अधिकार, उपलब्ध वस्तु एवं सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल करने तथा यदि अपेक्षित वस्तु एवं सेवा की गुणात्मकता से संबंधित उत्पादक अथवा नागरिक प्राधिकरणों से कोई शिकायत हो तो उसके समाधान के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं।
- जीवन कौशल माध्यम से विधि जागरूकता और नागरिक तथा प्रशासनिक प्रविधियों को जानने के अवसर भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएँगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे पहल और कार्यवाही कर सकें। जीवन-कौशल अपने परिवेश से संबंधित अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति भी विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाएँगे।

7.7 जीवन-कौशल को जेंडर समावेशी बनाना

जीवन-कौशल के विकास में भारतीय समाज को परिलक्षित करने वाली विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय विविधताओं पर भी विचार करना आवश्यक है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों की क्षमताएँ और योग्यताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं तथा उनके जीवन अनुभवों के तौर-तरीके और आवश्यकताएँ अलग-अलग हैं।

© NCERT not to be republished

इसलिए एक समान कार्यक्रम दोनों के लिए उपयोगी नहीं होगा। उनके लिए निर्धारित जीवन-कौशल भी उनके संदर्भ और उनकी विशेष आवश्यकताओं तथा विकास के लिए तय किए गए लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए। यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि विद्यार्थियों के बड़े होने के विभिन्न चरणों में उनकी आवश्यकताएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। उनकी भावनाएँ उनके व्यवहार के तरीकों में भी प्रतिफलित होती हैं।

जेंडर धारणाओं के आधार पर यह समझना भी आवश्यक होगा कि जीवन-कौशल जेंडर निरपेक्ष होते हैं। अतः वे लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए समान रूप से मान्य हैं।

जीवन-कौशल का अभिप्राय यह है कि लड़कों और लड़कियों दोनों में ही समान क्षमताएँ और सकारात्मक अभिवृत्तियाँ विकसित हों। इसलिए विद्यालयों में जीवन-कौशल शिक्षा के लिए जेंडर समावेशी पद्धति का अवश्य प्रयोग किया जाए।

7.8 जीवन-कौशल शिक्षा प्रदान करने की प्रविधियाँ

जीवन-कौशल अपने स्वरूप में गतिशील होते हैं अतः उन्हें केवल जानकारी, उसके प्रचार-प्रसार अथवा चर्चा से नहीं सीखा जा सकता है। इन्हें विद्यालयी वातावरण तथा क्रियाकलापों में समेकित किया जाना चाहिए ताकि कक्षागत अधिगम प्रक्रिया और अधिक आनंदपूर्ण तथा सभी स्कूली क्रियाकलाप प्रसन्नतादायक एवं रुचिकर बन सकें। निष्पादन संबंधी क्रियाकलाप मुख्यतः प्रायोगिक और अनुभव आधारित होते हैं उन्हें जीवन-कौशल विकास के लिए अधिक प्रभावी माना जाता है। अतः हमें छात्र उन्मुखी निर्देशात्मक, गैर-अंतःक्रियात्मक और गृह कार्य से बोझिल पद्धतियों से बिलकुल अलग हटकर शिक्षार्थियों को सूचना संप्रेषण और ज्ञान प्रदान करने पर अपना ध्यान देना होगा। जीवन-कौशल कार्यक्रमों की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनमें सक्रिय अधिगम को समेकित करने वाली शिक्षण तकनीकों को शामिल करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि समस्त अधिगम प्रणाली को अनुभवपरक बनाया जाए ताकि वास्तविकताओं के बारे में केवल सोचने की अपेक्षा अध्ययन की जाने वाली घटनाओं से प्रत्यक्ष सामना हो सके। केवल रटने वाली शिक्षा पद्धति से जीवन-कौशल विकास की संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतिभागी निश्चिंतता से सूचना प्राप्त करते रहते हैं और बस अपने पाठ को याद भर कर लेते हैं। जीवन-कौशल को सीखने में प्रतिभागितापूर्ण और अन्तःक्रियात्मक शिक्षण और अधिगम प्रविधियों द्वारा मदद मिल सकती है। शिक्षक की भूमिका यहाँ बहुत व्यापक हो जाती है। उसका कार्य और भूमिका केवल भाषण देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होकर एक सहायक की हो जाती है। यहाँ यह भी समझने की ज़रूरत है कि बच्चे केवल शिक्षक से ही नहीं सीखते, अपितु अपने साथियों से भी सीखते हैं। अतः जब निष्पादन की रणनीतियों की योजना निर्मित की जाए तो इसकी अनदेखी न हो। कौशलों, मूल्यों और अभिवृत्तियों को स्पष्ट करने और जानकारी प्रदान करने वाली प्रतिभागितापरक और अंतःक्रियात्मक प्रविधियाँ न केवल शैक्षिक रूप में अपितु व्यावहारिकता में भी लाभदायक हैं, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों को प्रायोगिक अनुभव प्राप्त करने और ऐसे कौशल विकसित करने में मदद मिलती है जिन्हें बाद में और प्रखर तथा परिष्कृत किया जा सकता है।

प्रतिभागितापूर्ण अधिगम प्रविधियों में कहानी कहना और सुनना, संवादों को पढ़ना और उनका विश्लेषण करना, आलेख और कहानियाँ, प्रश्नोत्तरियाँ, केंद्रित विषयों पर समूह चर्चा और बातचीत, गाना और नाचना, ड्राइंग और चित्रकला, विभिन्न प्रकार के मॉडलों का सृजन और निर्माण, सृजनात्मक लेखन, विचार-मंथन सत्र, आमोद-प्रमोद यात्रा, नाटक, भूमिका निर्वहन, मूकाभिनय भाषा तथा गणित संबंधी खेल, जैसे— पहेली, साथी-समूह के विचार एवं विश्लेषण, सभी प्रकार की प्रतिस्पर्धाएँ, मानचित्र निर्माण यथा समुदाय मापन एवं गिनती, व्यावहारिक कार्य, प्रश्नावली का निर्माण और प्रश्न पूछना या सर्वेक्षण करना, परियोजना-कार्य करना, प्रदर्शनियाँ आदि क्रियाकलाप ऐसे दृष्टांत उदाहरण हैं जिन्हें जीवन-कौशल शिक्षा कार्यक्रमों में समाविष्ट किया जा सकता है। हालाँकि यह सूची लंबी और बड़ी व्यापक है तथापि इसकी खूबी यह है कि इसके सभी घटक स्कूली क्रियाकलापों के अभिन्न अंग हैं। इस प्रकार वर्तमान विद्यालयी वातावरण और क्रियाकलापों में इन जीवन-कौशल को समेकित करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाता है।

7.9 क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन-कौशल शिक्षा प्रदान करना

विषय— स्व जागरूकता के माध्यम से

उद्देश्य— इस क्रियाकलाप के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वत्व को जानने में और

© NCERT not to be republished

जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलेगी।

जीवन-कौशल का प्रयोग— स्व-जागृति, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने में होता है।

प्रविधि— विद्यार्थियों से उनके शारीरिक स्वत्व, पसंद और नापसंद के बारे में कुछ वाक्य लिखने के लिए तथा अपनी पसंद के किसी बड़े रोल मॉडल अथवा अनुकरणीय व्यक्ति को चुनने के लिए कहा जा सकता है। शिक्षक लड़कों और लड़कियों से अलग-अलग लिखने या उत्तर देने के लिए कह सकते हैं ताकि उत्तर बड़ी संख्या में प्राप्त हो सकें। प्राप्त उत्तरों को तब शारीरिक स्वत्व, सामाजिक स्वत्व और भावनात्मक स्वत्व आदि में श्रेणीबद्ध और वर्गीकृत किया जाए। शिक्षक भी लड़कों और लड़कियों से प्राप्त उत्तरों पर राय संबंधी विभिन्नताओं पर अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। इस सबका मुख्य लक्ष्य जेंडर समानता और अन्य जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को और बढ़ाना है।

मीडिया में पुरुषों और महिलाओं तथा दूसरे विषयों जैसे किशोर प्रेम, विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण आदि के प्रतिचित्रण पर भी चर्चा का आयोजन हो सकता है।

विद्यार्थियों को कहा जाए कि वे यह बताएँ कि वे बड़े रोल मॉडल के बारे में क्या सोचते हैं तथा 'स्वत्व' के किस पहलू को उन्होंने सबसे अधिक पसंद किया। इसका मुख्य ध्येय है कि विद्यार्थी यह सीख सकें कि वे अपनी अंतरात्मा का सम्मान करें तथा जेंडर विभेद को समझें और उसका आदर करें। शिक्षक उन्हें शारीरिक छवि की संकल्पना के बारे में भी समझा सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि यह किस प्रकार हमारे आत्म-सम्मान को प्रभावित करता है तथा यह कैसे शारीरिक छवि के अनेकों भ्रमों का खंडन करता है।

यह सत्र विद्यार्थियों के विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सहमति और विरोधाभास के बिंदुओं से होता हुआ आगे जारी रह सकता है, जिन्हें शिक्षक विद्यार्थियों के सत्र-सहभागिता अनुभवों के आधार पर और स्पष्टीकरण दे सकते हैं अथवा वह केवल तत्काल परिकल्पित विभिन्न परिस्थितियों का भी इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं और विद्यार्थियों से इसका विश्लेषण करा सकते हैं। इसका उद्देश्य जीवन-कौशल का विकास करना और दूसरे जेंडर के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करना तथा जेंडर वैभिन्न्यता को सह-पूरकता के रूप में देखने की योग्यता उत्पन्न करना है।

विषय— सामाजिक संवेदनशीलता – परिवर्तन लाना

उद्देश्य— इस क्रियाकलाप की मदद से विद्यार्थी—

- समझ सकेंगे कि भारत में प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन जीने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समान अधिकार प्राप्त है।
- बड़ों और परिवार के सदस्यों के प्रति आदर भाव पैदा होगा।
- यह समझ सकेंगे कि सभी लोग समाज के लिए योगदान दे सकते हैं।
- सार्वजनिक संपत्ति के महत्व को समझेंगे।

जीवन-कौशल का प्रयोग— स्व-जागरूकता, रचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, समानुभूति, प्रभावी संप्रेषण और भावनाओं से पार पाना।

प्रविधि— विद्यार्थियों को तीन समूहों में विभाजित करें तथा उन्हें किसी ऐसी घटना की आपस में चर्चा करने के लिए कहें जब उन्होंने अपमान अथवा अनादर की भावना का अनुभव किया हो। समाचार पत्रों में प्रकाशित बच्चों, महिलाओं, दलितों तथा सांप्रदायिक दंगों आदि से संबंधित खबरों पर विचार मंथन करें। कुछ समस्या समाधान की रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दें तथा उन प्रयासों की सूची बनाएँ, जिन्हें लेखों में वर्णित स्थिति से निपटने के लिए अमल में लाया जा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कीजिए, जो इस प्रकार के स्वयं सहायता समूह, गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ अथवा स्वयं सामुदायिक सेवा करने वाला हो और उनके साथ चर्चा कीजिए कि वे इस प्रकार के मुद्दों के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। लड़कों और लड़कियों, दोनों को समान रूप से अपने साथ इस प्रक्रिया में जोड़ें ताकि वे यह दिखा सकें कि ऐसी परिस्थिति में योजना बनाने, विश्लेषण करने, पूर्वाभास करने और रणनीतिकरण आदि की उनमें समान क्षमता है। साथ ही यह भी उजागर होना चाहिए कि लड़कियाँ भी बदलाव की कारक हो सकती हैं तथा प्रतिरोध के स्वर मुखरित कर सकती हैं। इसका उद्देश्य केवल जीवन-कौशल मात्र का विकास नहीं है, अपितु जेंडर समता आदि के मुद्दे को भी पर्याप्त सफलता से हल करना है।

© NCERT not to be republished

गाँव में साइकिल चलाने पर दलित लड़की को किया गया प्रताड़ित
(पी.टी.आई. समाचार, 24 अगस्त 2005)

शिक्षक बनने की ख्वाहिश रखने वाली ममता नायक को गाँव के उच्च जाति के लोगों ने सड़कों पर साइकिल चलाने के लिए प्रताड़ित किया।

ममता खन्दागिरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नरसिंहपुर गाँव की अपनी जाति की पहली लड़की है जिसने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की है तथा 7 किलोमीटर दूर एक कॉलेज में प्रवेश लिया है। परंतु जैसे ही वह पास के गाँव ननपुत से होते हुए साइकिल पर कॉलेज जाने लगी तो लोगों ने उस पर आपत्ति की।

ग्रामवासियों ने एक बैठक करके इस मसले पर चर्चा की तथा ममता के पिता घनश्याम नायक और परिवार के अन्य सदस्यों को गाँव के बीच से साइकिल चलाकर जाने के लिए चेतावनी दी।

घटना से हतोत्साहित लड़की ने कुछ दिनों के लिए कॉलेज जाना छोड़ दिया। फिर दूसरों के हौंसला बढ़ाने पर उसने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हालाँकि जब वह ननपुत पहुँची तो उसने साइकिल सहित पैदल ही गाँव को पार किया और उसके बाद साइकिल चलाने लगी।

मानसून के मौसम में उसके पास एकमात्र रास्ता गाँव से होकर जाने वाला ही था। ममता ने कहा, "मैं रोज सात किलोमीटर साइकिल चलाकर कॉलेज जाती हूँ, क्योंकि पैदल इतनी दूरी तय करना संभव नहीं है... मैं सोचती हूँ हमारे गाँव के लिए दूसरी सड़क होनी चाहिए।"

कॉलेज में उसने अन्य विद्यार्थियों की ओर से कभी भी किसी भेदभाव का सामना नहीं किया। उसने कहा, "उच्च जाति के विद्यार्थियों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं कॉलेज में खुश हूँ।"

हिंदुस्तान टाइम्स, नयी दिल्ली, 15 मार्च 2011

दलित लड़की से दुष्कर्म करके ज़िंदा जलाया

प्रदीप कुमार मित्र

■ pradipmaitra@hindustantimes.com

नागपुर भंडारा जिले के खैरलांजी गाँव में 12 वर्ष की एक दलित लड़की की चचेरे भाई ने टॉफी का लालच देकर दुष्कर्म करके हत्या कर दी।

रिपोर्ट के अनुसार नागपुर से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दुशाला गाँव के निवासी अंकुश रामदयाल गजभिये (26 वर्षीय) ने लड़की को टॉफी का लालच दिया और उसे साइकिल पर अपने खेतों में ले गया जहाँ प्राप्त सूचना के अनुसार उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया।

लड़की चिल्लाई परंतु उसकी चीखें अनसुनी रह गई और वह बेहोश हो गई। इससे अंकुश घबरा गया और उसने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी।

पुलिस नियंत्रण कक्ष से यादव राम ठाकरे ने बताया कि यह अपराध तब सामने आया जब पीड़ित के माता-पिता ने शनिवार रात्रि को पूछताछ की, क्योंकि उन्हें एक ग्रामवासी ने बताया कि उसने अंकुश को लड़की के साथ देखा था।

इसके उपरांत ग्रामवासियों ने अंकुश को पकड़ लिया और इससे पहले कि वह अपना जुर्म स्वीकार करता उसकी पिटाई कर दी। बाद में उन्होंने उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया जिसके समक्ष उसने दुशाला में लड़की की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया। दुशाला खैरलांजी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यह वही गाँव है जहाँ भीड़ ने वर्ष 2000 में एक ही दलित परिवार के चार सदस्यों को मार डाला था।

विद्यार्थियों से ऊपर बॉक्स में दिए गए दोनों समाचारों को पढ़ने के लिए कहा जाए तथा लड़कों से खासकर पूछा जाए कि वे इस प्रकार की स्थितियों में क्या करेंगे। सभी विद्यार्थियों से स्थानीय समाचार पत्र संपादक को जेंडर मुद्दों पर पत्र लिखने के लिए कहा जाए जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। उनसे कक्षागत वाद-विवाद प्रतियोगिता अथवा एक पैनल

© NCERT not to be republished

चर्चा आयोजित करने के लिए कहा जाए जिसमें शिक्षक संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग ले सकते हैं। इस क्रियाकलाप का समापन 'जेंडर' पर एक दृष्टिकोण निर्मित कर तथा समस्त जीवन-कौशल निर्माण कर किया जाए, जिसके लिए इस क्रियाकलाप को बनाया गया है।

बड़ों के प्रति सम्मान

विद्यार्थियों को बड़ों और दूसरों के प्रति विनम्र और विनीत होने के महत्व से अवगत कराना चाहिए। ऐसा भूमिका निर्वहन तथा चर्चा से किया जा सकता है। छात्रों को उनके घर में उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की सूची बनाने के लिए कहा जा सकता है। यदि उनमें से कोई कहे कि वे अपने बुजुर्गों के साथ रहते हैं, तो इस बात से चर्चा प्रारंभ की जा सकती है कि हमारे बुज़ुर्ग आदर और देखभाल के हकदार हैं। इस क्रियाकलाप का लक्षित उद्देश्य बड़ों के योगदान के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना है विशेषकर महिलाओं के प्रति। इसके बाद समूह को भूमिका निर्वहन के लिए मार्गदर्शन दिया जा सकता है (नीचे बॉक्स में देखें) जिसमें लक्षित विषय और लक्ष्य समाहित हैं।

कक्षा 9 की छात्रा शाजिया साइकिल से विद्यालय जाती थी जो उसके घर से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर था। एक दिन जब वह विद्यालय से लौट रही थी तो उसने एक बुजुर्ग ग्रामीण महिला को शहर से आते हुए देखा जिसके हाथ में किराने के सामान से भरा एक बड़ा थैला था। बुजुर्ग महिला हर 10 कदम के बाद हांफती हुई सांस लेने के लिए रुक रही थी। शाजिया ने उसकी तकलीफ को देखा और उसके थैले को अपनी साइकिल पर रखकर छोड़ने के लिए कहा और उस महिला के साथ उसके घर तक धीरे-धीरे पैदल चलती हुई आई। जैसे ही वह उस महिला के घर पहुँची शाजिया ने थैला उतारकर उसे दे दिया। बुजुर्ग महिला ने शाजिया का धन्यवाद किया और उसे बहुत-सी दुआएँ दीं। शाजिया ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि यदि उसे आगे भी शहर से किसी चीज़ को लाने की ज़रूरत हो तो वह उसे कह सकती है और वह विद्यालय आते समय खरीदकर ला सकती है।

इस भूमिका निर्वहन के उपरांत शिक्षक इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि बुजुर्गों को प्यार, देखभाल और आदर की ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान एक महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी परिवार के लिए बुजुर्ग एक धुरी होते हैं और उनके प्रति सम्मान स्वाभाविक होना चाहिए। इसके साथ विद्यार्थियों से यह भी कहा जा सकता है कि वे उस बुजुर्ग महिला द्वारा अपने परिवार के लिए वर्षों तक दिए योगदान को भी अपनी सूची में शामिल करें।

सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग और देखभाल

विद्यार्थियों को यह जानने की आवश्यकता है कि वे किस प्रकार बदलाव ला सकते हैं और समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्हें सार्वजनिक संपत्ति को अपनाना पड़ेगा तथा उन्हें यह अहसास कराना होगा कि उनके गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार से दूसरों को असुविधा होती है।

यह समझाने के लिए कक्षा में दो दोस्तों के कथानक पर आधारिक एक भूमिका निर्वहन सत्र संचालित किया जा सकता है—

जयंत और प्रतीक एक ही स्कूल में एक ही कक्षा के छात्र हैं तथा वे पड़ोसी भी हैं। स्कूल जाते समय प्रतीक चुपचाप रहता है जबकि जयंत एक लकड़ी उठाकर रास्ते के पेड़-पौधों को मारता रहता है। जैसे ही वह कक्षा में पहुँचता है अपना बस्ता एक ओर फेंककर चॉक से दीवारों और मेज़ों पर लिखता है। फिर वह फ़र्श पर स्याही भी गिरा देता है। प्रतीक उसे रोकने की कोशिश करता है परंतु जयंत उसे चुप रहने के लिए कहता है। प्रतीक उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि विद्यालय सभी की साझा संपत्ति है और इसे स्वच्छ रखना सामूहिक ज़िम्मेदारी है। विद्यालय किसी ऐतिहासिक स्मारक पर जाने का कार्यक्रम बनाता है। वहाँ पर भी जयंत बिना यह सोचे कि वह राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुँचा रहा है, दीवारों पर कुछ लिखने की कोशिश करता है।
एक दिन जयंत के नटखट चचेरे भाई गाँव से आते हैं और उसके खिलौनों से खेलना शुरू कर देते हैं। वे खिलौनों के साथ तोड़फोड़ करते हैं और घर की दीवारों तथा उसके पढ़ने की मेज़ पर कुछ-कुछ लिखते हैं। वे जयंत के सबसे अच्छे संगीत यंत्र को भी तोड़ देते हैं। जयंत बहुत गुस्सा होकर रोने लगता है। वह विद्यालय अपने दोस्त प्रतीक को इसके बारे में में बताता है। तब प्रतीक उसे अहसास कराता है कि वह भी विद्यालय की संपत्ति तथा स्मारकों को नुकसान पहुँचाता है और उसे उसके गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार का स्मरण कराता है। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में लड़कियाँ भी लड़कों की तरह ही व्यवहार करेंगी? छात्रों को इस भूमिका निर्वहन पर चर्चा करने के लिए कहें और उन्हें यह भी बताएँ कि यदि वे दोनों लड़कियाँ होतीं तो यह कहानी क्या स्वरूप लेती।

not to be republished © NCERT

छात्रों के बीच प्रतीक और जयंत के व्यवहार को लेकर चर्चा प्रारंभ करें—

- क्या जयंत का व्यवहार उचित था?
- क्या हम सब इसी प्रकार व्यवहार करते हैं, यदि हाँ तो क्यों?
- आप क्या सोचते हैं उचित व्यवहार क्या होता?
- जयंत जब अपनी चीज़ों को अपने चचेरे भाइयों द्वारा तोड़ते हुआ देखता तो वह कैसा महसूस करता?
- इस भूमिका निर्वहन से हमने क्या सीखा?
- हम अपने समाज के प्रति किस प्रकार अपना योगदान कर सकते हैं और वर्तमान तथा भविष्य के लिए बदलाव कैसे ला सकते हैं?
- बच्चों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करें कि बच्चे अभी क्या कर सकते हैं और भविष्य में क्या करना है?

विषय — किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रतिकार करें

उद्देश्य — विद्यार्थियों को समाज में विभिन्न प्रकार की हिंसा के प्रति जागरूक कराना और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहने के प्रति संवेनशील होने की जानकारी देना है। उन्हें, विशेषकर लड़कियों को यह पता चलेगा कि हिंसा का शिकार होने से किस प्रकार बचना है।

व्यवहार में लाए गए जीवन-कौशल— स्व-जागृति, आलोचनात्मक चिंतन, तनाव का सामना, समस्या समाधान और निर्णय लेना।

प्रविधि — जिस प्रकार की हिंसा के प्रति विद्यार्थी जानकारी रखते हों उसका वर्णन करने के लिए उनसे कहा जा सकता है। वे एक-दूसरे को मारने, गला पकड़ने, दाँत से काटने, एक-दूसरे पर चीज़ें फेंकने, धौंस जमाने, धक्का देने, आलोचना करने, धमकी देने, दुष्कर्म और अभी हाल की नयी हिंसा तेजाब फेंकने का जिक्र करेंगे। शिक्षक को उनके द्वारा बताए गए हिंसा के रूपों को वर्गीकृत करना चाहिए, जैसे— शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और यौन हिंसा। शिक्षक इसके उपरांत उनसे किसी वास्तविक हिंसा के मामले पर चर्चा कर सकते हैं तथा हिंसा को बढ़ावा देने वाले एवं हिंसा के शिकार लोगों और हिंसा के प्रति सुरक्षा सुनिश्चित करने में सभी लोगों की ज़िम्मेदारी के प्रति एक परिप्रेक्ष्य तैयार कर सकते हैं। इसे जेंडर दृष्टिकोण से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उदाहरण देने के लिए चुने गए मामले

बदलाव के मुहाने पर

- दिल्ली पुलिस ने 37 ऐसी महिलाओं का चयन किया जिनके परिजन अपने कर्तव्य पालन के दौरान मारे गए, इसके बदले में इन महिलाओं को सिपाही के रूप में नियुक्तियाँ दी गई। चित्र में वे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र झाड़ोदा कलां में प्रशिक्षण प्राप्त करती दिखाई दे रही हैं।

© NCERT not to be republished

ऐसे हों जो लड़कों के लिए ऐसी समझ विकसित करने में मदद करें कि जिससे वे जान पाएँ कि अधिकांश हिंसा और अपराध इसलिए होते हैं कि लड़के अपने पूर्वाग्रहों के कारण अधिकांश महिलाओं को कमतर आँकते हैं। इस मिथ्या का पर्दाफ़ाश होना ही चाहिए। कुछ ऐसे भी उदाहरण शामिल होने चाहिए जिनमें महिलाओं को हिंसा के प्रति अपनी आवाज बुलंद करते और जेंडर न्याय के पक्ष में राय व्यक्त करते हुए दिखाया जाए। इसे प्रदर्शित करता हुआ एक उदाहरण यहाँ नीचे दिया गया है—

• 21 वर्षीय मीनू, दिल्ली पुलिस के दिवंगत हेड कांस्टेबल विजेंदर सिंह की बेटी है। उनके पिता जुलाई 2011 को ड्यूटी करते समय मारे गए थे।

• 35 वर्षीय ललिता देवी, दो विषयों में स्नातकोत्तर है। उनके पति उप-निरीक्षक राजबीर सिंह की 11 जून 2012 को मृत्यु हो गई थी। उनकी दो बेटियाँ हैं।

पहली बार— जब महिला पुलिसकर्मी ने गुंडों के खिलाफ संभाला मोर्चा

नयी दिल्ली— बुधवार को इंस्पेक्टर आरती शर्मा ने एक नया इतिहास रचा। इसके साथ ही आरती न केवल दिल्ली पुलिस की ऐसी प्रथम महिला पुलिस अधिकारी बनीं जिसने केवल पुरुषों पर आधारित एक दल का नेतृत्व किया, अपितु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से दो दिन पूर्व बुधवार शाम को एक बंदूकधारी अपराधी की गोलियों का सामना भी किया।

कई अभियानों का अनुभव रखने वाली, 47 वर्षीय आरती शर्मा ने न केवल एक वांछित अपराधी अरविंद शर्मा के खिलाफ 8 पुरुष पुलिसकर्मियों के दल का नेतृत्व किया बल्कि जब अपराधी ने पुलिस दल पर हमला किया तो उसने बड़ी सुझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया। उसके दल का एक हेड कांस्टेबल श्याम लाल गोलीबारी के दौरान जख्मी हो गया।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आरती शर्मा के हौंसले की सराहना की है और उसे वीरता पुरस्कार के लिए नामित करने की भी योजना बना रहे हैं। इसके अलावा श्याम लाल सहित उसके दल के दो सदस्यों को समय से पहले ही पदोन्नति प्रदान की जाएगी।

रवींद्र कुमार अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) ने बताया "वह किसी दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पुलिस इंस्पेक्टर है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला के नेतृत्व में दल ने एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया हो।"

उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर आरती शर्मा और उसके दल ने जनकपुरी के नजदीक रात करीब साढ़े नौ बजे अपराधी को पकड़ने के लिए घात लगाई थी। उन्होंने बताया कि दल को सूचना मिली थी कि अरविंद शर्मा किसी से पैसे लेने के लिए वहाँ आएगा।

यादव ने कहा "वह काली सैंट्रो कार में था। इंस्पेक्टर आरती शर्मा और उसके साथियों ने तुरंत कार को घेर लिया परंतु उसने बच निकलने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें हेड कांस्टेबल को गोली लग गई।"

मीडिया से बात करते हुए इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा "हमें पता था कि वह हथियारों से लैस होगा, इसलिए हम भी पूरी तैयारी के साथ आए थे।"

उन्होंने दूसरी महिलाओं को संदेश देते हुए कहा "डरें नहीं, जीवन को दृढ़ निश्चय और हौसले से जिएँ।"

एच.टी.सी.

अधिक जानकारी वेब पर :
दिल्ली पुलिस में नयी भर्तियों के और अधिक चित्रों के लिए लाग इन करें:
http:himdustantimes.com/womancop

शिक्षक महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनगिनत अपराधों पर चर्चा के माध्यम से समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान शक्ति संबंधों का वर्णन कर सकते हैं। जेंडर ढाँचे में इन सभी चर्चाओं को ठीक से समझा जा सकता है। जेंडर आधारित असमानता महिलाओं के जीवन में बाल्यकाल से वयस्कता तक सभी स्तरों पर पाई जाती है। शिक्षक संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू.एन.एफ.पी.ए.) के अंतर्राष्ट्रीय महिला अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में दिखाई देने वाली जेंडर आधारित हिंसा के उदाहरणों पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। इसका उद्धरण यहाँ आगे दिया गया है—

not to be republished

जन्मपूर्व
- कन्या भ्रूण हत्या
- गर्भावस्था में शारीरिक हिंसा — गर्भावस्था में बलपूर्वक संभोग

शैशवावस्था
- कन्या शिशु हत्या
- देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य सुविधा तथा शिक्षा की भेदभावपूर्ण उपलब्धता

बाल्यावस्था
- बाल विवाह
- बाल यौन हिंसा तथा बाल मजदूरी
- बाल वेश्यावृत्ति या बाल या तस्करी
- देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य सुविधा तथा शिक्षा की भेदभावपूर्ण उपलब्धता

किशोरावस्था
- यौन छेड़छाड़, लड़कियों को तंग करना
- बलात्कार
- कौटुम्बिक व्यभिचार
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
- घरेलू हिंसा
- बलात वेश्यावृत्ति
- मानव तस्करी
- विवाह पूर्व गर्भ, गर्भपात संबंधी हिंसा
- देखभाल एवं पोषण स्वास्थ्य सुविधा तथा शिक्षा की भेदभावपूर्ण उपलब्धता
- अपहरण और अपावर्तन (बहलाकर या धमकाकर भगाकर ले जाना)

युवावस्था और वयस्कता
- घरेलू हिंसा
- वैवाहिक बलात्कार
- दहेज संबद्ध दुर्व्यवहार और हत्या
- बलात गर्भवती करना
- मानव हत्या
- कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न
- यौन छेड़छाड़, यौन दुर्व्यवहार और दुष्कर्म
- देखभाल एवं पोषण, स्वास्थ्य सुविधा तथा शिक्षा की भेदभावपूर्ण उपलब्धता
- परित्याग करना

वृद्धावस्था
- वृद्धाओं से दुर्व्यवहार (इसमें महिलाओं पर होने वाले मामले अधिक हैं)
- विधवाओं से दुर्व्यवहार
- यौन हिंसा का भय
- देखभाल, पोषण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की कमी

घरेलू हिंसा तथा घरेलू हिंसा की अभिव्यक्ति

घरों में हिंसा की घटनाएँ व्यापक हैं तथा यह पूरे समाज में महिलाओं को प्रभावित करती हैं। यह अमीर शहरी घरों से लेकर गरीब ग्रामीण घरों, सभी धर्मों, वर्ग एवं जाति के दायरे में व्याप्त हैं। घरेलू हिंसा से तात्पर्य घरों में होने वाली हिंसा से है। इसमें लड़कियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, पत्नी को पीटना तथा दुर्व्यवहार करना, बहुओं का उत्पीड़न और परिवार में विधवाओं की उपेक्षा शामिल है। हिंसा करने वाले महिलाओं के नजदीकी संबंधी ही होते हैं। इनमें पिता, पति और उसका परिवार और कभी-कभी तो पुत्र भी सम्मिलित होते हैं। घरेलू हिंसा केवल एकाध बार शारीरिक उत्पीड़न की अपेक्षा निरंतर दुर्व्यवहार तथा नियंत्रण है। अंतरंग संबंधों में शारीरिक हिंसा मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार के साथ होती है और आधे से एक-तिहाई मामलों में यह यौन दुर्व्यवहार से साथ संबद्ध पाई गई है।

घरेलू हिंसा की अभिव्यक्ति

- **शारीरिक दुर्व्यवहार**— मारना, थप्पड़ मारना, पैर से मारना, मुक्के मारना, जलाना, गला दबाना, कुछ वस्तुओं के प्रयोग से चोट पहुँचाना, प्रजनन अधिकार और स्वास्थ्य पर नियंत्रण।
- **मानसिक दुर्व्यवहार**— धमकी, आदेश देना महिला क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, महिला या उसके माता-पिता का अपमान, महिलाओं को घर से बाहर अथवा अपने मायके जाने से रोकना।
- **यौन दुर्व्यवहार**— बलात्कार, अवांछित स्पर्श, बलात किया गया यौन कृत्य तथा सुरक्षित संभोग करने से मना करना।
- **आर्थिक अथवा संपत्ति संबंधी दुर्व्यवहार**— महिला की निजी वस्तुओं को नष्ट कर देना, चोरी करना अथवा

© NCERT not to be republished

उससे पैसे की माँग करना, उसकी बुनियादी जरूरतों जैसे कि भोजन तथा कपड़े आदि की पूर्ति न करना तथा महिला को काम पर जाने की अनुमति न देना।

शिक्षक विद्यार्थियों को *घरेलू हिंसा अधिनियम 2005* से भी अवगत करा सकते हैं। इसमें हिंसा मुक्त घर और हिंसा रोकने के प्रावधानों का संज्ञान लिया गया है। शिक्षक इन पर विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर सकते हैं।

7.10 विद्यालयों में जीवन-कौशल शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), केंद्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) तथा अनेक दूसरे राज्य शिक्षा बोर्डों ने विद्यालयी शिक्षा की सभी राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाओं पर अपने-अपने विद्यालयों में जीवन-कौशल शिक्षा को शामिल कर लिया है। शीर्ष स्तर पर सामग्री, मॉड्यूल तथा प्रशिक्षण दे दिया गया है ताकि उसे संबद्ध विद्यालयों तक क्रियान्वित किया जा सके। निजी विद्यालयों ने भी अपनी सामग्री और उपागम तैयार किए हैं। अधिकांश मामलों में जीवन-कौशल शिक्षा, किशोर शिक्षा के मुद्दों तथा विभिन्न पक्षों के साथ जोड़ी गई है। जीवन-कौशल शिक्षा को विभिन्न विद्यालयी क्रियाकलाप, जैसे— स्कूली सभा, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्रियाकलापों तथा सामुदायिक कार्यों आदि के साथ समेकित किया गया है। जेंडर के साथ जीवन-कौशल शिक्षा को जोड़ने के ढेरों अवसर हैं। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं कि लड़कों और लड़कियों, दोनों को जीवन-कौशल शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएँ, अपितु इसका निहितार्थ यह भी है कि जेंडर समानता, लड़कियों के लिए अवसरों को सीमित करने वाले भेदभाव और व्यवहार के मुद्दे, जिनसे वे कमज़ोर और अशक्त हो जाती हैं, इन सबको जीवन-कौशल शिक्षा के माध्यम से हल किया जा सकता है। सामग्री का विवेकपूर्ण चयन तथा विद्यार्थियों के अनुभवों के साथ संवेदनशील शिक्षक इस दिशा में बड़ा योगदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक विद्यालय पहल कर सकता है।

7.11 संदर्भ

- डब्ल्यू.एच.ओ. 1997. *कमिंग ऑफ़ एज, फ्रॉम फैक्ट्स टू एक्शन फॉर एडोलसेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ.* डब्ल्यू.एच.ओ., जेनेवा (डब्ल्यू.एच.ओ./एफ.आर.एच./डी.एम.197.18)
- दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल. 2005. *हैंडबुक फॉर टीचर्स फॉर स्कूल एडोलेसंस एजुकेशन प्रोग्राम.* युवा, शिक्षा विभाग, दिल्ली और दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी.
- पी.टी.आई. 2005. *गाँव में साइकिल चलाने पर दलित लड़की को किया गया प्रताड़ित.* 24 अगस्त, पी.टी.आई., नयी दिल्ली.
- मेल टुडे. 2001. *कैटॉस्टोफ ऑन द कार्ड्स?* 13 मार्च, मेल टुडे, नयी दिल्ली.
- ———. 2010. *चियरलीडर्स ऑफ़ द पास्ट?* 16 मई, मेल टुडे, नयी दिल्ली.
- ———. 2011. *पाठ्यपुस्तकें मांगने पर प्रधानाचार्य ने किया लड़कियों का उत्पीड़न.* 5 मार्च. मेल टुडे, नयी दिल्ली.
- युवा. 2009. *स्कूल लाइफ स्किल्स प्रोगाम – शिक्षक और अभिभावकों के लिए हैंडबुक.* युवा, खंड 6.
- रा.शै.अ.प्र.प. 1998. *रिपोर्ट ऑन जेंडर सेंसटिविटी लाइफ स्किल्स अप्रोच टू करिकुलम ट्रांजक्शन एट द एलीमेंट्री लेवल* – स्कोप, यू.एन.एफ.पी.ए. और रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला सक्षम. नयी दिल्ली.
- ———. 2000. स्कूली शिक्षा के लिए *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000.* रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.
- ———. 2002. रिपोर्ट आन द वर्कशाप आन इंटिग्रेटिंग लाइफ स्किल्स एट एलीमेंट्री स्टेज. डी.डब्ल्यू.एस. रा.शै.अ.प्र.प. नयी दिल्ली.
- ———. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005.* रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.
- हिन्दुस्तान टाइम्स. 2011. *दलित लड़की से दुष्कर्म करके ज़िंदा जलाया.* 15 मार्च. हिन्दुस्तान टाइम्स, नयी दिल्ली.
- ———. 2011. *राजधानी मे लावारिस छोड़ दी गई लड़की की मौत.* 28 जनवरी. हिन्दुस्तान टाइम्स, नयी दिल्ली.
- ———. 2013. *बदलाव के मुहाने पर.* 8 मार्च. हिन्दुस्तान टाइम्स, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 8

लड़कियों में नेतृत्व के गुणों का विकास

मॉड्यूल की रूपरेखा

8.1 परिदृश्य
8.2 भूमिका
8.3 उद्देश्य
8.4 जेंडर असमानता और शिक्षा की भूमिका
8.5 लड़कियों के नेतृत्व तथा विशेष नेतृत्व संबंधी गुण
8.6 लड़कियों में नेतृत्व के गुणों के विकास की रणनीतियाँ
8.7 लड़कियों में नेतृत्व विकास को प्रोत्साहन
8.8 संदर्भ

8.1 परिदृश्य

विगत तीन दशकों से बालिकाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान और बल दिया गया है। बालिकाओं को अपने-अपने समुदायों और समाजों में बदलाव के संभावित कारकों के रूप में मानकर उनकी समग्र क्षमताओं को साकार करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। शिक्षा से लाभ उठाने के लिए अधिकाधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएँ शुरू की गई हैं।

मुख्यधारा शिक्षा में अधिकांश लड़कियों को विद्यालयों में दी जाने वाली कौशल और क्षमता संबंधी शिक्षा में नेतृत्व के गुणों के विकास का अभाव देखा गया है। विद्यालय लड़कियों में जिस क्षमता का संज्ञान लेते हैं उसमें उनके भविष्य में नेतृत्व करने के गुणों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। वास्तव में लड़कियों को अपने नेतृत्व कौशल के विकास के अंग के रूप निम्न बिंदुओं पर समर्थ बनाया जा सकता है —

- लड़कियाँ जिस प्रकार की सामाजिक संरचना और जीवन परिस्थितयों में रहती हैं उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
- वे अपने बारे में सोचें और भविष्य के लिए योजना बनाएँ।
- दूसरों को अपनी भावनाएँ और विचार सशक्तता से संप्रेषित करें।
- स्वयं निर्णय लें।
- उन भूमिकाओं को पहचानें जिन्हें वे सामाजिक मुद्दों और सरोकारों में निभा सकती हैं।
- अपने समुदायों में सक्रिय भूमिका निभाएँ।
- अपने और अपने आस-पास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएँ।
- दूसरी छोटी लड़कियों के लिए आने वाले समय की रोल मॉडल बनें।

इस मॉड्यूल का उद्देश्य शिक्षकों के लिए युवतियों में नेतृत्व के गुणों के विकास की रणनीतियाँ प्रदान करना हैं।

© NCERT not to be republished

पिछले अध्ययन यह बताते हैं कि विकास की दृष्टि से लड़कियों के लिए विशेष कौशल सीखने का यथेष्ट समय 8 से 10 वर्ष के बीच का होता है। इस उम्र में लड़कियों के अनुभव परिपक्व होने लगते हैं और साथ ही उनमें सीखी गई चीज़ों को संभालने, अमल करने तथा उन्हें जीवन में फिर से जीने की क्षमता भी अत्यधिक होती है। इस प्रकार जीवन के इस चरण में लड़कियाँ जो सीखती हैं उसमें से बहुत कुछ पर वे अपने वयस्क जीवन में अमल भी करती हैं। यह वह उम्र भी होती है जब उन्हें अपने भावी जीवन की जेंडर भूमिकाओं के प्रति अधिक सचेत नहीं किया जाता। अतः वे अपेक्षाकृत इस दौर में समाज से त्रस्त और संकोची कम होती हैं। इस काल में उनके पास खेलने और सीखने के लिए भी अधिक समय होता है, क्योंकि इसके उपरांत वे किशोरावस्था में प्रवेश करते ही पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से घिर जाती हैं।

8.2 भूमिका

लड़के एवं लड़की की सामाजिक स्थिति के बीच भेद किसी भी पितृसतात्मक व्यवस्था का एक अनूठा उदाहरण है और भारत इसका कोई अपवाद नहीं है। हालाँकि हमारे संविधान में सभी के लिए समानता और न्याय के मूल्य सन्निहित हैं, परंतु दोनों जेंडरों के सदस्यों के मध्य अंतर आज भी चुनौती बना हुआ है। लिंग निर्धारण और बालिका भ्रूण हत्या के खिलाफ जन अभियान के बावजूद बहुत से समाजों और घरों में लड़कियों के जन्म का स्वागत नहीं किया जाता है। जिन घरों में लड़कियों को जन्म लेने दिया जाता है वहाँ भी लड़कों को परिवार में अधिक दुलार मिलता है। लड़के का जन्म न केवल परिवार में ही खुशियाँ लाता है, अपितु माँ के लिए भी यह उच्च दर्जे का परिचायक होता है।

अपनी उम्र के बढ़ते दौर में लड़कियों की शिक्षा तक पहुँच, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतिभागिता के अवसरों की उपलब्धता में बहुत-सी लड़कियाँ भेदभाव का शिकार होती हैं। तारुण्य के कारण अचानक ही वे स्त्रीत्व की उम्र में आ जाती हैं। इसके बाद उन्हें व्यवहार के लिए निर्धारित सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में बाल विवाह, कम उम्र में शादी तथा छोटी उम्र में मातृत्व आदि की कुप्रथाएँ लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करती हैं। बड़े परिवारों में बड़ी लड़कियों से अपेक्षा होती है कि वे छोटे भाई-बहनों की देखभाल तथा घरेलू कामों की ज़िम्मेदारियाँ उठाएँगी। यदि हम बदलते भारत के शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियों की शिक्षा को दिए जाने वाले महत्व का संज्ञान ले भी लें, तो भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी उनका जीवन पारिवारिक और पारंपरिक अपेक्षाओं के इर्द-गिर्द घूमता है। लड़की को मुख्यत: देखभाल और परिवार का भरण-पोषण करने वाली के रूप में देखा जाता है।

भारत में महिला व्यक्तित्व की पहचान उसके परिवार के संबंधों द्वारा निर्धारित होती है। अधिकतर उसे किसी की बेटी, पत्नी, माँ अथवा बहू के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि उसके स्त्री होने के निजी अनुभव भी सामाजिक नियमों के दायरे में ही निर्मित होते हैं। जन्म से ही उसे अपने आने वाले कल की महिला होने की भूमिका के अनुरूप बनने के लिए सामाजीकृत किया जाता है। उससे यह उम्मीद रहती है कि वह एक देखभाल और प्यार करने वाली महिला के रूप में उभरे, जिसके लिए उसके अपने सपने और इच्छाएँ, उसके परिवार और बाद में उसके पति तथा उसके परिवार की इच्छाओं और सपनों के बाद आते हैं। परिवार बनाने और उसकी देखभाल करने तथा बच्चे पैदा और बड़े करने में उसके योगदान को किसी मूल्य का नहीं गिना जाता है। उससे यह आशा की जाती है कि वह अपनी निजी इच्छाओं, उम्मीदों और खुशी के बजाय परिवार की शांति और खुशी के लिए प्राथमिकता दे।

महिला केंद्रित मुद्दों पर काम करने वाले बहुत-से समाजशास्त्रियों ने महिलाओं पर आधिपत्य और उनके शोषण को जाति, वर्ग, धर्म तथा क्षेत्र जैसे कारकों से संबद्ध माना है। हो सकता है कि इन वर्गों में आधिपत्य और शोषण के स्तर अलग-अलग हों, परंतु भारतीय महिला की स्थिति कुल मिलाकर बहुत आशाजनक नहीं है। बहुत-सी सुशिक्षित और नौकरी करने वाली महिलाएँ भी घर के भीतर और कार्य स्थल पर दुर्व्यवहार तथा हिंसा का सामना करती हैं। उनका अपनी जिंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं होता तथा वे अकसर अपने को रूढ़िवादिता की भूमिकाओं में कैद पाती हैं।

इस प्रकार एक ऐसे परिवेश में जहाँ सामाजिक और जेंडर असमानताएँ आज भी बनी हुई हैं वहाँ लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए नीतियों और कानूनों के प्रावधान होने के बावजूद उनके स्वतंत्र और सशक्त महिला के रूप में बड़े होने के अवसर बहुत ही कम हैं। इन प्रत्यक्ष वास्तविकताओं में यही अपेक्षित है कि शैक्षिक प्रणाली के भीतर ऐसी रणनीतियाँ बनाई

© NCERT not to be republished

और अपनाई जाएँ जो लड़कियों को आत्मविश्वासी, स्वतंत्र तथा आत्म-आश्वस्त बनने के अवसर प्रदान करती हों। शायद इसका उत्तर लड़कियों में नेतृत्व के गुणों के विकास को बढ़ावा देने में मिल सके। नेतृत्व से लड़कियों को संभावित खतरे के प्रति सचेत होने तथा उनके विकास और सुरक्षा के लिए उपलब्ध अधिकारों के प्रति जागरूक होने में मदद मिल सकती है। इससे लड़कियाँ अपनी आवश्यकताओं को और बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएँगी तथा निर्णय लेने में सक्रिय भागीदारी कर सकेंगी व अपने विचारों तथा कार्यों के माध्यम से बड़े सामाजिक परिवर्तन ला सकेंगी। यह देखा गया है कि छोटी और किशोर लड़कियों के रूप में उनकी आवाज़ दबी ही रह जाती है। लड़कियों में नेतृत्व विकास का एक उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में उनकी आवाज़, अस्तित्व तथा क्षमता को पुनः मुखरित करना है।

8.3 उद्देश्य

- भारतीय समाज के सामाजिक ढाँचे की जानकारी प्राप्त करना, जिसके कारण जेंडर असमानताएँ उत्पन्न होती हैं तथा इन असमानताओं को कम करने में शिक्षा की संभावित भूमिका पर प्रकाश डालना।
- बालिकाओं की शिक्षा के संदर्भ में नेतृत्व के विशेष गुणों का निर्धारण करना।
- उन विशेष नेतृत्व गुणों का निर्धारण जो भारत में लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक हैं।
- शिक्षकों को उन रणनीतियों से लैस करना जिनसे लड़कियों में नेतृत्व संबंधी गुणों का विकास हो सके।

8.4 जेंडर असमानता और शिक्षा की भूमिका

जेंडर भेदभाव और पितृसत्तात्मक दबदबा भारतीय समाज के दो कड़वे सच हैं। लड़कियाँ भोजन और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं, शिक्षा, वेतन आदि तक पहुँच में भेदभाव का सामना करती हैं। लड़कियों की दुर्दशा पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए आइए इस केस का अध्ययन करें।

केस 1

लक्ष्मी पहले से ही एक लड़की की माँ थी, परंतु जब उसने दूसरी बेटी को जन्म दिया तो उसने उसे मार डाला। लक्ष्मी ने स्वीकार किया कि उसने अपनी दूसरी बच्ची को तीन दिनों के छोटे से जीवन में दूध नहीं पिलाया। भूख से बिलखती बच्ची को शांत करने के लिए उसने कनेर की झाड़ी के चिपचिपे गाढ़े द्रव को अरंडी के तेल में मिलाया और उस जहरीले मिश्रण को बच्ची के कंठ में जबरदस्ती डाल दिया। बच्ची के नाक से खून बहने लगा और फिर जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। गाँव की महिला पड़ोसियों ने उसे उसकी धूप में पकी मिट्टी की चोकौर घासफूस से ढकी झोंपड़ी के पास ही एक छोटे से गड्ढे में दबा दिया। (दहलबर्ग से, जहाँ बालिकाओं को मारना कोई बड़ा पाप नहीं है।

भारत में लड़कियाँ जिन अन्यायों का सामना करती हैं उनमें अजन्मी अथवा नवजात लड़कियों की हत्या केवल एक उदाहरण है। प्रोफ़ेसर अमर्त्य सेन ने रेडक्लिफ इंस्टिट्यूट ऑफ़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने उद्घाटन भाषण में भारत में जेंडर असमानता संबंधी सात प्रकारों का उल्लेख किया, इनमें मृत्यु दर में असमानता, जन्म दर की असमानता, बुनियादी सुविधाओं की असमानता, सामाजिक अवसरों की असमानता, व्यावसायिक असमानता, स्वामित्व संबंधी असमानता और घरेलू असमानता शामिल हैं। बहुत सारी लड़कियाँ यह जान ही नहीं पाती कि जो व्यवहार उनसे किया जा रहा है वह अन्यायपूर्ण तथा अनैतिक है और वे इसे अपनी नियति मानकर इसे सहती चली जाती हैं। इसका मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक है कि लड़कियों को अपनी जीवन परिस्थितियों तथा अन्याय और हिंसा के अन्य रूपों का पूर्ण ज्ञान हो, क्योंकि उनके साथ अन्याय और हिंसा होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। उन्हें अपने उन कानूनी अधिकारों का भी ज्ञान होना चाहिए जिनका राज्य ने उनके हित सुरक्षित करने के लिए प्रावधान किया है। लड़कियों को जागरूक और सशक्त बनाने का शिक्षा ही एकमात्र उपाय है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) लड़कियों के लिए शिक्षा की पक्षधर केवल सामाजिक न्याय मात्र के लिए नहीं हैं, अपितु इसकी सामाजिक बदलाव की क्षमता के कारण भी है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) भी शिक्षा की भूमिका पर इसलिए बल देती है, क्योंकि यह महिलाओं की स्थिति में बुनियादी सुधार का कारक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफ़ी अन्नान ने भी यही कहा है, उनके विचार में लड़कियों की शिक्षा में निवेश से प्रत्यक्ष और त्वरित परिणाम संपूर्ण परिवार के लिए बेहतर पोषण, उत्तम स्वास्थ्य देखभाल, प्रजनन दर में कमी, गरीबी में कमी तथा कुल मिलाकर संवर्धित आर्थिक उपलब्धियों में दिखाई देंगे।

© NCERT not to be republished

सशक्तीकरण और सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में इसकी भूमिका को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को ऐसा रूप देना होगा जिसमें लड़कियों का समग्र विकास तथा वयस्कता में उनका प्रवेश सहज हो सके। विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर पहलू ऐसे निर्मित किए जाएँ कि वे लड़कियों को अपने जीवन में निजी विकास और सामाजिक बदलाव के लिए आश्वस्त कर सकें।

इसकी शुरुआत लड़कियों को तार्किक तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहन देकर की जा सकती है। सही और आयु अनुकूल जानकारी, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित अवसर और रचनात्मक समस्या समाधान के अवसर, निर्णय लेने तथा सामुदायिक क्रियाकलापों में भाग लेना आदि लड़कियों के दैनिक जीवन का भाग होना चाहिए। नीचे दिए गए क्रियाकलाप को विद्यालय में शिक्षार्थियों अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों के साथ किया जा सकता है।

लड़कियों को समाज में उनके महत्व के बारे में जानकारी देना, उनकी स्थिति में सुधार तथा उद्धार के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे अपनी स्थिति के बारे में तभी कुछ प्रयास कर सकती हैं जब उन्हें इसकी जानकारी होगी। कक्षागत व्यवहार में शिक्षक को समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़ियों और महिलाओं पर उनके द्वारा आधिपत्य आदि के विषय में चर्चा करनी चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वे लड़कियों को अपने अनुभव, दृष्टिकोण तथा उत्कंठाएँ सारी कक्षा के साथ साझा करने में मदद करें। शिक्षार्थियों को उनके परिवार और अपने आस-पास के इलाके में लड़कियों से संबंधित मुद्दों के बारे में डाटा इकट्ठा करने लिए कहा जा सकता है।

क्रियाकलाप

शिक्षार्थियों अथवा प्रतिभागियों से नीचे दिए चित्र को देखने के लिए कहें—

शिक्षार्थियों से यह जानने की कोशिश करें कि इन चित्रों को देखकर उनके मन में क्या विचार आते हैं। उनके उत्तरों के आधार पर निम्नलिखित पर उनके साथ चर्चा कीजिए—

- भारत में जेंडर भूमिकाएँ
- जेंडर भेदभाव
- भेदभाव के लड़कियों के स्वत्व पर पड़ने वाले प्रभाव
- बाल विवाह की प्रथा और इसके नव-युवतियों के शरीर तथा जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव
- लड़कों और लड़कियों में समानता लाने में शिक्षा की भूमिका
- महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक और कानूनी उपबंध

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप

घरों में काम अकसर परिवार के सदस्यों में बाँट दिया जाता है। आप अपने शिक्षार्थियों से पूछ सकते हैं कि प्रत्येक सदस्य किस प्रकार का काम करता है। इस गतिविधि के लिए आप शिक्षार्थियों को घर ले जाने के लिए एक गतिविधि शीट दे सकते हैं और अगले दिन उसे भरकर लाने के लिए कह सकते हैं—

- विद्यार्थी का नाम
- परिवार के सदस्यों की संख्या
- परिवार में महिलाओं की संख्या
- परिवार में पुरुषों की संख्या

नीचे दी गई प्रत्येक घरेलू गतिविधि के सामने उस व्यक्ति का नाम और जेंडर लिखें जो इसे नियमित रूप से यह कार्य करता हो—

(क) झाड़ू लगाना
(ख) पोंछा लगाना
(ग) धूल झाड़ना
(घ) कपड़े धोना
(ङ) बर्तन धोना
(च) इलेक्ट्रॉनिक खरीददारी
(छ) सब्जियों की खरीददारी
(ज) बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाने ले जाना
(झ) पानी भरना
(ञ) घर के काम-काज में मदद करना
(ट) पालतू जानवरों की देखभाल
(ठ) भोजन पकाना
(ड) बुज़ुर्गों की देखभाल
(ढ) सिलाई
(ण) सब्जियाँ काटना
(त) बिलों का भुगतान
(थ) बिजली के फ्यूज़ बदलना
(द) गाड़ी चलाना

इकट्ठे किए गए आँकड़ों पर अगले दिन कक्षा में आप चर्चा कर सकते हैं जिसमें शिक्षक जेंडर भूमिका निर्धारित करने में घरेलू कार्यों की भूमिका का वर्णन कर सकते हैं। आप शिक्षार्थियों को घरेलू क्रियाकलापों और निर्णय लेने के महत्व के बारे में भी सुग्राह्य बना सकते हैं।

8.5 लड़कियों के नेतृत्व तथा विशेष नेतृत्व संबंधी गुण

नेतृत्व की अनेक परिभाषाएँ दी गई हैं परंतु शायद ही सारे संसार में कोई एक परिभाषा सर्वस्वीकृत हो। अलग-अलग लेखक इसकी अलग-अलग व्याख्या करते हैं। नेतृत्व के मॉडल और सिद्धांत इसे गुण, शैली तथा संदर्भ अथवा परिवर्तन जैसे शब्दों से व्यक्त करते हैं। उपलब्ध साहित्य में अधिकतर इसे कार्योन्मुखी, कॉर्पोरेट या व्यापार या प्रबंधकीय दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है जहाँ नेतृत्वकर्त्ता अधिकतर क्रमागत रूप से वरिष्ठ पद पर होता है और उसकी भूमिका सामान्यतः उसके साथियों या अधीनस्थों को किसी लक्ष्य की सफलता की ओर ले जाता है।

लड़कियों में नेतृत्व को जानने के लिए एक समग्र रूपरेखा की ज़रूरत है जिसमें न केवल लड़कियों और महिलाओं द्वारा सामुदायिक संबद्धता, नागरिक कार्य संलग्नता, निजी विकास तथा परिवर्तन को ही ध्यान में नहीं रखा जाए, अपितु उनके बुनियादी गुण समानुभूति पर भी अपेक्षानुसार विचार किया जाए। अधिकांश साहित्य लड़कियों में नेतृत्व विकास हेतु युवा नेतृत्व उपागमों को लड़कियों के लिए नेतृत्व मॉडल विकास का आदर्श आधार मानते हैं। युवा नेतृत्व मॉडल को एक व्यापक आवरण की तरह देखता है जिसमें कई प्रकार की विशेषताएँ और घटक समाहित होते हैं जो एक संदर्भ से दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। अमेरिकी बालिका स्काउट अनुसंधान संस्थान की एक शोध समीक्षा के अनुसार युवा नेतृत्व की अनुशंसा युवाओं को सकारात्मक कौशल, अभिवृत्ति तथा नागरिक कार्य-संबद्धता और निजी लक्ष्य निर्धारण पर केंद्रित सक्रिय प्रतिभागी बनने पर ज़ोर देती है।

अमेरिकी बालिका स्काउट अनुसंधान संस्थान ने वर्ष 2008 में एक शोध अध्ययन किया। अपने शोध में उन्होंने इस बात पर अन्वेषण किया कि लड़कियाँ नेतृत्व को किस प्रकार देखती हैं। इस शोध अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार युवा लड़कियों के नेतृत्व को और अधिक सार्थक रूप में परिभाषित करते हुए पाया। इसका अर्थ है निजी सिद्धांत, नैतिक व्यवहार तथा सामाजिक

© NCERT not to be republished

बदलाव करने की योग्यता रखना। यह अध्ययन हालाँकि विदेशों पर आधारित है तथापि इन कारकों को स्वीकार करना इस दृष्टि से उचित होगा कि इसमें नेतृत्व की अलग-अलग श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं, जैसा शोध में पाया गया है। इसे भारतीय संदर्भ में भी अपनाया और लागू किया जा सकता है।

इस अध्ययन में लड़कियों की सामान्य अभिवृत्ति, लक्ष्यों, आकाँक्षाओं और व्यवहार पर आधारित पाँच वर्गों का निर्धारण किया गया है—

- **हरावल दस्ता (नेतृत्व सेनाग्र)** — इस स्थिति में व्यक्ति पहले ही अपने आप को नेता के रूप में देखते हैं और नेता बनने की इच्छा रखते हैं। उनमें सर्वोच्च आत्म-विश्वास, उच्च शैक्षिक रुझान (फोकस), निजी और करियर सफलता और उच्च सामाजिक परिवर्तन मूल्य निहित होते हैं।
- **उभयवृत्ति नेता**— ऐसे युवा जो अपने आपको नेता मानते हैं और नेतृत्व करने से पीछे नहीं हटेंगे, हालाँकि इनका ध्येय विशिष्ट रूप से नेतृत्व नहीं होता। ये हरावल दस्ता (नेतृत्व सेनाग्र) के लगभग सभी गुणों और व्यवहार रीतियों से संपन्न होते हैं, बेशक यह स्तर उनमें अपेक्षाकृत थोड़ा न्यून होता है।
- **आशावान**— इस वर्ग में व्यक्ति नेता तो बनाना चाहते हैं, परंतु अपने आप को नेता नहीं मानते। वे हरावल अथवा उभयवृत्ति नेता जैसे आत्म-विश्वासी नहीं होते।
- **अनभिप्रेरित**— इस वर्ग के लोग भी नेता होने में कोई संकोच नहीं करेंगे, परंतु अपने आपको नेता नहीं मानते। उनमें पहले से ही निम्न आत्म-विश्वास होता है तथा ये नेतृत्व संबंधी लक्ष्यों के अवसरों के प्रति भी प्रेरित नहीं होते हैं।
- **परित्याग करने वाले**— इस प्रकार के लोग न तो नेता बनना चाहते हैं और न ही उसके बारे में सोचते हैं। लड़कों तथा लड़कियों के इस वर्ग का आत्म-विश्वास सर्वाधिक न्यून होता है। ये दुनिया को बदलने में असहाय अनुभव करते हैं और इनकी यह धारणा बन जाती है कि नेतृत्व को सीखा नहीं जा सकता है।

एक छोटे से सर्वेक्षण में लेखक ने युवा वयस्कों से एक अच्छे नेता में होने वाले गुणों की सूची बनाने के लिए कहा। उन्होंने जिन गुणों के बारे में अपनी राय जाहिर की वे इस प्रकार हैं—

- विश्वास
- मूल सिद्धांत
- रचनात्मकता
- सामाजिक
- लचीलापन या स्थिति के अनुसार परिवर्तित होने वाले
- उत्तरदायित्व
- सकारात्मक अभिवृति
- समय की पाबंदी
- कुशल समय-प्रबंधन
- प्रेरणात्मक
- समूह भावना
- विश्वास करने योग्य
- तार्किकता
- अच्छे श्रोता की योग्यता
- भावनात्मक प्रतिभा
- सुदृढ़ चरित्र
- करिश्माई
- लोकतांत्रिक दृष्टिकोण
- प्रतिभावान
- आशावान
- अनुभूतिपरक
- अच्छे संपर्क
- स्पष्ट अनुदेश
- सकारात्मक आत्म-छवि
- नम्रता
- दयाभाव
- पारदर्शिता
- सुविज्ञ
- संवेदनशीलता
- जागरूकता
- शांतभाव
- धैर्यवान
- नैतिकता
- विवेकी
- प्रेरणादायी
- परिश्रम
- निर्णय लेने की क्षमता
- उन्मेषी स्वभाव
- समस्या समाधान कौशल
- दूरदृष्टि
- निश्चयात्मकता

© NCERT not to be republished

- साधन संपन्न
- विश्वसनीय
- बुद्धिमान
- दृढ़-निश्चयी
- स्वतंत्र
- संवाद कौशल
- आत्म-संयम
- अंतरविवेकशीलता
- परोपकारभाव
- आत्म-जागृति

उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि नेता बनने के लिए आत्मविश्वासी और सक्रिय व्यक्तित्व का होना आवश्यक है तथा ऐसे व्यक्ति में निजी विकास एवं सामाजिक परिवर्तन लाने की योग्यता और क्षमता भी होनी चाहिए।

क्रियाकलाप

अपने शिक्षार्थियों से कहें कि वे आपस में चार-चार का समूह बना लें। उन्हें सोचने के लिए 10 मिनट का समय दें तथा ऐसे साथी का नाम बताने को कहें जिसे वे प्रभावी नेता के रूप में देखते हैं। 10 मिनट के अंतराल में उन्हें निम्नलिखित प्रश्नों पर आधारित एक-एक प्रश्नावली दें और सोच-समझकर भरने के लिए कहें।

1. अपने प्रिय नेता का नाम लिखें?
   ....
   ....
2. वह क्या करती या करता है?
   ....
   ....
3. आप उसमें ऐसे क्या गुण देखते हैं, जो उसे एक अच्छा नेता बनाते हैं?
   ....
   ....
4. क्या आप सोचते या सोचती हैं कि नेता जन्मजात होते हैं या फिर बनते हैं? यदि ऐसा है तो क्यों?
   ....
   ....
5. क्या आप सोचते या सोचती हैं कि व्यक्ति में नेतृत्व के गुण होने चाहिए? ऐसा क्यों अथवा क्यों नहीं?
   ....
   ....
6. शिक्षार्थियों के उत्तरों पर कक्षा में चर्चा कीजिए।
   ....
   ....

© NCERT not to be republished

उद्देश्य— उपरोक्त क्रियाकलाप से आपको यह पता चलेगा कि आपकी कक्षा की लड़कियाँ नेतृत्व को किस प्रकार समझती हैं। इससे आपकी कक्षा की लड़कियों को यह भी बताने का मौका मिलेगा कि वे किसी व्यक्ति में नेतृत्व की आवश्यकता, महत्व तथा गुणों के बारे में क्या विचार रखती हैं।

8.6 लड़कियों में नेतृत्व के गुणों के विकास की रणनीतियाँ

विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ बच्चों या विद्यार्थियों को अपने परिवेश में तालमेल बैठाना सिखाया जाता है। विद्यालय ही बच्चे

के सामाजीकरण का प्रारंभिक स्थल होता है। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों में, खासकर लड़कियों में नेतृत्व कौशल का विकास करने और प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालय एक रणनीतिक पद्धति का अनुसरण करे।

रणनीतिक योजना के प्रारंभ में इस बात का सर्वाधिक ध्यान रखा जाना चाहिए कि विद्यालय में लड़कियों में नेतृत्व के गुणों के विकास की प्रक्रिया केवल एक बार किया जाने वाला प्रयास नहीं होता। इसे एक सतत प्रक्रिया के रूप में जारी रहना चाहिए जिसमें कार्यनीतियों को विद्यालयी जीवन के सभी पक्षों में ध्यानपूर्वक समेकित किया जाए। इस मॉड्यूल में इन रणनीतियों पर दो स्तरों पर चर्चा की गई है। प्रथम विशिष्ट नेतृत्व गुणों को विकसित करने पर केंद्रित कुछ विशिष्ट रणनीतियों को दर्शाया गया है, इसके बाद विद्यालय में अपनाई जाने वाली आचार-व्यवहार संबंधी सामान्य संस्तुतियाँ की गई हैं जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी।

पहले भी इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि नेतृत्व एक व्यापक शब्द है जिसमें बहुत सारे गुण अंतर्निहित होते हैं। ये गुण संख्या और प्रकृति में एक से दूसरे संदर्भ में बदलते रहते हैं। इस खंड में उन विशिष्ट गुणों की पहचान की गई है जो लड़कियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करने के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।

बालिका में आत्म-विश्वास का भाव निर्मित करना

आत्म-विश्वास नेतृत्व का महत्वपूर्ण घटक है। एक आत्म-विश्वासी व्यक्ति सामाजिक नियमों और भययुक्त परिस्थितियों से डर की अपेक्षा चुनौतियों को स्वीकारने के प्रति तैयार होता है। सार्वजनिक जीवन में सक्रियता से भाग लेने के लिए लड़कियाँ अकसर सामाजिक प्रतिरोध का शिकार हो जाती हैं। सामाजीकरण की प्रक्रिया के कारण उनमें भय और अवरोध की प्रवृत्ति रहती है और इसके कारण वे निर्णय लेने की सभी भूमिकाओं में पिछड़ जाती हैं। इससे उनमें अपूर्णता तथा निम्न आत्म-सम्मान का भाव उत्पन्न हो जाता है जिससे उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करने में रुकावट पैदा हो जाती है।

इसलिए शिक्षक को इस दिशा में तुरंत शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। लड़कियों की कक्षागत क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु उनमें विश्वास उत्पन्न करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें कक्षा में अपने विचार साझा करने के अवसर देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक उनसे बात कर सकते हैं तथा उनसे उनके भय, चिंताओं तथा सरोकारों के बारे में पूछ सकते हैं। उनसे पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुति देने के लिए कहा जा सकता है जिससे कि वे अपने डर पर काबू पा सकें तथा अपनी अभिव्यक्ति और उच्चारण कौशल में सुधार कर सकें। तथापि यह सब करने के लिए उनसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए और न ही उन पर इसके लिए दबाव बनाया जाना चाहिए।

क्रियाकलाप

इस क्रियाकलाप को जोड़ों में किया जा सकता है इसलिए साथी का चयन करें। इस गतिविधि के लिए अपने आस-पास के विद्यालय के क्षेत्र का चयन करें। प्रत्येक जोड़ा अपने आस-पास के एक घर को चुने। अपने साथी के चुने हुए घर में जाएँ तथा नीचे दी गई जानकारी हासिल करें—

परिवार के सदस्यों की कुल संख्या ....

घर में बच्चों की संख्या ....

घर में लड़कियों की संख्या ....

घर में लड़कों की संख्या ....

विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग के बच्चों की संख्या ....

विद्यालय जाने वाले लड़कों की संख्या ....

विद्यालय जाने वाली लड़कियों की संख्या ....

क्या विद्यालय जाने वाली आयु के सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं? यदि नहीं जाते हैं तो क्यों?

....

....

© NCERT not to be republished

कक्षा में वापस आने पर शिक्षार्थियों से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उन पर चर्चा कीजिए। क्या विद्यालय जाने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि ऐसा है तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? इस पर शिक्षार्थियों से चर्चा कीजिए। इसे एक लघु परियोजना का रूप देकर शिक्षार्थी उन कारकों की गहन जाँच करें जो भारत में बच्चों, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। उनसे कहें कि वे कक्षा में इस संबंध में एक प्रस्तुति भी दें। ऐसा वे अकेले-अकेले भी कर सकते हैं जिसमें समूह प्रमुख पूरे समूह के विचार कक्षा के साथ साझा कर सकता है अथवा सभी शिक्षार्थी इसे समूह में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें स्थानीय निकाय शासन के प्रतिनिधियों से मिलकर उनके सामने अपनी समस्या रखने को कहें तथा उनसे अपने आस-पास के बच्चों की समुचित शिक्षा के लिए आवश्यक प्रयास करने का अनुरोध करें।

उद्देश्य— इस क्रियाकलाप से शिक्षार्थी अपने परिवेश में पाए जाने वाले सामाजिक मुद्दों की पहचान और उनका विश्लेषण कर पाएँगे। वे दूसरे लोगों के साथ मिलकर और उनके सामने अपने विचार रखकर विश्वास हासिल करने में समर्थ होंगे।

लड़कियों के लिए सुरक्षित (कक्षागत) वातावरण का निर्माण

लड़कियों के लिए सुरक्षित, सहयोगी तथा बालिका-अनुकूल कक्षागत वातावरण का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है जहाँ वे बिना किसी रोकटोक के अपने विचार व्यक्त कर सकें। लड़कियाँ भावनात्मक रूप से तब सुरक्षित अनुभव करती हैं जब शिक्षक के साथ उनका संबंध विश्वासपूर्ण होता है। इसलिए शिक्षक को यह ध्यान रखना होगा कि उनके साथ किसी प्रकार का डराना-धमकाना, बदतमीजी, उपनाम देना, गलत रूप से लक्षित करना और चिढ़ानेवाले नाम से पुकारना तथा छेड़छाड़ न हो। शिक्षक का प्रयास होना चाहिए की कक्षा जेंडर संवेदनशील हो तथा जेंडर रूढ़ियों को दूर कर लड़कियों को सशक्त बनाने पर लगातार काम होता रहे।

क्रियाकलाप

लड़कियाँ दृश्य-श्रव्य उपकरणों की मदद से बेहतर सीखती हैं। बहुत से अनुप्राणित (एनिमेटिड) पात्र युवा बच्चों के आदर्श रोल मॉडल बन जाते हैं, क्योंकि प्रेक्षण अधिगम का एक प्रबल साधन है। नेतृत्व करती लड़की की भूमिका-युक्त किसी अनुप्राणित फ़िल्म का चयन करें और उसे कक्षा में दिखाएँ। उदाहरण के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित 'मीना' फ़िल्म शिक्षार्थियों की दिखाई जा सकती है। 'मीना' एक छोटी ग्रामीण लड़की है जो अपने छोटे भाई के साथ स्थानीय विद्यालय में पढ़ने जाती है। उसे अपने आस-पास की बहुत-सी समस्याओं के समाधान खोजते हुए देखा जा सकता है, वह ढेर सारी सामुदायिक क्रियाकलापों में शामिल होती है तथा वह ऐसे बहुत से काम करती है जो पारंपरिक रूप से लड़कियों के काम नहीं हैं, जैसे कि ट्रेक्टर की मरम्मत करना आदि।

© NCERT not to be republished

लड़कियों को ऐसे कार्य करने को दिए जाएँ जिनसे वे अपनी विशिष्ट योग्यता तथा कौशल की पहचान कर सकें ताकि वे अपने समाज में सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में अपने व्यक्तित्व और क्षमता के प्रति सजग हो सकें। उन्हें बाधित करने वाली अनावश्यक कठोर संरचना संबंधी सीमाओं से मुक्त, खेलने और अपने आपको आँकने के अवसर मिलने चाहिए। हमारे समाज में अकसर देखा गया है कि लड़कियाँ अपने पारंपरिक घरेलू कार्यों में उलझी रहने और उन्हीं से अपनी पहचान होने के कारण आत्म-अन्वेषण के लिए कम ही समय हासिल कर पाती हैं।

एक सुविज्ञ व्यक्ति ही उत्तम निर्णय ले सकता है। अतः लड़कियों को भी उनसे संबद्ध मुद्दों की आयु-अनुकूल समुचित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षक उनके साथ दुर्व्यवहार, शारीरिक छवि, किशोरावस्था के कारण होने वाले परिवर्तनों, सामाजिक मुद्दों, निजी साफ़-सफ़ाई, साथियों का दबाव, आपसी संबंधों आदि पर चर्चा कर सकते हैं। चर्चा में शिक्षक महिलाओं के सामाजिक-राजनीतिक तथा आर्थिक उत्पीड़न के बारे में भी जानकारी को शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की चर्चाओं में लड़कियों को उनके हितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की भी जानकारी दी जानी चाहिए।

लड़कियों के जेंडर अनुसार उनके ही समुदाय में रोल मॉडल निर्धारित करना

यह आवश्यक है कि लड़कियों के कुछ ऐसे रोल मॉडल होने चाहिए जिन्हें वे अपने जेंडर की दृष्टि से देख सकें। शिक्षण के एक भाग के रूप में शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों से संबंध रखने वाली ऐसी महिलाओं की कहानियों को शामिल कर सकते हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई हो। इसमें युवा लड़कियों के बुलंद कारनामों, विश्वास तथा मेधा के बारे में जानकारी शामिल की जा सकती है। शिक्षार्थियों से गणतंत्र दिवस समारोह में वीरता पुरस्कार पाने वाली लड़कियों का पता लगाने और उनसे साक्षात्कार करने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार के वास्तविक जीवन आधारित अनुभव लड़कियों को अपने विचार व्यक्त करने और नागरिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे।

उद्देश्य— नीचे दिए गए क्रियाकलाप से शिक्षार्थी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेताओं को पहचान सकेंगे। नेतृत्व को अकसर राजनीतिक नेतृत्व के पर्याय के रूप में देखा गया है। इस गतिविधि के उपरांत शिक्षार्थी विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व से अलग-अलग आयामों के परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से अवगत हो सकेंगे।

क्रियाकलाप

शिक्षार्थियों को नीचे दिया गया फ्लैश कार्ड दिखाएँ तथा इसमें दिखाई देने वाली महिलाओं के नाम बताने को कहें। उनसे पूछें कि क्या वे इनमें से प्रत्येक महिला के कार्य-क्षेत्र के बारे में जानते हैं? चित्रों में उद्धृत प्रत्येक महिला तथा उसकी उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। शिक्षार्थियों को इन महिलाओं के समाज पर पड़े व्यापक प्रभावों तथा संघर्षों के बारे में बताएँ जिनका सामना इनमें से कुछ ने अपने जीवन के दौरान किया।

not to be republished © NCERT

प्रश्न पूछने और आलोचनात्मक चिंतन का विकास

भारतीय समाज में लड़कियों से अपेक्षा होती है कि वे बिना कोई प्रश्न किए अथवा आलोचनात्मक सोच-विचार के बगैर परिवार के आदेशों का पालन करें। इससे लड़कियाँ बस निर्देशों का अनुकरण मात्र करती हैं। प्रश्न न करने की आदत के कारण लड़कियाँ अकसर अनजाने में इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाती रहती हैं। लड़कियों को विविधतापूर्ण चिंतन और अपने दैनिक जीवन पर आधारित परिस्थितियों और क्रियाकलापों से उपजी रचनात्मक समस्या समाधान संबंधी रणनीतियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। लड़कियों के रूढ़िमुक्त विचारों का आकलन अथवा आलोचना न करें, क्योंकि ऐसा करने से हम उन्हें अपने आपको अभिव्यक्त करने से रोक सकते हैं।

क्रियाकलाप

अपने शिक्षार्थी को एक प्रहसन करने में मदद करें। उन्हें भारत में लड़कियों से संबंधित कोई विषय बताएँ। उस पर उनसे एक लघु प्रहसन तैयार करने के लिए कहें। कहानी के पात्रों पर आधारित अलग-अलग भूमिकाएँ शिक्षार्थियों को दें और हो सके तो लड़कियों की भूमिकाएँ लड़कों और लड़कों की भूमिकाएँ लड़कियों को दें। तैयारी के बाद उन्हें इसे कक्षा में करने के लिए कहें। इसके उपरांत इस पर एक चर्चा सत्र आयोजित करें।

बेटी— माँ क्या मैं बाहर जाकर खेल सकती हूँ?

माँ— नहीं।

बेटी— क्यों?

माँ— क्योंकि मैं कह रही हूँ तुम नहीं जा सकती।

बेटी— परंतु भाई भी तो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है।

माँ— लड़के बाहर खेलते हैं जबकि अच्छी लड़कियाँ घर में काम-काज करती हैं और घरेलू कामों में अपनी माँ का हाथ बँटाती हैं।

बेटी— माँ, यदि सभी लड़कियाँ घर में रहती हैं और घरेलू काम-काज ही करती हैं तो फिर हमारे देश में सानिया मिर्ज़ा, पी.टी. उषा और बछेंद्री पाल कहाँ से आईं?

माँ— (चुप)....................

प्रहसन मंचन के उपरांत निम्नलिखित प्रश्न शिक्षार्थियों से पूछें—

- प्रहसन में आपने क्या देखा?
- प्रहसन का शीर्षक क्या हो सकता है?
- क्या आपके घर में भी कभी इस प्रकार की स्थिति आई?
- क्या आप भी सोचते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं खेलना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों?
- क्या आप सोचते हैं कि लड़कों और लड़कियों को खेलने के बराबर अवसर मिलने चाहिए। यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों?
- प्रहसन में माँ अपनी बेटी को बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देना चाहती है?
- यदि प्रहसन की लड़की की जगह आप होते या होती तो आप अपनी माँ को कैसे मनाते कि वह तुम्हें बाहर खेलने भेज देती?

निर्णय लेने की योग्यता का विकास

निर्णय लेने के कौशल का विकास करने हेतु शिक्षार्थियों को ऐसी द्वंद्वात्मक स्थितियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें उन्हें किसी एक परिदृश्य में यह निर्णय लेना होता है कि कौन-सी स्थिति बेहतर है। शिक्षक को पहले शिक्षार्थियों को यह बताना होगा कि निर्णय लेने से पूर्व वे उस समस्या पर जल्दी से विचार करें और उन्हें किसी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व स्थिति तथा उसके परिणामों की गहराई से जाँच-परख का महत्व बताएँ।

उन्हें नीचे दी गई स्थिति दें। उन्हें पाँच मिनट तक इस पर सोचने का मौका दें, पाँच मिनट बाद प्रत्येक शिक्षार्थी से पूछें कि वह उस स्थिति में क्या करेगा?

स्थिति 1

आपकी कक्षा की एक साथी आपको बताती है कि उसने तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र को दूसरे साथियों के बस्ते से चीज़ें चुराते देखा है। आपके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप अपनी मित्र को कई वर्षों से जानती हैं और आप किसी दूसरे की सुनी-सुनाई बात के आधार पर उससे इसके बारे में पूछना भी उचित नहीं समझती हैं। इस तरह की स्थिति में आप सच का पता कैसे लगाएँगी? तब आप क्या करेंगी जब आपके सामने यह बात सच सिद्ध हो जाता है कि आपकी मित्र सचमुच में ही दूसरे साथियों के बस्ते में से चीज़ें चुराती है।

स्थिति 2

आप अपनी कक्षा के मॉनिटर हैं। आपके शिक्षक आपसे कहते हैं कि आप कक्षा में विचार-विमर्श कर बताएँ कि कक्षा की

© NCERT not to be republished

वार्षिक पिकनिक के लिए कौन-सी जगह अधिक उपयुक्त होगी। लंबी-चौड़ी बहस के बाद कक्षा में दो समूह बन जाते हैं। एक समूह चाहता है कि इतिहास संग्रहालय में जाना उपयुक्त होगा जबकि दूसरा समूह एक मनोरंजन पार्क में जाना चाहता है। दोनों ही समूह अपनी-अपनी बात पर अड़े हैं। कक्षा का मॉनिटर होने के नाते आपको सहमति से कोई एक निर्णय लेना है। लोकतांत्रिक तरीके से इस समस्या का हल करने के लिए आप क्या करेंगे ताकि सभी किसी एक स्थान पर जाने के लिए सहमत हो जाएँ।

नागरिक कार्यों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन देना

हमारे आस-पास ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम बहुत-सी उलझनों से घिरे रहते हैं और अपने आस-पास पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कमोबेश हमें इस बात की शिक्षा नहीं दी जाती कि हम दूसरों के साथ समानुभूति का भाव उत्पन्न करने और अपने समुदाय अथवा समाज के लिए कुछ योगदान करें। यही कारण है कि जब हम सड़क पर किसी को लड़की को तंग करते हुए या किसी छोटे बच्चे को कुत्ते को मारते हुए अथवा किसी पड़ोसी को उसकी बालकनी की धूप को रोकने के कारण किसी पुराने पेड़ को काटते हुए देखते हैं तो कुछ नहीं कहते।

इससे कुछ सीख लेते हुए शिक्षार्थियों को अपने आस-पास के वातावरण की जानकारी रखने और उसमें रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। उन्हें जागृति अभियानों, रैलियों तथा यात्राओं में भाग लेने लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक ऐसे विशेष क्रियाकलाप निर्मित कर सकते हैं जिनमें खुद काम करने के अनुभव के साथ-साथ समस्या समाधान प्रविधियाँ भी शामिल हों।

क्रियाकलाप

अपने शिक्षार्थियों से कहें कि वे आस-पास के वातावरण में किसी पारिस्थितिकीय मुद्दे की पहचान करें जिसमें कूड़ा निपटान, मल-प्रवाह प्रणाली, पारिस्थितिकीय तंत्र, पर्यावरण *ह्रास* आदि शामिल हों। कक्षा में प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करें, जिसमें मुद्दे की प्रकृति, इसके कारण तथा संभावित समाधान शामिल हों। तत्पश्चात इनमें से किसी एक मुद्दे पर किसी छुट्टी के दिन पारिस्थितिकीय अभियान आयोजित करें।

उदाहरण के लिए कोई लड़की आपको बताती है कि एक खुला क्षेत्र कूड़ा डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ढेर सारी मक्खियाँ इसके ऊपर मँडरा रही हैं जिसके कारण लोग इस इलाके में बीमार पड़ रहे हैं। इसके अलावा कूड़े के ढेर और इसकी बदबू ने सारे इलाके को प्रदूषित कर दिया है। आप अपने शिक्षार्थियों को एक सफ़ाई अभियान चलाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं ताकि इस मुद्दे के प्रति स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। शिक्षार्थी कूड़े को हटाने तथा इस इलाके को साफ़ करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से भी मिल सकते हैं। ज़रूरत की सभी चीज़ों की सूची बना लें, जैसे— पोस्टर, बैनर, साफ़ तौलिये आदि। संबंधित अधिकारियों से भी पहले मंज़ूरी ले लें। पूरे अभियान की तैयारी पहले से ही कर लें ताकि अंतिम क्षणों में होने वाली अव्यवस्थाओं से बचा जा सके।

उद्देश्य— एक पारिस्थितिक अभियान आपके शिक्षार्थियों को उनके आसपास मौजूद पारिस्थितिक चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाने का एक अच्छा तरीका होगा। पूरे अभियान को व्यवस्थित करना और पूरी गतिविधि को अंजाम देना शिक्षार्थियों को सामुदायिक सेवा की योजना और क्रियान्वयन में सक्षम बनाता है। यह उनके विश्वास को बढ़ायेगा और नागरिक मुद्दों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

साथी समूहों में अंतःक्रिया और नेटवर्किंग करना

साथी समूहों में अंतःक्रिया बढ़ाने के लिए भी शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। समूहों में सदस्यों को लगातार बदलते रहना चाहिए ताकि आपस में मिलने-जुलने के अधिक अवसर मिल सकें। इससे उन्हें अधिक उन्मुक्त स्वभाव, नम्य प्रकृति तथा सहनशील और दूसरों को अपनाने के योग्य बनने में मदद मिलेगी। इससे उन्हें आपस में तालमेल बैठाने में भी प्रोत्साहन मिलेगा। शिक्षार्थियों को जोड़ों, छोटे और बड़े समूहों में क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें जिससे कि वे आपस में मुद्दों पर चर्चा, विचारों और संसाधनों का आदान-प्रदान और सामाजिक कौशल विकसित कर सकें तथा सहायता नेटवर्क बनाना सीख सकें।

शिक्षक लड़कियों को खेलकूद में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि इससे लड़कियाँ नियमों के अनुपालन, साथियों के साथ खेलना, किसी समान लक्ष्य की

© NCERT not to be republished

प्राप्ति के लिए प्रत्येक सदस्य के योगदान का सम्मान करना सीखती हैं। खेलकूद लड़कियों के शरीर को स्वस्थ रखने के अलावा मानसिक भाव विरेचन का अवकाश देने के साथ-साथ उनमें विजय भावना एवं समूह भावना के विकास, असफलताओं का सामना करने और सामाजिक कौशल के संवर्धन की शिक्षा भी देता है।

लड़कियों को परामर्श देना

विद्यालय की चारदीवारी में जहाँ लड़कियों में आत्म-जागरूकता तथा सशक्तीकरण के प्रयास हो रहे हैं, बहुत संभव है कि शिक्षक और शिक्षार्थी कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हों अथवा उनके मन में कुछ प्रश्न हों। इस प्रकार की समस्याओं का सामना करने और निरंतर सहायता तथा प्रोत्साहन के लिए किसी न किसी रूप में परामर्श सहायता भी होनी चाहिए। परामर्श बहु-स्तरीय हो सकता है।

प्रथम स्तर

शिक्षकों को सहायता प्रदान करने के लिए नेतृत्व के क्षेत्र में काम करने वाले विषय-विशेषज्ञ संसाधन व्यक्ति को बाहर से बुलाया जा सकता है। उनके साथ भारत में लड़कियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करने की प्रविधियों पर चर्चा हो सकती है। लड़कियों के नेतृत्व विकास संबंधी उभरते मुद्दों पर शिक्षकों के साथ बातचीत के लिए *केयर* जैसे गैर-सरकारी संगठन से संपर्क किया जा सकता है। इन एजेंसियों को नियमित शिक्षकों के लिए सेमिनार तथा चर्चा सत्रों के माध्यम से परामर्श देने के लिए से कहा जा सकता है।

द्वितीय स्तर

अधिक अनुभवी शिक्षक अल्प-अनुभवी अथवा नए शिक्षकों को लड़कियों में नेतृत्व के गुणों के विकास कार्य में मार्गदर्शन और सहायता कर सकते हैं।

तृतीय स्तर

इस चरण में प्रत्येक शिक्षक एक निश्चित संख्या में विद्यार्थियों को परामर्श देगा। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का अनुपात शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर बदलता रहेगा। परामर्शदाता शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन और सहायता देगा। शिक्षक उनके साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे तथा छोटी लड़कियों के साथ उनके अनुभव साझा करेंगे।

चतुर्थ स्तर

बड़ी लड़कियाँ सहायता समूहों का निर्माण करेंगी, जो लड़कियों में नेतृत्व विकास प्रक्रिया के अंतर्गत छोटी लड़कियों को मदद करेंगी। उन्हें मुद्दों पर चर्चा करने और छोटी लड़कियों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा जा सकता है।

इन चारों स्तरों को आपस में संबद्ध करना चाहिए ताकि यह प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, परिणाम देने वाली तथा सफल बन सके।

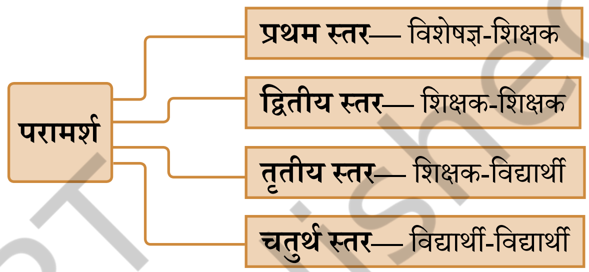

8.7 लड़कियों में नेतृत्व विकास को प्रोत्साहन

नेतृत्व कोई दांव-पेंच नहीं है जिसे कुछ सामान्य तरीकों से सिखाया जा सके। यह एक प्रकार की अभिवृत्ति है जिसे विभिन्न तरीकों से व्यक्ति अपने में विकसित करता है। यही वजह है कि इसे विद्यालय को अपनी पाठ्यचर्या तथा पाठ्येतर क्रियाकलापों को समेकित करने की ज़रूरत है। सच तो यह है कि *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के उपरांत जो कुछ भी विद्यालय में घटता है वह पाठ्यचर्या मानी जाती है। इसमें दुविधा की स्थिति समाप्त हो गई है। इसके लिए कुछ संस्तुत रणनीतियों में इन्हें भी शामिल किया गया है—

- प्रांतीय आधार पर लड़कियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना ताकि वे वहाँ पर सक्रिय चर्चा, निर्णय लेने तथा कौशल विकास के अवसर प्राप्त कर सकें।
- प्रातःकालीन सभा का सदुपयोग करते हुए राज्य द्वारा प्रदत्त उनके रुतबे और अधिकारों के प्रति लड़कियों को संवेदनशील बनाना।
- खेलकूद संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना। जिनमें संभावना दिखाई देती हैं उन्हें विशेष प्रशिक्षण और चुस्ती-फुर्ती के लिए सुविधा प्रदान करना।

not to be republished © NCERT

- लड़कियों को अपने जीवन और समाज से संबद्ध मुद्दों और सरोकारों के प्रति जागरूक करने के लिए नाट्यशाला का उपयोग किया जा सकता है। चयनित विषय और कथावस्तु ऐसे होने चाहिए कि वे श्रोताओं के मन में हलचल उत्पन्न करें।
- नेतृत्व विषय पर वार्ताएँ, सेमिनार तथा कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ, जिनसे शिक्षकों और विद्यार्थियों को अपने ज्ञान तथा कौशल का विकास करने के साथ-साथ उन्हें नेतृत्व गुणों के विकास की नयी-नयी रणनीतियों को विकसित करने में भी समर्थ बनाएँ।
- सह-शिक्षा के वातावरण में लड़कों और शिक्षकों को जेंडर भेदभाव और रूढ़िबद्धता के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। उन्हें जेंडर संवेदी क्रियाकलापों और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- स्वभाव से ही जो नेता हैं उन्हें पहचानने के लिए सांस्कृतिक उत्सव, यात्राएँ तथा लड़कियों के शिविर आदि आयोजित किए जा सकते हैं। इनमें जो बेहतर नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करें वे अपनी कक्षा में अपने दूसरे साथियों को सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- लड़कियों के लिए ऐसे अवसर विकसित किए जा सकते हैं जहाँ वे अपने अलग-अलग नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन कर सकें।
- विद्यालयों को सकारात्मक अंतर-वैयक्तिक कौशल को बढ़ावा देना चाहिए। इससे लड़कियों को नए लोगों से मिलने और अपने लिए सहायता नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी।
- लड़कियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि लेने के लिए कहा जाए। इससे उनमें प्रश्न करने की आदत, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रुचि और दक्षता के विकास में सहायता मिलेगी तथा वे अधिक आत्म-विश्वासी और आत्मनिर्भर बनेंगी।
- विद्यालयों को कुछ ज़िम्मेदारियाँ लड़कियों को सौंपनी चाहिए ताकि वे विश्वास हासिल कर सकें। किसी एक काम को सफलता से पूरा कर देने पर वे अगली बार आगे आने के लिए और रुचि दिखाएँगी।
- पुस्तकालय में ऐसी महिला नेताओं और उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाली महिलाओं की पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो लड़कियों को स्वयं नेता बनने के लिए प्रेरित करें।
- विद्यालय अभिभावकों के लिए ऐसी कार्यशाला का आयोजन करें जिसमें उन्हें जेंडर भेदभाव तथा लड़कियों में नेतृत्व के गुणों के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

इस प्रकार शिक्षक और विद्यालय नेतृत्व कार्यक्रमों द्वारा इन गुणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जिससे वे महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य को हासिल कर पाएँगे। इन कार्यक्रमों से न केवल जेंडर रूढ़िबद्धता को ही समाप्त किया जा सकेगा अपितु जेंडर पारस्परिकता को भी प्रश्रय मिलेगा। विद्यालयों में लड़कियों को पंचायती राज संस्थाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भावी नेताओं के रूप में देखा जाना चाहिए।

8.8 संदर्भ

- एक्सप्लोटिंग गर्ल लीडरशिप— रिसर्च रिव्यू बाय गर्ल स्कॉउट. 2007.
  http://www.girlscouts.org/research/publications/reviews/exploring_girls_leadership.pdf
- चेंज इट अप! व्हाट गर्ल से अबाउट रिडिफाइनिंग लीडरशिप. 2008. गर्ल स्काउट रिसर्च इंस्टीट्यूट
  http://www.girlscouts.org/research/publications/original/girl_scout_research_study_ march_27_2008.pdf.
- द न्यू गर्ल मूवमेंट— इम्पलिकेशन फॉर यूथ प्रोग्राम्स. 2001. एच.जी.एच.डब्ल्यू.
  http://www.cpn.org/topics/families/ pdfs/New_Girls_Movement.pdf
- द पावर टू लीड— ए लीडरशिप मॉडल फॉर अडोलसेंट गर्ल्स. 2008. केयर इंडिया.
  http://www.care.org/ campaigns/2009/downloads/SigProg_ PW_Leadership.pdf

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 9

लड़कियों और महिलाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना

मॉड्यूल की रूपरेखा

9.1 परिदृश्य
9.2 भूमिका
9.3 उद्देश्य
9.4 महिला खेलों का इतिहास— भारतीय परिदृश्य
9.5 लड़कियों और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल नीति— कुछ प्रमुख संस्तुतियाँ
9.6 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 में निर्धारित विद्यालयों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा
9.7 जेंडर संदर्भगत शब्द— परिभाषाएँ
9.8 विद्यालयी खेलों में जेंडर प्रश्न— कुछ विचारणीय पक्ष
9.9 सामाजीकरण की भूमिका
9.10 जेंडर परिप्रेक्ष्य से विद्यालयों में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतियाँ
9.11 संदर्भ

© NCERT not to be republished

9.1 परिदृश्य

हालाँकि लड़कियाँ और महिलाएँ हमारे देश की जनसंख्या का आधा भाग हैं फिर भी पुरुषों के मुकाबले खेलों और शारीरिक शिक्षा में भाग लेने में उनकी संख्या काफ़ी कम है। अभी हाल ही तक महिलाओं के खेलों के प्रति अभिभावकों, समुदायों तथा स्वयं महिलाओं का भी ध्यान नहीं था। मीडिया भी महिला खिलाड़ियों के स्थान पर केवल पुरुषों के ही खेलों को व्यापक कवरेज देता था। सामाजीकरण की रूढ़ियों ने अकसर लड़कियों और महिलाओं को खेलों तथा दूसरे खुले वातावरण के क्रियाकलापों में भाग लेने से बाधित किया है। पर्दा, बाल विवाह, कौमार्य तथा पहनावे के नियमों आदि सामाजिक तौर-तरीकों ने लड़कियों तथा महिलाओं को शारीरिक गतिविधियों से वंचित रखा है। लड़कियों में अपने स्त्रीत्व को खोने, पश्चिमीपन के दोषारोपण, उभयलिंगी छवि के प्रति प्रतिरोध तथा जेंडर अनुकूल व्यवहार के प्रति माता-पिता के दृष्टिकोण ने, इनमें खेलों में सक्रिय होने के प्रति एक निषेध का भाव उत्पन्न कर दिया है। फिर भी विगत कुछ वर्षों में महिला कार्यकर्ताओं, महिला अध्ययन में शोध तथा मीडिया, सभी ने संयुक्त रूप से महिलाओं के प्रति सामाजिक अवधारणाओं और दृष्टिकोण के रूप में गढ़ी गई भ्रांतियों तथा दुष्प्रचारों के प्रति बदलाव के आसार उत्पन्न किए हैं। इसके परिणामस्वरूप महिला खेलकूद और महिला खेलों को सरकार तथा जनता का समग्र रूप से संरक्षण मिलना शुरू हो गया है।

9.2 भूमिका

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है, यह सुप्रसिद्ध लोकोक्ति विद्यालयी पाठ्यचर्या के संदर्भ में भी बड़ी संगत प्रतीत होती है। विभिन्न शोध अध्ययनों में शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के योगदान पर बल दिया गया है। शरीर और मस्तिष्क के सामंजस्यपूर्ण विकास के साथ-साथ खेलकूद विभिन्न जीवन-कौशल के विकास में भी मदद देता है। इसमें समूह भावना, अंतर्वैयक्तिक कौशल, खेल भावना तथा दृढ़ता शामिल है। इनसे दूसरों के लिए, साथियों के लिए, समुदाय के लिए सरोकार तथा देशभक्ति का भाव निर्मित करने और अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करने जैसे मानवीय तथा सामाजिक मूल्यों को मस्तिष्क में बैठाने में भी सहायता मिलती है।

शारीरिक शिक्षा के एक अनुशासन तथा पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होने के नाते उसमें अनुदेश, शारीरिक अभ्यास और खेलों का प्रशिक्षण संबंधी मार्गदर्शन, विशेष रूप से विद्यालयों में शारीरिक तंदरुस्ती तथा शक्ति को बनाए रखना भी शामिल है। 'फ़िज़िकल' शब्द मध्यकालीन लैटिन शब्द 'फ़िज़िकलिस' से उद्धृत है जिसका प्रादुर्भाव लैटिन शब्द 'फ़िज़िका' से हुआ है जिसका अर्थ है शारीरिक अथवा शरीर संबंधी। 'स्पोर्ट' शब्द में खेल अथवा प्रतिस्पर्धा क्रियाकलाप सम्मिलित रहते हैं और इसके परिणामस्वरूप शारीरिक श्रम किया जाता है। इसे भी मध्यकालीन अंग्रेज़ी शब्द 'डेस्पोर्ट' से उद्धृत किया गया है जो मूलतः लैटिन शब्द 'डेस्पोरतो' से निकला है जिसका अर्थ है 'ले जाना'। स्पोर्ट का अर्थ मनोरंजन भी है जो शरीर तथा मन को आराम तथा पुनर्जीवन देता है।

सामान्यतः लोगों में लोकप्रिय खेल तीन प्रकार की होते हैं। इनमें शामिल हैं (क) भवन के अंदर खेले जाने वाले खेल, (ख) भवन से बाहर खेले जाने वाले खेल, तथा (ग) साहसिक खेल।

भवन के अंदर खेले जाने वाले खेल— भवन के अंदर खेले जाने वाले वे खेल हैं जिन्हें भवनों के अंदर अथवा किसी छतदार स्थान पर खेला जाता है। ऐसे कुछ लोकप्रिय खेलों में कैरम, लूडो, लेगो, बोलिंग, टेबल टेनिस, चाइनीज़ चेकर, ब्रैनो, मेकैनो, ट्रेड, काड्र्स, तम्बोला, स्क्रैबल तथा शतरंज शामिल हैं।

खुले स्थान पर खेले जाने वाले खेल— खुले स्थान पर खेले जाने वाले खेल वे हैं जिन्हें किसी खुले स्थान पर अथवा मैदान में खेला जाता है। ऐसे लोकप्रिय खेलों में तैराकी, एथेलेटिक्स, भारोत्तोलन, कबड्डी, खो-खो, लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, बास्केट बॉल, सॉकर, कुश्ती, जुडो, कराटे, ताईक्वान्डो, बैडमिंटन, मुक्केबाजी तथा स्क्वाश आदि शामिल हैं।

साहसिक खेल— साहसिक खेल केवल आनंद और रोमांच के लिए खेले जाते हैं। इस प्रकार के खेलों में जोखिम और खतरे की आशंका होती है। सर्वाधिक आम और लोकप्रिय साहसिक खेलों में रिवर राफ्टिंग, ऊंट की सवारी, भैसों की लड़ाई, नौकायन, सर्फिंग, स्कीइंग, स्केटिंग, ट्रैकिंग, चढ़ाई, पर्वतारोहण, घुड़दौड़, कार रेसिंग, साइक्लिंग, मोटर साइकिल दौड़ तथा वाटर पोलो आदि शामिल हैं।

तैराकी तथा बास्केट-बॉल आदि कुछ ऐसे खेल भी हैं जिन्हें भवन के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर खेला जा सकता है।

आत्मबोध

1. सामाजीकरण की रीतियाँ किस प्रकार लड़कियों को खेलों और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकती हैं?
....
....

2. खेल और शारीरिक शिक्षा किस प्रकार लड़कियों को अपने व्यक्तित्व के गुणों को बढ़ाने में मदद करती है?
....
....

© NCERT not to be republished

3. आप निजी तौर पर क्यों और किस खेल अथवा शारीरिक गतिविधि में रुचि रखते हैं?
....
....

4. आपके पड़ोस अथवा किसी विशेष विद्यालय में 15–20 लड़कियों द्वारा खेले जाने वाले खेल अथवा शारीरिक क्रियाकलापों से संबंधित आकड़ों को एक तालिका में इकट्ठा कीजिए तथा उसका विश्लेषण कीजिए।
....
....

5. खेलों और शारीरिक शिक्षा के प्रति लड़कियों और उनके अभिभावकों की जेंडर रूढ़िबद्धतापूर्ण पूर्वाग्रही सोच को बदलने के लिए आप क्या करेंगे?
....
....

9.3 उद्देश्य

- उन कारकों की पहचान करना जिनके कारण विद्यालयों में लड़कियाँ खेलों तथा शारीरिक क्रियाकलापों में कम भाग लेती हैं।
- विद्यालयों में खेलों तथा शारीरिक क्रियाकलापों संबंधी जेंडर रूढ़िबद्धताओं से जुड़े मुद्दों को समझना।
- राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खेलों के इतिहास के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- लड़कियों और महिलाओं के लिए खेलों तथा शारीरिक शिक्षा को बढ़ाने में सरकारी नीतियों की भूमिका की समीक्षा करना ताकि खेलों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यनीतियाँ बनाई जा सकें।

9.4 महिला खेलों का इतिहास— भारतीय परिदृश्य

भारतीय महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय एथेलेटिक्स खेलों में पहली बार हेलसिंकी ओलंपिक, 1952 में भाग लिया था। इसके उपरांत महिला हॉकी टीम ने यूनाइटेड किंगडम तथा ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः 1953–54 तथा वर्ष 1956 में अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लिया। बाद में उन्होंने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीती। इस प्रकार जब कभी भारतीय महिलाओं को मौका मिला तो उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया ने एक भारतीय नवयुवती सईदा सुलतान के प्रयासों की सराहना की है जिसका चयन वियना में होने वाली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए हुआ था। ट्रैक प्रतिस्पर्धा की सनसनी पी.टी. उषा पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में लॉस एंज्लिस खेलों के अंतिम दौर में प्रवेश किया। कर्णम मल्लेश्वरी ने विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता तथा वर्ष 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। लॉन टेनिस में अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से सानिया मिर्ज़ा ने भारतीय लड़कियों के सभी बंधनों को तोड़ दिया है। खेलों में भारतीय महिलाओं की प्रतिभागिता और उपलब्धियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1975 ‘समानता, विकास और शांति’ पर आधारित था जिसका क्रियांतरण लड़कियों तथा महिलाओं ने खेलों में भाग लेकर किया। इसी वर्ष से राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव की शुरुआत हुई जिसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर खेल प्रतिभा खोज योजना से खेलों में लड़कियों को और अधिक प्रोत्साहन मिला। प्रतिभाशाली लड़कियों को प्रख्यात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण लेने के अवसर दिए गए। इस प्रकार महिला खेलों पर ध्यान दिया गया तथा अपेक्षित आदर-मान मिलने लगा।

सरकार और खेल संगठनों के भरपूर प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों और महिलाओं की खेलों और शारीरिक क्रियाकलापों में भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम ही रही है। लड़कियों और महिलाओं में प्रतिभागिता स्तर को बढ़ाने तथा खेलों और शारीरिक शिक्षा की गुणात्मकता में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि विद्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा जेंडर दृष्टिकोण से संगठित और सुनियोजित प्रयास किए जाएँ। विद्यालयों में खेलों और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक जेंडर समानुपाती व्यवहार प्रक्रियाएँ शामिल करने के प्रयास किए जाएँ। असल में जेंडर भेदभाव तथा रूढ़ियों को दूर करने का दायित्व विद्यालयों पर ही है। विद्यालय, विद्यार्थियों, माता-पिता तथा समग्रता में समुदाय में, पूर्वाग्रहों के प्रति अभिवृत्यात्मक परिवर्तन के लिए प्रभावशाली मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

© NCERT not to be republished

9.5 लड़कियों और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल नीति— कुछ प्रमुख संस्तुतियाँ

भारतीय राष्ट्रीय खेल नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि खेलों में भाग लेने के लिए लड़कियों और महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसमें महिलाओं में खेलों के प्रति रुचि की पहचान करने तथा लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, कोचिंग और पोषण सहायता के प्रावधान करने पर भी बल दिया गया है ताकि प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि स्काउटिंग, गाइडिंग तथा कैम्पिंग एवं एन.सी.सी. आदि कार्यक्रमों को भी विस्तार देने और संगठित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे लड़कियों एवं महिलाओं में धैर्य, सहनशक्ति, समूह-कार्य, निर्णय लेने, संसाधनों का प्रबंधन, कार्य-व्यवहार और सामाजिक कौशल जैसे गुणों के विकास में सहायता मिलती है। इसके अलावा लड़कों और लड़कियों दोनों को ही पढ़ाई के सभी स्तरों पर क्रीड़ाओं और शारीरिक शिक्षा में भाग लेने के अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। इससे उनमें एकत्व, समानता, सशक्तता तथा सच्ची दोस्ती की भावना का विकास होगा। देश के योजनाबद्ध विकास में महिलाओं की शिक्षा को विशेष महत्व भी दिया गया है।

9.6 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 में निर्धारित विद्यालयों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 में बहुत स्पष्टता से उल्लिखित है कि, "बच्चे के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इसका नामांकन, विद्यालय में बने रहने तथा विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने की दर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।" इसमें स्वास्थ्य को समग्र रूप में देखा गया है जिसमें शारीरिक शिक्षा एवं योग बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास में योगदान करते हैं। इस नीति में स्कूली प्रक्रिया के सभी स्तरों पर इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता तथा कमज़ोर सामाजिक समूहों एवं लड़कियों के लिए विशेष संस्तुति की गई है। इस प्रकार पाठ्यचर्या का मूल भाग होने के कारण, यह सुझाव दिया गया है कि खेलों और योग के लिए आवंटित समय में किसी भी कारण से किसी प्रकार की कटौती न की जाए। प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य विषय के रूप में जारी रखी जानी चाहिए तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इसे वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। इस स्तर पर इसे दूसरे विषयों के समान ही बराबरी का दर्जा दिया जाए।

आत्मबोध

1. अपने अनुभव और प्रेक्षण के आधार पर अपने विद्यालय तथा कुछ अन्य विद्यालयों में खेलों एवं शारीरिक शिक्षा की स्थिति पर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए।
   ....
   ....
2. एक ऐसा चार्ट तैयार कीजिए जिसमें 10 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों के नाम हों, जो यथासंभव अलग-अलग खेलों से संबंध रखते हों।
   ....
   ....

9.7 जेंडर संदर्भगत शब्द— परिभाषाएँ

- जेंडर को सांस्कृतिक रूप से वर्णित व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया का प्रारूप कहा जा सकता है जिसे लिंग (sex) के आधार पर मढ़ दिया गया है। यह शब्द स्त्रीत्व और पुरुषत्व से विशेष रूप से संबद्ध है।
- जेंडर भेदभाव तब उत्पन्न होता है जब किसी एक जेंडर— पुरुष अथवा स्त्री को इस आधार पर दूसरे के मुकाबले कम प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह एक मान्यता है कि व्यक्तियों की योग्यताएँ उनके जेंडर के आधार पर तय होती हैं।
- जेंडर रूढ़िबद्धताकरण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पुरुषों अथवा महिलाओं से अपेक्षित कुछ व्यवहार बिना उनकी रुचियों और योग्यताओं पर विचार किए ही समुचित समझे जाते हैं।

© NCERT not to be republished

- जेंडर समावेशी संसाधन एवं पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका की रूढ़ियों की अपेक्षा अपनी विषय-वस्तु, चित्रों, भाषा तथा प्रविधियों में लड़कियों और महिलाओं के ज्ञान तथा अनुभवों को लड़कों और पुरुषों के ज्ञान तथा अनुभवों के साथ बराबरी से, उनकी अपनी रुचि तथा क्षमता के आधार पर शामिल करती है।
- गैर लैंगिकतावादी व्यवहार अभिवृत्तियों, व्यवहारों, प्रक्रियाओं तथा परंपराओं पर लागू होता है, जो व्यक्तित्व एवं योग्यता के आधार पर निजी विशेषताओं को स्वीकार करते हैं तथा सख्ती से लागू की जाने वाली परिभाषाओं एवं जेंडर भूमिकाओं के अध्यारोपण का विरोध करते हैं।
- जेंडर समानता— जब पुरुषों और महिलाओं दोनों से अपनी-अपनी रुचियों, विषय, करियर तथा जीवन जीने के तौर-तरीके अपनाने की अपेक्षा की जाती है एवं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। इनका चयन उनकी जेंडर भूमिका की रूढ़िबद्धता की अपेक्षा उनकी अपनी रुचि एवं योग्यता के आधार पर होता है।

9.8 विद्यालयी खेलों में जेंडर प्रश्न— कुछ विचारणीय पक्ष

लड़कों और लड़कियों दोनों को ही अगर स्वस्थ जीवन-शैली का चुनाव करना है तो विद्यालयी वर्षों में उनकी पहुँच एक समावेशी, व्यापक और समकालीन खेल एवं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम तक होनी चाहिए। खेलों और शारीरिक क्रियाकलापों में लड़कों एवं लड़कियों की समान पहुँच का तात्पर्य यह नहीं है कि उपलब्धियाँ भी एक समान ही होंगी। तथ्य तो यह है कि शारीरिक शिक्षा और खेलों के पाठ वे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ लड़कों एवं लड़कियों में उभयलिंगात्मक जेंडर पहचान अधिक निर्मित होती है। पारंपरिक रूप से कहा जाए तो कुछ खेल लड़कियों से संबंधित और कुछ लड़कों से संबंधित माने जाते हैं। खेलों और शारीरिक शिक्षा से जुड़ी जेंडर विशेषताएँ सामाजीकरण के व्यवहार से उपजी जेंडर अस्मिता की धारणाओं के कारण और अधिक प्रत्यक्ष हो जाती हैं। सुषमा जयरथ (2001) द्वारा रा.शै.अ.प्र.प. के लिए जेंडर दृष्टिकोण से दिल्ली के 25 सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में किए गए खेल और शारीरिक शिक्षा अध्ययन में पाया गया कि लड़कियों और लड़कों के रवैये तथा मुख्य शिक्षकों सहित अन्य शैक्षिक व्यवहार से जुड़े कर्मियों में जेंडर भेदभाव और रूढ़िगत व्यवहार विद्यमान हैं। विद्यालय बेशक केवल एकल बाल स्कूल हों अथवा केवल एकल बालिका स्कूल हों अथवा सह-शिक्षा विद्यालय हो, जेंडर का मुद्दा गौण हो जाता है, क्योंकि व्यवस्था में पितृसत्तात्मक सोच हावी है। इसलिए यदि विद्यालयों में लड़कियों के लिए खेलों और शारीरिक शिक्षा में सुधार करना है तो विद्यालय के सभी सहायता कर्मियों, नीति निर्धारकों तथा लड़कियों के अभिभावकों के रुझान में एक मध्यस्थ की मानसिकता उत्पन्न करना बुनियादी प्रश्न होना चाहिए। सभी विद्यालयों, विशेषकर लड़कियों के विद्यालयों में सुविधाओं की उपलब्धता, कोचिंग, आधारभूत संरचना और विद्यालय की समय सारणी में संगत समय तथा स्थान भी वे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। लड़कों और लड़कियों के बीच खेलों में बराबरी में बाधा पहुँचाने वाली जेंडर धारणाओं पर गौर करने को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी होगी। आदर्श स्थिति तो तब होगी जब खेलों में जेंडर समानता तथा गुणवत्ता दोनों एक साथ चलेंगे।

9.9 सामाजीकरण की भूमिका

खेलों में रूढ़िबद्धता तब स्पष्ट दिखाई देती है जब लड़के क्रिकेट और लड़कियाँ खो-खो खेलती हैं। हालाँकि विद्यालय की समय सारणी में खेलों और शारीरिक शिक्षा के घंटे निश्चित होते हैं परंतु अधिकांश विद्यालयों में इन्हें प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में ईमानदारी नहीं बरती जाती है। खेल शिक्षकों से कई बार खेलों के साथ-साथ अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए भी कहा जाता है। यह भी सामान्य रूप से देखा गया है कि लड़के खेलों में चुने जाते हैं जबकि लड़कियों पर दूसरे सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए विचार किया जाता है। इन विद्यालयों में खेल शिक्षक

© NCERT not to be republished

अधिकतर पुरुष होते हैं तथा लड़कियाँ शारीरिक शिक्षा से संकोच करती हैं। महिला खेल शिक्षक के होने पर भी खेलों के लिए लड़कों को ही प्राथमिकता दी जाती है जबकि लड़कियों को नृत्य और संगीत के कार्यक्रमों के लिए ही चुना जाता है। साथ ही शिक्षकों, माता-पिता तथा समुदाय के दिमाग में अध्ययन और उपलब्धियाँ ही बसे होते हैं जिसके कारण खेलों को गैर महत्वपूर्ण दर्जा दे दिया जाता है। अकसर खेल के घंटे को मुक्तावधि के रूप में मान लिया जाता है। बहुत से विद्यालयों में खेल और शारीरिक शिक्षा केवल खेल दिवस के लिए मात्र रस्म के रूप में व्यवहार में लाई जाती है अथवा इसका उपयोग किसी एक खास खेल में अंतर-विद्यालयी खेल प्रतिस्पर्धा की तैयारी के लिए होता है। सामान्यतः खेल प्रतिस्पर्धाएँ लड़कों की टीमों के लिए क्रिकेट, फुटबॉल तथा हॉकी आदि के लिए ही आयोजित होती हैं। लड़कियों के विद्यालयों में खेल तथा शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का अधिक ध्यान पी.टी., खो-खो तथा भवन के भीतर खेले जाने वाले दूसरे खेलों पर ही होता है, उन्हें भी न्यूनतम सहयोग और संरक्षण प्राप्त होता है। कभी-कभी तो खेलों की अवधि लड़कियों और शिक्षकों दोनों के लिए मुक्तावधि बन जाती है। साथ ही गैर पारंपरिक खेलों पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। हालाँकि निजी विद्यालयों में खेलों और शारीरिक शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता है, परंतु बहुत व्यापक पाठ्यचर्या के कारण विस्तृत पाठ्यक्रम को पूरा करने तथा अपेक्षाओं से भरपूर मूल्यांकन एवं परीक्षा पद्धति के कारण पढ़ाई व अकादमिक उपलब्धियों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से उन्हीं प्रतिभाओं को पहचान और प्रोत्साहन मिल पाता है, जो विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर सकें। इस प्रकार बाकी के बच्चे इन खेल क्रियाकलापों को अपने विद्यालय की समय सारणी की खानापूर्ति के रूप में लेते हैं। जहाँ तक योग का प्रश्न है, योग कक्षाओं का आयोजन एक अत्यंत उपयोगी गतिविधि है परंतु यदि योग शिक्षक पुरुष हों तो उनकी प्राथमिकता लड़कों पर ही होती है। बड़ी उम्र की लड़कियों की कई जटिलताएँ होती हैं तथा इन अवरोधों के कारण योग कक्षाओं में उनकी उपस्थिति खानापूर्ति मात्र ही होती है। यही नहीं, योग कक्षाओं के संचालन के लिए एक उपयुक्त वेशभूषा भी होनी चाहिए। अकसर सरकारी विद्यालयों में लड़कियाँ योग कक्षा के लिए एक अच्छी वेशभूषा खरीदने में सक्षम नहीं होती हैं। कई विद्यालयों में यह भी देखा गया है कि योग कक्षाओं के लिए कोई उपयुक्त स्थान निर्धारित नहीं होता जिसके कारण अभ्यास के स्थान पर केवल सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं।

क्रियाकलाप

1. राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियाँ हासिल करने वाली महिलाओं के नामों की सूची बनाइए तथा किन्हीं दो की उपलब्धियों के बारे में लिखिए।
   ....
   ....
2. अपने राज्य में महिला खिलाड़ियों का पता लगाइए तथा किसी एक का जीवनवृत्त लिखिए।
   ....
   ....

9.10 जेंडर परिप्रेक्ष्य से विद्यालयों में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ रणनीतियाँ

लड़कियों और महिलाओं में खेलों तथा शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ इस प्रकार हैं—

- विद्यालयों में खेलों तथा शारीरिक शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों में भिन्न-भिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाली लड़कियों के लिए एक समान पहुँच तथा एक समान सहभागिता के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। समाज में सभी वर्गों से संबंध रखने वाली लड़कियों को विद्यालयों में सभी प्रकार के खेलों तथा शारीरिक क्रियाकलापों में सहभागिता के समान अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक खेलों के लिए विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएँ तो विकसित होनी ही चाहिए।
- उदाहरण के लिए क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल भी लड़कियों के विद्यालयों में शामिल किए जाने चाहिए। लड़कियों की टीमें बनाई जाएँ तथा विद्यालय स्तर पर सभी प्रकार की रूढ़िगत अभिवृत्तियों में सुधार किया जाए। इसी प्रकार

© NCERT not to be republished

लड़कों के लिए भी खो-खो तथा रस्सी कूदना जैसे खेल आयोजित करने का प्रबंध किया जाए। उनमें भी इन खेलों के प्रति रुचि पैदा की जानी चाहिए।

- विभिन्न खेल एवं शारीरिक शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों के चयन में जेंडर भेदभाव तथा रूढ़िबद्धता का निराकरण किया जाए। लड़कों तथा लड़कियों, दोनों को ही सभी प्रकार के शारीरिक क्रियाकलापों में खेलने तथा भाग लेने के विकल्प होने चाहिए। महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा हासिल उपलब्धियों पर बल दिया जाना चाहिए और विज्ञान तथा भाषा जैसे विषय-क्षेत्रों में भी भारत की प्रमुख महिला खिलाड़ियों की जीवनियाँ शामिल की जानी चाहिए। खेलों के विभिन्न क्षेत्रों में जिन महिलाओं ने ख्याति अर्जित की है उन्हें विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों तथा विशेष रूप से लड़कियों के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इससे उनके पूर्वाग्रह बदलेंगे।

- शारीरिक शिक्षा, खेलों तथा योग शिक्षकों को लड़कियों में गुणवत्ता तथा गंभीर खेलों के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए सुग्राह्य बनाना होगा। शारीरिक शिक्षा तथा योग कार्यक्रमों में पूर्व-सेवा तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण में जेंडर घटक को भी जोड़ने की आवश्यकता है। खेलों, शारीरिक शिक्षा तथा योग शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ ताकि खेलों की गुणवत्ता में सुधार हो तथा विद्यालयों, विशेषकर लड़कियों में इसकी गंभीरता के प्रति वे प्रोत्साहित हो सकें।
- नीति निर्माण तथा इसके क्रियान्वयन के स्तर — भारत में विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के लिए खेलों के विकास को गति देना, महिलाओं से संबंधित खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी प्रयासों को शिक्षकों, लड़कियों, महिलाओं, माता-पिता तथा समुदाय में व्यापक रूप से प्रचारित-प्रसारित करना होगा। राष्ट्रीय खेल नीति के लड़कियों और महिलाओं संबंधी घटकों तथा विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के लिए बनाए गए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों पर लड़कियों तथा महिलाओं के साथ चर्चा होनी चाहिए। इस प्रकार की चर्चाओं से क्रीड़ाओं और खेलों की महत्ता के प्रति जागरूकता उत्पन्न होने की उम्मीद है।

क्रियाकलाप

नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार कीजिए। इस पर चर्चा के माध्यम से भी बात की जा सकती है—

1. महिला खेलों को प्रोत्साहन देने में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?
2. विद्यालयी खेलों में लड़कियों की सहभागिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है?
3. एक शिक्षक के नाते आप क्या प्रयास करेंगे जिससे खेलों तथा शारीरिक शिक्षा के प्रति विद्यालयी प्रशासन के नजरिए में बदलाव आ सके तथा खेल निधि का वार्षिक रूप से यथेष्ट उपयोग हो सके?
4. एक शिक्षक होने के नाते आप लड़कियों को गैर-पारंपरिक खेलों में भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे?
5. विद्यालय अभिभावक-समुदाय बैठक आयोजित करना तथा लड़कियों और महिलाओं की खेलों एवं शारीरिक क्रियाकलापों के प्रति सकारात्मक सोच से काम करना।

9.11 संदर्भ

- आस्ट्रेलियन स्पोर्ट कमीशन. 1995. पॉसिबल प्राइमरी एंड *सेकेंडरी इफेक्ट्स,* द कान्सीक्वेंसिज ऑफ़ गर्ल्स एंड ब्वाइज़ पार्टिशिपेशन इन फ़िज़िकल एक्टिविटी कांफ्रेंस ऑन एक्टिव गर्ल्स कैंपेन में प्रस्तुत शोधपत्र. डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन मूमेंट स्टडीज, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, सेंट लूसिया, आस्ट्रेलिया.
- खेल और युवा मामलों के मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट. 2000–2001. पृष्ठ संख्या 28–57. खेल और युवा मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार.

© NCERT not to be republished

- जैरेथ, सुषमा. 2001. *स्टडी ऑन द स्टेट्स ऑफ़ स्पोर्ट्स एंड फ़िज़िकल एजुकेशन फ्रॉम ए जेंडर पर्सपेक्टिव* – 'नेशनल सेमिनार ऑन इंटर-सेक्ट्रल लिंकेजिस इन एजुकेशन' में दिल्ली के स्कूलों पर प्रस्तुत शोधपत्र. नयी दिल्ली.
- डे. बाउरो, सिमोन. 1970. द *सेकेंड सेक्स*. अल्फ्रेड ए. नॉफ, न्यूयॉर्क.
- डेविड, किर्क और मैकडोनाल्ड फॉन. 1955. 'कांफ्रेंस ऑन चेलेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑन गर्ल्स एंड ब्वाइज पार्टिसिपेशन इन फ़िज़िकल एजुकेशन' में प्रस्तुत शोधपत्र – *कॉन्सीक्वेन्सिज ऑफ पार्टिसिपेशन पैटर्न इन फ़िज़िकल एक्टिविटी*. डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन मूवमेंट स्टडीज, क्वींसलैंड विश्वविद्यालय, सेंट लुसिया, आस्ट्रेलिया.
- भट्ट, यशोदा और सी.एन. मंगला (संपादक). 1995. *इंडियन वूमेन ऑन द मूव*. पृष्ठ संख्या 301–329. बी.आर. पब्लिशिंग कार्पोरेशन, दिल्ली.
- भदौरिया, एम. 1997. *वूमेन इन इंडिया – सम इश्यूज*. ए.पी.एच. पब्लिशिंग कार्पोरेशन. नयी दिल्ली.
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. भारत सरकार. नयी दिल्ली.
- ———. 1992. *प्रोगाम ऑफ़ एक्शन 1992*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. भारत सरकार. नयी दिल्ली.
- रा.शै.अ.प्र.प. 1998. *छठा अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण*. प्रकाशन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प.
- ———. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.
- रॉनडिवू – गिव स्पोर्ट्स ए चांस. 2001. एच. टी. होरिजोंस. हिंदुस्तान टाइम्स.
- सेनबोसेक (स्पेशल इश्यू). 1997–98. *कॉम्पेटिटिव स्पोर्ट्स प्रोगाम,* दिल्ली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली.
- संधू, किरण. 1993. *स्पोर्ट डायनामिक्स,* अलाइन पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और गलगोटिया पब्लिशिंग कंपनी, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल **10**

महिलाएँ अपरंपरागत भूमिकाओं में रोल मॉडल्स की ताकत

मॉड्यूल की रूपरेखा

10.1 परिदृश्य
10.2 भूमिका
10.3 उद्देश्य
10.4 कुछ सफल महिलाएँ और उनके साहसिक कार्य
10.5 प्रेरक के रूप में शिक्षक
10.6 गैर-पारंपरिक नौकरी की अवधारणा से परिचय करवाना
10.7 करियर मार्गदर्शन पर उपलब्ध सामग्री की समीक्षा
10.8 माता-पिता को आमंत्रित करें, उन्हें चर्चा में शामिल करें और शिक्षित करें
10.9 सफल रोल मॉडल संबंधी रणनीतियाँ
10.10 मार्गदर्शन और परामर्श
10.11 संदर्भ
आश्चर्यचकित करने वाली अन्य महिलाएँ

© NCERT not to be republished

10.1 परिदृश्य

एक समय था जब महिलाएँ घर से बाहर निकलने में या अपने खेतों से बाहर जाकर काम करने में संकोच करती थीं और अधिकतर अपने नज़दीक के विद्यालयों में पढ़ाना ही पसंद करती थीं। किंतु इस स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है और महिलाएँ उस स्थिति से काफ़ी आगे निकाल आई हैं। पहले वे घरेलू दायरों तक सीमित रहती थीं और जेंडर आधारित कामों और व्यवसायों की तय सीमाओं में बंधी हुई थीं। यद्यपि समाज में आज भी परंपरागत जेंडर निर्धारित भूमिकाएँ विद्यमान हैं लेकिन फिर भी समाज के रवैये और सोच में बदलाव आ रहा है। महिलाओं ने अपने लिए तय की गई भूमिकाओं से मुक्ति पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं और वे गैर-परंपरागत तथा प्रचलित पुरुष-वर्चस्व वाले क्षेत्रों में लगातार अपने लिए जगह बना रही हैं। महिलाओं को निर्बाध वातावरण प्रदान करना और उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना वर्तमान समय की ज़रूरत के साथ-साथ महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक सरोकार भी है।

यह मॉड्यूल उन लड़कियों और महिलाओं की कुछ सफलता की कहानियों को उजागर करने की कोशिश करता है, जिन्होंने ऐसे व्यवसायों में अपनी एक पहचान छोड़ी है, जिनमें पुरुषों का वर्चस्व रहा है। उन्होंने ऐसे व्यवसायों के विकल्प चुने हैं, जिन्हें अपरंपरागत माना जाता है। जबकि उनमें से कई अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद अन्य व्यवसायों में भी अपने लिए

जगह बनाई है, किंतु इन महिलाओं की सफलता और योगदान उस तरह समाज के समक्ष नहीं आ पाए हैं, जिसकी वे वास्तव में पात्र हैं। इस मॉड्यूल में विभिन्न भूमिकाओं में महिलाओं के प्रवेश को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाने में सहायक शिक्षकों और विभिन्न रणनीतियों की भी चर्चा की गई है। कभी इस प्रकार की भूमिकाएँ महिलाओं के लिए वर्जित थीं।

10.2 भूमिका

भारत में अधिकतर स्त्रियों के पास बुनियादी शिक्षा भी नहीं होती और इस प्रकार अधिकतर लड़कियाँ उच्च अथवा पेशेवर शिक्षा से बाहर रह जाती हैं तथा केवल समाज के मध्यम वर्ग और अभिजात वर्ग की लड़कियों के लिए ही यह पहुँच संभव होती है। भारत में बुनियादी शिक्षा और साक्षरता तक पहुँच तथा उसके ही क्रम में उच्च शिक्षा और करियर के अवसरों तक पहुँच प्रदान करना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। एक समान स्तर पर करियर और रोज़गार उन्मुख शिक्षा प्रदान करने में हमारी अक्षमता ने न केवल अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को कम किया है, बल्कि इसके साथ ही उनके कौशल और क्षमताओं का कम उपयोग भी हुआ है। गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तुलना में कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अधिक से अधिक अनुपात में दाखिला लेने में महिलाओं का रुझान एक ऐसी घटना है, जो दुनियाभर में देखी जा सकती है। महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का मुख्य कारण संरचनात्मक है जिसकी निर्मिति संस्थाओं के सामाजिक ढाँचे, उनके माध्यम से श्रम बाजार में विभाजन, महिलाओं के लिए उपयुक्त भूमिकाओं और अपेक्षाओं के बारे में मूल्यों और विश्वासों को उनमें शुरू से आरोपित करने के कारण हुई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन एक स्पष्ट वास्तविकता यह है कि लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा या विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा हासिल करने में समान रूप से भाग लेने के अवसर नहीं मिले हैं। शिक्षा, सूचना और वित्तीय संसाधनों सहित कई उत्पादक संसाधनों पर महिलाओं की पकड़ कम ही रहती आई है। इसके अलावा, रोज़गार की दुनिया में महिलाओं के काम के साथ-साथ उनके कौशल को भी कम करके ही आँका जाता रहा है।

रूढ़िबद्धता एक अन्य कारक है जो तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है। इसी कारण अन्य व्यवसायों की उपलब्धता के बावजूद महिलाएँ पारंपरिक रूप से महिला व्यवसायों का चयन करती रही हैं। वे सामान्य रूप से महिला व्यवसायों, जैसे— शिक्षिकाओं, नर्सों, डॉक्टरों, सचिवों आदि में अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं और कौशल आधारित ऐसी नौकरियों में कम दिखाई देती हैं जहाँ उनकी ज़िम्मेदारी तय होती है। लड़कियों और महिलाओं द्वारा अपरंपरागत नौकरियों में न जाने का एक मुख्य कारण गैर पारंपरिक नौकरियों में प्रवेश करने वाली महिलाओं के साथ जुड़ी परंपरागत बाधाएँ हैं। इसके अलावा, महिलाओं के कौशल से संबंधित ऐसी कई धारणाएँ प्रचलित हैं कि महिलाएँ वे काम नहीं कर सकतीं, जिन्हें परंपरागत रूप से पुरुष केंद्रित मान लिया गया है (रेशेल हॉलोरान, 2001)।

सदियों से एक आदर्श महिला की छवि एक गृहिणी की रही है और समाज में उसकी भूमिका काफ़ी हद तक एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक की है। इस छवि को मीडिया द्वारा और पोषित किया गया है जो पारंपरिक भूमिकाओं में महिलाओं के अनुचित और रूढ़िवादी चित्रण के लिए समान रूप से ज़िम्मेदार है। लड़कियों और महिलाओं को एक बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना और उन्हें शिक्षा और रोज़गार के अवसर तलाशने में सक्षम बनाना एक महत्वपूर्ण सामाजिक ज़िम्मेदारी है। उन्हें एक समान स्तर पर करियर और रोज़गार उन्मुख शिक्षा प्रदान करने में हमारी अक्षमता ने न केवल अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को कम किया है, अपितु इसके साथ ही उनके कौशल और क्षमताओं का कम उपयोग भी हुआ है।

रूढ़िबद्धता की शिकार होने के कारण, लड़कियाँ और महिलाएँ पारंपरिक व्यवसायों का विकल्प ही चुनती आ रही हैं और इसलिए शिक्षक, नर्सों, डॉक्टरों और सचिवों जैसे आम तौर पर महिला व्यवसायों में उनका अधिक प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम की उनकी पसंद अकसर घरेलू और परवरिश करने वाली स्त्री के रूप में भविष्य की उनकी भूमिकाओं से तय होती है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत ही कम लड़कियाँ विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में दाखिला लेती हैं। पितृसत्तात्मक मानदंडों द्वारा स्थापित कठोर मानदंड और सोच के बावजूद, कई लड़कियाँ और महिलाएँ

© NCERT not to be republished

निरक्षरता, दमन और रूढ़ियों के बंधन तोड़ रही हैं और रोज़गार के सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से निर्धारित क्षेत्रों से उभर रही हैं। वे उन भूमिकाओं में आगे आ रही हैं जिनसे पारंपरिक रूप से उन्हें लंबे समय तक वंचित रखा गया और वास्तव में इस तरह पुरुषों के वर्चस्व वाले व्यवसायों में वे विशेष पहचान बना रही हैं, लेकिन ऐसी लड़कियों और महिलाओं की संख्या और उपस्थिति एक मुद्दा है, जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बिजली रहित गाँवों में सौर-ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना से लेकर कमांडो के रूप में एके-47 चलाने, हाउसबोट्स चलाने से लेकर फुटबॉल मैचों का आयोजन करने तक, तबला और सरोद बजाने से लेकर गाँवों में विकास कार्यों का संचालन करने तक, वाहनों में ईंधन भरने से लेकर ट्रेन चलाने तक, भारत की सबसे बड़ी जैव-फार्मास्युटिकल कंपनी का नेतृत्व करने से लेकर निकाह करवाने तक, कारगिल संघर्ष में लड़ाकू विमान उड़ाने से लेकर हिन्दू संस्कारों के क्रियान्वयन तक, महिलाओं ने हर उस व्यवसाय में प्रवेश करने का साहस दिखाया है, जिनमें सामाजिक मानदंडों और रिवाज़ों के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था।

यदि हम एक परमाणु वैज्ञानिक, तबला वादक, काज़ी, ब्लैक-कैट कमांडो, जज, फुटबॉल रेफरी और एक घोड़े के प्रशिक्षक की कल्पना करने का प्रयास करते हैं, तो हम निश्चित रूप से इस भूमिका में एक पुरुष की कल्पना करेंगे, क्योंकि हमें समाज ने इसी तरह सोचना सिखाया है। हममें से कितने लोगों ने कमला बाई– बेयरफुट सौर इंजीनियर; डॉक्टर आरती – घोड़ा प्रशिक्षिका; सुनीता चौधरी– ऑटोरिक्शा चालक; बेंटला डी कॉथ–रेफरी, फुटबाल मैच; माला पाल, चीन पाल और काकोली पाल– मूर्ति निर्माताओं तथा सावित्री कबीर दास– हैंडपंप मैकेनिक, शबनम काज़ी– भारत की पहली महिला काज़ी आदि जैसे नामों के बारे में सुना है।

इन अदृश्य महिलाओं ने ऐसे व्यवसायों में अपने लिए मुकाम हासिल किया है, जो महिलाओं के लिए अपरंपरागत माने जाते हैं क्योंकि वे बड़े पैमाने पर पुरुष-प्रधान हैं। उनकी सफलता की कहानियों ने बड़े पैमाने पर समाज और राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका को फिर से परिभाषित किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सभी को औपचारिक शिक्षा प्रणाली का विशेषाधिकार नहीं मिला और न ही वे डिग्री या डॉक्टरेट से लैस हैं। जबकि कुछ महिलाओं के लिए उनकी आर्थिक स्थिति ही वह कारण थी, जिसने उन्हें अपरंपरागत पेशे का विकल्प चुनने के लिए मज़बूर किया, ताकि दूसरों को चुनौतिपूर्ण भूमिका निभाने की इच्छा हो और वे पुरुषों के गढ़ में सेंध लगा सकें। ये महिलाएँ न केवल महानगरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहे परिवर्तनों का प्रतीक हैं, जहाँ महिलाएँ जाति और वर्ग के आधार पर जेंडर भूमिकाओं और भेदभाव की सामंती धारणा को चुनौती दे रही हैं।

10.3 उद्देश्य

- जिन्होंने अपरंपरागत व्यवसायों का चयन किया है उन लड़कियों और महिलाओं की सफलता की कहानियों पर जागरूकता पैदा करना।
- लड़कियों को संवेदनशील बनाने में शिक्षकों की भूमिका की जाँच करना।
- रोल मॉडल के महत्व का एहसास करने के लिए प्रेरक के रूप में भूमिका।

क्रियाकलाप

- ऐसे पाँच व्यवसाय जिन्हें महिलाओं के लिए अपरंपरागत माना जाता है।
- ऐसे रोज़गार जो महिलाओं के लिए पारंपरिक माना जाता है।
- ऐसे पाँच विज्ञापनों की पहचान करें जो जेंडर रूढ़ियों को सुदृढ़ करते हैं।

10.4 कुछ सफल महिलाएँ और उनके साहसिक कार्य

यहाँ कुछ महिलाओं की सफलता की कहानियाँ हैं जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़ने की हिम्मत की है और अपारंपरिक क्षेत्रों में खुद के लिए एक जगह बनाई है। गहरे पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों के प्रसार के बावजूद इन महिलाओं ने चीज़ों को अलग तरीके से करने और कुछ ऐसा न करने का फ़ैसला किया, जो अलग है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं।

भारत की अग्निपुत्री – टेसी थॉमस

© NCERT not to be republished

चित्र स्रोत— http://kalamfanclub.com/tessy-thomas
मिसाइल प्राजेक्ट की अगुवाई करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक

टेसी थॉमस भारतीय मिसाइल प्रोजेक्ट की अगुवाई करने वाली पहली महिला है, और उन्होंने पुरुषों का गढ़ समझे जाने वाले पेशे में अपनी पहचान बनाकर उस जड़ता को तोड़ दिया है। उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में विशेष रूप से लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि-5 के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केरल के अलापुज़ा में थुंबा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन उनके घर के करीब था, जो बचपन में मिसाइलों की दुनिया में रुचि और जिज्ञासा पैदा करने के लिए काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार था। बचपन में पैदा हुई यह जिज्ञासा आगे चलकर और मज़बूत ही होती चली गई। अपनी माँ से प्रेरणा प्राप्त करते हुए, भौतिकी की ठोस अवस्था में टेसी की रुचि उनके स्कूल के दिनों के दौरान आकार लेने लगी। पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ़ आर्ममेंट टेक्नोलॉजी से, गाइडिड मिसाइल में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वे वर्ष 1988 में डी.आर.डी.ओ. से जुड़ गईं। यही वह जगह थी जहाँ उन्होंने अपने सम्मानित रोल मॉडल ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के निर्देशन में काम किया जिन्होंने उन्हें अग्नि मिसाइल कार्यक्रम से जोड़ा। ठोस प्रणोदक प्रणालियों की एक विशेषज्ञ के रूप में टेस्सी का योगदान अग्नि-5 के बहु लक्ष्यीकरण वाले पुनः प्रवेश वाहनों के विकास में महत्वपूर्ण था। इसने अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से इसने वातावरण में फिर से प्रवेश करने पर 3,000 डिग्री सेल्सियस के भारी तापमान और वेग का सामना किया। थॉमस अग्नि-4 मिसाइल परियोजना के लिए परियोजना निदेशक बनी। वर्ष 2009 में, उन्होंने 5000 किलोमीटर की दूरी वाली अग्नि-5 मिसाइल के लिए परियोजना निदेशक के पद पर बनी रहीं।

2008 में भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ ने कहा

हम महसूस करते हैं कि टेसी थॉमस महिला वैज्ञानिकों के लिए आदर्श और प्रेरणा हैं जो महिलाओं को प्रेरणा देती है कि वे सपनों को पूरा कर सकें और दोनों दुनियाओं में अपने पैर जमा सकें।"

वृत्तचित्र

तेजस्विनी— टेसी थॉमस के साथ संवाद, भारत की मिसाइल महिला
डी.डी. न्यूज़, 9 अक्तूबर, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=6l9tM3G2AGs

सौर इंजीनियर- कमला बाई, गुलाबी, नीलम कंवर और रितमा भारती

कमला बाई राजस्थान की पहली महिला "नंगे पैर सौर इंजीनियर" हैं। उन्होंने राजस्थान के तिलोनिया में सोशल वर्क रिसर्च सेंटर (SWRC) द्वारा एक विशेष सामुदायिक विकास परियोजना में छह महीने का प्रशिक्षण लिया। कमला के मन

कमला बाई राजस्थान की पहली महिला "नंगे पैर सौर इजीनियर"
चित्र स्रोत— https://www.theguardian.com/global-development/2011/jun/24/india-barefoot-college-solar-power-training

© NCERT not to be republished

में सौर लालटेन के उपयोग ने जिज्ञासा और मोह पैदा किया। आश्चर्यजनक बात यह है कि कमला के सौर इंजीनियर बनने की चाह में उसके ससुर ने पूर्ण समर्थन किया, जबकि उनके पति और सास दोनों उन्हें अन्य महिलाओं की तरह खेतों में काम कराना चाहते थे। उन्होंने तिलोनिया में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए दाखिला लिया और अंततः उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने उनका समर्थन किया।

कमला अन्य गाँव की महिलाओं के लिए भी एक आदर्श बन गई हैं जिन्होंने अपने घरों से बाहर निकलकर नंगे पांव सौर इंजीनियरों के रूप में प्रशिक्षण लिया है। कमला की तरह, नीलम कंवर ने अपने पति के सहयोग से छह महीने के लिए तिलोनिया में दाखिला लिया और अपने ही गाँव में सोलर लालटेन की मरम्मत करने में विशेषज्ञता प्राप्त की। उत्तर-पूर्वी भारत के चार लोगों की एक अनपढ़ माँ और उनके परिवार की एकमात्र रोटी कमाने वाली 45 साल की गुलाबी "नंगे पैर सौर अभियंता" परियोजना में एक सफल अग्रणी हैं, जो सौर प्रकाश पैनलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और चार्जर बना सकती हैं। इसके अलावा, वह हैंडपंप, पानी की टंकी और पाइपलाइन स्थापित करने और बनाए रखने में भी एक विशेषज्ञ है।

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में, रितमा भारती अपने पति और दो साल के बच्चे के साथ छह महीने के सौर प्रशिक्षण कार्यशाला से गुजरने के लिए तिलोनिया गई थीं। उन्होंने कार्यशाला में 80 सौर लालटेन तैयार कीं जिनको वे अपने गाँव बहुरवा ले गईं। उनके गाँव में बिजली की कोई व्यवस्था न होने की वजह से सूर्यास्त होने के बाद अंधेरे में सभी आर्थिक गतिविधियाँ रूक जाती थीं। यही सौर लालटेन की वजह से गाँव में उजाला हुआ। अपनी ओर से, रितमा ने अपने गाँव में इन लालटेन के उपयोग और मरम्मत के लिए कई लोगों को प्रशिक्षित किया है, जिनका उपयोग सफलतापूर्वक स्कूलों, सिंचाई सुविधाओं, दुकानों और चिकित्सा केंद्रों को चलाने के लिए किया जा रहा है।

राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल, जम्मू और कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे विभिन्न राज्यों की कमला, नीलम, गुलाबी और रितमा और कई अन्य महिलाएँ सौर इंजीनियरों की सफलता की कहानियों ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि केवल साक्षर और शिक्षित महिलाओं को ही तकनीक सुलभ है न कि उन महिलाओं को जो खेतों या घरों में काम करती हैं। ये महिला इंजीनियर, जो या तो अनपढ़ हैं या अर्ध-साक्षर हैं, ने उन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की है जहाँ बिजली की आपूर्ति या तो मौजूद नहीं है या अत्यधिक अनियमित है। कौशल और विशेषज्ञता जो उन्होंने हासिल की है, उसने न केवल उन्हें सशक्त बनाया है, बल्कि उन्हें आग के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने के काम से भी मुक्त किया है और जलती हुई लकड़ी के धुएँ से स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम किया है। उन्होंने साबित किया है कि सौर ऊर्जा का उपयोग शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और आय सृजन का समाधान प्रदान करता है, इसके अलावा वह खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था और अंत में जीवन की बेहतर गुणवत्ता और सतत विकास के लिए बढ़ावा देता है।

वृतचित्र

24 घंटे की वास्तविकता— फील्ड रिपोर्ट-भारत का बेयरफुट कॉलेज https://www.youtube.com/watch?v= fuqWucWSh-E

उत्तर बिहार के मधुबनी जिले में स्थित जितवारपुरा गाँव ने बहुत ख्याति हासिल की है, क्योंकि यह गाँव उन तीन कलाकारों का घर है जिन्हें मिथिला चित्रकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तीनों ही कलाकार महिलाएँ हैं, जिनके नाम हैं जगदंबा देवी, सीता देवी और बऊआ देवी। ये तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिथिला कलाकार हैं, जिन्होंने मिथिला कला को केवल भारत ही नहीं, अपितु विश्व में पहचान दिलाई है। जगदंबा देवी ने जहाँ एक ओर विशेषतौर पर शादी, ब्याह तथा अन्य अवसरों पर अपने गाँव में मिट्टी से बने घरों पर कलाकारी करके इस कला की शुरुआत की वहीं सीता देवी ने मिथिला कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जब उनके काम को यू.एस.ए., जर्मनी, फ्रांस और जापान में प्रदर्शित किया और सराहा गया। जगदंबा देवी की शिष्य बऊआ देवी ने शादी

मिथिला कलाकार बऊआ देवी

© NCERT not to be republished

के बाद 12 वर्ष की उम्र में यह काम करना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में कागज़ और कपड़े पर चित्र बनाए और बाद में वे कैनवस पर रेखाचित्र तथा चित्र बनाने लगीं। मधुबनी कला की अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करने का श्रेय बऊआ देवी अपनी सास गुंजा देवी को देती हैं। परंपरागत चित्रों को श्याम-सफ़ेद तथा रंगीन चित्रकारी के अतिरिक्त उन्होंने इसे एक नयी दिशा दी है तथा अपने विचारों को अपनी रचनाओं में जोड़ा है, जिसका एक उदाहरण है कैनवस में 9/11 के आतंकवादी हमले के विचार को जोड़ना। बऊआ देवी को वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें विश्व के कई देशों में अपनी कला को प्रदर्शित करने का गौरव प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनकी मधुबनी पेंटिंग को हेनोवर के महापौर, स्टीफन शौस्तक को भी भेंट किया गया।

बेंगलूरु की पहली और एकमात्र महिला बस ड्राइवर – प्रेमा रामप्पा नदापट्टी

प्रेमा ने वर्ष 2009 बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बी.एम.टी.सी.) में बस ड्राइवर बनने के लिए नर्स की नौकरी छोड़ दी। तब वह नहीं जानती थी कि वह अपने समय से बहुत आगे चल रही है, क्योंकि भारत में बस ड्राइविंग को एक पुरुषों का पेशा माना जाता है। बेलगाम के भैरनट्टी से संबध रखने वाली प्रेमा ने बहुत ही कम उम्र से ड्राइविंग के लिए एक जुनून पाल रखा था और बाद में अपने इसी जुनून को उसने ड्राइविंग के एक पूर्णकालिक नौकरी में बदल दिया। शुरुआत में उसने लॉरी चलानी सीखी और भारी परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। फिर उसने बी.एम.टी.सी. में आवेदन किया।

उन्होंने कंडक्टर के बजाय ड्राइवर का पेशा चुनना पसंद किया और इस धारणा को खारिज करते हुए कि महिलाएँ अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकतीं, उसने मजेस्टिक-जयनगर मार्ग पर बस चलाने की हिम्मत की। वर्ष 2005 में अपने पति की मृत्यु के बाद, प्रेमा ने उम्मीद नहीं खोई। यह उसकी माँ गंगम्मा ही थी, जो एक संबल की तरह उसके पीछे खड़ी रहीं और प्रेमा को अपने जुनून को हासिल करने और ड्राइवर की नौकरी हेतु आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। प्रेमा का मानना है कि यात्रियों से निपटने के मामले में, सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं और यातायात नियमों के पालन में वह अपने पुरुष सहयोगियों से बेहतर है। जब बी.एम.टी.सी. ड्राइवर वर्ष 2012 में एक दिनभर की हड़ताल पर गए थे, प्रेमा ने ड्यूटी पर रिपोर्ट किया, उसको उसकी नैतिकता और समर्पण के लिए सराहा गया और पुरस्कृत किया गया।

बेंगलुरु में बी.एम.टी.सी. बस ड्राइवर प्रेमा रामप्पा नदापट्टी

चित्र स्रोत— https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/meet-prema-ramappa-nadapatti-the-first-and-the-only-female-driver-of-bmtc/articleshow/46093486 .cms

कुमार्टौली की मूर्तिकार — चाइना पाल, माला पाल और ककोली पाल

कोलकाता के कुमार्टुली या कुमार्टौली में मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की एक लंबी और समृद्ध परंपरा है और यह बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार दुर्गा पूजा के साथ मज़बूत संबंध के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कलाकारों ने देवी-देवताओं की कई प्रतिष्ठित मूर्तियों का निर्माण किया है, जिसमें सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण देवी दुर्गा की मूर्तियाँ हैं। लेकिन विडंबना यह है कि देवी दुर्गा की प्रतिमा मुख्य रूप से पुरुष कलाकारों द्वारा बनाई जाती है। इसी कारण यह कुटीर उद्योग पुरुष कलाकारों का ही क्षेत्र रहा है। इन कारीगरों के परिवारों की महिलाओं को इस पेशे में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्योंकि ये कारीगर अपने क्षेत्र में किसी और का प्रवेश नहीं चाहते हैं। लेकिन आज माला पाल, चाइना पाल और काकोली पाल ने इस नियम को बदल दिया है। उन्होंने अपने समकक्ष पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है और अपने लिए जगह बनाते हुए अन्य महिलाओं को रास्ता दिखाया है। इससे पहले यहाँ कोई महिला कारीगर नहीं थीं लेकिन आज कुमार्टौली में लगभग 10 महिला कारीगर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि युवा पुरुष अब इस पेशे में प्रवेश के लिए इच्छुक नहीं हैं।

© NCERT not to be republished

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चाइना पाल द्वारा बनाई गई अर्धनारीश्वर की मूर्ति

चाइना पाल ने अपने पिता, प्रसिद्ध मूर्ति निर्माता हेमंत पाल के निर्देशन में 1994 में उनकी मृत्यु से पहले प्रशिक्षण लेना शुरू किया। अपनी बहु-कार्यकुशल क्षमताओं के लिए उन्हें अपने साथी कारीगरों के बीच दशभुजा माँ (10-सशस्त्र देवी) के नाम से जाना जाता है। चालीस की उम्र में, उनके पास 12 लोगों की एक टीम है जो सीमेंट, प्लास्टर, कांस्य और तांबे के साथ काम करते हैं, क्योंकि लोगों की पसंद हर दिन बदल रही है। उनके अनुसार वे पूंजीवाद के चंगुल में नहीं फंसी। वे अपने कर्मचारियों को बराबरी का दर्जा देती हैं और अपना काम खत्म कर वे सब एक साथ छुट्टी पर जाते हैं। उनके प्रसिद्ध कार्यों में, शिव और दुर्गा के अर्धनारीश्वर की मूर्ति को कोलकाता के पहले ट्रांसजेंडर दुर्गा पूजा मंडल के लिए 2015 में मान्यता प्रदान की गई, जिसके लिए उन्हें राज्यपाल द्वारा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। माला पाल को लघु तथा 'मोड़ी जा सकने वाली' दुर्गा प्रतिमाएँ बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन के चौथे दशक के अंत में मूर्तियाँ बनाने का पेशा संभाला जब 1985 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके बड़े भाइयों को शिल्प में दिलचस्पी

माला पाल और उनकी लघु मूर्तियाँ

नहीं थी। माला ने विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वित्तीय कठिनाई से गुजरने के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और आज उन्हें वह मान्यता प्राप्त हुई है, जिसकी वह हकदार हैं। माला द्वारा तैयार की गई दुर्गा प्रतिमाओं को यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में निर्यात किया जाता है, जहाँ बंगाली प्रवासी समुदाय द्वारा पूजा का आयोजन किया जाता है।

माला पाल और चाइना पाल के अलावा अन्य ऐसी महिलाएँ भी हैं जो कुमार्टौली कुम्हार केंद्र की अभिन्न अंग हैं, जैसे काकोली पाल, कांची पाल और शरबानी पाल, जो मूर्तियाँ बनाती हैं। परूल रील देवी के लिए सिक्वंस, ज़र्दोजी मोती और छोटे शीशों से गहने बनाती हैं और निवेदिता पेंसिल की छीलन से फूल बनाती हैं। 'दुर्गा का परिवार' बनाने के लिए लगभग दो महीने लगते हैं और इसकी कीमत 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक है। चाइना पाल, काकोली पाल और माला पाल को कोलकाता के पी.सी.चन्द्र ज्वेलर्स ने सम्मानित किया और सम्मान देते हुए उन पर पाँच मिनट का एक वृत्तचित्र बनाया गया जिसे *कन्या रुपेनो* अथवा *मिट्टी की बेटियाँ* कहा जाता है।

वृत्तचित्र

कन्या रुपेनो (मिट्टी की बेटियाँ)

https://www.youtube.com/watch?v=pkusk WNqsGI

नयी ऊँचाइयाँ छूती पूर्णा मालावथ

नयी ऊँचाइयाँ छूती पूर्णा मालावथ

चित्र स्रोत— https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRljnFoCJwAqKVSUK9Qhg9C1e9nKUjCALCDoa2YO5xsZmvcCO3q

माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का मेरा उद्देश्य यह साबित करना था कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं।

© NCERT not to be republished

मई 2014 में तब एक इतिहास बन गया जब पूर्णा मालावथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उसकी उम्र उस समय तेरह साल थी। निजामाबाद, तेलंगाना के कृषि मजदूरों के एक परिवार में जन्मी पूर्णा ने तेलंगाना समाज कल्याण आवासीय शैक्षिक संस्थान की शाखा (टी.एस.डब्ल्यू.आर.ई.आई.एस.) में अध्ययन किया। वह इसे अपनी खुशकिस्मती मानती हैं कि टी.एस.डब्ल्यू.आर.ई.आई.एस. के सचिव प्रवीण कुमार ने उसकी क्षमता को पहचाना और उसके गुरु और मार्गदर्शक बन गए। यह नालगोंडा जिले के भोंगिर में समर समुराई में एक पहाड़ पर चढ़ने का एक कोर्स था, जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। सफलतापूर्वक यह पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 19 अन्य छात्रों के साथ पूर्णा को प्रशिक्षक आनंद कुमार को दार्जिलिंग में हिमालयी पर्वतारोही संस्थान में 15 दिनों के कोर्स के लिए चुना गया और इसके बाद उन्हें एवरेस्ट की जलवायु परिस्थितियों का सामना करने के लिए लद्दाख में शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस कम के तापमान में बेहद जटिल प्रशिक्षण दिया गया।

पूर्णा ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुरेश बाबू और भोंगीर में पूर्णा के प्रशिक्षक रहे आनंद कुमार तथा शेरपाओं के एक समूह के साथ ऑपरेशन एवरेस्ट ऐतिहासिक अभियान शुरू किया। किसी भी पल होने वाले हिमस्खलन का डर, कठोर पर्वतीय हवाएँ, चीरती हुई ठंड और भारे ऑक्सीजन टैंकों का वज़न भी पूर्णा के साहस को कम नहीं कर पाया। 25 मई, 2014 को वे लगभग सुबह 6 बजे एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच गए। यह वास्तव में उसके लिए गर्व का क्षण था जब उसने दुनिया की सबसे ऊँची चोटी पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया।

पूर्णा की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपये का पुरस्कार, 5 एकड़ कृषि भूमि और 2 बेडरूम का घर देकर सम्मानित किया और उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का वादा किया। पूर्णा ने नयी ऊँचाइयों को छूने के अपने क्रम को जारी रखा— उसने माउंट किलिमंजारो और अपने सह पर्वतारोहियों के साथ यूरोप में रूस की सबसे ऊँची चोटी माउंट एलब्रस पर चढ़ाई की। इस शिखर को मिलाकर पूर्णा ने सात शिखरों में से तीन पर सफलता हासिल कर ली। उसका लक्ष्य सभी सात महाद्वीपों के सबसे ऊँचे शिखरों पर सफलता हासिल करना है।

निर्देशक-निर्माता राहुल बोस ने 'पूर्णा' नामक एक बायोपिक का निर्माण किया है। फिल्म में मालावथ पूर्णा की भूमिका अदिती इनामदार (14 वर्षीय) ने निभाई है जो खुद भी तेलंगाना से है।

फिल्म 'पूर्णा' (2017)

निर्देशक

राहुल बोस

पहली महिला काज़ी– शबनम आरा बेग़म

वर्ष 2003 में शबनम आरा बेग़म भारत की पहली महिला काज़ी बनी। यह एक ऐसा कार्यक्षेत्र रहा है, जिसमें केवल मुस्लिम पुरुषों का वर्चस्व था। शबनम आरा पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर ज़िले के एक गाँव नंदीग्राम की निवासी हैं। पुरुषों के लिए आरक्षित रहते आए इस पेशे में, शबनम ने 770 से अधिक विवाह सम्पन्न करवाए हैं। बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खोने और सात बहनों में सबसे छोटी होने के कारण शबनम अपने पिता अब्दुल खदिर मोहम्मद जजलूर रहमान की निकाह आयोजित करने में सहायता करती थीं।

वर्ष 2003 में पिता के निधन के बाद शबनम ने काज़ी के पद पर आवेदन किया और इस प्रयास में उन्हें अपने परिवार का पूरा समर्थन मिला। लेकिन काज़ी के पद के दावेदार मोज़म्मल हुसैन ने शबनम की नियुक्ति को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि शरीयत महिलाओं को काज़ी होने की अनुमति नहीं देती है। जुलाई 2005 में उच्च न्यायालय ने मामले को पंजीकरण के महानिरीक्षक (न्यायिक) को सौंप दिया और सौभाग्य से शबनम के पक्ष में फैसला सुनाया गया, क्योंकि यह पाया गया कि वह कुरान और हदीस के साथ अच्छी तरह से वाकिफ थी और उसमें काज़ी बनने की सारी योग्यताएँ हैं। न्याय की इस लड़ाई में न केवल उनके परिवार, समाज के बुज़ुर्गों और मौलवियों ने समर्थन दिया बल्कि नंदीग्राम के मौलवियों ने भी समर्थन दिया। आज, शबनम निकाह करवाने में एक विशेषज्ञ है और इसके अलावा एक महिला होने के नाते वह एक बेहतर स्थिति में है क्योंकि दुल्हन एक पुरुष काज़ी के मुकाबले महिला काज़ी से अधिक स्वतंत्रता से बात कर सकती है।

शबनम के ही नक्शे कदम पर चलते हुए, राज्य में पहली बार इस रूढ़ि को तोड़ते हुए, जयपुर की काज़ी जहाँ आरा और काज़ी अफ्रोज बेग़म भी आधिकारिक रूप से राजस्थान में काज़ी बन

© NCERT not to be republished

गई हैं। उन्होंने मुंबई स्थित दारूल उलूम-ए-निसवान से प्रशिक्षण हासिल किया और उन्हें काजियत के लिए प्रमाण पत्र दिया गया।

वृत्तचित्र

बाधाओं को तोड़ते हुए— महिला काज़ियों ने बनाई एक अलग राह— 9 मार्च, 2006 को प्रकाशित

https://www.ndtv.com/video/zany/news/breaking-barriers-woman-qazi-makes-a-difference-1019

क्रियाकलाप

कम से कम तीन ऐसी महिलाओं को पहचानें जो आपके आस-पास या शहर या गाँव में गैर-पारंपरिक भूमिकाओं में शामिल होती हैं।

संभव है कि उपरोक्त उदाहरणों से बहुत से लोग परिचित न हों किंतु ये उन लड़कियों और महिलाओं के सजीव उदाहरण हैं जिन्होंने वास्तव में अपरंपरागत पथ पर चलने की हिम्मत दिखाई है। हम में से कितने जानते हैं कि कमला बाई राजस्थान का पहली सौर इंजीनियर हैं, मीनाक्षी विजयकुमार अग्निशमन अधिकारी बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं, सावित्री कबीरदास एक हैंडपंप मैकेनिक हैं, रिम्पा शिव एक तबला वादिका हैं। ऐसी और कई महिलाएँ हैं जिनकी उपलब्धियों और योगदान को समाज में वह स्वीकार्यता और मान्यता नहीं मिली जिसकी वे हकदार हैं। इन महिलाओं की सफलता की कहानियों ने समाज के विकास में भूमिका निभाने वाली महिलाओं की भूमिकाओं को फिर से परिभाषित किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सभी को औपचारिक शिक्षा का विशेषाधिकार नहीं मिला है और न ही उन्हें डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त हैं। कुछ लड़कियों और महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसने उन्हें एक अपरंपरागत करियर का विकल्प चुनने के लिए मज़बूर किया, वहीं दूसरों के लिए चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने की इच्छा ने उन्हें पुरुष के गढ़ को जीतने में सक्षम बनाया। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यदि उनमें से कुछ को अपने अपने परिवार, दोस्तों, शिक्षकों और सहकर्मी समूह का समर्थन नहीं मिला होता तो उनके लिए अपने सपने को आगे बढ़ाना और गरिमा तथा आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना संभव नहीं हो पाता।

10.5 प्रेरक के रूप में शिक्षक

शिक्षक लड़कियों को गैर-पारंपरिक नौकरियों को चुनने की दिशा में सचेत करने और अपरंपरागत करियर में आगे बढ़ने की संभावनाओं के संबंध में उन्हें प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षक अपने छात्रों के लिए आदर्श बन सकते हैं और स्कूल में बाधाओं को दूर करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जो उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने से रोक रही हैं। प्रोत्साहन और समर्थन दो महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जिन्हें अपनी छात्राओं के लिए एक पेरोकार बनने के लिए और उनके सपने को पूरा करने में मदद करने के लिए शिक्षक उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिक्षक के कंधों पर अपने विद्यार्थियों खासकर छात्राओं का प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न भूमिकाएँ और बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। यद्यपि अनेक बाधाओं में से कई ऐसी भी हो सकती हैं जो शिक्षक के नियंत्रण में न हों, लेकिन उनका प्रयास स्कूल में बाधाओं को समाप्त करने की सुविधा प्रदान कर सकता है। अपने स्तर पर शिक्षक अपरंपरागत करियर पर विचार करने के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करने हेतु कई तरीकों को अपना सकते हैं।

10.6 गैर-पारंपरिक नौकरी की अवधारणा से परिचय करवाना

गैर-पारंपरिक नौकरियाँ वे व्यवसाय हैं जिनमें एक जेंडर व्यवसाय में नियोजित व्यक्तियों के 25 प्रतिशत या इससे कम प्रतिशत में शामिल होता है। महिलाओं के लिए गैर-पारंपरिक नौकरियाँ ऐसे व्यवसाय हैं, जिनमें 75 प्रतिशत या इससे भी अधिक संख्या में पुरुष कार्यरत हैं। ये वे नौकरियाँ हैं जिनमें महिला कर्मचारियों की संख्या 25 प्रतिशत से कम है। भारत में महिलाओं के लिए अपरंपरागत कार्यों के उदाहरण हैं— वैज्ञानिक, हैंडपंप मैकेनिक, सौर इंजीनियर, फुटबॉल रेफरी, तबला वादिका, अग्नि सेवा अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, बस चालक, पायलट, पुजारी, कंप्यूटर तकनीशियन, सरपंच आदि। विद्यार्थियों को महिलाओं द्वारा चुने जाने वाले पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों क्षेत्रों की नौकरियों पता लगाने के लिए कहा जा सकता है। उन्हें इसके लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे यह पता करें कि उनके क्षेत्र में क्या कोई लड़की या महिला है जो अपरंपरागत पेशे में शामिल है और फिर उसके निष्कर्षों को कक्षा में बताएँ। अपरंपरागत नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी के प्रभाव और अपरंपरागत नौकरियों में पुरुषों के प्रभाव के संबंध में कक्षा में वाद-विवाद का आयोजन किया जा सकता है। परियोजना कार्य एक अपरंपरागत व्यवसाय की जाँच के लिए दिया जा सकता है,

© NCERT not to be republished

जिसके लिए वे इंटरनेट, संदर्भ पुस्तकों अखबार, पत्रिकाओं आदि का उपयोग कर सकते हैं। वे उस व्यवसाय के पोस्टर डिस्प्ले भी तैयार कर सकते हैं, जिसकी वे जाँच कर रहे हैं।

10.7 करियर मार्गदर्शन पर उपलब्ध सामग्री की समीक्षा

अधिकतर मामलों में विद्यार्थी स्कूल या घर पर उपलब्ध हो जाने वाले प्रिंट अथवा संचार माध्यमों से ही अपनी पसंद के करियर के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। सामाजीकरण और मानसिकता के आधार पर ज़्यादातर लड़कियाँ खुद को अपरंपरागत करियर में काम करने की कल्पना तक नहीं कर पातीं और न ही ऐसी सामग्रियों से ही खुद को जोड़कर देख पाती हैं, जिनमें 'समानरूपी' का भाव शामिल होता है। इसलिए ऐसी सामग्री की कोशिश और पता लगाने की आवश्यकता है, जो लड़कियों को अपरंपरागत नौकरियों का चुनाव करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। ऐसी सामग्री की पहचान की जा सकती है, जैसे ब्रोशर, डिस्प्ले और वेबसाइट, जो महिलाओं और परिवारों की बदलती भूमिकाओं को दिखाती हैं और करियर के विभिन्न प्रकारों को दर्शाती हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है कि वे प्रिंट और गैर-प्रिंट माध्यमों की ऐसी सामग्री, जैसे ऐसे विज्ञापनों और धारावाहिकों की समीक्षा करें, जो पक्षपातपूर्ण रवैये और रूढ़िबद्धता को मज़बूत करते हैं अर्थात् जो महिलाओं को उनकी पारंपरिक भूमिकाओं में ही चित्रित करते हों। उन्हें ऐसी सामग्री के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए कहा जा सकता है।

गतिविधि

तीन विज्ञापनों की पहचान करें जो महिलाओं के लिए रूढ़िवादी भूमिकाओं को सुदृढ़ करते हैं, प्रत्येक विज्ञापन में सौंपी गई भूमिका का उल्लेख करें और विस्तार से बताएँ कि आप इसे स्टीरियोटाइप क्यों मानते हैं।

क्र.सं	विज्ञापन का नाम	सौंपी गई भूमिका	टिप्पणियाँ
1.			
2.			
3.			

गतिविधि

महिलाओं के लिए प्रगतिशील भूमिका निभाने वाले तीन विज्ञापनों को पहचानें, प्रत्येक विज्ञापन में सौंपी गई भूमिका का उल्लेख करें और विस्तार से बताएँ कि आप इसे प्रगतिशील क्यों मानते हैं।

क्र.सं	विज्ञापन का नाम	सौंपी गई भूमिका	टिप्पणियाँ
1.			
2.			
3.			

10.8 माता-पिता को आमंत्रित करें, उन्हें चर्चा में शामिल करें और शिक्षित करें

यह एक ज्ञात तथ्य है कि माता-पिता अपने बच्चों के साथ करियर सलाहकार के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिए उन्हें उनकी भूमिका और अपेक्षाओं के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। माता-पिता की अपनी रूढ़िवादी सोच और पूर्वाग्रह उनके बच्चों के करियर को प्रभावित कर सकते हैं और इसलिए संभव है वे उनकी ऐसी पसंद का समर्थन न करें, जो अपरंपरागत हैं। अधिकतर मामलों में लड़कियों द्वारा चुने गए विषय उनके माता-पिता द्वारा निर्देशित होते हैं, जो भविष्य में उनकी माँ अथवा पोषिका की भूमिका को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं। शिक्षक लड़कियों के लिए उपलब्ध करियर विकल्प की विविधता के विषय में माता-पिता को शिक्षित करने और बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माता-पिता को शिक्षित करते समय माता-पिता की विविध सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल के अधिकारियों और विद्यार्थियों के समर्थन के प्रोत्साहन के साथ, माता-पिता के लिए एक करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा सकता है, जो उन्हें लड़कियों के लिए उपलब्ध अपरंपरागत नौकरियों की विविधता के विषय में जानकारी देगा। शिक्षक माता-पिता को तर्कसंगत, लेकिन धैर्यपूर्वक तरीके से, यह समझा सकते हैं कि किस प्रकार उनके मार्गदर्शन और समर्थन से लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र अथवा व्यवसाय में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं और जो उनके जीवन में

© NCERT not to be republished

एक गुणात्मक परिवर्तन भी लाएगा। प्रिंट और गैर-प्रिंट सामग्री के माध्यम से शिक्षक माता-पिता को उन महिलाओं की उपलब्धि और योगदान से परिचित करवा सकते हैं, जिन्होंने अपारंपरिक व्यवसायों में अपना एक मुक़ाम हासिल किया है। माता-पिता अपनी बेटियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने और सक्रिय होने के लिए शिक्षक के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षक माता-पिता को यह समझा सकते हैं कि वे अपनी रुचि के क्षेत्र को अनदेखा करते हुए उन क्षेत्रों की गतिविधियों का समर्थन करें, जिनमें उनकी बेटी रुचि रखती है।

क्रियाकलाप

लड़कियों और लड़कों के माता-पिता के लिए एक करियर प्रश्नावली तैयार करें और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करें। यह आपको लड़कियों और लड़कों के लिए करियर की आकांक्षाओं के संबंध में माता-पिता की धारणा के संबंध में जानकारी देगा। कुछ प्रश्न नीचे सूचीबद्ध हैं—

आपके विचार से लड़कियों के लिए कौन-सी नौकरी या व्यवसाय सबसे उपयुक्त हैं?

आपके विचार से लड़कों के लिए कौन-सी नौकरी या व्यवसाय सबसे उपयुक्त हैं?

क्या कारण हैं कि कुछ नौकरियों को महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है?

ऐसे कौन-से कारण हैं जो लड़कियों को करियर पर विचार करने से रोकते हैं जो पुरुषों के लिए उचित हैं?

क्या आप अपनी बेटी को ऐसे करियर पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे?

क्या आप अपने बेटे को महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाने वाली नौकरी पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? और करेंगे तो क्यों?

10.9 सफल रोल मॉडल संबंधी रणनीतियाँ

यह कहावत कि 'देखकर ही विश्वास किया जा सकता है' सच साबित होती है। लड़कियाँ इस तथ्य में तभी विश्वास कर पाएँगी कि उनके पास कई विकल्प हैं, जब वे अपने जैसे ऐसे लोगों के संपर्क में आएँगी जिन्होंने अपरंपरागत व्यवसाय चुनें और उनमें सफलता हासिल की। यह कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों और उनके आदर्शों को एक साथ लाया जाए।

प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ, रोल मॉडल और छात्रों के बीच टेलीकांफ्रेंसिंग, रेडियो आदि के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। सफल महिलाओं द्वारा प्रस्तुतियाँ अपरंपरागत करियर पर विचार करने के लिए लड़कियों को प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। विद्यार्थियों को उनके परिवार, समुदाय या पड़ोस से महिलाओं की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जो अपरंपरागत क्षेत्र में अपना भविष्य बना रही हैं, और विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। कक्षा में प्रत्येक लड़की को कहा जा सकता है कि वह गैर-पारंपरिक पेशे में उसके रोल मॉडल की पहचान करे और वह कारण भी बताए कि क्यों उसने इसे रोल मॉडल चुना।

क्रियाकलाप

एक लड़की या एक महिला की पहचान करें जो एक अपरंपरागत पेशे में शामिल है और जिसे आप एक रोल मॉडल मानते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो—

1. आप उसे एक रोल मॉडल क्यों मानते हैं?
2. क्या आप एक गैर-परंपरागत करियर चुनेंगे और क्यों?
3. आपको आपके रोल मॉडल के बारे में सबसे ज़्यादा क्या प्रेरित करता है?

10.10 मार्गदर्शन और परामर्श

लड़कियों को सबसे अधिक लाभ तभी होगा जब उन्हें उनके पाठ्यक्रम और कार्यक्रम के दौरान अपरंपरागत विषय या पाठ्यक्रम के चयन में व्यापक विकास संबंधी निर्देश, परामर्श, करियर विकास तथा आत्मविश्वास प्रदान किया जाएगा। विद्यार्थियों को करियर के विभिन्न विकल्पों से व्यापक रूप से परिचय करवाया जा सकता है जिनमें अपरंपरागत व्यवसाय भी शामिल हैं। उन्हें अपने कौशल और रुचि को निर्धारित करने में मदद की जा सकती है जो उन्हें अपरंपरागत नौकरियों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उन्हें उनके कौशल तथा आत्मविश्वास को मज़बूत करने के लिए वैयक्तिक तथा सामूहिक स्तर पर भी परामर्श दिया जा सकता है, खासतौर पर ऐसी परिस्थितियों में जहाँ जेंडर पूर्वाग्रह की एक पूरी संस्कृति उन लड़कियों को हतोत्साहित करने का माहौल बनाती है, जो करियर के लिए गैर-पारंपरिक विकल्प चुनना चाहती हैं।

© NCERT not to be republished

विद्यार्थियों को उनके भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का अभ्यास कार्य दिया जा सकता है। गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों से संबंधित डर को कम करने की दिशा में भी प्रयास किए जाने चाहिए। उन्हें विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से भी परिचित करवाया जा सकता है, जो अन्य विद्यालयों अथवा संस्थाओं में उपलब्ध हैं। जेंडर संबंधी रूढ़िवादी भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए परिवार, साथी-समूह तथा समाज द्वारा बनाए जाने वाले दबाव पर भी विचार-विमर्श को भी प्रोत्साहित किया जाए। वे विद्यार्थी जो अपरंपरागत करियर में रुचि रखते हैं, उन्हें ऐसी रणनीतियाँ तैयार करने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं जिनसे वे यह समझ पाएँ कि किसी एक जेंडर के वर्चस्व वाले व्यवसाय में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, जैसे सहकर्मी समर्थन।

निष्कर्ष

कई अदृश्य महिलाओं की सफलता की कहानियाँ कई लोगों को परिचित नहीं लग सकती हैं, लेकिन वे उन लड़कियों और महिलाओं के उदाहरण हैं जो वास्तव में अपरंपरागत रास्ते पर चलने की हिम्मत कर चुकी हैं। ऐसी कई और महिलाएँ हैं जिनकी उपलब्धियों ने दृश्यता और मान्यता हासिल नहीं की है, जिसकी वे वास्तव में हकदार हैं। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है कि लड़कियों और महिलाओं को पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण भूमिकाएँ निभाने के लिए सुसज्जित किया जा सकता है, जिनके लिए परिवार, स्कूल और समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती हैं।

10.11 संदर्भ

- चक्रवर्ती, सुष्मिता. 2017. फेयर रिस्पांस अपसेट्स बाउवा. 7 फरवरी, द टेलीग्राफ. http://www.dailypioneer.com/nation/jitwarpur-a-village-of-padma-shri-decorated-shrimatis.html लिंक 7 फ़रवरी 2017 को देखा गया।
- चटर्जी, सोमा. 2016. *ब्रेकिंग द मेल बास्टियन ऑफ़ कुमार्टौली.* http://www.indiatogether.org/breaking-the-male-bastion-of-kumartuli-women
- जगदीश, विनयश्री. 2014. *ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स ऑन रोड.* 07, द हिन्दू. बेंगलुरू.
- जाहननवी. 2016. *ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप – राजस्थान गैट्स इट्स फर्स्ट फिमेल काज़ी.* http://topyaps.com/rajasthan-female-qazi लिंक फ़रवरी 2016 को देखा गया।
- जैन, गुंजन. 2016. *शी वाक्स शी लीड्स वूमेन टू इंस्पायर इंडिया.* पेंगविन, नयी दिल्ली.
- थापर, चारू. 2017. *जेंडर डाइवर्सिटी इन इंडिया – हेल्पिंग वूमेन लीन इनटू द वर्कप्लेस.* फाइनेंनशियल एक्सप्रेस. 2 मार्च 2017.
- दास, श्रेया. 2016. *वूमेन इन मैन्स वर्ल्ड – टू फिमेल स्कल्पचर्स इन द आर्ट ऑफ़ मेकिंग गोडेज दुर्गा.* http://indianexpress.com/article/lifestyle/art-and-culture/durga-puja-women-sculptors-artist-of-kumortuli-kolkata-bengal-idol-making-hub-3060284/ लिंक 5 अक्तूबर 2016 को देखा गया।
- पाल, संचानी. 2017. *इन द लव विद रॉकेट साइंस – द स्टोरी ऑफ़ टेली थॉमस*, इंडियाज मिसाइल वूमेन. https://www.thebetterindia.com/122711/missile-woman-agniputri-tessy-thomas-drdo-kerala-india/ 30 नंवबंर को देख गया।
- मजूमदार, जयदीप. 2005. शबनम आरा बेग़म. आउटलुक. https://www.outlookindia.com/magazine/story/shabnam-qazi/228205 लिंक अगस्त 2005 को देखा गया।
- मनोज कुमार, आर. 2016. *प्रेमा रमप्पा नडापट्टी – बेंगलुरू फर्स्ट एंड ओनली वूमेन ड्राइवर.* http://www.theweek.in/features/society/prema-ramappa-nadapatti-bengaluru-first-only-woman-bus-driver.html लिंक 7 मार्च 2016 को देखा गया।
- रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

- राउत, उषा रानी. लेविस सू और कगन कैरोलिन, *वर्क एंड फैमिली रॉल्स – इंडियन करियर वूमेन इन इंडिया एंड द वेस्ट,* इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, (6:1) 1999. सेज पब्लिकेशन्स. नयी दिल्ली.
- हेमछाया, डे. 2016. *ए टेल ऑफ़ फोर कुमार्टौली वूमेन आइडॉल मेकर्स.* https://www.femina.in/achievers/a-tale-of-4-kumortuli-women-idol-makers-25024.html लिंक 7 अक्तूबर 2016 को देखा गया।

आश्चर्यचकित करने वाली अन्य महिलाएँ

(a) होमई वयारावल्ला, फोटोजर्नलिस्ट (1914-2012)।
(b) दीपा मलिक, 2016 में पैराओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला।
(c) भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, भारतीय वायुसेना की महिला पायलट।
(d) अरुण धति भट्टाचार्य, भारतीय स्टेट बैंक की चैयरमैन।
(e) मिताली राज, भारतीय क्रिकेटर।

not to be republished © NCERT

(f) *सरला भारकल, पहली महिला पायलट।*

(g) *शीला दावरे, ऑटो चालक।*

(h) *संतोष देवी, सौर इंजीनियर।*

(i) *मीराबाई मीना, राजस्थान में हैंडपंप मकैनिक।*

© NCERT not to be republished

किशोर लड़कियों के सरोकार

- यौन शोषण तथा यौन दुर्व्यवहार
- ठीक से तारतम्य स्थापित न कर पाना (अपसमायोजन)
- अस्मिता संबंधी संकट
- पढ़ाई में ध्यान न लगना
- शारीरिक दिखावट
  - मुहांसे
  - लंबाई
  - स्तनों का आकार
- शारीरिक छवि
- यौन संबंधी आकर्षण
- विषमलिंगी आकर्षण
- अतिवर्धित भावुकता
- आत्मविश्वास की कमी
- निजी अपर्याप्तता का भाव
- यौन-कर्म में संलिप्त हो जाना
- अत्यधिक विनयशीलता
- दिवा स्वप्न
- चिड़चिड़ापन
- ज़िद
- अतिवर्धित संवेदनशीलता के परिणामस्वरूप भावनात्मक रूप से आसानी से आहत होना
- शिक्षकों के साथ असंतोषजनक संबंध
- परीक्षाओं को लेकर चिंता
- परीक्षाओं के परिणाम को लेकर आशंका
- एकाग्रता की कमी
- शिक्षकों से अव्यावहारिक अपेक्षाएँ
- अत्यधिक गृह-कार्य
- अपने आप को अभिव्यक्त तथा 'ना' कहने में अक्षम
- स्वतंत्रता की कमी
- निर्णय लेने में समस्या
- अपने सर्वोत्तम व्यवहार के प्रति निरंतर चिंतित
- पिता के साथ असंतोषजनक संबंध
- माता-पिता के साथ कमज़ोर संवाद
- माता-पिता की अव्यावहारिक उम्मीदें
- माता-पिता के साथ विचार मतभेद

© NCERT not to be republished

प्रत्येक जीवन-कौशल का अर्थ

1. **आत्म-जागृति** — इसमें हमारे अस्तित्व का अभिज्ञान, चरित्र, क्षमताएँ तथा कमज़ोरियाँ, इच्छाएँ और नापसंद आदि शामिल होती हैं। यह स्वयं को एक विशेष व्यक्ति के रूप में जानना है। प्रभावी संवाद, अंतर्वैयक्तिक संबंधों तथा समानुभूति के लिए यह एक पूर्वापेक्षा है।
2. **समानुभूति** — यह एक ऐसी योग्यता है जिससे दूसरे व्यक्ति के उस जीवन की कल्पना भी की जा सकती है जिससे हम कदापि परिचित न हों। यह हमें दूसरों को तथा उनके उस व्यवहार को स्वीकार करने एवं समझने में मदद करती है जो हमसे बिलकुल अलग हो अर्थात् यह जानना कि लोग कैसे एकसमान तथा असमान हो सकते हैं। इसमें सुनने की योग्यता, दूसरों की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को समझने तथा उस समझ को अभिव्यक्त करने की योग्यता शामिल होती है।
3. **आलोचनात्मक चिंतन**— किसी सूचना तथा अनुभव को वस्तुपरक तरीके से विश्लेषित करने की योग्यता ही आलोचनात्मक चिंतन है। इसमें साथियों एवं मीडिया के प्रभावों का विश्लेषण, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सामाजिक नियमों तथा उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के विश्लेषण के साथ-साथ अपने लिए प्रासंगिक सूचना एवं सूचना के स्रोतों की पहचान शामिल है।
4. **सकारात्मक सोच** — यह एक ऐसी योग्यता है जिससे हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव से आगे किसी मुद्दे को उस परिप्रेक्ष्य से देखने या हल करने की कोशिश करते हैं जो किसी प्रत्यक्ष अथवा निश्चित कायदे से भिन्न होता है। इससे हमारे दैनिक जीवन की परिस्थितियों में एक विलक्षणता एवं नम्रता आ जाती है। सूचना तथा अनुभवों को वस्तुपरक ढंग से विश्लेषित करने की योग्यता भी इससे आ जाती है, क्योंकि यह हमें हमारे अपने कार्यों और चिंतन के प्रति अनेक विकल्पों तथा विभिन्न परिणतियों की छान-बीन करने के लिए प्रेरित करती है जिससे हमारी समस्या समाधान तथा निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है।
5. **निर्णय लेना**— किसी मुद्दे के सभी पहलुओं और उससे संबंधित सभी संभावित एवं उपलब्ध धारणाओं तथा उसपर पड़ने वाले प्रभावों की आकलन प्रक्रिया ही निर्णय लेना कहलाता है। इसमें किसी निर्णय को लेने के विकल्पों के अच्छे एवं बुरे पहलुओं का आकलन करने तथा लिए गए निर्णय की परिणतियों का दायित्व लेना शामिल होता है।
6. **समस्या समाधान** — प्रत्येक विकल्प पर सुविचारित निर्णय लेना, सबसे श्रेष्ठ विकल्प का चयन तथा समस्या का सकारात्मक परिणाम हासिल होने तक फिर से उसपर तर्कपूर्ण प्रक्रिया से विचार करना ही समस्या समाधान है। संक्षेप में कहा जाए तो यह समस्या का निर्धारण तथा उसके लिए विकल्प तलाशने एवं तार्किक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इस प्रकार के कौशल विकास के लिए सूचना संग्रहण कौशल, अपने लिए तथा दूसरों के लिए हमारे वर्तमान कार्यों के भविष्य में होने वाले प्रभावों का आकलन तथा समस्या के लिए वैकल्पिक समाधान तय करने की योग्यता अपेक्षित है।
7. **प्रभावी संप्रेषण** — यह हमें स्वयं को मौखिक तथा गैर-मौखिक रीतियों से यथोचित रूप से व्यक्त करने की योग्यता है। इसका अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं, विकल्पों तथा भय को व्यक्त कर सकें तथा आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त कर सकें। इसमें मौखिक एवं गैर-मौखिक संप्रेषण, सक्रियता से सुनने, भावनाओं को व्यक्त करने, बिना दोष दिए अपनी प्रतिपुष्टि देने और प्रतिपुष्टि ग्रहण करने का कौशल शामिल है।
8. **अंतर्वैयक्तिक संबंध** — इस प्रकार के कौशल से हम दूसरों के साथ अपने रिश्तों को समझ सकते हैं तथा सकारात्मक या पारस्परिकता के भाव से उनके साथ जुड़ सकते हैं। इससे हमें अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को जोड़ने एवं उनका मान करने के साथ ही यदि आवश्यकता हो, तो रिश्तों को सकारात्मकता से अलग करने में भी मदद मिलती है। इससे दूसरों के साथ काम करने तथा उनकी भूमिकाओं एवं सीमाओं को समझने में सहायता मिलती है।
9. **तनाव का सामना करना** — यह वह योग्यता है जिससे हमें अपने जीवन में तनाव के कारणों तथा स्वयं पर उनके प्रभावों का पता चलता है और उन उपायों का समाधान सूझता है जिससे हम अपने तनाव के स्तर पर नियंत्रण रख पाते हैं। इसमें तनाव की पहचान, समय का प्रबंधन, सकारात्मक सोच और

© NCERT not to be republished

ऐसे कई कार्य शामिल हो सकते हैं जो तनाव को कम करते हैं, जैसे कि हमारे रहने के वातावरण एवं जीवन-शैली में बदलाव तथा विश्रांत होने का कौशल सीखना आदि। हमें इन कौशल पर गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत है क्योंकि वर्तमान में विश्वभर में बच्चों में विकसित किए जाने वाले ये महत्वपूर्ण कौशल हैं। प्रश्नों और उत्तरों, वाद-विवाद, चर्चाओं तथा भूमिका निर्वहन आदि के माध्यम से शिक्षक सुखद क्षणों, उदासी के समय को साझा कर सकते हैं। वे तनाव के कारणों और उससे मुकाबला करने की रणनीतियों का विश्लेषण कर उन्हें ठीक से समझ भी सकते हैं। तनाव प्रबंधन की कला एक प्रकार से स्वयं को प्रेरणा के स्तर पर रखना है जो स्वस्थ एवं सुखद होता है। तनाव का सामना करने की कला से विद्यार्थी अपने जीवन पर कहीं अधिक नियंत्रण रख पाते हैं जिससे उन्हें अपने तनाव के स्तर को कम रखने में मदद मिलती है।

10. **भावनाओं पर नियंत्रण** — यह वह योग्यता है जो दूसरों एवं अपनी भावनाओं को जानने तथा भावनाएँ किस प्रकार व्यवहार को प्रभावित करती हैं, इसकी जानकारी रखने और भावनाओं को समुचित रूप से संचालित करने में मदद करती है। इससे यह भी जानने में मदद मिलती है कि भावनाएँ व्यापक होती हैं तथा किसी एक ही परिस्थिति में भावनाओं को अलग-अलग लोग, भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। इसमें क्रोध पर नियंत्रण, दुःख एवं उद्विग्नता का सामना करना, नुकसान का दुःख झेलना, दुर्व्यवहार और ट्रॉमा (सदमा) आदि शामिल होता है।

11. **घर-गृहस्थी से जुड़े कौशल** — ये वे कौशल हैं जिनका संबंध घर में दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों को करने से होता है। इसमें खाना पकाना, संतुलित आहार, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना और सफ़ाई करना, घर में छोटी-सी शाक-सब्ज़ी की बगिया लगाना, स्वास्थ्य और साफ़-सफ़ाई, मरम्मत कार्य, सिलाई, किफ़ायत और घरेलू उपचार शामिल हैं। घरेलू रखरखाव के कार्य, जैसे— बिजली संबंधी छोटी-मोटी मरम्मत, नलकों की मरम्मत करना, साइकिल का रखरखाव, रंगाई-पुताई करना, रंग करना, चूल्हे और कुकर आदि घरेलू उपकरणों की मरम्मत भी इसमें शामिल है।

12. **परिवार से संबंधित कौशल** — ये वे कौशल हैं जो सभी प्रकार के परिवारिक मामलों के प्रबंधन से जुड़े होते हैं। योजनाबद्ध और उत्तरदायी अभिभावकता, एड्स या एच.आई.वी. या एस.टी.डी. के प्रति जागरूकता, नशीले पदार्थों का प्रयोग, यौन शिक्षा, रजोकाल में अपना समुचित व्यवस्थापन, पारिवारिक हिंसा का सामना तथा उसका निवारण, मौखिक एवं शारीरिक दुर्व्यवहार, बाल उत्पीड़न, यौन संबंधी उत्पीड़न, प्राथमिक उपचार (जलने, चोट लगने, साँप के काटने, डूबने तथा विषायण आदि में) तथा गृह-परिचर्या, स्वास्थ्य एवं पोषण आदि इसमें सम्मिलित हैं।

13. **जन-सेवा तक पहुँच बनाना** — इस प्रकार के कौशल दैनिक जीवनचर्या के लिए उपलब्ध जन-सुविधाओं के संचालन तथा उन तक पहुँच की समझ और उनके बारे में जानकारी से संबंधित हैं। इस प्रकार यह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में परिवार, समुदाय तथा समाज को लाभ पहुँचाते हैं। इस प्रकार के कौशल में डाक एवं तार संबंधी कार्य, रेल या बस सेवाएँ, बैंक से जुड़ी गतिविधियाँ, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सेवाएँ, यातायात के नियम-विनियम तथा इंटरनेट आरक्षण सहित कंप्यूटर साक्षरता भी शामिल है।

14. **पर्यावरणीय संवेदनशीलता**— इसका संबंध पर्यावरण के बचाव, संरक्षण तथा परिरक्षण, मनुष्यों में परस्पर सौहार्द्रपूर्ण संबंधों, उनको क्रियाकलापों तथा उनके रहने-सहने के परिवेश को जानने से है। पर्यावरण सुरक्षा कौशल, पर्यावरण का बचाव, प्रदूषण के संकट तथा प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की पहचान, संसाधनों का संरक्षण, दैनिक उपयोग के लिए जैविक रूप से नष्ट होने योग्य (अपचयनशील) सामग्री का पुनर्नवीकरण, पौधों और पशुओं के लिए प्यार और देखभाल, पारितंत्र-अनुकूल तकनीकी (Eco-friendly) का प्रयोग तथा आपदा प्रबंधन (बाढ़, अकाल, भूकंप, चक्रवात आदि) आदि से संबंधित हैं।

15. **विधि जागरूकता**— यह आवश्यक है कि बच्चों को मानव जीवन को संचालित करने वाले कानूनों के प्रति जागरूक किया जाए। ये कानून ठोस रूप में सुस्थापित जाति, वर्ग, प्रजाति, धर्म और सबसे प्रमुख जेंडर भेदभाव की असमानताओं से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का सामना करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों में विषयवस्तु तथा विद्यालयी शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से मानवीय समुत्थान के प्रति पर्याप्त समझ और प्रतिबद्धता निर्मित करें। सभी प्रकार के मानवीय विकास का मूलमंत्र बाह्य एजेंसियों द्वारा कानूनों के प्रचालन की अपेक्षा स्वयं उनके अनुपालन में निहित है। इसमें संवैधानिक अधिकारों एवं दायित्वों, शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा, मानव अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, निजी एवं सामाजिक नियम, श्रम कानून, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए कानून तथा जनहित अभियोग जैसे अधिकारों की जानकारी के कौशल भी सम्मिलित हैं।

© NCERT not to be republished

© NCERT
not to be republished

खंड 1 — जेंडर और समाज संबंधी परिप्रेक्ष्य

सेक्स और जेंडर

जेंडर समानता और सशक्तीकरण के सूचक

जेंडर बजटिंग

जेंडर, मीडिया और शिक्षा

जेंडर और हिंसा

जेंडर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

खंड 2 — जेंडर और विद्यालयी प्रक्रिया

पाठ्यपुस्तकें, शैक्षिक पद्धति और जेंडर सरोकार

भाषा और जेंडर

पाठयेत्तर सामग्री और जेंडर संवेदनशीलता

जेंडर अनुकूल कक्षाओं का निर्माण

किशोर लड़कियों का मानसिक स्वास्थ्य — संकल्पना, सरोकार और रणनीतियाँ

शिक्षक — एक परामर्शदाता

विद्यालयों में जीवन-कौशल शिक्षा

लड़कियों में नेतृत्व के गुणों का विकास

लड़कियों और महिलाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना

महिलाएँ अपरंपरागत भूमिकाओं में — रोल मॉडल्स की ताकत

खंड 3 — जेंडर और महिला सशक्तीकरण

भारत में महिला आंदोलन — एक अवलोकन

शिक्षा में समानता से निष्पक्षता की ओर — दक्षिणी एशिया के कुछ उदाहरण

अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा — मुस्लिम लड़कियों के संदर्भ में

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण — क्षमताएँ एवं संभावनाएँ

स्वयंसेवी समूहों द्वारा महिलाओं को रोज़गार तथा सशक्तीकरण

लड़कियों एवं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा — न्यायिक संरचना

स्वावलंबी होना — लड़कियों के सशक्तीकरण हेतु व्यावसायिक शिक्षा

© NCERT not to be republished

13225

विद्ययाऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 978-93-91444-39-6